सामाजिक अध्ययन

कक्षा-8

एकलव्य

9

मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम

मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 46-9/99/सी-3/20, भोपाल दिनांक 14 जून 1999 के अनुसार चुनी हुई शासकीय माध्यमिक शालाओं में प्रयोगात्मक रूप से प्रचलन हेतु अनुमोदित एवं निर्धारित।

मानचित्र के आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

द्वितीय संस्करण (संशोधित)

प्रथम मुद्रण 1994

द्वितीय मुद्रण 1996

तृतीय मुद्रण 1999

आवरण चित्र 'देश का पर्यावरण' से साभार

मध्यप्रदेश पाठयपुस्तक निगम की ओर से एवं उनके लिए राजकमल ऑफसेट प्रिंटर्स द्वारा मुद्रित।

सामाजिक अध्ययन

कक्षा आठ

(प्रायोगिक संस्करण)



मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल
1999

आपस की बात

मध्य प्रदेश की माध्यमिक शालाओं में विज्ञान शिक्षण में नवाचार करने के प्रयास 1972 में दो स्वयं सेवी संस्थाओं (किशोर भारती, बनखेड़ी व मित्र मंडल केंद्र, रसूलिया) द्वारा होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से शुरू हुए थे। इन्ही प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए शालाओं में नए परिप्रेक्ष्य से सामाजिक अध्ययन, भाषा व गणित सीखने-सिखाने की तैयारी एक अगला चरण थी। 'एकलव्य' संस्था इसी उद्देश्य से बनी और लगभग 1982 से ही ये तैयारियां शुरू हो चुकी थीं।

1986-87 में, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से, माध्यमिक शालाओं के लिए एकलव्य द्वारा विकसित सामाजिक अध्ययन की प्रायोगिक पाठ्य सामग्री 3 जिलों की 9 माध्यमिक शालाओं की कक्षा 6 में लागू की गई। साल भर के प्रयोग और विवेचना के आधार पर, इस सामग्री को 1987-88 में संशोधित कर फिर से छापा गया। साथ ही कक्षा 7 के लिए प्रायोगिक पाठ तैयार किए गए। 1988-89 में कक्षा 7 की सामग्री का संशोधन किया गया और कक्षा 8 के लिए प्रायोगिक पाठ तैयार किए गए।

इस काम को आगे बढ़ाते हुए 1988 से 1990 तक कक्षा 8 के प्रायोगिक पाठ पढ़ाए गए। स्कूल के बच्चों व शिक्षकों की भागीदारी से, इन पाठों की कमियां व खूबियां उभर कर आईं। रुचि रखने वाले कई लोगों ने भी इन पाठों की समीक्षा की। इस क्रम में पुस्तक के पाठ बदले गए, सुधारे गए और कुछ पाठ जो आठवी के बच्चों के लिए उचित नही लगे, वे हटा ही दिए गए। इन के बदले में कुछ नए पाठ जोड़े गए। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप कक्षा 8 की प्रायोगिक पुस्तक का यह संशोधित संस्करण तैयार हुआ।

1989 व 1990 में इन पुस्तकों को पढ़कर कक्षा 8 के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा दी। मूल्यांकन के दौरान भी ऐसी बहुत सी जानकारी मिली जिससे पाठों के संशोधन में मदद मिली।

पाठ्य सामग्री के अलावा परीक्षा प्रणाली में भी संशोधन किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 'खुली पुस्तक परीक्षा', जिसमें परीक्षा में पुस्तक ले जाने की अनुमति है। सामाजिक अध्ययन में ऐसा प्रयोग स्कूली स्तर पर पहली बार किया गया है। अतः ऐसी परीक्षा के उद्देश्य और स्वरूप के बारे में भी कुछ कहना ज़रूरी है।

सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में खुली पुस्तक परीक्षा के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, संदर्भ से (पाठ, नक्शे, तालिका आदि) उत्तर ढूंढ़ पाना और दूसरा, पाठ या कई पाठों में दी गई जानकारी को समझकर अपने शब्दों में उत्तर लिख पाना। आशा है कि ऐसी परीक्षा से बहुत सारी जानकारी याद करने का बोझ बच्चों पर से हट जाएगा।

हमारा विश्वास है कि शिक्षा का कोई भी सार्थक कार्यक्रम शिक्षकों, बच्चों व स्रोत व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों से ही उभर सकता है। कक्षा 6, 7 व 8 की पुस्तकों के दूसरे संस्करण इसी प्रयास के एक चरण हैं। स्कूल के अनेकानेक अनुभवों और रुचि रखने वाले लोगों की भागीदारी से ही ये पाठ धीरे-धीरे अंतिम स्वरूप लेंगे।

शिक्षा में नवाचार केवल पुस्तक छापने तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण, अनुवर्तन, फीडबैक, मूल्यांकन, परीक्षा तथा प्रशासन, इन सबका इकट्ठा बदलना ज़रूरी है। यह प्रायोगिक पुस्तक तो इस पूरी प्रक्रिया का अंशमात्र है। सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम का यह पूरा विषम काम अब ज़ोर पकड़ने लगा है। निस्संदेह यह काम आप सब के सहयोग से ही आगे बढ़ पाएगा।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से यह कार्यक्रम प्रयोग के रूप में मध्य प्रदेश की 9 शालाओं में चलाया जा रहा है। कक्षा 6 व 7 की पुस्तक की तरह कक्षा 8 की पुस्तक के प्रस्तुत संस्करण के प्रकाशन का दायित्व भी मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने उठाया है।

आज सारे देश में शिक्षा को एक नया मोड़ देने की गहन चर्चा हो रही है। हमें आशा है कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षा में नवाचार का प्रयास करने की ये पहल उस दिशा में एक ठोस कदम साबित होगी।

एकलव्य ग्रुप,
1994.

पाठ्य सामग्री तैयार करने में डॉ. अम्बेडकर संस्थान, महू; सागर विश्वविद्यालय; दिल्ली विश्वविद्यालय; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली; पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ; इंदिरा गांधी शोध संस्थान, बंबई; क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल; स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खंडवा; बे ऑफ बंगाल प्रोजेक्ट (कृषि एवं खाद्य संगठन) मद्रास; ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेशन, बम्बई; परासिया के खदान मजदूर; वैस्टर्न कोल फील्ड्स, परासिया; इंस्टिट्यूट ऑफ डिवलपमेंट स्टडीज़, जयपुर; राजस्थान विश्वविद्यालय; मद्रास के मछुआरे; मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डिवलपमेंट स्टडीज़, मद्रास और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के साथियों का विशेष सहयोग मिला।

चित्रांकन में सहयोग दिया है धनंजय खिरवड़कर (हरदा), श्री सावरकर, विवेक, राघवेंद्र (भोपाल), ए.आर. शेख (देवास), राजेश यादव (इटारसी) और कैरन ने।

फोटोग्राफ हमने कई पुस्तकों और स्रोतों से लिए हैं। इनमें से हरएक का उल्लेख करना संभव नहीं है। इन सभी के हम आभारी हैं।

इतिहास

नागरिक शास्त्र

भूगोल

इतिहास

पिछले साल तुमने पढ़ा था :

भारत भर में खेती फैली - जगह जगह छोटे-छोटे राजवंश बनने लगे। ये राजवंश आपस में लड़ते हुए अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे रहते थे। तुमने भोगपतियों के बारे में भी पढ़ा था जो गांव व शहरों पर मनमानी करते थे। सन् 1192 के बाद तुर्क सुल्तानों ने छोटे-बड़े कई राजाओं को हराकर एक विशाल राज्य - यानी सल्तनत - की स्थापना की थी। 150-200 सालों तक भारत में सल्तनत का शासन मज़बूत रहा था। सन् 1400 के बाद यह सल्तनत भी छोटे-छोटे राज्यों में बंट गई थी।

इस वर्ष तुम अपने देश की आगे की कहानी पढ़ोगे :

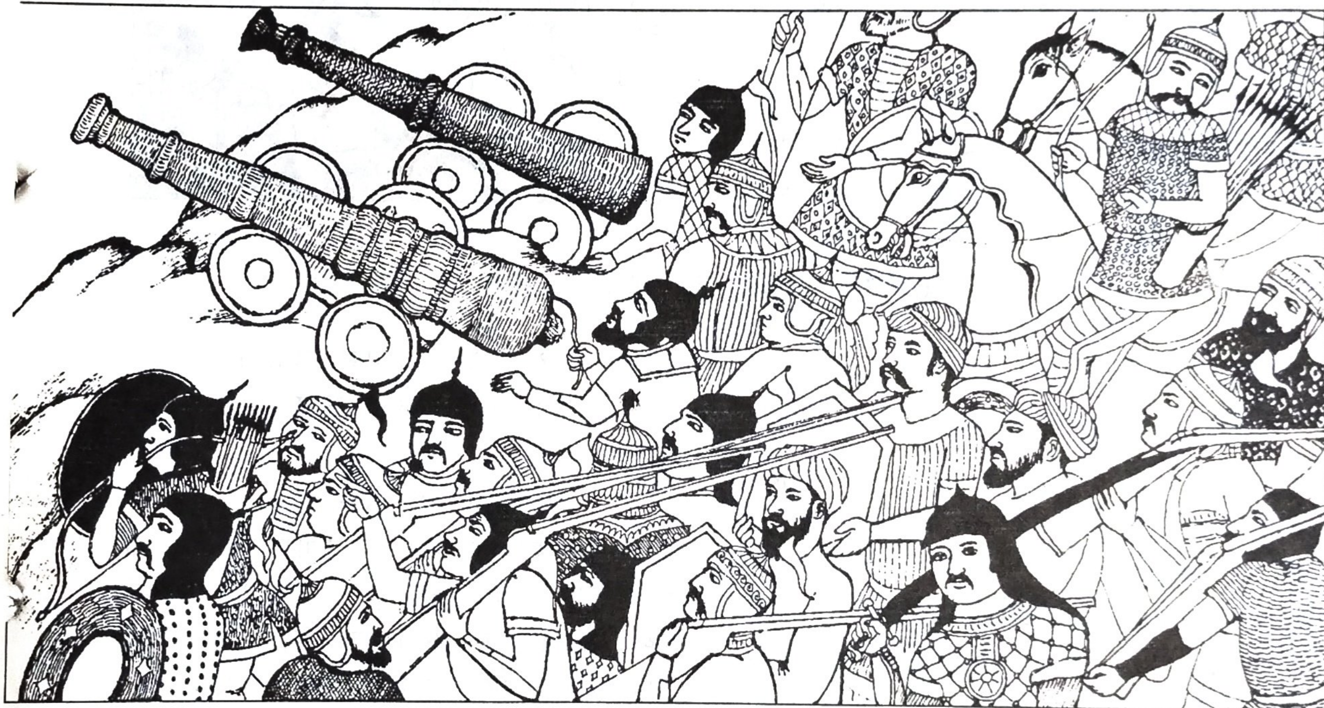
कैसे अफग़ानिस्तान से आए मुग़ल वंश के बादशाहों ने एक बड़ा और विशाल साम्राज्य बनाया। सन् 1526 से सन् 1707 तक मुग़ल वंश भारत में शासन करने वाला सबसे प्रमुख वंश बना।

मुग़ल साम्राज्य के शासकों व अधिकारियों का ठाठ बाठ बहुत प्रसिद्ध है। मुग़ल वंश के बादशाह (राजा) अकबर और औरंगज़ेब की नीतियां भी बहुत प्रसिद्ध हुईं। मुग़ल बादशाहों ने प्रशासन व लगान वसूली की जो व्यवस्था बनाई थी उसका अपने देश के लोगों पर बहुत गहरा असर रहा है। तुम इन बातों के बारे में कुछ विस्तार से पढ़ोगे। फिर मुग़ल साम्राज्य जब कमज़ोर पड़ा तब सात समुन्दर पार से आए अंग्रेज़ी व्यापारियों ने अपने देश पर शासन जमाया। उस दौरान भारत के किसानों, मज़दूरों, व्यापारियों, आदिवासियों व पढ़े लिखे लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष करके देश को अंग्रेज़ शासन से स्वतंत्र कराया - ये भी तुम इस साल पढ़ोगे।

1

मुग़ल बादशाह अकबर

(सन 1556-1605)



भारत में मुग़ल वंश के राज्य की शुरुआत

ऊपर युद्ध के लिए तैयार एक सेना का चित्र है। इन सैनिकों के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में तुमने पहले के पाठों में नहीं पढ़ा है। क्या तुम इन नए हथियारों को पहचान सकते हो?

यह सेना थी मुग़ल वंश के बादशाह बाबर की। बाबर का राज्य अफ़ग़ानिस्तान में था। वह अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश में लगा था। उन दिनों देहली पर अफ़ग़ान सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन था। 1526 में बाबर ने अपनी सेना, तोपों और बन्दूकों के साथ पानीपत नाम की जगह पर देहली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को लड़ाई में बुरी तरह हरा दिया।

बाबर के अधिकारी भारत के सुल्तानों के ख़ज़ाने हथियाने के बाद अफ़ग़ानिस्तान वापस लौट जाना चाहते थे। पर बाबर हिन्दुस्तान में ही रह कर अपना राज्य बनाना चाहता था। उसने अपने अधिकारियो को काफी समझा बुझाकर हिन्दुस्तान में राज्य बनाने के लिए राज़ी कर लिया। इसके बाद बाबर ने कई ताकतवर अफ़ग़ान

सरदारों व राजपूत राजाओं से कई लड़ाइयां लड़ीं।

सन् 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना। उसे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। 1540 में अफ़ग़ान सुल्तान शेर शाह सूरी ने उसे हराकर हिन्दुस्तान से खदेड़ दिया। लेकिन सन् 1555 में हुमायूं फिर से लौटकर आया और अपना राज्य दुबारा बनाना शुरू किया। मगर उसी वर्ष अचानक उसका देहांत हो गया।



बाबर और उसके अमीर

बादशाह अकबर और उसके अमीर

अकबर बादशाह बना

यह वह स्थिति थी जब हिन्दुस्तान में मुग़ल वंश का राज्य ठीक से जम भी नहीं पाया था। चारों तरफ से दूसरे राजा व सुल्तान मुग़लों को खदेड़ने पर तुले थे। इस समय हुमायूं का 13 साल का बेटा अकबर बादशाह बना। उसकी छोटी उम्र को देखते हुए मुग़लों के एक प्रमुख अधिकारी बैरम खान ने शासन का काम चलाया और अकबर को राजकाज की शिक्षा देने का इन्तज़ाम किया।

जब अकबर 17 साल का हुआ तब उसने राजकाज की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अकबर ने दूसरे राज्यों को जीत कर मुग़लों के राज्य को बढ़ाने व मज़बूत बनाने की कोशिश की और इसमें उसे बहुत सफलता भी मिली।

मालवा और गढ़ा कटंगा राज्यों पर विजय

उन दिनों आज के मध्यप्रदेश के इलाके में दो महत्वपूर्ण राज्य थे। एक राज्य था मालवा के सुल्तान बाज़ बहादुर का जिसकी राजधानी माण्डू थी। माण्डू धार शहर के पास है। दूसरा प्रमुख राज्य गढ़ा कटंगा था। इसकी राजधानी थी चौरागढ़। यह आज के जबलपुर शहर के पास थी। गढ़ा कटंगा गोंड राजाओं का राज्य था। अकबर के समय में यहां रानी दुर्गावती शासन करती थीं।

1561 में अकबर के मुंह बोले भाई आदम खां को मालवा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा गया। मालवा का सुलतान बाज़ बहादुर मुग़लों से बुरी तरह हार गया। वह माण्डू से भाग निकला और कई सालों तक अपना राज्य वापस जीतने की कोशिश करता रहा। पर अंत में वह इस कोशिश में असफल रहा और उसने मुग़लों की सेवा स्वीकार कर ली। वह एक मुग़ल अधिकारी बना दिया गया।

आदम खां ने मालवा से बहुत कीमती धन हासिल किया। पर उसने यह सारा धन अकबर को नहीं सौंपा। बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें वह खुद हड़प जाना चाहता था। अकबर को जब यह पता चला तो वह बेहद नाराज़ हुआ और उसने आदम खां से ज़बरदस्ती सारा धन वसूल किया।

पर बादशाह से बेईमानी करने वाला आदम खां अकेला मुग़ल अधिकारी नही था। उन्ही दिनों एक दूसरे अधिकारी आसफ खां ने गढ़ा कटंगा राज्य पर चढ़ाई की और रानी दुर्गावती को हराया। रानी ने

ज़ख्मी होने के बावजूद बहुत हिम्मत से युद्ध किया। पर अपनी सेना को हारता देख उसने अपने आपको मार डाला। आसफ खां ने गढ़ा कटंगा से हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी की बहुमूल्य चीज़ें हड़पी। इस अपार धन में से उसने अकबर को सिर्फ 200 हाथी भेजे। एक बार फिर अकबर को अपने एक अधिकारी की मनमानी और बेईमानी से सख्ती बरतनी पड़ी। उसने आसफ खां को सारा धन बादशाह के हवाले करने पर मज़बूर किया।

अकबर समझ रहा था कि उसके अधिकारियों की ये हरकतें उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगी। वह अपने अधिकारियों को किसी भी तरह इतनी खुली छूट नही देना चाहता था। वह जानता था कि अगर अधिकारियों को मनमानी करने की छूट मिले तो वह मुग़ल साम्राज्य को वैसा मज़बूत नही बना सकता जैसा कि वह चाहता था।

अकबर के अमीरों ने कौन-कौन से राज्यों को जीता ?
इन अमीरों ने ऐसा क्या किया कि अकबर उनसे नाराज़ हुआ ?

अकबर और तुरानी अमीरों के झगड़े

अकबर जब 1556 में बादशाह बना तो उसके शासन में 51 बड़े अधिकारी या दरबारी थे। इन बड़े अधिकारियों को अमीर कहा जाता था और वे वास्तव में बहुत धनी हुआ करते थे। अकबर ने अपने राज्य के अलग-अलग इलाकों का कार्यभार इन अमीरों के बीच बांट दिया था। हर अमीर अपने साथ एक सेना रखता था जिसे बादशाह के आदेश पर बादशाह के सामने प्रस्तुत किया जाता था।

इस सब के बदले में बादशाह ने अमीरों को कई गांव-शहरों की जागीरें दी हुई थी। अमीर अपनी जागीर के गांव-शहरों से मिलने वाली लगान का धन अपने लिए व अपनी जागीर का शासन चलाने के लिए रख लेते थे। अकबर इन अमीरों के सहयोग से अपना राज्य चलाने की कोशिश कर रहा था। पर उसे इनका पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा था। इसका क्या कारण था ?

अकबर के अमीरों में से कुछ ईरान के थे और वे ईरानी अमीर कहलाते थे। पर अधिकांश अमीर तुरान नाम के क्षेत्र से आए हुए थे, जो कि तुर्किस्तान में है। मुग़ल बादशाहों के पूर्वज भी तुरान के ही थे। कई तुरानी अमीरों का तो अकबर के खानदान से रिश्ता भी था।

इस वजह से तुरानी अमीर अपने आप को मुग़ल बादशाह के बराबर का मानते थे और वे अकबर से दब कर नही रहना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे अपनी-अपनी जागीर को मन-मुताबिक भोगें, और उन्हें पूरी छूट हो कि वे अपनी जागीरों में जैसा चाहें वैसा व्यवहार करें। वे यहां तक चाहते थे कि सब मामलों में बादशाह उनके कहे अनुसार ही चले।

पर अकबर को यह बात बिलकुल पसन्द नही थी। वह नही चाहता था कि पूरे साम्राज्य में बादशाह के बराबर कोई और हो। वह चाहता था कि उसका हुक्म सब पर चले और सब पर उसकी निगरानी रहे। वह जिसको चाहे अमीर बनाए, जिसको चाहे छोटे या बड़े किसी भी पद पर रखे। वह चाहता था कि सारे अमीर अपनी जागीरों में बादशाह द्वारा बनाए नियमों का पालन करें और बादशाह के सभी आदेशों को तुरन्त और बेहिचक मानें।

ऊपर के अंश में जो चार वाक्य तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण लगे उन्हें रेखांकित करो।

तुरानी अमीरों को अकबर की यह नीतियां बिलकुल भी सहन नही हुई। 1562 से 1567 तक कई तुरानी

अमीरों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किए। अमीर अपनी सेना लेकर अकबर पर हमला करने लगे।

अब अकबर क्या करता?

स्थिति को देखकर अकबर ने इस समस्या का एक हल ढूंढ निकाला। उसके साथ ईरानी अमीर भी थे। उसने ईरान से आए अमीरों को बढ़ावा दिया और उन्हें कई नए पद दिए। ईरानी अमीरों ने खुश होकर अकबर को पूरा सहयोग दिया। इन ईरानी अमीरों की सहायता से अकबर तुरानी अमीरों के विद्रोहों को कुचलने में सफल हुआ।

नीचे दिए वाक्य पूरे करो।
तुरानी विद्रोह का कारण था ......।
विद्रोहों को दबाने के लिए अकबर ने ......।

हिन्दुस्तानी मुसलमानों (शेखज़ादों) को अमीर बनाने की कोशिश

राज्य मज़बूत बनाने में एक कठिनाई थी कि अमीर राजा की बराबरी करते थे और उसके बस में रहने से कतराते थे। इसके अलावा अकबर के सामने एक दूसरी समस्या भी थी जो धीरे-धीरे बहुत गंभीर हो गई।

वह खुद काबुल से आया था और उसके अमीर ईरान व तुरान के थे। बाहर से आए लोग आसानी से किसी जगह अपना शासन मज़बूत नहीं बना सकते थे - क्योंकि उस जगह के ताकतवर लोग विरोध करते थे। अकबर यह समझता था कि जब तक हिन्दुस्तान के शक्तिशाली और महत्वपूर्ण लोग उसका राज्य नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक मुग़ल राज्य को हमेशा उन लोगों से खतरा बना रहेगा। उन दिनों हिन्दुस्तान में दो तरह के लोग बहुत महत्वपूर्ण थे - एक, राजपूत राजा, दूसरे ज़मीन व सम्पत्ति वाले मुसलमान परिवार जो कई सदियों से भारत में रह रहे थे। इन्हें शेखज़ादा



अजमेर के दरगाह में अकबर। भारतीय मुसलमान सूफी संतों को बहुत मानते थे। अकबर सूफियों के दरगाहों में जाने लगा।

कह कर बुलाया जाता था। अकबर चाहता था कि ये दोनों प्रकार के महत्वपूर्ण हिन्दुस्तानी परिवार उसके साथ आ जाएं। उन्हें जीतने के लिए उसने कई शेखज़ादों को अपने दरबार में पद दिए व उन्हें अपना अमीर बनाया। उसने उनके धर्म के प्रति श्रद्धा व्यक्त की।

ऊपर के चित्र में अकबर क्या कर रहा है? इसका शेखज़ादों पर क्या असर पड़ा होगा?

राजपूतों को अमीर बनाने की कोशिश

जहां तक राजपूत राजाओं की बात थी, अकबर ने पाया कि वे उसके अमीर बनना पसंद नहीं करते थे। उनकी तो इच्छा यह थी कि वे स्वतंत्र रहकर अपने राज्यों में शासन करें।

अकबर ने सोचा कि अगर वह राजपूत राजाओं को अपने दरबार में शामिल करना चाहता है तो उसे लोगों को यह दिखाना पड़ेगा कि वह हिन्दुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करता और सचमुच हिन्दुस्तान के लोगों के साथ मिलकर राज्य चलाना चाहता है। उन दिनों हिन्दुओं पर दो विशेष कर लगाए जाते थे - जज़िया कर और तीर्थ स्थानों की यात्रा करने पर कर। जज़िया कर बादशाह के सभी अधिकारियों व अनाथ लोगों से नहीं लिया जाता था। अकबर ने सन् 1562 में यात्रा कर हटा दिया और 1564 में हिन्दुओं से जज़िया कर लेना भी बंद कर दिया।

कुछ राजपूत राजा अकबर की इस बात से प्रभावित हुए और उसकी सेवा में आ गए। उन में से एक था राजा बारमल। वह आमेर का राजा था। (यह जगह जयपुर के पास है।) अकबर ने राजा बारमल को अपना अधिकारी बना लिया। (आगे चल कर बारमल का बेटा भगवानदास और पोता मानसिंह भी मुग़ल राज्य के बड़े अधिकारी बने।)

अकबर ने राजा बारमल को उसके सहयोग के बदले में कई रियायतें या छूट दी। उसने बारमल को आमेर का राज्य लौटा दिया और कहा कि उसके वंशजों से भी आमेर कभी नहीं छीना जाएगा।

अकबर ने सभी राजपूत राजाओं के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर वे उसके अधीन हो जाते हैं तो वह उनका राज्य लौटा देगा। इसके अलावा राजपूत राजाओं को मुग़ल अमीर बनाया जायेगा। उन्हें मुग़ल

अकबर के महल में एक हिन्दू रानी की जचकी हुयी है। खुशी मनानेवालियों में राजपूत और तुर्की महिलाएं शामिल है



बादशाह की तरफ से दूर-दूर के इलाके जीतने व उनका शासन संभालने के लिए भी भेजा जाएगा। इसके बदले उन्हें हिन्दुस्तान में दूसरी जगहों पर अलग से जागीरें भी दी जायेंगी। अकबर का यह आशय था कि इस तरह की विशेष रियायतों से आकर्षित होकर राजपूत राजा उसका विरोध करना छोड़ देंगे और उसकी सेवा में आ जाएंगे।

हिन्दुस्तान के लोगों के साथ मिल कर राज्य चलाने की अपनी इच्छा को ज़ाहिर करने के लिए अकबर ने कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने राजा बारमल की बेटी मणिबाई से शादी की। शादी के बाद मणिबाई को हिन्दू धर्म खुल कर मानने की इजाज़त दी। आमतौर पर लड़की को ससुराल वालों के रीतिरिवाज़ मानने पड़ते हैं। अकबर के समय से पहले सुल्तानों व बादशाहों ने जब हिन्दू लड़कियों से शादी की तब उन्हें अपना पुराना धर्म मानने की आज़ादी नही दी। (मणिबाई के अलावा अकबर ने कई और राजपूत स्त्रियों से शादी की थी।)

अकबर ने हिन्दुओं के प्रति धार्मिक भेदभाव मिटाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए?
अकबर ने राजपूत राजाओं को कौन से विशेष लाभ दिए, उनकी सूची बनाओ।
अकबर ये कोशिशें क्यों कर रहा था - जो तुम्हें समझ में आया लिखो।

अब आओ, देखें कि अकबर की ये कोशिशें सफल हुई या नहीं।

अकबर ने राजपूतों पर युद्ध छेड़ा

अकबर के व्यवहार से अधिकांश राजपूत राजा आकर्षित नहीं हुए। वे मुग़लों के अधीन हो कर नही, स्वतंत्र रह कर राज्य करना चाहते थे। अन्त तक वे इसी कोशिश में जूझते रहे। राजपूतों को मुग़लों के अधिकारी बनने में कई लाभ दिख रहे थे, पर ये स्वतंत्र राज्य के लाभ से अधिक तो न थे। राजपूत राजाओं का यह रुख जानकर अकबर ने तय कर लिया कि अब तो हथियारों के बल पर ही उन्हें झुकाना होगा। उसने एक-एक कर के महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं को युद्ध में हराने की ठानी।

सन् 1568 में मेवाड़ की प्रसिद्ध राजधानी और मज़बूत किले चित्तौड़गढ़ पर हमला कर के अकबर ने उसे जीत लिया। मेवाड़ का राजा उदयसिंह हार कर भी मुग़लों के सामने झुकना नहीं चाहता था। वह बच निकला और दूसरी जगह जा कर फिर से लड़ने की तैयारी करने लगा।

चित्तौड़ की विजय के बाद जोधपुर और रणथंभोर के राजपूत राज्यों पर भी मुग़लों का अधिकार बन गया।

रणथंभोर किले पर जो आक्रमण हुआ उसका चित्र देखो। दूसरे चित्र में दिखाया है कि रणथंभोर का राजा सुजान सिंह हाड़ा अकबर की हुकूमत स्वीकार कर रहा है।

राजपूत राजा आखिर समझ गए कि वे मुग़लों से टक्कर नहीं ले सकते। दूसरी तरफ अकबर उन्हें अपने साथ शामिल करने के बदले में कई विशेष लाभ दे रहा था। इसलिए अब एक के बाद एक बहुत से राजपूत राजा मुग़लों की सेवा में आने लगे और मुग़ल अधिकारी बने।

अब उनके राज्य भी उनके पास सुरक्षित रहे। हां, यह ज़रूर था कि वे अपने राज्य में मुग़ल बादशाह की अनुमति के बगैर किले मज़बूत नहीं करवा सकते थे, अपनी सेना नहीं बढ़ा सकते थे और दूसरे राज्यों के साथ युद्ध या समझौता - दोनों ही नहीं कर सकते थे। पर इन पाबंदियों के बदले में उनके राज्यों को मुग़लों की शक्ति की सुरक्षा मिली हुई थी। उन्हें मुग़लों की सेवा में ऊंचे उठने के मौके मिले हुए थे।

रणथंभोर के किले पर मुग़ल सेना का आक्रमण।

ऐसा चित्र उस समय के चित्रकार ने बनाया। पहाड़ी पर तोप चढ़ाना ज़रूरी था। तभी तो गोला किले की ऊंची दीवारों को पार कर किले के अन्दर पहुंचेगा। मुश्किल मुक़ाबला लगता है क्योंकि तीन तोपें काफी नहीं पड़ रहीं।

बड़ी कठिनाई से एक और तोप पहाड़ी पर कैसे चढ़ाई जा रही है, देखो।



अकबर की नीति से तुरानी-ईरानी अमीरों को परेशानी

धीरे-धीरे अकबर के शासन काल में अनेक शेखज़ादा व राजपूत उसके अधिकारी बने। राजपूतों के अलावा अन्य हिन्दू भी अकबर के दरबार में शामिल हुए। जैसे - टोडरमल (जिसे अकबर ने राजा की उपाधि दी) और बीरबल। इनके नाम व किस्से तुमने सुने होंगे।

जैसे-जैसे शेखज़ादा और राजपूत व अन्य हिन्दू अकबर के अमीर बनते गए वैसे-वैसे ईरानी व तुरानी अमीर परेशान होने लगे। शुरू में अधिकांश अमीर तुरानी या ईरानी होते थे। बादशाह को जो भी करना हो उनके सहयोग से ही कर सकता था। मगर अब स्थिति बदल गयी थी। अगर तुरानी व ईरानी अमीर विरोध भी करें तो बादशाह हिन्दुस्तानी अमीरों की सहायता से अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता था। इस कारण तुरानी व ईरानी अमीरों में असंतोष बढ़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि राजपूतों की वजह से उनकी शक्ति छिन रही है और अब पहले की तरह उनकी पूछ नही होती।



रणथंभोर के पराजित किले से निकलकर राजपूत राजा अकबर की हुकूमत स्वीकार कर रहा है।

1575 में अकबर ने जज़िया कर लगाया

अकबर ईरानी-तुरानी अमीरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय ढूंढने लगा। वह अपने राज्य में न तो राजपूतों की स्थिति कमज़ोर करना चाहता था और न ही तुरानी-ईरानी अमीरों की ताकत पहले जैसी हो जाने देना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह

> *.........., ..., व अन्य राजपूत राज्य मुग़लों के अधीन हो गये।*
> *हारे हुए राजपूत राजाओं के साथ अकबर ने क्या व्यवहार किया?*

हिन्दुओं के खिलाफ कुछ बातें करे तो शायद तुरानी-ईरानी अमीर संतोष कर जाएं। वह सन् 1575 से हिन्दुओं के खिलाफ बोलने लगा। उसने हिन्दुओं पर जज़िया कर फिर से लागू कर दिया। उसने अपने कुछ अधिकारियों को यह आदेश भी दिया कि वे हिन्दुओं को मूर्ति पूजा करने से रोकें।

अकबर की धार्मिक नीति में क्या कोई परिवर्तन आया दिखता है? स्पष्ट करो।

1580 में ईरानी-तुरानी अमीरों का विद्रोह

अकबर ने हिन्दुओं के साथ भेदभाव किया, लेकिन इस सब का तुरानी व ईरानी अमीरों पर कोई असर नहीं पड़ा। सन् 1580 में इन लोगों ने अकबर के खिलाफ ज़बर्दस्त विद्रोह किया। दोनों दिशाओं में विद्रोह भड़का - काबुल में भी और बंगाल में भी।

तुम्हारे विचार में अकबर क्या करता तो ईरानी तुरानी अमीर संतुष्ट होते?

इस बार अकबर ने हिन्दुस्तानी अमीरों की सहायता से तुरांनी व ईरानी अमीरों के विद्रोह को कुचला। राजा मानसिंह और भगवानदास ने काबुल का विद्रोह दबाया और टोडरमल ने बंगाल में ईरानी व तुरानी अमीरों के विद्रोह को खत्म किया। अकबर को अब कोई खतरा नहीं रहा। एक बार फिर राज्य में उसकी शक्ति को कम न किया जा सका।

ज़रा सोच कर बताओ -
1575 में अकबर ने जज़िया वापस लागू किया था। फिर भी राजपूत अमीरों ने उसका साथ दिया। वे अकबर से असंतुष्ट क्यों नहीं हुए?

इस तरह राजपूतों और शेखज़ादों (भारतीय मुसलमानों) को ईरानी व तुरानियों के साथ-साथ अपने अमीर बनाने से मुग़ल साम्राज्य को बहुत फायदा हुआ। जब ईरानी और तुरानी अमीरों ने विद्रोह किया तो अकबर ने राजपूतों और भारतीय मुसलमानों की मदद से विद्रोह को दबाया।

तुम सोचकर बताओ कि अकबर ने ईरानी और तुरानी अमीरों को दरबार से पूरी तरह क्यों नहीं निकाल दिया?

1580 के विद्रोह के बाद सुलह कुल की नीति

1580 के विद्रोह ने अकबर पर गहरा असर छोड़ा। उसे लगा कि हिन्दुओं से भेद-भाव करने के आदेश हटा लेना चाहिए क्योंकि उनसे ईरानी तुरानी अमीर तो खुश नहीं हुए और व्यर्थ में हिन्दुओं को ठेस पहुंची।

अब अकबर के धार्मिक व्यवहार में फिर से एक बड़ा बदलाव आया। 1580 में ही उसने हिन्दुओं पर लगाया गया जज़िया कर फिर से हटा दिया।

1575 में अकबर ने जज़िया कर क्यों लगाया था? 1580 में क्यों हटा दिया?

अकबर ने सब धर्मों के संतों, मंदिरों, मदरसों व मठों को दान देना शुरू कर दिया। पहले केवल मुसलमान संतों, विद्वानों व मस्जिदों को दान दिया जाता था। पर 1580 के बाद अकबर दूर-दूर के मंदिरों व मठों को भी दान देने लगा।

वैसे अकबर को दूसरे धर्मों में बहुत रुचि भी थी। कहा जाता है कि वह रात भर धार्मिक विचारों में डूबा रहता था और जो भी धार्मिक व्यक्ति आए उससे चर्चा करता था।

उसने अपने राजमहल के पास की मस्जिद में एक इबादत खाना (यानी ईश्वर का प्रार्थना घर) बनवाया था। उसने इस्लाम के प्रमुख विद्वानों यानी मौलवियों को बुला कर इबादत खाना में धर्म की चर्चाएं की।



इबादतखाने में चर्चा

विचारों से अकबर को प्रभावित करता था। (अबुल फज़ल ने ही अकबर के शासन पर किताबें लिखी जिन्हें पढ़ कर हम आज उस समय के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं।)

अकबर के मन में धर्म के प्रति एक नया विचार बन गया। उस समय का एक इतिहासकार बदायुनी लिखता है, "इन चर्चाओं के फलस्वरूप बादशाह के मन में पत्थर की लकीर की तरह यह धारणा बन गई कि सब धर्मों में अच्छे लोग होते हैं। अगर सच्चा ज्ञान सब धर्मों में प्राप्त हो सकता है तो यह कहना ठीक नहीं है कि एक ही धर्म में सच्चाई है, बाकी धर्म झूठे हैं।"

इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर अकबर ने एक नई नीति अपनाई - सुलह कुल, यानी सब के बीच सुलह की नीति - "संपूर्ण रूप से शांति", सब धर्मों व संप्रदायों के बीच शांति की नीति।

उसने मौलवियों से कहा, "मेरा एक ही उद्देश्य है - सच्चाई का पता लगाना, धर्म के सही सिद्धांतों को उजागर करना।"

पर अकबर ने पाया कि मौलवी आपस में बहुत गाली गलौच व झगड़े करने लगते थे। इस कारण उसका मन ऊब गया। सन् 1580 से उसने दूसरे कई धर्मों के विद्वानों व संतों को चर्चा के लिए इबादत खाना में बुलाना शुरू किया। हिन्दू पंडित, सूफी संत, गुजरात के जैन मुनि, पारसी विद्वान और ईसाई धर्म के पादरी भी अकबर के निमंत्रण पर चर्चा करने वहां गए। ईसाई पादरी पुर्तगाल देश के उन व्यापारियों के साथ आया करते थे जो भारत से माल खरीदने आने लगे थे।

इन चर्चाओं से अकबर के मन पर बहुत असर पड़ा। उसका दरबारी व मंत्री अबुल फज़ल भी अपने

इसी नीति का पालन करते हुए अकबर ने गोहत्या पर रोक लगा दी। अपने राजमहल में उसने हिन्दू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां माननी शुरू कर दी। उसने अलग-अलग धर्मों के मुख्य ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की भी कई पुस्तकें फारसी में अनुवाद की गईं ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़ कर समझ सकें।

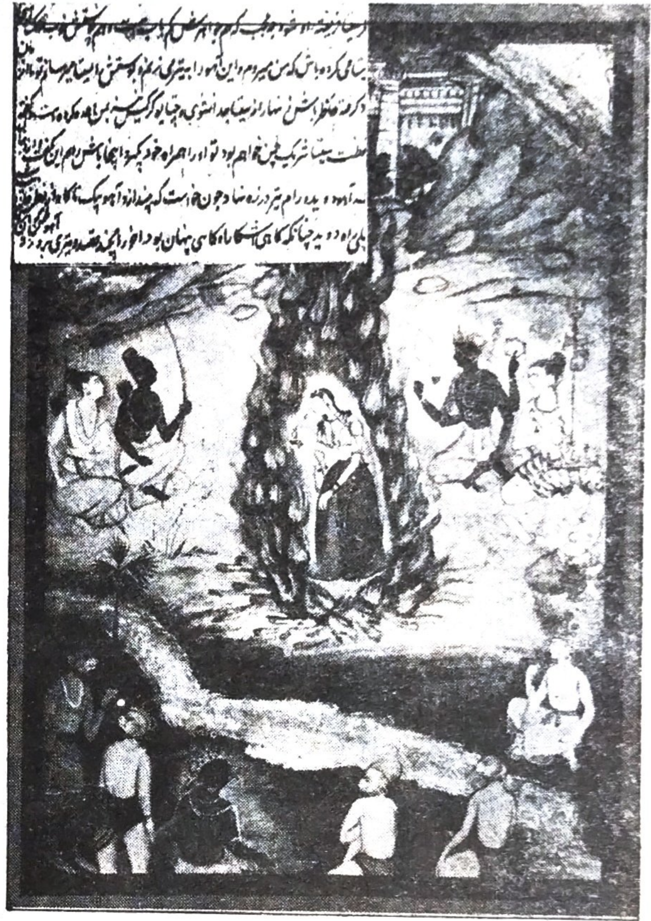
इस्लाम धर्म की कई ऐसी बातों को उसने छोड़ दिया जो उसे ठीक नही लगी।

अकबर की सुलह कुल नीति मुग़ल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि अकबर के अमीरों में सब धर्मों के लोग थे। उन सब को मिल कर राज्य का कामकाज चलाना था। उसके राज्य में लाखों मुसलमान

थे पर अधिकतर छोटे-छोटे अधिकारी व कर्मचारी हिन्दू ही थे। भारत के अधिकतर किसान, कारीगर व ज़मींदार हिन्दू थे। व्यापारी वर्ग के लोग हिन्दू, जैन या पारसी धर्म मानते थे।

इतने बड़े राज्य के लिए इन सब लोगों का समर्थन चाहिए था। तभी राज्य का काम ठीक से और शांति से चल पाता। सुलह् कुल नीति से सब तरह के लोगों के मन को बादशाह् के प्रति खींचा जा सका। इसी नीति को अकबर के बाद आने वाले मुग़ल बादशाहों ने भी अपनाया।

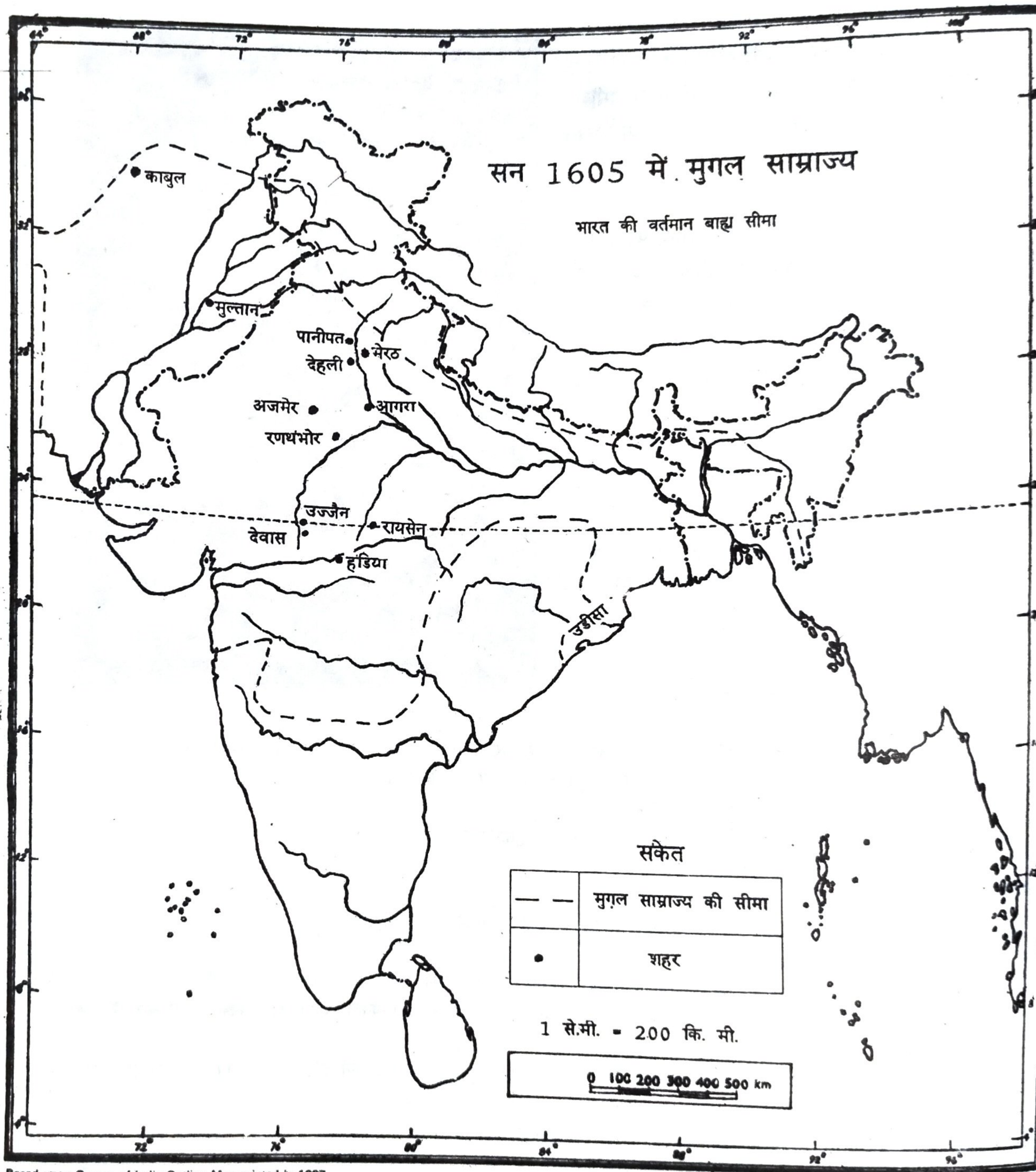
o o o o



अकबर के कहने पर रहीम ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। उस पुस्तक में यह चित्र बना हुआ है। यह कौन सा दृश्य है?

अभ्यास के प्रश्न

1. जब अकबर बादशाह् बना तब अमीरों में कौन-कौन लोग थे? अकबर ने अपने शासन काल में किन-किन लोगों को अमीर बनाया?
2. तुरानी अमीर क्या चाहते थे और अकबर क्या चाहता था - छांट कर अलग-अलग लिखो
   - क. अमीरों को बादशाह् के समान अधिकार मिले।
   - ख. अमीर अपनी जागीरों का संचालन बादशाह् के नियमों के अनुसार करें।
   - ग. बादशाह् अमीरों के कहने पर चले।
   - घ. सारी शक्ति बादशाह् में केंद्रित रहे।
3. राजपूत राजाओं को अपना अमीर बनाने के लिए अकबर ने उन्हें कौन-कौन सी छूट दी?
4. सही गलत बताओ :-
   - क. अकबर ने जो रियायतें दी - उससे प्रभावित होकर अधिकांश राजपूत राजा उसके अमीर बनने के लिए तैयार थे।
   - ख. अधिकांश राजपूत राजा अकबर से मिली रियायतों के बावजूद उसके अमीर नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि स्वतंत्र रूप से राज्य करना चाहते थे।
5. राजपूतों और भारतीय मुसलमानों के अमीर बनने से ईरानी और तुरानी अमीर परेशान क्यों हो गये - अपने शब्दों में समझाओ।
6. अकबर ने 1563 में जज़िया कर समाप्त क्यों किया?
   1575 में अकबर ने जज़िया कर को फिर से लागू क्यों किया?
   1580 में उसने जज़िया कर को फिर से क्यों हटाया?
7. धार्मिक चर्चाओं से अकबर ने क्या निष्कर्ष निकाला ?
8. सुलह्-कुल की नीति के अनुसार अकबर ने क्या-क्या कदम उठाये ? ये उसके राज्य के लिये क्यों ज़रूरी थे ?



Based upon Survey of India Outline Map printed in 1987.
The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.
Responsibility for correctness of internal details shown on the map rests with the publisher.

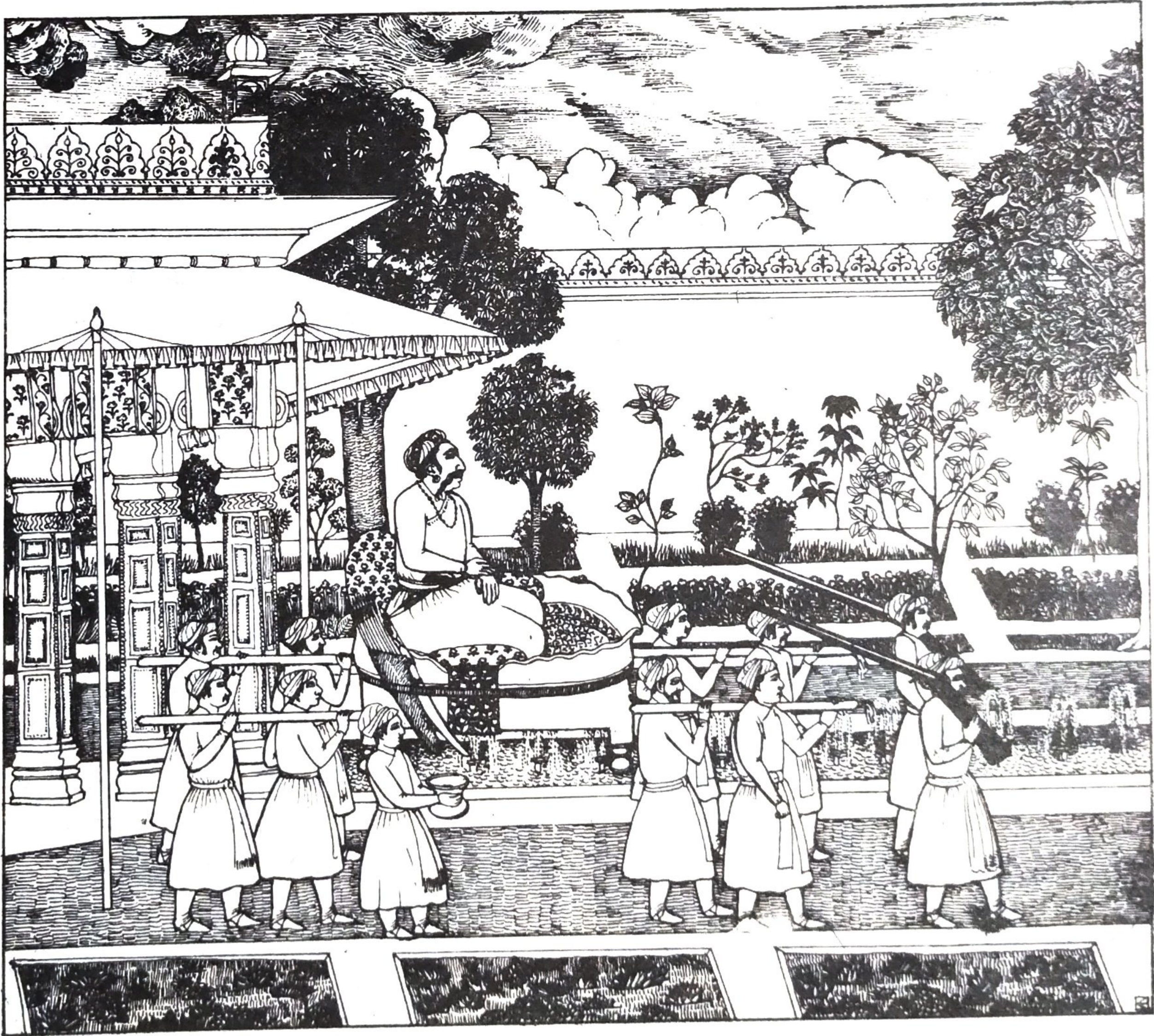
2

मुग़ल साम्राज्य के अमीर

मनसबदार और अमीर

शासन का काम चलाने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। मुग़ल काल में उन्हें मनसबदार कहा जाता था। पूरे मुग़ल साम्राज्य में हज़ारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी थे। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। वे बादशाह के लिए लगान का हिसाब रखते थे। बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करे तो मनसबदार विद्रोह दबाते थे। मुग़ल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुग़ल वंश का राज्य फैलाना भी मनसबदारों का काम था। हज़ारों मनसबदारों में से लगभग 500 ऐसे थे जो बहुत ऊंचे अधिकारी थे और उन्हें अमीर कहा जाता था।

यहां मुग़ल साम्राज्य के एक अमीर को दिखाया गया है। जब भी अमीर एक जगह से दूसरी जगह जाते तो वे इसी तरह जाते थे



उन दिनों मुग़ल अमीरों यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था, उतना दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारियों को नही मिलता था। तभी तो मुग़ल अमीर बड़ी शान-शौकत से रहते थे। मुग़ल साम्राज्य में 8,000 रुपए महीने से ले कर 45,000 रु महीने तक वेतन वाले अमीर थे। इतना वेतन और वो भी तब, जब चीज़ों की कीमतें बहुत कम थीं। तब एक रुपए में लगभग 40 किलो गेहूं मिल जाता था।

चलो, पता लगाएं कि मुग़लों के समय में कोई मनसबदार कैसे बनता था। यह भी जानें कि मुग़ल मनसबदारों और आजकल के अधिकारियों में क्या समानताएं और क्या अन्तर हैं।

ऊपर दिये चित्र को देख कर मुग़ल साम्राज्य के अमीरों के बारे में तुम्हारे मन में क्या क्या बातें आती हैं - चित्र में दिखाई चीज़ों को देख कर बताओ।

अमीर बाकर खान की जीवनी

मुग़ल काल के एक अमीर की जीवनी पढ़ें। इस अमीर का नाम था बाकर खान। वह बादशाह जहांगीर का अमीर था। जहांगीर बादशाह अकबर का बेटा था। सन् 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुग़ल साम्राज्य का बादशाह बना। उसी ने बाकर खान को मनसबदार बनाया था।

क्या तुम जानते हो कि आजकल शासकीय नौकरी किस प्रकार मिलती है? कक्षा में चर्चा करो। तुम्हारे अनुमान में बाकर खान को शासकीय नौकरी किस प्रकार मिली होगी?

मनसबदार की नियुक्ति

बाकर खान के पूर्वज ईरानी अमीर थे। उसके पिता रहमत खान अकबर के ज़माने से मुग़लों के मनसबदार थे।

सभी मनसबदारों की तरह रहमत खान का भी एक जगह से दूसरी जगह तबादला होता रहता था। एक बार तबादला हो कर रहमत खान की पोस्टिंग हंडिया में हुई। उस वक्त तक उनके दो बेटे असफ खान और बाकर खान बड़े हो चुके थे। रहमत खान को अपने बेटों की चिन्ता होने लगी थी। वे सोचते, "पता नही बेटों को बादशाह की नौकरी मिलेगी कि नहीं।"

रहमत खान और उनके पिता भी मुग़ल बादशाहों की सेवा में रहे थे। **पर यह ज़रूरी नहीं था कि पिता के बाद बेटों को भी मनसबदार बना दिया जाए। यह पूरी तरह से बादशाह की मर्ज़ी पर था कि वे किसे मनसबदार बनाते हैं** और किसे नहीं।

एक दिन रहमत खान हंडिया से उज्जैन जाने की तैयारी कर रहे थे। वे एक संदूक में कुछ गहने, सोने के सिक्के और कीमती ज़री के कपड़े रखवा रहे थे कि बाकर खान कमरे में आया।

बाकर खान ने पूछा, "अब्बाजान, आप यह सब उज्जैन किस लिए ले जा रहे हैं?"

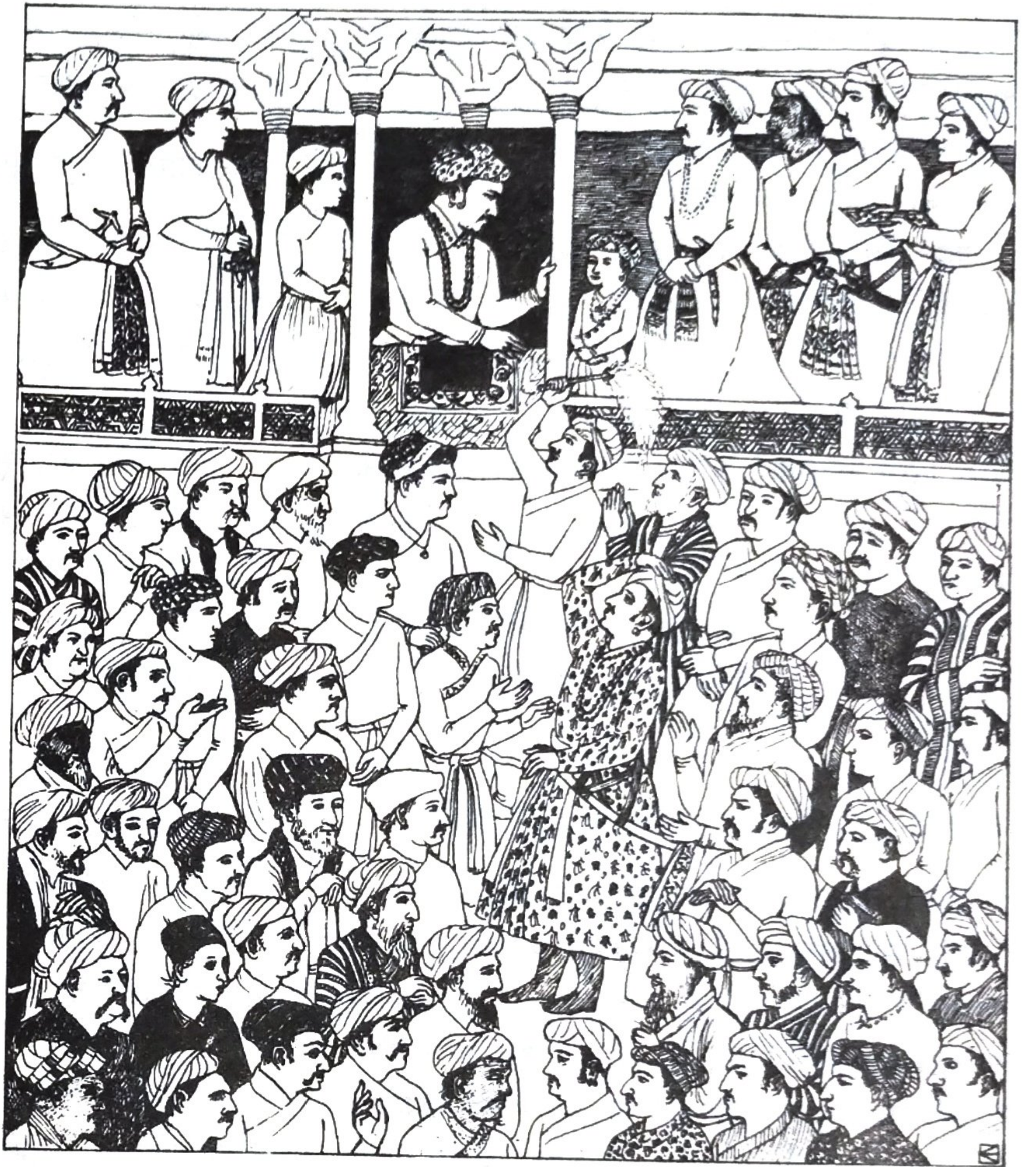
रहमत खान ने जवाब दिया, "बेटे, मैं उज्जैन में मालवा के सूबेदार अब्दुल्लाह खान से मिलने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं वे तुम दोनों भाइयों की सिफारिश बादशाह जहांगीर से कर दें। सिफारिश वे यूं ही तो नही करेंगे। उन्हें कुछ पेशकश (भेंट) देनी पड़ेगी। इसीलिए ये कीमती चीज़ें ले जा रहा हूं।"

उन दिनों मुग़लों ने अपना साम्राज्य 15 सूबों यानी प्रान्तों में बांटा था। उनमें से एक सूबा या प्रान्त था

मालवा जिसकी राजधानी उज्जैन थी। सूबे का सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार कहलाता था।

सूबेदार जैसे बड़े अधिकारियों की सिफारिश पर बादशाह नए मनसबदारों को नियुक्त करते थे। इसीलिए बाकर खान के पिताजी सूबेदार अब्दुल्लाह खान से मिलने गए।

सूबेदार साहब सिर्फ बड़े लड़के बाकर खान की सिफारिश करने को राज़ी हुए। उन्होंने बादशाह के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें बाकर खान की खूब तारीफ की और लिखा कि बाकर खान एक अच्छा तलवार बाज़ है। सूबेदार ने यह भी लिखा कि बाकर खान के पिता रहमत खान एक वफादार मनसबदार हैं। अन्त में सूबेदार ने लिखा कि बाकर खान को एक छोटा मनसबदार बना दिया जाए तो उचित होगा।



बादशाह जहांगीर का दरबार। बादशाह के आगे कोई बैठ नही सकता था। जो लोग खड़े हैं उनमें से एक पुर्तगाली पादरी को पहचानो

अपनी चिट्ठी को सूबेदार ने एक हरकारे (डाकिए) के हाथ आगरा भेज दिया। आगरा मुग़लों की राजधानी थी और वहां बादशाह रहता था।

आगरा में चिट्ठी मीर बख़्शी के हाथ पहुंची। मीर **बख़्शी ही वो अधिकारी था जो मनसबदारों की नियुक्तियों की देख रेख करता था।** अगले दिन जब बादशाह जहांगीर दरबार में बैठे थे तो मीर बख़्शी ने उनके सामने मालवा के सूबेदार की चिट्ठी पढ़ी।

जैसा कि पहले भी कहा है मनसबदारों की नियुक्ति के बारे में बादशाह की इच्छा व पसंद ही सबसे प्रमुख बात थी। जहांगीर को बाकर खान पसंद आया और उसने मालवा के सूबेदार की सिफारिश को मंजूरी दे दी।

जहांगीर ने मीर बख़्शी से कहा, "आप बाकर खान को मनसबदार बनाने का फरमान तैयार करवाइए। बाकर खान को 100 घुड़सवार और 200 घोड़ों की

पलटन रखने की ज़िम्मेदारी दी जाए। उसका पहला काम क्या होगा, यह आप पता कर के मुझे बताइए।"

मीर बख़्शी से पूछताछ कर के बादशाह ने बाकर खान को रायसेन का कोतवाल बनाया।

कुछ दिनों बाद एक शाही फरमान (जिसे हम आजकल सरकारी आदेश कहते हैं) जारी हुआ जिसमें बाकर खान की नियुक्ति की सारी बातें लिखी थीं। बाकर खान की तंख्वाह 5,000 रुपए महीने तय हुई थी। 100 घुड़सवारों व 200 घोड़ों की पलटन के लिए उसे अलग से 1,500 रुपए महीने के हिसाब से देना तय हुआ था।

बाकर खान के पास जब फरमान पहुँचा तो वह बहुत खुश हुआ। आखिर वह भी मनसबदार बन गया था।

आजकल से तुलना

मुग़लों के समय सारे अमीरों और अधिकारियों की नियुक्ति इसी तरह होती थी। मगर यह आजकल के अधिकारियों की नियुक्ति से कितना फर्क है। आजकल सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति कुछ इस प्रकार होती है। विभिन्न सरकारी विभागों में जो पोस्टें निकलती हैं उनका अखबारों में इश्तेहार निकलता है। इश्तेहार में बताया जाता है कि कितनी पोस्टें हैं, उन्हें पाने वाले की क्या योग्यता होनी चाहिये आदि। कोई भी व्यक्ति उन पोस्टों के लिये आवेदन दे सकता है। आवेदन देने वाले को परीक्षा देनी पड़ती है और फिर इंटर्व्यू (साक्षात्कार) देना पड़ता है। जो इन सब में पास होते हैं उन्हें नौकरी मिलती है। ये नियम हैं। अगर किसी भी नियुक्ति में इन नियमों का पालन नहीं हो तो लोग कोर्ट में मुकद्दमा कर सकते हैं।

मगर ये बातें मुग़लों के समय में नहीं थीं। अगर बाकर खान को नौकरी नहीं मिलती तो वह किसी नियम के आधार पर कहीं पर भी शिकायत नहीं कर सकता था। ख़ैर सौभाग्य से बाकर खान को मनसबदार बना दिया गया था। अब आगे क्या होता है, आओ देखें।

मनसबदार की ज़मानत और सैनिक ज़िम्मेदारी

फरमान पाने के कुछ दिनों बाद बाकर खान मालवा के सूबेदार से मिलने गया। रायसेन, जिसका कोतवाल बाकर खान को बनाया गया था, मालवा सूबे में ही पड़ता था।

जब बाकर खान सूबेदार अब्दुल्लाह खान से मिला तो वे बोले, "तुम्हें एक छोटा मनसबदार बनाया गया है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो आगे चल कर अपने अब्बा की तरह या मेरी तरह एक बड़े मनसबदार भी बन जाओगे।"

ज़मानत

सूबेदार ने बाकर खान से आगे पूछा, "तुमने अपना ज़मानतदार किसे बनाया है?" बाकर खान ने जवाब दिया, "सेठ हुकुमचन्द अब्बाजान के ज़मानतदार हैं। मुझे अच्छी तरह जानते भी हैं। वे ही मेरी भी ज़मानत दे देंगे।"

उन दिनों मुग़ल मनसबदारों को वेतन लेने से पहले किसी धनी और जाने माने व्यक्ति से अपनी ज़मानत दिलवानी पड़ती थी। अगर मनसबदार पैसों के मामले में कोई गड़बड़ी करे या अपना काम ठीक से नहीं करे तो बादशाह उसके ज़मानतदार से पैसे वसूल कर के राज्य का नुक्सान भर सकता था।

बाकर खान ने कुछ दिनों में उज्जैन के सेठ हुकुमचन्द से अपनी ज़मानत भरवा ली।

घोड़े रखना

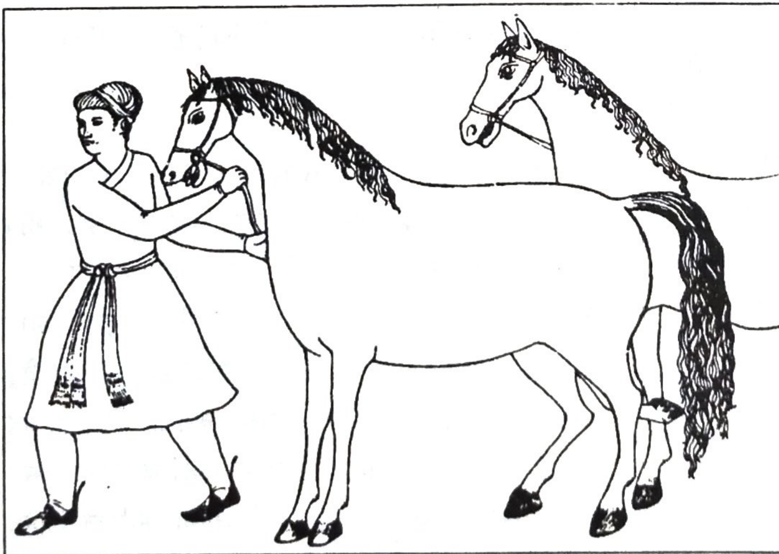
इस प्रकार वेतन पाने के लिए एक शर्त तो पूरी हुई। एक और शर्त बची थी - बाकर खान को बादशाह के लिए 100 घुड़सवार रखने थे।

उन दिनों छोटे बड़े सभी मनसबदारों को कुछ घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे। किसी मनसबदार को 10, किसी को 100 और किसी को 5,000 घुड़सवारों की टुकड़ी रखनी पड़ती थी।

जब बादशाह को सैनिकों की ज़रूरत पड़ती तो वह आदेश देकर मनसबदारों के सैनिक बुलवा लेता था। बादशाह के पास अलग से अपनी सेना भी होती थी। पर वह हर मनसबदार से भी सेना की टुकड़ी रखवाता था। अपने सैनिकों का वेतन और घोड़ों का खर्चा मनसबदार अपने वेतन से देता था।

इस तरह साम्राज्य में एक बड़ी सेना रखने की ज़िम्मेदारी सभी मनसबदारों के बीच बंट जाती थी। मनसबदार अपने द्वारा रखे सैनिकों का उपयोग अपने प्रशासनिक काम के लिए भी कर सकते थे।

बाकर खान के पिता भी तो मनसबदार थे और वे एक हज़ार घुड़सवार व दो हज़ार घोड़ों की पलटन रखते थे। बाकर खान ने अपने पिता के घोड़ा व्यापारी से मुलाकात की और उसकी सहायता से 200 घोड़े खरीदे। अपने पिता के सैनिकों से कह कर ही उसने उनके गांवों से और आदमी बुलवाए।



घोड़े खरीदना

इस तरह 100 जवानों को नौकरी में रख कर बाकर खान ने अपनी सेना की टुकड़ी बनाई। यह सारा खर्चा उसने सेठ हुकुमचन्द से उधार ले कर किया क्योंकि उसे अभी वेतन नहीं मिला था।

ये वाक्य पूरे करो -

1 मुग़लों के समय में सारे अधिकारियों को ....नियुक्त करता था।

2 बादशाह अपने बड़े अमीरों की .... पर नए अधिकारियों को नियुक्त करता था।

3 मनसबदारों को अपने वेतन के पैसे मिलते थे और .... के भी पैसे मिलते थे।

4 मनसबदार जीवन भर एक जगह व एक ही पद पर .... रहता था।

बाकर खान ने कोतवाली संभाली

जब सेना की टुकड़ी तैयार हुई तो बाकर खान अपनी नियुक्ति का शाही फरमान ले कर रायसेन पहुंचा। बाकर खान रायसेन पहुंच कर कोतवाली गया और अपना काम संभालने लगा। उसका काम था शहर में चोर डाकुओं को पकड़ना, शहर में शान्ति बनाए रखना, शहर में आने जाने वालों पर और शहर में हो रही घटनाओं पर नज़र रखना।

कुछ महीने इस तरह गुज़र गए। धीरे-धीरे बाकर खान का पैसा ख़त्म होने लगा। ये पैसे सेठ हुकुमचन्द से उसने उधार पर लिए थे। अब सेठ भी अपने पैसे वापस मांग रहा था। बाकर खान को अभी तक वेतन नहीं मिला था।

बाकर खान ने अपने एक आदमी को आगरा भेजा। वह वहां शाही दीवान के

दफ्तर के चक्कर लगाता रहा क्योंकि वेतन का इंतज़ाम शाही दीवान ही करता था। शाही दीवान नाम का मनसबदार पूरे साम्राज्य की आमदनी और खर्च का हिसाब रखता था।

बाकर खान को जागीर मिली

मुग़लों के समय में अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन दो तरह से दिया जाता था। कुछ मनसबदारों को नगद में वेतन मिलता था। पर अधिकांश मनसबदारों को नगद में वेतन न मिल कर जागीर के रूप में मिलता था। जागीर का मतलब था - किसी क्षेत्र के लोगों से बादशाह का सारा कर वसूल कर के अपने पास रखने का हक।

जैसे, बाकर खान का वेतन 5,000 रुपए महीना था। घुड़सवारों के लिए उसे 1,500 रुपए अलग मिलते थे। इस तरह उसका मासिक वेतन.................रुपये बनता था (खाली स्थान भर दो)। साल भर में बाकर खान को 78,000 रुपए मिलने थे।

बाकर खान के वेतन के 78,000 रुपए का इंतज़ाम करने के लिए शाही दीवान ने मालवा सूबे के ऐसे 40 गांव छांटे जिनसे कुल मिलाकर 78,000 रुपए बादशाह को लगान में मिलने थे। ये 40 गांव देवास के पास थे। शाही दीवान ने देवास के इन 40 गांवों को बाकर खान की जागीर के लिए चुना।

शाही दीवान के कहने पर बादशाह जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जिसमें लिखा था कि देवास के उन 40 गांवों का सारा लगान बाकर खान वसूल करके अपने वेतन के बदले में रख ले।

जिन मनसबदारों को जागीर में वेतन मिलता था उन्हें जागीरदार कहा जाता था। इस तरह बाकर खान जागीरदार बन गया, और आखिरकर उसके वेतन की व्यवस्था हो गयी।

एक बात सोचने की है। क्या बादशाह साम्राज्य के सारे गांव-शहर मनसबदारों को जागीर में दे देता था? अगर वह ऐसा करता तो बादशाह का अपना खर्चा किस तरह चलता? दरअसल बादशाह साम्राज्य की लगभग 25% लगान अपने लिए रखता था। राज्य के एक निश्चित इलाके के गांव शहर किसी को जागीर में नहीं दिए जाते थे। इस इलाके के गांव-शहरों की लगान बादशाह के अधिकारी वसूल करते थे और बादशाह को देते थे।

क्या जागीरदार अपनी जागीर की लगान में से कुछ हिस्सा बादशाह को देते थे? अपने उत्तर को कारण सहित समझाओ।

जागीर से लगान वसूल करने का इंतज़ाम

बाकर खान की पोस्टिंग रायसेन में थी पर उसे जागीर देवास में मिली थी। अब उसे अपना वेतन वसूल करने देवास जाना था।

मानचित्र नं 1 में देखो कि रायसेन से देवास कितनी दूर है।

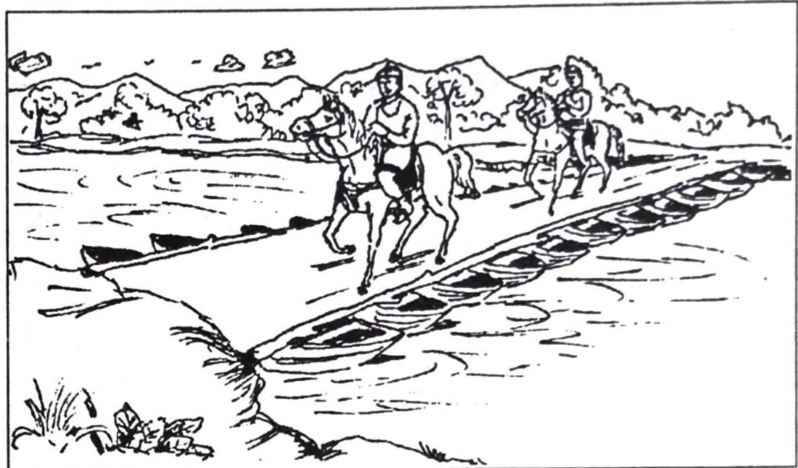
जब बाकर खान को जागीर का फरमान मिला तो वह तुरंत देवास जाने की तैयारी करने लगा।

आमिल

उसके सामने एक समस्या थी। देवास के गांवों से लगान कैसे इकट्ठा करे? आखिर वह खुद हर गांव में जा कर लगान तो नही वसूल कर सकता था। बाकर खान एक ऐसे भरोसेमंद आदमी को ढूंढ़ने लगा जो उसके लिए गांव से लगान वसूल कर के ला दे।

कुछ दिनों में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला। वह था रायसेन के ही एक व्यापारी का बेटा बनारसी दास। बाकर खान ने बनारसी दास को अपना आमिल (यानी एजेन्ट) नियुक्त किया।

बाकर खान ने बनारसी दास से तय कर लिया कि लगान लाकर देने के बदले में बाकर खान उसे कुछ रूपए देगा। फिर बाकर खान ने बनारसी दास से दो हज़ार रुपए ज़मानत ले ली। क्योंकि, अगर बनारसी दास हिसाब में गड़बड़ करता या लगान लेकर ही भाग जाए तो बाकर खान का बेहद नुक्सान हो जाता। इसलिए बाकर खान ने पहले ही बनारसी दास से ज़मानत ले ली।



मनसबदार और उसका आमिल देवास की ओर चले। रास्ते में नावों पर बने पुल से एक नदी पार की

सारी बातें तय कर के बाकर खान और उसका आमिल बनारसी दास देवास के लिए रवाना हुए जहां जागीर के गांव थे। पहले वे दीवान नाम के अधिकारी से मिले।

दीवान ही उस इलाके के गांवों की लगान का सारा हिसाब रखता था।

दीवान ने बाकर खान को उसकी जागीर के 40 गांवों का पूरा ब्यौरा दिया। लगान का हिसाब बता कर दीवान बाकर खान से बोला, "जितनी लगान बादशाह ने तय की है उतनी ही वसूल करना। मुझे किसानों से किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसी शिकायतें आयी तो मैं बादशाह को खबर कर दूंगा। वे तुम्हारे पद और वेतन में कटौती कर देंगे। हां, अगर किसी गांव के किसान लगान न चुकाएं तो फौज़दार से कह देना। वे तुम्हारी मदद के लिये सैनिक भेज देंगे।"

दीवान और फौज़दार नामक अधिकारियों से बात कर के बाकर खान और उसका आमिल गांव पहुंचे। उन्होंने गांवों के सारे ज़मीदारों, पटेलो व पटवारियों को बुलवाया और उनको जागीर का शाही फरमान दिखाया।

बाकर खान उनसे बोला, "बनारसीदास मेरा आमिल है। वह मेरी तरफ से आप सब से लगान इकट्ठी करेगा। आप लोग इसे पूरी सहायता देवें।"

इस तरह सारा इंतज़ाम कर के बाकर खान रायसेन लौट गया। बनारसीदास ने उसका वेतन गांवों से वसूल किया व उसे ला कर दिया।

तुम अगले पाठ में पढ़ोगे कि गांवों से आमिल लगान कैसे इकट्ठी करते थे और कैसे कई बार पूरी लगान वसूल नही हो पाती थी। अगर पूरी लगान वसूल नही हो पाती तो जागीरदारों को साल का पूरा वेतन नही मिल पाता था।

सेना का निरीक्षण

एक दिन आगरा से मीर बख़्शी का आदेश आया। दो महीने बाद बाकर खान को अपनी सेना ले कर आगरा बुलाया था। वहां बादशाह द्वारा उसकी सेना का निरीक्षण होना था।

तुम्हें याद होगा कि हर मनसबदार को कुछ निश्चित घुड़सवार रखने होते थे। बाकर खान को 100 घुड़सवार रखने थे। बादशाह देखना चाहते थे कि मनसबदार घुड़सवार रख रहे हैं या नही। इसलिए साल-दो साल में मनसबदारों की सेना का निरीक्षण होता था जिसमें उनके घोड़ों पर दाग़ या मुहर लगाई जाती थी। साथ



घोडों पर दाग़ लगाया जा रहा है

साथ-साथ उसकी तरक्की भी होती गयी। 1627 तक आते-आते वह उड़ीसा सूबा का सूबेदार बन गया। तब वह एक बहुत बड़ा मनसबदार बन चुका था, यानी कि एक अमीर बन चुका था। उसकी तंख्वाह अब तीस हज़ार रुपये प्रति माह हो गई थी। उसे 5000 घुड़सवार रखने पड़ते थे - सो उनके लिए अलग से हर महीने 80,000 रुपये मिलते थे।

ही उनके सैनिकों का हुलिया (चेहरे का वर्णन) लिख कर आगरा में दर्ज़ किया जाता था। अगर निरीक्षण में मनसबदार अपनी पूरी सेना नहीं ले जाता तो दंड के रूप में उसके पद में कमी की जाती थी।

बाकर खान भी अपनी सेना लेकर आगरा पहुंचा। वहां बादशाह ने खुद मीर बख़्शी के साथ सेना का निरीक्षण किया। तभी घोड़ों पर दाग़ लगाये गये और सवारों का हुलिया दर्ज़ हुआ।

तबादला

मुग़ल साम्राज्य में सारे मनसबदारों का हर साल-दो साल में तबादला हो जाता था। मनसबदारों की जागीर भी बदलती रहती थी। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। मुग़ल बादशाह नहीं चाहते थे कि उनके बड़े अधिकारी किसी एक क्षेत्र में अपनी ताकत और धाक जमा लें।

अगर कोई मनसबदार कई वर्ष एक ही जगह रहे तो क्या होगा? वह मनसबदार वहां के ताकतवर और प्रमुख परिवारों से रिश्ता बना लेगा। उनकी सहायता से वह बादशाह के खिलाफ विद्रोह भी कर सकता था। इसे रोकने के लिए मनसबदारों का और उनकी जागीरों का लगातार तबादला किया जाता था।

बाकर खान के कई तबादले हुए। कभी मुल्तान कभी आगरा, कभी अवध, कभी बंगाल उसे जाना पड़ा।

क) आज के अधिकारियों और मुग़लों के समय के अधिकारियों की तुलना करो।
उनमें तुम्हें किन बातों में समानताएं दिखीं व किन बातों में फर्क दिखा - स्पष्ट करो
- *नियुक्ति का तरीका*
- *निश्चित वेतन*
- *वेतन पाने का तरीका*
- *तबादला*
- *सेना रखने की ज़िम्मेदारी*

ख) मुग़ल बादशाह अपने अधिकारियों की इन कामों पर किस तरह नियंत्रण रखते थे?
- *सेना रखने की ज़िम्मेदारी*
- *लगान की वसूली।*

मुगल अमीर का घर बार

बाकर खान को तीस हज़ार रुपये हर महीने मिलने लगे थे और वह भी ऐसे समय में जब एक रुपये में 40 किलो गेहूं मिले। बाकर खान इतने रुपयों का क्या करता होगा? चलो, ज़रा उसके घर बार को झांक कर देखें।

बाकर खान एक विशाल महल में रहता था। मगर बाहर सड़क से उसका महल नही दिखता था, ऊंची-ऊंची दीवारों से जो घिरा हुआ था।

बाहरी दीवार में एक दरवाज़ा था जिसमें 20-30

पहरेदार पहरे देते रहते थे। अन्दर एक विशाल बाग था जिसके बीच में बाकर खान का महल था। बाग के बीच से संगमरमर की बनी नहर थी जिसमें ठंडा पानी बहता रहता था। जगह-जगह सुन्दर फव्वारे भी थे। नहर के दोनों तरफ चलने के लिए रास्ते थे और उसके बाद चौकोर घास के मैदान जिसके अन्त में फूलों की क्यारियां और कतार में खड़े पेड़ थे।

बाकर खान का महल अधिकतर पत्थर का बना था। उसमें अनेकों बड़े कमरे थे। पूरे कमरे में ज़मीन पर कीमती कालीनें बिछी रहती थीं। दीवारों में आले थे जिनमें चीन और ईरान से आये प्याले, सुराहियां रखे रहते थे। दीवार सुन्दर तराशे हुए पत्थरों की बनी थी। बाकर खान का खास कमरा संगमरमर का बना था जिसमें कीमती रंगीन पत्थरों को गाड़कर सुन्दर चित्र बनाये गये थे। छत चांदी और सोने से रंगी गयी थी। गर्मी के मौसम में ठंडक के लिए ज़मीन के नीचे कमरे बने थे।



मुग़ल अमीर के महल में उसकी पत्नियां

बाकर खान की चार बीवियों के लिए भी अलग-अलग घर बने थे। प्रत्येक बीवी की सेवा में 40-50 गुलाम रहा करते थे।

बाकर खान और उसकी पत्नियों को कीमती हीरे-मोती के जवाहरात का खास शौक था - दूर-दूर के व्यापारी ये चीज़ें बेचने आये दिन आते रहते थे। सुन्दर और कीमती कपड़ों और लिबासों की बात ही अलग थी। वे एक दिन पहना कपड़ा दूसरे दिन नही पहनते थे।

महीन से महीन मलमल के कपड़े, रंग बिरंगे रेशमी कपड़े, सोने-चांदी के ज़री के कपड़े - उनकी आम पोषाकें थी।

उनका भोजन भी उन दिनों का सबसे मंहगा भोजन था। शराब ईरान से और बर्फ कश्मीर से लायी जाती थी। उनके अपने बगीचे भी थे जिनमें देश विदेश के फल उगाये जाते थे।

उन दिनों के अन्य अमीरों की तरह बाकर खान को भी अजीबो-गरीब जानवर व पक्षी पालने का शौक था। ऊंट, हाथी और घोड़ों के अलावा कई शेर, चीते, हिरन, बाज़, रंग-बिरंगे तोते और मोर उसके महल में पलते थे। जानवरों को आपस में लड़ा कर लड़ाई देखना उनके लिए मनोरंजन का एक तरीका था।

बाकर खान के महल के पास ही उसका कारखाना भी था। मगर आजकल के कारखाने जैसा नही था। उसमें बाकर खान और उसके परिवार के उपयोग के लिए तरह-तरह की चीज़ें बनती थीं। कपड़े, कालीनें, सोने-चांदी के गहने, लकड़ी की चीज़ें, ये सब उनके अपने कारखाने में बनती थी। इन्हें बेचा नहीं जाता था। ये चीज़ें सीधे बाकर खान के घर में उपयोग की जाती थी। इन कारखानों में शहर के मशहूर कारीगरों को अक्सर ज़बरदस्ती लाकर काम करवाया जाता था।

एक लाख रुपये जागीर से वसूल करने होते थे। इस काम के लिए बाकर खान के कई सारे आमिल

थे। इन आमिलों के काम पर निगरानी रखने, इकट्ठे किए पैसों का हिसाब लिखने आदि काम के लिए महल में कई मुन्शी और नौकर भी होते थे।

इतना बड़ा घर बार, इतने सारे नौकर चाकर, इन सब पर बहुत खर्च होता था। फिर समय-समय पर बादशाह, शहज़ादों और बड़े अधिकारियों को कीमती भेंट भी देनी पड़ती थी।

अपने ऊपर धन खर्च करने के अलावा बाकर खान जैसे मनसबदार आम लोगों की सुविधा की चीज़ें बनवाने में भी कुछ धन खर्च करते थे।

अपनी इस ऊंची तंख्वाह में से बाकर खान ने अपनी जागीर के आम लोगों के लिए दो मस्जिदें बनवाईं। उसने यात्रियों के ठहरने के लिए एक सराय भी बनवाई। अगर बाकर खान की जगह कोई राजपूत अमीर होता तो वह मन्दिर और पाठशालाएं बनवाता। ईरानी-तुरानी अमीरों की तरह राजपूत व शेखज़ादा अमीर भी बहुत ठाठ बाठ से रहते थे। उनके भी आलीशान महल थे, सैकड़ों नौकर चाकर थे, दास दासियां थी, कई पत्नियां थी। राजपूत मनसबदारों के आलीशान महल आज भी राजस्थान में देखे जा सकते हैं।

० ० ० ० ० ०

अभ्यास के प्रश्न

1. बाकर खान को सरकारी नौकरी कैसे मिली? क्या आज भी सरकारी नौकरी उसी तरह मिल सकती है?
2. मनसबदारों की ज़मानत कौन देता था? ज़मानत क्यों ली जाती थी? क्या आज भी ऐसा होता है?
3. बाकर खान ने अपना आमिल किस काम के लिए नियुक्त किया? उसने उससे ज़मानत में पैसे क्यों लिए?
4. बाकर खान की सेना का निरीक्षण किस तरह हुआ और क्यों?
5. अगर तुम्हें बाकर खान का घर बार देखने का मौका मिलता तो तुम्हें जो-जो दिखता, उस पर 6 वाक्य लिखो।
6. तुमने कक्षा-7 में भोगपतियों के बारे में पढ़ा था। राजा अपने अधिकारियों को वेतन के बदले गांव भोग करने को देता था। भोग के गांव से वे मनचाहे कर वसूल सकते थे और इच्छानुसार शासन चलाते थे।

   भोग के गांव उसी अधिकारी व उसके वंशजों के पास रहते थे।

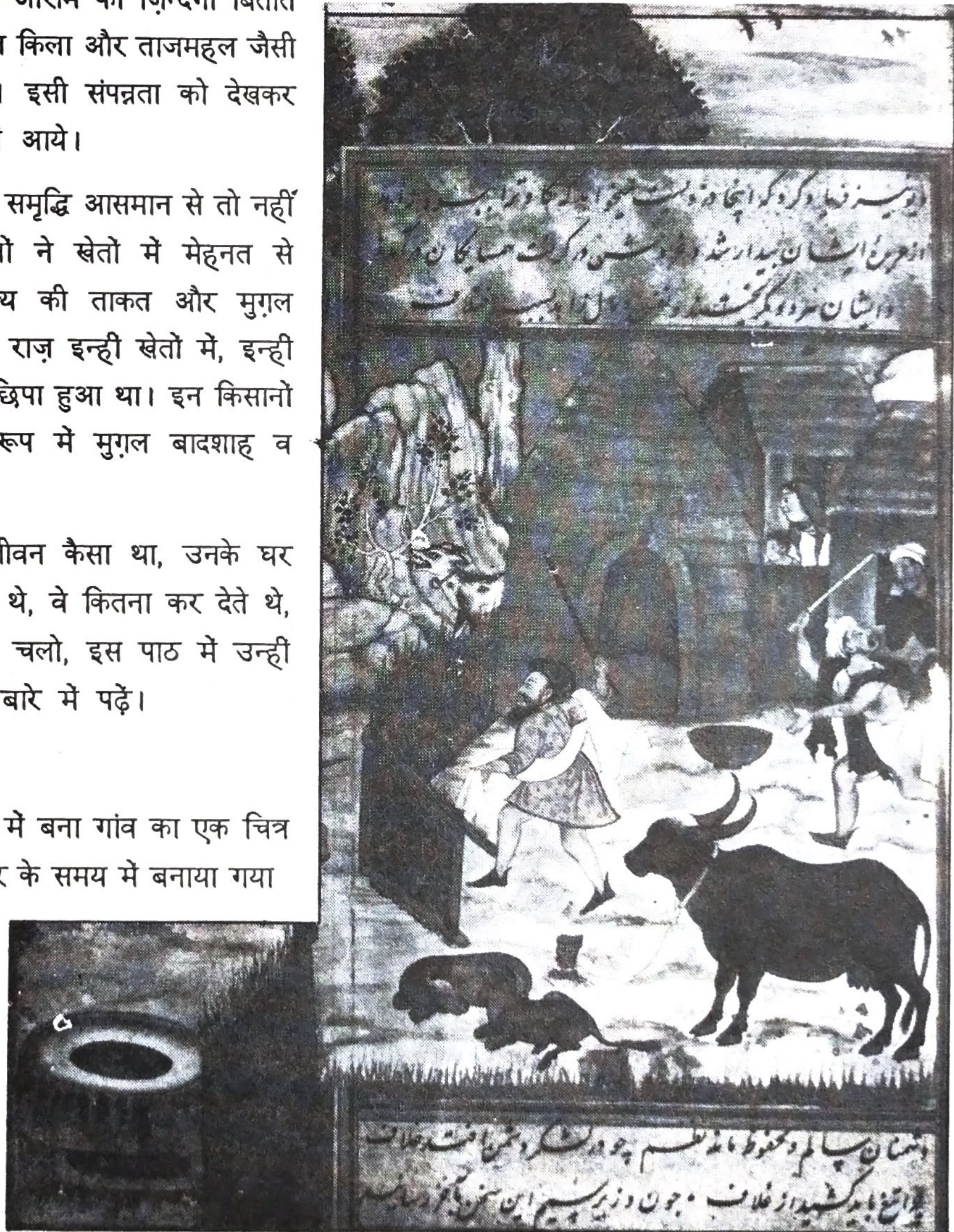
   मुग़ल राज्य के जागीरदारों और भोगपतियों के बीच तुम्हें क्या अन्तर और क्या समानताएं दिखती हैं? भोगपति या जागीरदार, दोनों में से किस पर राजा का ज़्यादा नियंत्रण रहता था?

उन दिनों दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के जीवन की ये झलकियां तुमने देखीं। अब अगले पाठ में मुग़ल काल के गांवों की झलक देखो।

3

मुग़ल काल के गांव

मुग़लों के समय में भारत पूरी दुनिया में एक संपन्न देश माना जाता था। मुग़लों, राजपूतों और आफगानों ने इसी संपन्नता पर अधिकार जमाने की लड़ाई लड़ी थी। इसी संपन्नता के बल पर जागीरदार ज़मीदार और राजा-महाराजा ऐश-ओ-आराम की ज़िन्दगी बिताते थे। मुग़ल बादशाह लाल किला और ताजमहल जैसी इमारतें खड़ी करते थे। इसी संपन्नता को देखकर यूरोप से व्यापारी यहां आये।



मगर भारत की यह समृद्धि आसमान से तो नहीं टपकी। उसको किसानों ने खेतों में मेहनत से उगाया। मुग़ल साम्राज्य की ताकत और मुग़ल अमीरों की सपंन्नता का राज़ इन्ही खेतों में, इन्ही किसानों की मेहनत में छिपा हुआ था। इन किसानों की उपज लगान के रूप में मुग़ल बादशाह व जागीरदार लेते थे।

उन किसानो का जीवन कैसा था, उनके घर कैसे थे, वे क्या उगाते थे, वे कितना कर देते थे, कितना बचा पाते थे? चलो, इस पाठ में उन्ही किसानों के जीवन के बारे में पढ़ें।

गांव

चित्र-1 मुग़ल काल में बना गांव का एक चित्र है। इस चित्र को अकबर के समय में बनाया गया था। इस चित्र से तुम्हें उस समय के गांव के घर-बार, लोगों के पहनावे और काम के बारे में क्या-क्या बातें पता चलती हैं?



चित्र 2: यह चित्र जगन्नाथ नाम के चित्रकार ने बनाया था। इस चित्र में तुम्हें क्या-क्या चीज़ें दिख रही हैं? इससे तुम्हें मुग़ल काल के गांवों में खेती के बारे मे क्या बातें पता चलती हैं?

गांव में धनी लोग थे और निर्धन भी। एक साधारण किसान के घर का चित्र बिचित्र नाम के चित्रकार ने बनाया। यह घर किन चीजों से बना है?



चित्र 3: साधारण किसान का घर

आम किसानों के ऐसे ही कच्चे घर होते थे। युद्ध, अकाल, सूखे और अत्याचार के मारे भागने वाले किसान इन कच्चे घरों को पल में छोड़ कर भागते और पल में नई जगह पर फिर से बना लेते।

भोजन

अब आम किसानों की झोपड़ियों के अन्दर की झलक लें। मिट्टी के बने थोड़े से बर्तन ही मिलते। उन दिनों तांबा या पीतल महंगा था और अल्युमीनियम व स्टील का तो चलन ही नहीं हुआ था।

मिट्टी के उन बर्तनों में कभी मूंग और चावल की खिचड़ी पकती और कभी बाजरे या ज्वार की रोटी सिकती। खाने के साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी और घी भी हो जाता। उन दिनों दूध अधिक होता था इसलिए घी सस्ता था। घी के अलावा तिल और सरसों का तेल भी उपयोग में लाया जाता था।

उन दिनों घी अधिक क्यों होता होगा – चर्चा करो।

तब मूंगफली नही होती थी इसलिए उसका तेल भी नहीं मिलता था। तब बहुत सी ऐसी सब्ज़ियां भी नहीं होती थीं जिन्हें तुम आज खाते हो।

मुग़ल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नही थे। ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्ज़ियां व फल हैं जो मुग़ल काल के अन्त में यूरोप के व्यापारी भारत लाए।

लेकिन सेम, पालक, शकरकन्द, तोरी, गिलकी, करेला, लौकी, भिण्डी, भटा जैसी सब्ज़ियां और केला, आम, कटहल, तरबूज़, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे।

उन दिनों लाल मिर्च तो नहीं थीं। तो वे लोग भोजन में मिर्च की जगह क्या खाते होंगे?

कपड़े और पहनावा

चित्र-3 को ध्यान से देखो तो दीवार पर एक चरखा टंगा दिखेगा।

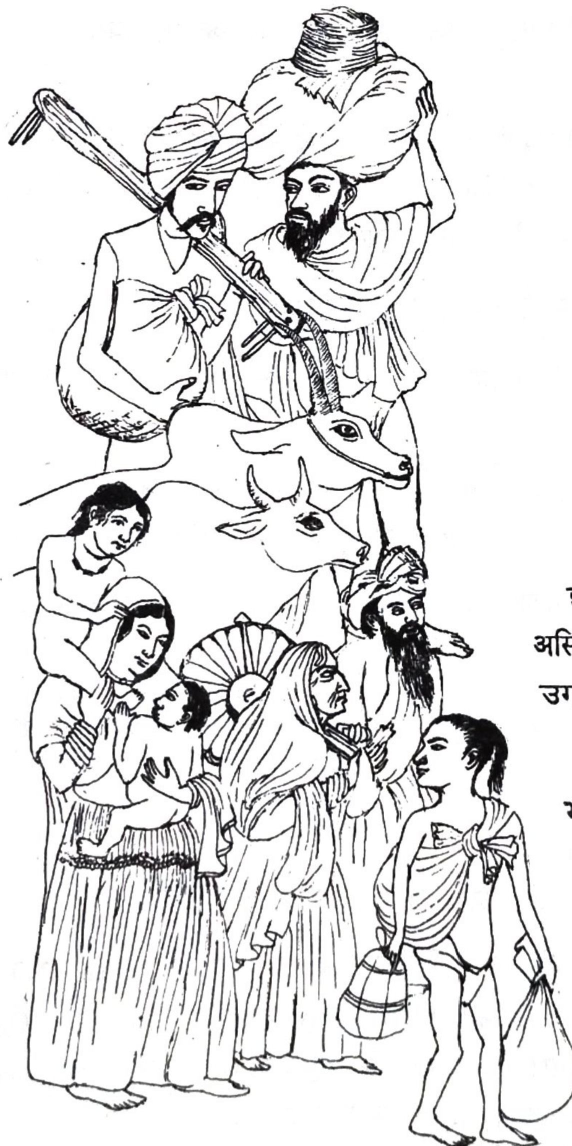
उन दिनों घर-घर चरखा चलने लगा था। तुम जानते हो कि तुर्की-ईरानी लोगों के साथ चरखा भारत में आया। अकबर व जहांगीर के समय तक आते-आते चरखे का उपयोग लोगों ने खूब अपनाया। महिलायें घर-घर सूत कात लेती थी और गांव का जुलाहा कपड़ा बुन देता था। इस समय के पहले भारत के लोग कम कपड़ा पहनते थे। पर चरखे के चलन के बाद ज़्यादा मात्रा में कपड़ा पहना जाने लगा।

गांव के लोगों के चित्र मिस्किन नाम के चित्रकार ने बनाए। लोग कई तरह के कपड़े पहने दिख रहे हैं। ग्वाले, किसान, जोगी, बच्चे, औरतें व अन्य कई लोग हैं। जो बहुत गरीब थे और बहुत गरीब नही थे, वे लोग इन चित्रों में अलग-अलग पहचान में आ रहे हैं। चित्र को ध्यान से देख कर उन्हें पहचानो।



खेतीबाड़ी

आज की तरह मुग़ल काल में भी खेती की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई थी। उन दिनों लोगों को तालाब, नहर और कुंओं से काम चलाना पड़ता था। आज की तरह मोटर पंप या बिजली तो नहीं थी।



इस कारण सिंचाई थोड़ी ही ज़मीन पर हो पाती थी। अधिक असिंचित ज़मीन थी। इसमें मुख्यतः बारिश (खरीफ) की फसल उगायी जाती थी।

रासायनिक खाद, दवा, नए बीज- इनके न होने से उत्पादन भी आज की तुलना में बहुत कम होता था। मगर उन दिनों भारत में जितना उत्पादन होता था उतना शायद यूरोप के देशों या किसी भी अन्य देश में नही होता था।

भारत में नदियों के मैदानों की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है। इसका फायदा किसान बड़ी मेहनत और सूझबूझ से उठाकर साल में दो-दो फसल लेते थे। उन दिनों यूरोप के किसान प्रत्येक खेत से तीन साल में एक बार या दो

बार ही फसल ले पाते थे। यूरोप में अधिकांश प्रदेशों में मिट्टी भारी और गहरी है। उसे पलटने के लिए भारी और खास तरह के हल की ज़रूरत होती है। ऐसे हल उन दिनों बने नही थे। इस कारण उन दिनों यूरोप के खेतों का उत्पादन भारत के मैदानों के उत्पादन से बहुत कम था।

भारतीय किसान हर साल दो फसल तो लेते ही थे- साथ ही भारत की गर्म जलवायु में इतनी विभिन्न किस्म की फसलें उगती थी कि यूरोपीय यात्री जो उन दिनों भारत आये, दंग रह जाते थे। एक ही गांव में खरीफ में 15 तरह की फसलें और रबी में 10 तरह की फसलें उगायी जाती थी। इनके अलावा फल और सब्ज़ियां भी। उन दिनों शायद ही किसी और देश में इतनी विविध तरह की फसलें एक ही गांव में उगायी गयी हों। भारत की संपन्नता, जिसकी विश्व भर में चर्चा थी, का यही आधार था।

मगर इतना सब उगाने के बावजूद किसान बहुत गरीब थे। बहुत से बच्चे कुपोषण के कारण मौत के शिकार होते थे। हमेशा आम लोगों के सिर पर भूख मंडराती रहती थी।

किसानों की हालत

जब पर्याप्त वर्षा होती और फसल भी अच्छी होती थी तो किसान किसी तरह गुज़ारा कर लेते थे। लेकिन वे कठिन दिनों कि लिए कुछ भी नही बचा पाते थे। इसलिए जब बारिश कम हो जाती और भू-जल सूख जाता और फसल न उग पाती तो किसानों के पास गुज़ारा करने के लिए कुछ भी नही होता था। तब हज़ारों की संख्या में लोग भूख और महामारी के शिकार हो जाते। तब ऐसी हालत हौती थी कि लोग घास व जंगली पेड़ों के पत्ते खाने लगते। यहां तक कि अपने आप को और अपने बच्चों को धनी लोगों के हाथ बेच देते थे। तब लोग खाने की तलाश में अपने गांव छोड़कर दर-दर भटकते थे। इस प्रकार सैकड़ों गांव वीरान हो कर उजड़ जाते थे। कभी-कभी ऐसे भयंकर अकाल का विवरण मिलता है जब मनुष्य, मनुष्य को खाने पर उतर आते थे।

यह है दास्तान मुग़ल काल के किसानों की- सारी संपन्नता उनके खेतों में पैदा होती थी और सारी दरिद्रता उन्हीं के घरों में बसती थी।

तुम सोच रहे होगे कि यह कैसे- इतनी सारी फसल जो वे उगाते थे, उसका क्या होता था?

लगान

खेती की उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगान और करो के रूप में किसानों के हाथों से छिन जाता था। अकबर के समय में किसानों से फसल का एक तिहाई भाग लिया जाता था। पर जहांगीर और शाहजहां के समय लगान का बोझ बढ़ता गया। सन् 1700 तक आते-आते किसानों की आधी उपज लगान में ली जाने लगी। तुम सोच सकते हो कि लगान देने के बाद और बीज का अनाज रखने के बाद कितना बचता होगा जिससे वे चैन से गुज़ारा भी कर सकें?

आओ, उन दिनों का एक गांव घूम कर देखें। बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के समय में गांव के लोगों पर क्या गुज़री जानें।

एक गांव की कहानी

(गांव करारिया, सूबा आगरा)

अब अनाज नहीं, रुपये में देना है लगान

सूबा आगरा में बसा था गांव करारिया। गांव तो छोटा ही था- यही कुछ अस्सी-पचासी किसानों के घर थे। चार-पांच कारीगरों के घर भी थे, जो लकड़ी लोहे और चमड़े की चीज़ों को बनाते थे। कुछ कारीगर मिट्टी के बर्तन बनाते थे और कुछ कपड़े बुनते थे। अधिकतर किसान जाट जाति के थे, मगर कुछ गूजर भी किसानी करते थे।

सन् 1580 की बात थी। खरीफ की फसल खेतों में लहलहा रही थी- बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, तिल और कोदों। उन्हीं दिनों पास के कस्बे बयाना से घुड़सवारों का एक दल गांव में आया। आते ही वे सब ज़मींदार सूरज देव जाट के घर पहुंचे। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैली कि ये लोग किसानों पर कर (लगान) तय करने आये हैं और हर किसान का खेत नापेंगे।

ज़मींदार के घर गांव के पटेल और पटवारी को बुलवाया गया। ये लोग गांव के प्रमुख और संपन्न किसान थे जो लगान इकट्ठा करने में मदद करते थे।

शाम को पंचायत बुलायी गयी और पटेल के घर के सामने चौपाल में सब गांववाले इकट्ठा हो गये। बयाना से आया कर निर्णय करने वाला अधिकारी पूरणमल बोला, "हम लोग यहां अकबर बादशाह के मंत्री मुज़फ्फर खान और राजा टोडरमल के आदेश से आये हैं। बादशाह ने पूरे साम्राज्य में कर तय करने और वसूल करने की व्यवस्था को बदला है। इस वर्ष से आप लगान में अनाज नहीं, बल्कि पैसे देंगे।"

यह सुनते ही लोगों में खुसुर-फुसुर फैल गई। कुछ देर बाद एक किसान उठकर बोला, "मगर अब तक तो हम अनाज में ही लगान देते आये हैं।" पूरणमल बोला, "आप लोग बयाना में अपनी फसल बेचकर उस पैसे से लगान दीजिए।"

ज़मींदार सूरज देव किसानों को समझाता हुआ बोला, "परेशान क्यों होते हो? पहले भी तो फसल का एक तिहाई ही देते थे। अब भी उतना ही देना है मगर अनाज में नहीं, पैसों में।"



चित्र 5: चौपाल में चर्चा

एक किसान बोला, "हमने सुना था कि अकबर बादशाह अच्छे हैं तो सोचा शायद लगान कम करेंगे। अब तो मुसीबत बढ़ा दी।"

किसमें बदलाव किया गया– लगान की मात्रा में या लगान के रूप में?

मुग़ल काल के किसानों की तुलना में आजकल किसानों पर लगान अधिक है या कम?

अनाज के बदले रुपयों में लगान लेने से जागीरदार को क्या फायदा हुआ होगा?

किसान बंजारों को अनाज बेच आये

उस वर्ष गांव के सारे किसान गाड़ियों में अनाज लादकर बयाना ले गये।

आसपास के बहुत से गांव के किसान भी अपना अनाज ले आये। बयाना में इस साल पहले से कही अधिक अनाज बिकने आया।

उन दिनों बंजारे (व्यापारी) ही अनाज का व्यापार करते थे। तीस चालीस बंजारों का झुण्ड 200-300 बैलों के साथ जगह-जगह घूमता रहता था। गांवों से अनाज, शक्कर व गुड़ खरीदकर दूर-दूर के शहरों में जाकर बेचते थे। वे हिमालय के पहाड़ों से शुरू करके, खरीदते बेचते खम्भात, बंगाल और दक्षिण भारत तक जाते थे।

इन्हीं बंजारों के हाथ सब किसान अपनी-अपनी फसल बेच आये। कुछ अनाज के बदले में बंजारों से नमक ले आए और बाकी अनाज के बदले में पैसे लेकर लौटे- लगान जो देना था।

लगान की वसूली

कुछ दिन बाद जागीरदार का आमिल गांव में आ पहुंचा।

क्या तुम्हें याद है आमिल कौन था और वह क्या काम करता था?

आमिल ज़मीदार सूरज देव जाट के घर गया और उससे कहा कि वह गांव वालों से लगान जमा करके रखे। आमिल ने बताया, "आपके गांव के कुल 9,000 बीघे पर खरीफ की फसल बोयी गयी है। मैंने पटवारी के साथ हिसाब लगाया है, कुल मिला कर 17,000 रूपये बनते हैं। आप यह रकम इकट्ठा करके रखिए। मैं अपने जागीरदार के दूसरे गांवों में भी चक्कर लगाकर आता हूं। दस दिन में लौटूंगा तो आप से रूपये ले लूंगा।"

ज़मींदार सूरज देव जाट ने पटवारी और पटेल को बुलाया और उनसे किसानों से लगान इकट्ठा करने को कहा।

पटवारी बोला, "अगर कोई देने से इन्कार कर दे तो?"

ज़मीदार बोला, "मेरे दो घुड़सवार और चार सिपाही आपके साथ चलेंगे - देखते हैं किस की हिम्मत है मना करने की।"

लगान इकट्ठा करने में तीन-चार दिन लग गए। कुछ किसानों के



चित्र 6 : बंजारों की टोली

खेत में ओले पड़े थे तो उनसे लगान नही मिल सकी।

जब जागीरदार का आमिल लौट कर आया तो ज़मींदार सूरज देव ने उसे हिसाब समेत इकट्ठी की लगान की रकम थमा दी। आमिल ने पूछा कि पैसे पूरे क्यों नही हैं। पटेल और ज़मींदार ने मिल के समझाया कि ओले गिरने के कारण कुछ किसान लगान नही भर पाये। उनके नाम बकाया लिख लिया जाए और अगले दो तीन वर्षों में वसूल किया जा सकता है। आमिल ने पटवारी के खाते में यह बात दर्ज़ करवायी।

आमिल चलने को हुआ तो सूरज देव ने उसे याद दिलाया। तब आमिल ने लगान की रकम में से दस प्रतिशत पैसे निकाल कर सूरज देव के हाथ दिए। यह सूरज देव ज़मींदार का मालिकाना था। गांव वालों से लगान इकठ्ठी करवाने के बदले में ज़मींदारों को यही मालिकाना दिया जाता था।

आमिल ने पटेल और पटवारी को भी लगान का कुछ हिस्सा दिया।

वैसे ज़मींदारों व पटेलों को लगान में भी छूट मिली हुई थी। वे अपनी फसल में से एक चौथाई हिस्सा ही लगान में देते थे। जबकि और किसानों को अपनी फसल का एक तिहाई भाग लगान में देना पड़ता था।

तुम्हें ज़मींदार किसकी सहायता करते हुए नज़र आया?

अगर ज़मींदार, पटेल व पटवारी न होते तो जागीरदार के आमिल को लगान वसूली के लिए क्या-क्या करना पड़ता?

1 .... 2 ....

ज़मींदार की सहायता के लिए जागीरदार उसे क्या देता था?

क्या आमिल, जागीरदार के वेतन का पूरा पैसा इकट्ठा कर पाया?

कर्ज़

साधारण किसान को कई दिक्कतें थीं। कभी बाज़ार में फसल के अच्छे दाम नही मिलते। तब उनके पास इतने पैसे नही बनते कि लगान भर सकें। तब उन्हें महाजन से कर्ज़ा लेकर लगान चुकाना पड़ता था। नही चुका पाते तो ज़मींदार के आदमी पीटते थे।

कहीं और करेंगे किसानी

एक बार कर्ज़े के मारे तीन किसान परिवारों ने तय किया कि वे करारिया गांव छोड़ कर दूसरी जगह चले जाएंगे। उन्होंने सुन रखा था कि उस जगह का आमिल नए आकर बसने वालों को लगान में छूट दे रहा है। वह उन्हें हल-बैल खरीदने के लिए भी तकवी (उधार के पैसे) दे रहा है।

इन तीन परिवारों के लोगों ने जब जाने का फैसला किया तो अपने गांव के पटेल को बताने गए। पटेल त्यौरियां चढ़ा कर बोला, "बहुत अच्छी बात है। पर तुम लोगों के नाम से इस गांव की बीस बीघा ज़मीन है। उसका लगान कौन भरेगा? जागीरदार का आमिल तो पूरे पैसे मांगेगा, चाहे खेतों में फसल हुई हो या नही। तुम चले जाओगे तो हम तुम्हारी ज़मीन जोतने के लिए किस को ढूंढते फिरेंगे? तुम लोगों ने ज़मीन छोड़ कर भागना क्या मज़ाक समझ रखा है? ज़मीन छोड़कर कोई भी नही जा सकता है।"

किसानों ने जवाब दिया, "मगर ज़मीन के साथ हम क्या करें? हमारे पास न हल-बैल हैं न बीज हैं। पूरी किसानी उधार पर चल रही है- खाने के लिए बचता नही।"

यह सुनकर पटेल की आवाज़ कड़क उठी, "जाओ, देखें कैसे गांव से भागते हो। मैं ज़मींदार के सिपाहियों को भेजकर तुम्हें पकड़वा लाऊंगा। फिर कारागार में भूखों मरोगे।"

इस धमकी से किसान डर गए। चुपचाप अपने घर लौट आए। एक महीना ही बीत पाया था कि उनमें से एक परिवार रातों-रात गांव से भाग निकला और खूब खोजबीन के बाद भी उसका पता न चला।

गांव के पटेल ने लोगों को जाने से रोका। उसने ऐसा किस के भले के लिए किया?
ज़मींदार सिपाही रखते थे। इन सिपाहियों के काम के बारे में तुम अब तक क्या समझ पाए?

खेत बिन बोए न रहे

मुग़लों के समय में ज़मीन बहुत खाली पड़ी थी। जो जितनी चाहे ज़मीन जोत सकता था। इसी कारण दुख दर्द के मारे किसान गांव छोड़ कर दूसरी जगह पर खेती करने की आशा में अक्सर चले जाते थे। इस बात से जागीरदार व ज़मींदार परेशान रहते थे। वे तो यही चाहते थे कि उनके इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा किसान आकर बसें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर खेती करें। इसीलिए वे नए आए लोगों को ज़मीन देते थे और लगान में छूट भी।



वे अपने इलाके से भाग कर जाते हुए किसानों को रोकने की भी भरपूर कोशिश करते थे। मगर वे किसान को भागने से न रोक पाएं तो किसी दूसरे किसान को उसके खेत जोतने के लिए दे देते थे ताकि फसल हो और लगान पूरी भरी जा सके।

हां, यह ज़रूर था कि अगर ज़मीन का मालिक लौट आता तो उसे उसकी ज़मीन वापस मिल जाती थी। पर उसकी गैर-हाज़िरी में उसके खेत बिन बोए नही रह सकते थे। क्योंकि अगर ऐसा होता और लगान पूरी न मिलती तो जागीरदारों, ज़मींदारों और बादशाह का काम कैसे चलता? बाकर खान जैसे अमीरों का क्या होता ?

क्या इस स्थिति की कोई बात आज भी देखने को मिलती है?

शासन करने वाला वर्ग

मुग़ल साम्राज्य में दिन-ब-दिन बाकर खान जैसे बड़े अमीरों की संख्या बढ़ रही थी। अकबर का शासन जब शुरू हुआ तो केवल 51 बड़े अमीर थे। यह संख्या लगातार बढ़ती गई और सन् 1700 में 500 से ज़्यादा बड़े अमीर हो गए।

आखिर इन सबका खर्चा कहां से निकलता?

करारिया मे भी कर बढ़े

बादशाह शाहजहां और औरंगज़ेब के समय तक आते-आते लगान बहुत बढ़ गया। अकबर के समय किसान फसल का 1/3 हिस्सा लगान में देते थे। अब उन्हें फसल का आधा हिस्सा लगान में देना पड़ा। जागीरदार इससे भी अधिक कर वसूल करने की कोशिश में थे।

सन् 1665 की बात होगी। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने करारिया गांव राजा जय सिंह को जागीर में दिया हुआ था। जय सिंह मुग़ल साम्राज्य का एक प्रमुख अमीर था।

खरीफ की फसल कटते ही राजा जय सिंह का आमिल लगान वसूल करने गांव पहुंचा। उसने जाते ही ज़मींदार से कहा, "इस बार एक नया लगान लिया जाएगा। पटवारी का भत्ता किसान देंगे, जागीरदार नहीं देगा।"

यह सुनते ही ज़मींदार भड़क उठा। बोला, "यह कैसे हो सकता है? जिस तरह आप किसानों से कर ले रहे हैं उनके पास खाने के लिए भी नही बचता है। स्थिति यह बनती जा रही है कि हम किसानों से वो कर तक वसूल नही कर पा रहे हैं जो हमेशा

से हमारा हक रहा है। आप जाइए, अपने जागीरदार को बता दीजिए- इस गांव के लोग यह नया कर नही देंगे।"

तुम जानते हो कि ज़मीदारों को किसानों से कम लगान देनी पड़ती थी। उन्हें किसानों से इकट्ठी की गई लगान में से एक हिस्सा भी मिलता था। उल्टे वे खुद किसानों से कई तरह की वसूलियां करते थे।

पुराने समय के भोगपतियों की तरह (जिनके बारे में तुम कक्षा-7 में पढ़ आए हो) ज़मीदार समय-समय पर किसानों से उनके घर पर, ढोर पर, शादी-ब्याह पर, यात्रा पर, त्यौहार पर- कुछ न कुछ वसूल करने के आदी थे।

ज़मीदार ने आमिल का विरोध किस के भले के लिए किया?

पंचायत में भी किसानों ने आमिल को बहुत सुनाया और कहा कि आसपास के क्षेत्र में कोई यह नया कर नही देता तो वे क्यों दें? इतना सब सुन कर भी आमिल अटल रहा और यह धमकी देते हुए लौटा कि अगर करारिया से पटवारियों का भत्ता नही मिला तो फौज लाकर तबाही मचा देगा।

अगले दिन पंचायत में गांव वालों ने तय किया कि वे शिकायत करने राजा जय सिंह के पास आगरा जाएंगें। उन्होंने आसपास के कई गांव के लोगों को साथ कर लिया और करीब 20 लोग आगरा पहुंचे।

किसानों ने जागीरदार से शिकायत की

राजा जय सिंह के आलीशान महल में किसानों ने अपने हालात सुनाए। एक किसान बोला, "महाराज, पिछले साल मेरे खेत में 50 मन ज्वार उगा। 25 मन आमिल लगान में ले गया। ज़मीदार ने अलग से 7 मन ले लिए। फिर पिछला बकाया बता कर आमिल ने 5 मन और ले लिए। इसके ऊपर गांव के महाजन ने 2 मन वसूल कर लिए क्योंकि पिछले साल मुझे उससे बीज के लिए उधार लेना पड़ा था। अब इस वर्ष एक नया कर लगाया जा रहा है। हम कहां से देंगे और देंगे तो खाएंगे क्या?"

इस तरह की बातें सुन कर जागीरदार नया कर हटाने को राज़ी हो गया और बोला कि वह आमिल को मना कर देगा। किसान राहत की सांस लेकर गांव को चले।

पर अगले ही वर्ष राजा जय सिंह का तबादला हुआ और एक नया जागीरदार आया। उसके आमिल ने फिर से नया कर वसूल करने की कोशिश की।

चित्र 7 : जागीरदार से शिकायत



जब ऐसा हुआ तो करारिया गांव के 40 परिवार गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गये।

किसानों ने बादशाह से फरियाद की

इस तरह देहली, आगरा, बयाना और आसपास के गांवों में स्थिति लगातार बिगड़ती गयी। सब तरफ जागीरदारों और उनके आमिलों की ज़्यादतियां बढ़ गई थी। कई गांवों के किसान फरियाद लेकर बादशाह औरंगज़ेब के पास भी पहुंचे।

बादशाह ने उन्हें वादा तो किया कि उनकी रक्षा की जायेगी, मगर वह अपने जागीरदारों के खिलाफ कुछ नही करना चाहता था। उसने केवल अपने अधिकारियों के नाम कई फरमान जारी किए कि ग़ैर कानूनी करों को वसूल न किया जाये। किसी भी हालत में किसान से आधी उपज से अधिक न ली जाये, उन्हें खेती बढ़ाने में सहायता दी जाये। मगर कोरी बातों को कौन मानने वाला था?

मुगल शासन के खिलाफ ज़मीदारों का विद्रोह

इस बीच करारिया गांव में खबर पहुंची कि मथुरा के पास गोकुल जाट नामक एक ज़मींदार ने बादशाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और आसपास के गांव के किसान उसके साथ हो लिए हैं। करारिया गांव का ज़मींदार भी उनके साथ होने की बात सोचने लगा। मगर उसे डर भी था- आखिर मुग़ल सेना का सामना कैसे करें। कुछ ही दिनों बाद यह खबर आयी कि मुग़ल सेना से युद्ध में गोकुल जाट मारा गया। इस तरह समय बीतता गया। कही एक-दो ज़मींदार विद्रोह करते, कही गांव वाले गांव छोड़कर भाग जाते और कहीं वे विद्रोही ज़मींदारों के साथ हो जाते।

किसानों को तो मुग़ल शासन (यानी जागीरदार और बादशाह) से यह शिकायत थी कि उनसे हद से ज़्यादा लगान लिया जाता था।

पर ज़मींदारों को भी मुग़ल शासन से क्या यही शिकायत हो सकती थी?

फिर ज़मींदारों ने मुग़ल शासन की खिलाफत क्यों की?

> *इन प्रश्नों पर विचार करो:*
> *अगर मुग़लों का शासन न होता तो क्या ज़मींदारों को ज़्यादा लाभ मिलता?*
> *किसानों ने मुगल शासन से लड़ने वाले ज़मींदारों का साथ दिया, क्या यह उनके हित में था? समझा कर बताओ।*

ज़मींदार राजा राम जाट का विद्रोह

गोकुल जाट के मरने के 14 साल बाद फिर एक विद्रोह की लहर चली। करारिया गांव से कुछ 30 किलोमीटर दूरी पर सिनसिनी नाम के गांव के ज़मींदार ने सन् 1683 में मुग़ल शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसका नाम था राजा राम जाट। उसने किसानों से वसूल किया लगान जागीरदार को देने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था। करारिया और आसपास के गावों में हलचल मची थी। खबर थी कि जागीरदार नवाब खान-ए-जहान सिनसिनी की तरफ बढ़ रहा है। आमेर के राजा बिशन दास ने भी अपनी सेना खान-ए-जहान की सहायता के लिए भेजी है।

इस बीच एक दिन करारिया गांव में सिनसिनी से कुछ किसान आ पहुंचे। करारिया गांव में भी उनके रिश्तेदार थे। उनके यहां वे आकर रहे। उसी दिन शाम को उन्होंने सारे गांव वालों को बुलाया और उन्हें सिनसिनी और राजा राम जाट की बातें बताईं। उन्होंने कहा, "अब की बार तो हम इन जागीरदारों के दांत खट्टे करके ही रहेंगे। चाहे कोई नवाब आये या आमेर का राजा। आप लोग भी हमारी मदद कीजिए।" एक किसान ने कहा, "हमें मुग़लों की फौज से लड़ने के



चित्र 8 : किसान विद्रोह में शामिल होने निकल पड़े

लिए नौजवान चाहिये। आपके गांव से अगर दस नौजवान भी इकट्ठे हों तो बहुत सहायता होगी।"

तुरन्त भीड़ में से एक आवाज़ आई, "मैं तैयार हूं। मैं सिनसिनी चलूंगा मुग़ल फौज से लड़ने।" इतने में कई और आवाज़ें उठीं, "हां, मैं भी चलूंगा।" इस तरह 22 लोग तैयार हुए। उसी रात को वे गांव से अपनी-अपनी पोटलियां बांध कर और अपनी-अपनी तलवारें और भाले लेकर राम जाट की सेना में शामिल होने चले।

इस तरह पन्द्रह-बीस दिन गुज़र गये। एक दिन सिनसिनी जाने वालों में से एक लड़का घोड़े पर हांफते हुए करारिया आ पहुंचा। वह गांव के बीच खड़े होकर चीख-चीखकर बोलने लगा, "सुनो-सुनो गांव वालों, सुनो, हमने कैसे नवाब खान-ए-जहान और आमेर राजा बिशन दास की सेनाओं को हराया। सुनो



हमने कैसे जागीरदारों और फौजदारों को भगाया।"

गावं वाले इकट्ठे हुए तो उसने पूरी बात बतायी। राजा राम जाट की सेना ने नवाब खान-ए-जहान के दो हमलों को पीछे कर दिया था। नवाब की बुरी हालत हो गयी और वो भाग खड़ा हुआ था। गांव में खुशी और आश्चर्य की लहर चल पड़ी।

क्या मुग़लों की फौज को जाट किसानों ने हराकर भगा दिया? यह कैसे हो सकता है? सब लोग ज़मीदार सूरज देव को मनाने उसके घर की ओर चले, कि वो भी राजा राम जाट के साथ हो जाये।

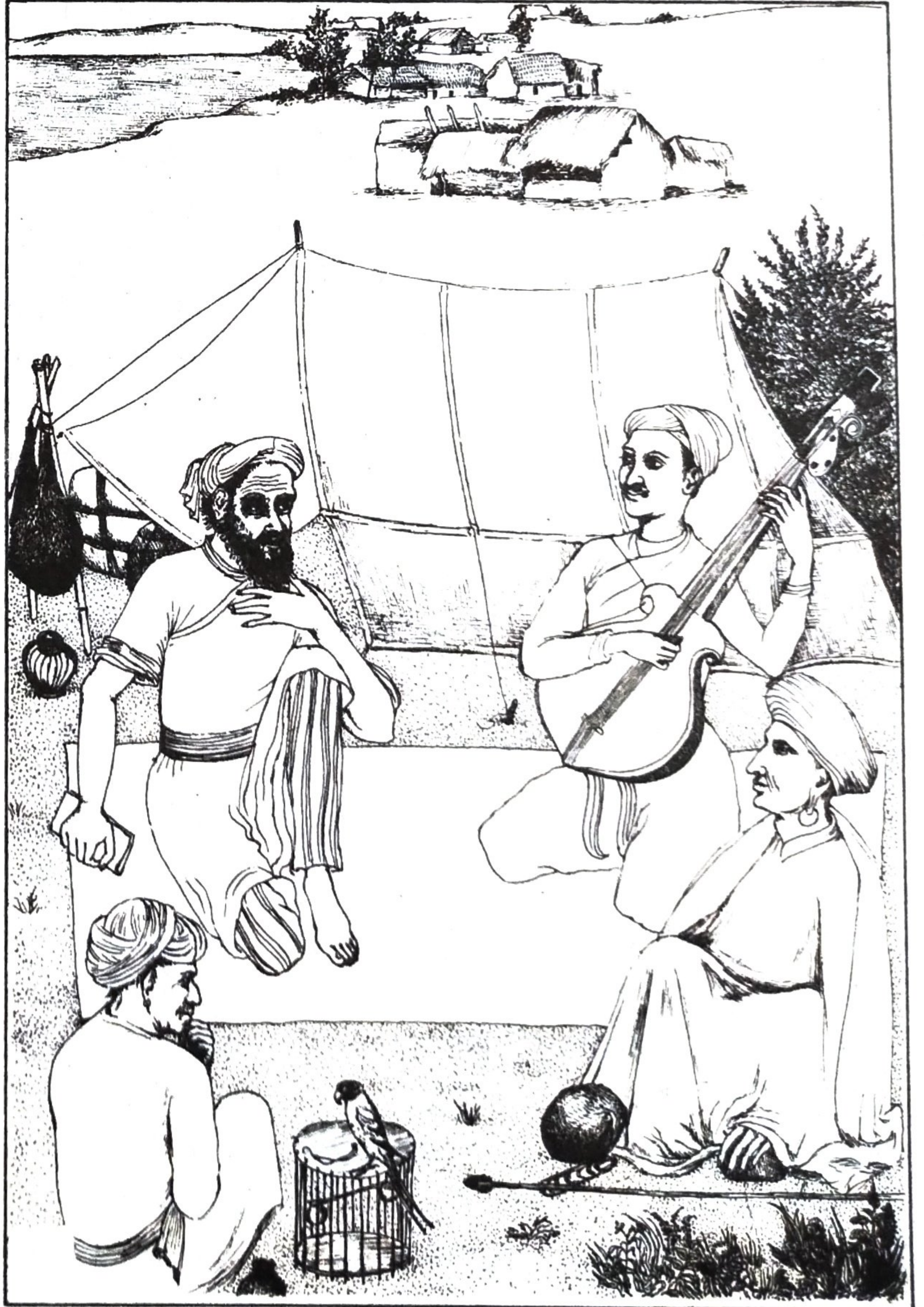
तो इस तरह शुरू हुआ करारिया गांव वालों का विद्रोह। इस विद्रोह और कई ऐसे विद्रोहों की वजह से मुग़लों का शासन लड़खड़ाने लगा। उन्हें लगान मिलना बंद होने लगा। एक-एक रुपया वसूल करने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा।

अभ्यास के प्रश्न

1. मुग़लों के समय में यूरोप की खेती और भारत की खेती में क्या फर्क था?
2. लगान लेने की नई व्यवस्था में क्या बातें बदली और क्या बातें पहले जैसी रहीं - सूची बनाओ।
3. करारिया गांव का ज़मीदार सूरज देव जाट जागीरदार के आमिल की किस प्रकार से मदद करता था?
4. क) करारिया के पटेल ने गांव छोड़ कर जाने वाले तीन किसानों को किस तरह रोका और क्यों?

   ख) मुग़ल काल में अगर कोई किसान गांव खेत छोड़ कर चला जाता था तो उसकी ज़मीन का क्या किया जाता था? कारण भी समझाओ।
5. ज़मींदार किसानों से क्या लेते थे? जब जागीरदार ज्यादा कर लेने लगे तो ज़मींदार को परेशानी क्यों हुई?
6. किसान अपनी समस्याएं सुलझाने की कई कोशिशें करते थे। तुमने इन कोशिशों के क्या उदाहरण पाठ में देखे?
7. क) राजा राम जाट ने किसके खिलाफ विद्रोह किया और क्यों?

   ख) करारिया गांव के कुछ लोग राजा राम जाट की सेना में शामिल होने क्यों गए?



जहांगीर के दरबार में गोवर्धन नाम का चित्रकार था। उसने ऐसा एक चित्र बनाया। एक गांव के बाहर कुछ लोग चलते फिरते गवैयों के गायन का रस ले रहे हैं। कुछ दूरी पर गांव दिख रहा है।

क्या यह गांव आज के गांवों जैसा दिखता है?

इस चित्र में और क्या-क्या बातें तुम्हें दिख रही हैं?

इस चित्र में जो लोग हैं वे क्या-क्या काम धंधे करते होंगे?

4 बादशाह औरंगज़ेब का समय
(सन् 1658 - 1707)

औरंगज़ेब बादशाह बना

सन् 1658 में बादशाह शाहजहां बुरी तरह से बीमार पड़ गया। सब लोग यह मानने लगे कि बादशाह की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जायेगी। शाहजहां के चार पुत्र थे - दारा, औरंगज़ेब, शुजा और मुराद। चारों भाई खुद बादशाह बनना चाहते थे। आगरा में शाहजहां ने बड़े बेटे दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मगर उसके बाकी तीन बेटों ने इस बात को नहीं माना। सब अपनी-अपनी सेना लेकर तख़्त हथियाने के लिए आगरा की ओर चल दिए। भाइयों के बीच कई युद्ध हुए और अंत में औरंगज़ेब सफल रहा।

अपने पिता शाहजहां के जीते जी औरंगज़ेब ने अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया और उनको उनकी मृत्यु तक 12 वर्ष कैद में रखा। इसके कारण औरंगज़ेब को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा।

इन शब्दों के मतलब बताओ - 1. उत्तराधिकारी 2. तख़्त हथियाना 3. आलोचना

किसानों-ज़मींदारों के विद्रोह और लगान में कमी

हर बादशाह की तरह औरंगज़ेब को भी कई समस्याओं से जूझना पड़ा।

एक बड़ी समस्या तो किसानों और ज़मींदारों की तरफ से थी। तुम जानते हो, आगरा और बयाना के आसपास के जाट किसान और ज़मींदार विद्रोह करने लगे थे। इस तरह के छोटे-बड़े कई विद्रोह साम्राज्य में जगह-जगह होने लगे।

पंजाब में कई किसान, कारीगर और व्यापारी सिख धर्म को मानते थे, जिसमें यह सिखाया जाता था कि सब इंसान बराबर हैं। सिख गुरु, गुरु तेग़ बहादुर गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच सिख धर्म का प्रचार करते थे। इस माहौल में किसानों में जागीरदारों व राजाओं का सामना करने का साहस बन रहा था। इससे शासन को डर बन गया कि कहीं किसान भड़क न जाएं।

गुरु तेग़ बहादुर के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए औरंगज़ेब ने उन्हें देहली लाकर बन्दी बना लिया। कुछ समय बाद देहली में उन्हें मार डाला गया।

इसके बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सेना बनायी और वे पंजाब के राजाओं से टक्कर लेने लगे। ये राजा मुग़ल राज्य के अधीन थे। औरंगज़ेब ने इन राजाओं की पूरी मदद की, और सिखों को दबा के रखा। मगर आने वाले समय में सिख फिर से एक बड़ी सेना के साथ मुग़लों का मुकाबला करने लगे।

मुग़ल साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में अफ़ग़ान कबीले रहते थे। ये कबीले इस्लाम धर्म के रोशनिया संप्रदाय को मानते थे। ये कबीले मुग़लों से स्वतंत्र होकर अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने सन् 1665 से विद्रोह करना शुरू किया। औरंगज़ेब ने राजपूतों की मदद से रोशनिया लोगों के विद्रोह को दबाया।

ये औरंगज़ेब के समय में होने वाले कुछ बड़े विद्रोह थे। मगर इनके अलावा कई और छोटे-छोटे विद्रोह भी हुए। इन विद्रोहों के कारण जागीरदारों को अपनी जागीरों से कम लगान मिलने लगा।

जागीरों की कमी

मुग़ल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पर अब उनके लिए पर्याप्त जागीरें नही थी। इतने सारे अमीरो को वेतन में बड़ी-बड़ी जागीरें देने के लिए राज्य में गांव-शहर कम पड़ने लगे थे। जो थे, उनसे भी लगान कम मिल रही थी।

जागीरो की कमी के कारण जागीरदारों में असंतोष और तनाव बढ़ने लगा। औरंगज़ेब कहता था - "मेरी स्थिति एक ऐसे वैद्य जैसी है, जिसके पास एक अनार है और सौ बीमार व्यक्ति हैं। वह उस एक अनार को किस-किस को दे।"

इस स्थिति से बचने का एक विकल्प था जागीरो के अंदर ही खेती बढ़ाना। आखिर इसी तरह जागीरदारों की आमदनी बढ़ सकती थी। पर जागीरदारों को इस काम में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उनकी जागीर का तबादला होता रहता था।

साम्राज्य फैलाने की कोशिश

औरंगज़ेब के सामने जागीर की कमी से निपटने के लिए एक और विकल्प था। वह था अपने साम्राज्य का विस्तार करना और दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना।

मुग़ल साम्राज्य के पूर्व में अहोम राज्य था। यह आज के असम राज्य में था। 1663 में औरंगज़ेब के एक अमीर - मीर जुमला ने अहोम राजा को हराकर उसके राज्य को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। मगर कुछ ही वर्षों में अहोम राजा मुग़ल सेना को अपने राज्य से भगा पाया और फिर से स्वतंत्र हो गया।

औरंगज़ेब के समय में दक्षिण में दो महत्वपूर्ण राज्य थे - बीजापुर और गोलकुंडा। इन दोनों राज्यों को सन् 1686-7 में औरंगज़ेब ने हराकर मुग़ल साम्राज्य मे मिला लिया। इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य अफ़ग़ानिस्तान से लेकर तमिलनाडू तक फैल गया। इस



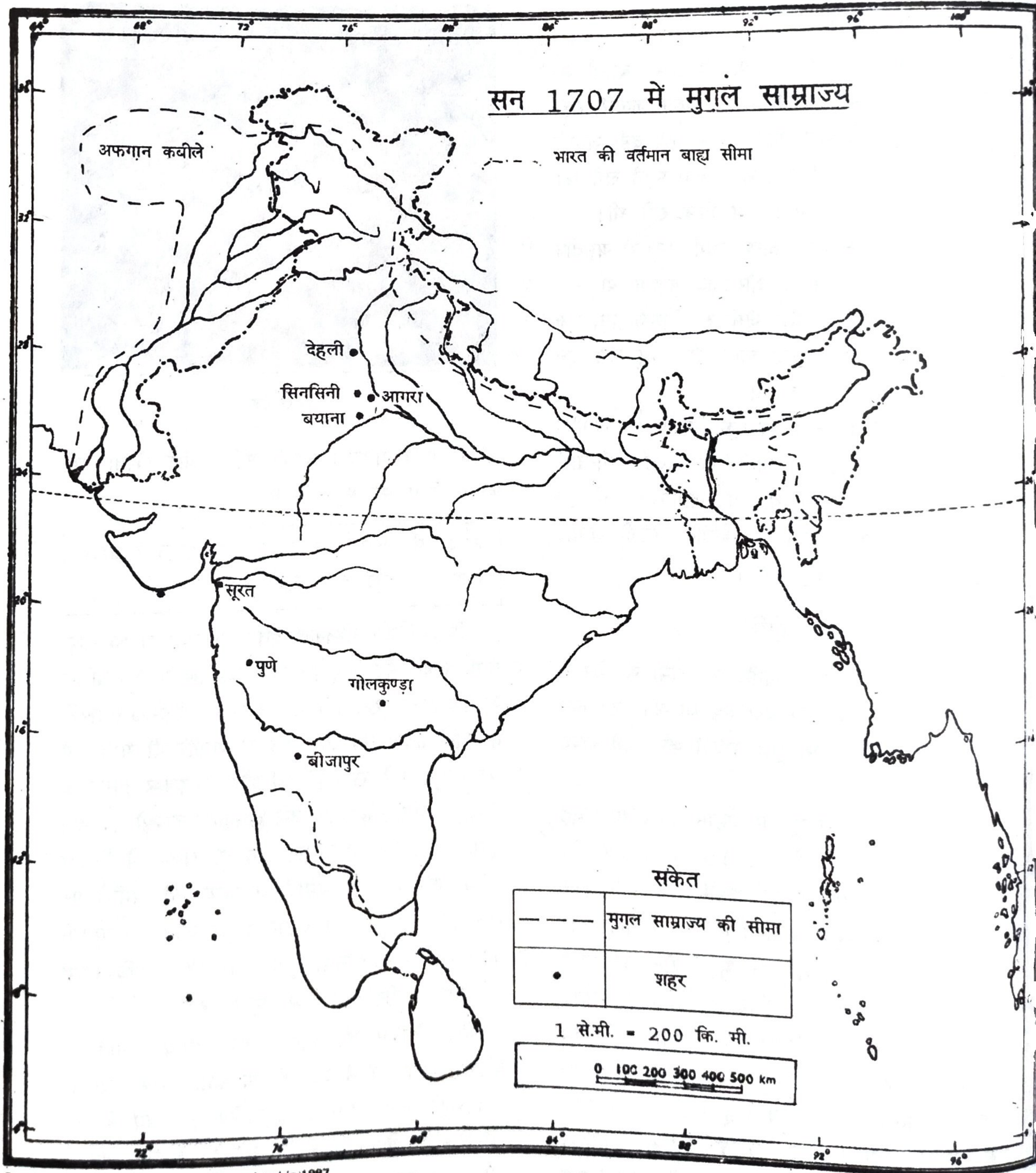
औरंगज़ेब

समय मुग़ल साम्रज्य अपनी शक्ति और विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गया।

नक्शे में देखो, सन् 1707 में मुग़ल साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था?

बीजापुर और गोलकुंडा इतने ताकतवर थे कि सिर्फ सेना के बल पर उन्हें हराया न जा सकता था। दक्षिण के राज्यों को हराने के लिए उन राज्यों के प्रमुख सेनापति व अधिकारियों को ऊंचे पद व जागीरें दी गयी। ये अमीर मुग़लों के साथ हो गये और इस प्रकार औरंगज़ेब बीजापुर और गोलकुंडा जैसे ताकतवर राज्यों को हरा पाया। अब जितना लगान उन दो राज्यों से मिलता उतना ही वहां के अमीरों व अन्य नये अमीरो पर खर्च होने लगा। इस प्रकार राज्य जीत कर मुग़लो को बहुत फायदा नही हुआ और पुराने अधिकारियो के लिए जागीरो की कमी पड़ती रही।

खेती फैलाने की कोशिश और राज्य फैलाने की कोशिश दोनों ही से जागीरो की कमी की समस्या का हल नही निकल पाया। औरंगज़ेब के समय में और उसके बाद भी मुग़ल अमीरो को देने के लिए जागीरो की कमी पड़ती रही।



Based upon Survey of India Outline Map printed in 1987.
The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.
Responsibility for correctness of internal details shown on the map rests with the publisher.

राज्य का विस्तार करके भी जागीर की समस्या हल क्यों नहीं हुई - अपने शब्दों में कहो।

शिवाजी और मराठे

तुमने पढ़ा कि कैसे अफग़ान कबीले, जाट ज़मींदार और अहोम राजा अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे और मुग़लों की हुकूमत को स्वीकार नहीं कर रहे थे। दक्षिण भारत में भी औरंगज़ेब को एक ऐसी ताकत से भिड़ना पड़ा जिसे जीतना आसान न था।

ये थे महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में रहने वाले मराठे लोग। वे अच्छे सैनिक थे और उन्हें बीजापुर, गोलकुंडा व मुग़ल राज्य की सेनाओं में भर्ती किया जाता था।

एक मराठा सेनापति था शाहजी भोंसले। उसका बेटा था शिवाजी। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर - पुणे दे रखी थी। शिवाजी साहसी था और सोचता था कि वह दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करे? खुद का राज्य क्यों नहीं बना ले? मराठों का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र से ही एक सेना इकट्ठी करने लगा।

वह आसपास के ज़मींदारों के किलों पर हमला बोल कर उनके किलों को लूट आता था। धीरे-धीरे उसने कई किलों को अपने कब्ज़े में कर लिया।

इस बीच दक्षिण भारत में मुग़लों का राज्य भी फैल रहा था। शिवाजी को मुग़ल सेना से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने अपनी छोटी-सी सेना के बल पर कई बार मुग़लों की विशाल सेनाओं को हराया।

ऐसी बड़ी सेनाओं से लड़ने का उसके पास एक निराला तरीका था। वह दुश्मन से सीधे न लड़कर उस पर अचानक हमला करके क्षति पहुंचाता और भाग जाता था। उसकी सेना बड़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती थी, जबकि मुग़ल सेना बड़ी लंबी-चौड़ी होने के कारण धीरे-धीरे चलती थी। बार-बार अचानक हमले करके शिवाजी मुग़ल सेना को थका देता और फिर सीधे टक्कर लेकर उन्हें हराता था। इसे छापामार युद्ध कहा जाता है।

मराठा राज्य

शिवाजी महाराष्ट्र में अपना राज्य बनाने में सफल हुआ। पर उसे अपना राज्य बढ़ाने के लिए लगातार

शिकार करता औरंगज़ेब





शिवाजी

आसपास के अन्य राज्यों पर हमला करना पड़ता था। उसे बड़ी ताकतवर सेना रखने की ज़रूरत थी और इसके लिए धन चाहिए था। उसने अपने राज्य के किसानों से लगान वसूल करने की व्यवस्था की। इसके अलावा और अधिक धन की व्यवस्था करने के लिए उसने दूसरे राज्यों के किसानों व व्यापारियों से धन वसूल करने की कोशिश भी की। उसने दूसरे राज्यों के लोगों से यह मांग की कि जितनी लगान वे अपने राजा को हर साल देते हैं, उसका एक चौथाई हिस्सा अलग से शिवाजी को सौंपें। इस लगान को चौथ कहा जाता था। दूसरे राज्यों के कई गांव-शहरों के लोग मराठों को चौथ देने पर मज़बूर थे क्योंकि वे मराठा सैनिकों के हमलों से डरते थे। जो लोग चौथ नही देते थे उन्हें हर साल मराठा सैनिकों के हमलों का सामना करना पड़ता था।

चौथ से मिला धन मराठा सेनापतियों यानी सरदारों के बीच बांट दिया जाता था। ये सरदार ही शिवाजी के राज्य के अलग-अलग हिस्सों पर शासन करते थे।

मराठा सरदारों के हमलों का सामना करते-करते मुग़ल सेना थक गयी। इन्हीं मुकाबलों के दौरान औरंगज़ेब के जीवन का अंत भी हो गया।

मराठों के बारे में छह महत्वपूर्ण वाक्य रेखांकित करो।

चौथ क्या थी, सही विकल्प चुनो-

क. अपने राज्य के किसानों से ली गयी लगान।

ख. दूसरे राज्य के किसानों से ली गयी लगान।

औरंगज़ेब जिन समस्याओं से जूझ रहा था उनकी सूची बनाओ।

मुगल साम्राज्य का संकट और औरंगज़ेब की नीतियां

बादशाह बनने के 10 साल बाद औरंगज़ेब ने एक आदेश दिया कि उन सारे मंदिरों को, जिन्हें हाल ही में बनाया गया हो, तोड़ डाला जाये और केवल पुराने मंदिरों को रहने दिया जाये। उसने उन मंदिरों को भी नष्ट करने का आदेश दिया जहां पर मुसलमान हिंदू धर्म का अध्ययन करने आते थे ताकि वे ऐसा नही कर सकें। इस प्रकार औरंगज़ेब के शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध मंदिर तोड़ डाले गये।

बादशाह बनने के 21 साल बाद सन् 1679 में औरंगज़ेब ने हिंदुओं पर जज़िया कर फिर से लागू किया। किसानों, व्यापारियों और कारीगरों ने इसका कड़ा विरोध किया।

औरंगज़ेब की इन नीतियों से उसके बहुत से अमीर भी खुश नही थे। वे समय-समय पर औरंगज़ेब को समझाने की कोशिश करते थे कि यह नीति साम्राज्य के हित में नहीं है।

उसके दरबार के कई मुसलमान अमीर भी उसकी धार्मिक नीति का समर्थन नहीं करते थे। औरंगज़ेब के सबसे प्रमुख अमीरों में महाबत खान भी था। उसने बादशाह को चिट्ठी लिख कर अपना विरोध प्रकट किया। उसने लिखा था कि औरंगज़ेब की नीतियां न धर्म के लिए अच्छी हैं और न ही साम्राज्य के लिए।

पर औरंगज़ेब अपनी नीतियों पर अटल रहा। उसके

मरने के बाद ही जज़िया फिर से हटाया गया।



मुग़ल दरबार में परंपरावादी मौलवी

औरंगज़ेब की इन नीतियों का क्या कारण हो सकता है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह कट्टर था इसलिए उसने मंदिर तोड़े और जज़िया लगाया। पर अगर ऐसा था तो उसने बादशाह बनते ही ये कदम क्यों नहीं उठाये? अपने शासन के 10-20 साल बाद ही उसे क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उसने हिंदुओं के खिलाफ कुछ कट्टर नीतियां अपनाईं?

इस प्रश्न पर विचार करने से हम समझ पाते हैं कि औरंगज़ेब धीरे-धीरे कई संकटों से घिरता जा रहा था। तुम इन संकटों के बारे में पाठ के शुरू में ही जान चुके हो; जगह-जगह विद्रोह, जागीरों की कमी, अमीरों में असंतोष, मराठों से परेशानी - औरंगज़ेब इन सब समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहा था।

इस संकट की स्थिति में औरंगज़ेब ने कोशिश की कि उसे राज्य के अधिक से अधिक लोगों का समर्थन व सहयोग मिले। उसने मराठों, राजपूतों, मुसलमानों - सभी का साथ पाने की कोशिश की। राज्य में कई लोग - मौलवी, अमीर व अन्य लोग, परंपरावादी मुसलमान थे। राज्य के संकट के समय में उनको अपने साथ करने के लिए औरंगज़ेब ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ कदम उठाना तय किया। उसने जज़िया लगाया व मंदिर तुड़वाए।

पर हिंदू लोगों का समर्थन भी उसे चाहिए था। वह खासतौर से राजपूतों और मराठों को अपने साथ करना चाहता था। उसने बहुत बड़ी संख्या में मराठों को अपने शासन में पद दिये। उसने राजपूत अमीरों को भी खूब तरक्की दी। उन्हें साम्राज्य के महत्वपूर्ण पद दिए। राजा जय सिंह और महाराजा जसवंत सिंह उसके सबसे निकट सलाहकारों में से थे। औरंगज़ेब के शासनकाल में अमीरों में हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती गयी। अकबर के समय में कुल 22 हिंदू अमीर थे और शाहजहां के समय में कुल 98 जबकि औरंगज़ेब के समय में कुल 182 हिंदू अमीर थे जो उसकी धार्मिक नीति के बावजूद उसके साथ रहे।

शायद ऐसे ही राजनैतिक कारणों की वजह से औरंगज़ेब ने कई मंदिरों व मठों को ज़मीन व पैसे दान में दिये। उज्जैन के महाकाल मंदिर और चित्रकूट के राम मंदिरों में ऐसे दान के फरमान आज भी देखे जा सकते हैं।

क्या तुम्हें अकबर और औरंगज़ेब के बीच कुछ समानता नज़र आ रही है? स्पष्ट करो।

जागीरों का संकट और मुग़ल साम्राज्य का टूटना

तुमने पहले पढ़ा था कि मुग़ल शासन से किसान परेशान थे और जगह-जगह विद्रोह करने लगे थे। ज़मींदार भी अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से विद्रोह करने लगे थे। इन विद्रोहों के कारण जागीरदार किसानों से पर्याप्त लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे।

और उनकी आमदनी कम होने लगी थी।

आमदनी कम होते जाने की वजह से जागीरदार कम संख्या में घुड़सवार रखने लगे। जागीरदारों के घुड़सवार कम हो गये तो वे ज़मीदारों के विद्रोह को दबा नही पाये।

ये तो उन जागीरदारों की बात है जिनके पास जागीरें थी। लेकिन बहुत सारे अमीरों को जागीर भी नही मिल रही थी। अमीर बहुत थे और जागीरें कम। तो सारे अमीरों के लिए पर्याप्त जागीरें नही बचीं। बहुत से अमीर इसी कोशिश में लगे रहते थे कि उन्हें किसी तरह जागीर मिल जाये और वे भी ऐसी जगह मिले जहां कोई किसानों और ज़मीदारों के विद्रोह नहीं हैं। अच्छी जागीरें पाने के लिए अमीर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। एक बार अगर जागीर मिल जाये तो जागीरदार कोशिश करते थे कि उस जागीर के किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल किया जाये। उन्होंने बादशाह के लगान के बारे में नियमों व कानूनों का पालन करना छोड़ दिया।

हमने देखा कि सारे अमीरों का दो तीन वर्षों में तबादला हो जाता था। साथ ही उनकी जागीरों का भी तबादला हो जाता था। मगर अब जिनका तबादला होता था उन्हें फिर से जागीर मिलने में बहुत समय लग जाता था। इस कारण अमीर यह कोशिश करने लगे कि उनका तबादला ही न हो और वे एक ही जगह रहें। अगर बादशाह उनका तबादला भी कर दे तो वे दूसरी जगह जाने से मना कर देते थे।

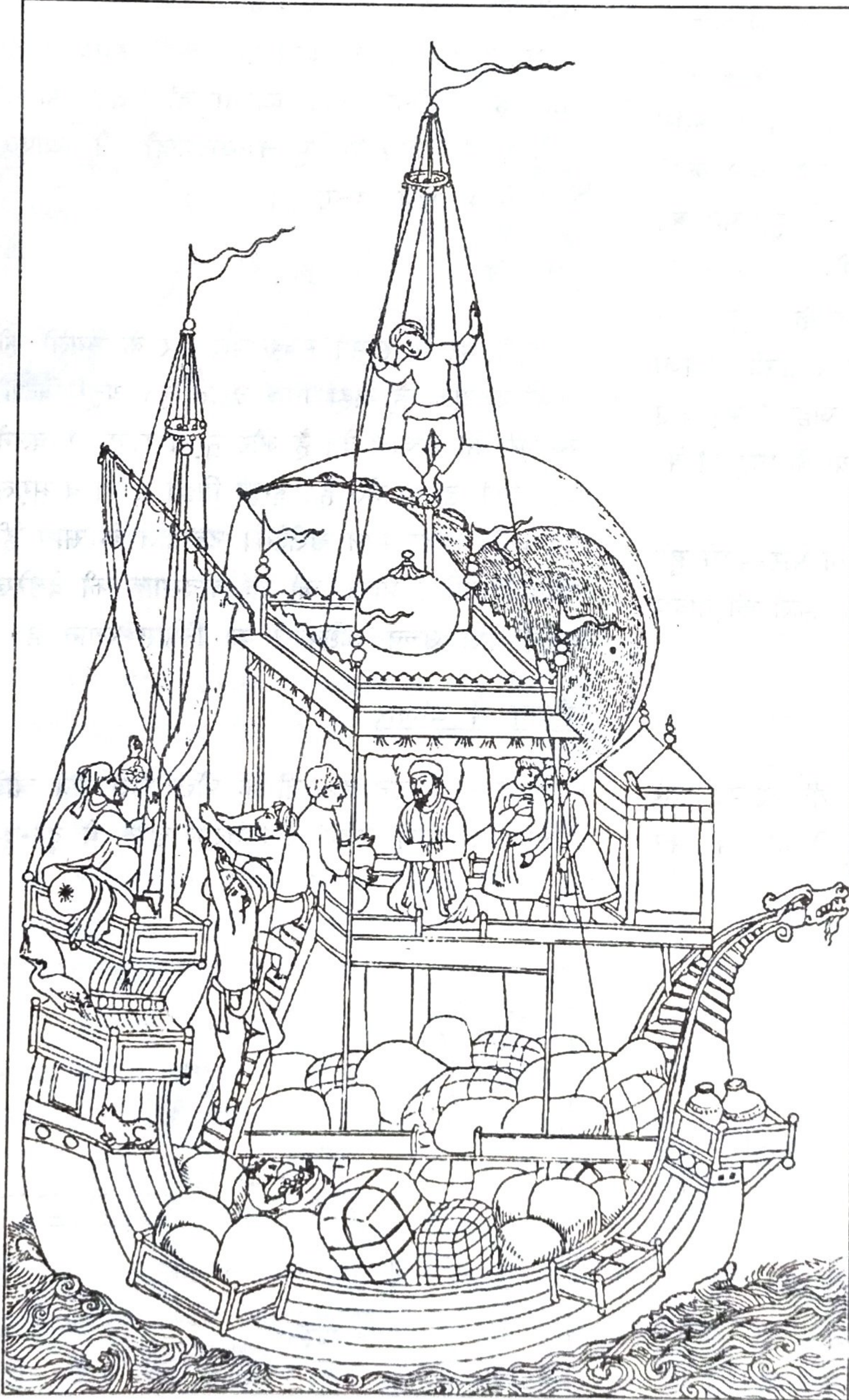
इस तरह धीरे-धीरे अमीर बादशाह के आदेशों की अवहेलना करने लगे। कई सूबेदार अपने-अपने सूबों में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। इस प्रकार बंगाल, अवध, हैदराबाद के सूबेदार स्वतंत्र हो गये।

कई ज़मीदार जिन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने स्वतंत्र राज्य बनाये। मराठों का अलग राज्य बना, राजा राम जाट के वंशजों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब के सिखों ने भी स्वतंत्र राज्य बनाये। ये सब सिर्फ नाम के लिए अपने को मुग़ल बादशाह के अधीन मानते रहे पर वास्तव में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। बस, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में मुग़ल बादशाह का हुकुम चलता रहा। इस तरह विशाल मुग़ल साम्राज्य, जिसपर एक बादशाह की हुकूमत चलती थी, टूट-टूट कर बिखर गया।

अभ्यास के प्रश्न

1. औरंगज़ेब के सामने दो बड़ी समस्याएं थी - किसानों-ज़मीदारों के विद्रोह और जागीर की कमी। इन समस्याओं को कुछ वाक्यों में समझाओ।
2. जागीर की कमी की समस्या दूर करने के लिए औरंगज़ेब ने कौन से उपाय किए? इन उपायों से वह सफल क्यों नही हुआ?
3. शिवाजी की सेना मुग़लों की सेना को किस तरह हरा पाती थी?
4. शिवाजी के राज्य को धन कई तरह से मिलता था -
   1. अपने राज्य के गांव से लगान
   2. ------------------------
   3. ------------------------
5. औरंगज़ेब ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ कदम उठाए और पक्ष में भी - दोनों बातों के दो-दो उदाहरण लिखो।
6. सही गलत बताओ -
   अ. औरंगज़ेब ने हिंदू धर्म के विरोध में जो कदम उठाए, उनका सारे मुसलमानों ने समर्थन किया।
   ब. औरंगज़ेब ने हिंदू धर्म के विरोध मे कदम उठाए, इसके कारण हिंदू अधिकारियों ने औरंगज़ेब का साथ छोड़ दिया।
7. अ. औरंगज़ेब के शासन के आखिरी दिनों में जागीरदार बादशाह के आदेशों का उल्लंघन क्यों और किस तरह से करने लगे थे?
   ब. औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य कई अलग-अलग, स्वतंत्र राज्यों मे किस तरह बंट गया - समझाओ।

5 मुगल काल में विदेशी व्यापार की दुनिया



माल से लदकर आ रहे इस जहाज़ को देखो। जहाज़ के एक तरफ "मुअल्लिम" बैठा है और हाथ में एक गोल उपकरण के साहरे वह तारों की स्थिति देखकर तय कर रहा है कि जहाज़ को अब किस दिशा में जाना है। मज़दूर उसके कहे अनुसार पाल को घुमा रहे हैं। यह जहाज़ पाल का जहाज़ है जो हवा के बल पर चलता है। जहाज़ के ऊपर देखो, एक आदमी खड़े होकर चारों तरफ देख रहा है।

"क्या इस अनन्त सागर में कहीं ज़मीन या द्वीप दिख रहा है? क्या कोई दूसरा जहाज़ नज़र आ रहा है?" जहाज़ के मालिक और व्यापारी दोनों बीच में बैठकर बतिया रहे हैं।

इस जहाज़ में मुख्यतः सूती कपड़े हैं। इन्हें भारत के पूर्वी तट पर स्थित बन्दरगाह मछिलिपटनम से खरीदा गया है। जहाज़ से इन्हें सूरत बन्दरगाह ले जाया जा रहा है। रास्ते में कई छोटे बड़े बन्दरगाह जैसे मद्रास, कोचिन, कालीकट और गोवा पार कर चुके हैं। जहाज़ अब सूरत के निकट पहुंच रहा है।

सूरत में सारा माल उतारा जायेगा। वहां देश विदेश के व्यापारी पहुंचे होंगे। अरब से, ईरान से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, हॉलैंड से और न जाने कहां-कहां से व्यापारी सूरत आ पहुंचते हैं। इन्हें इस जहाज़ से कपड़े दिखाये जायेंगे और बेचे जायेंगे।

सूरत मुग़ल साम्राज्य का सबसे बड़ा और प्रमुख बन्दरगाह है। चलो, इसकी सैर करके देखें।

सूरत बन्दरगाह की सैर

सूरत शहर उस जगह पर बसा है जहां ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। इसे नक्शे में पहचानो।

समुद्र से ताप्ती नदी में प्रवेश करने के बाद जैसे-जैसे हम सूरत की तरफ बढ़े तो किनारे पर बीच-बीच में मछुआरों के गांव पड़े। फिर आया वह गांव जहां मुग़ल राज्य के अमीरों के जहाज़ों के ठहरने का स्थान बना है। यही सारी बरसात ये जहाज़ इन्तज़ार करते ठहरे रहते हैं कि मौसम साफ हो तो समुद्र पार की यात्रा शुरू करें। नदी पर और आगे सूरत के सबसे धनवान व्यापारी मुल्ला अब्दुल ग़फ़ूर के जहाज़ों का डेरा है। और उसके बाद आता है फ्रांसीसी जहाज़ों का डेरा, फिर तुर्की व्यापारियों के जहाज़ों का डेरा और फिर जाकर हॉलैंड के व्यापारियों के जहाज़ों का डेरा।

नदी के किनारे बने इन डेरों को पार करते हुए हम सूरत शहर पहुंच गए हैं जिसके किले की दीवार नदी के किनारे-किनारे बनी है।

चुंगी

किला पार करते हुए हम शाही चुंगी घर पर उतरे - जहां व्यापारी अपने माल पर चुंगी नाम का कर चुकाते हैं। जो भी माल यहां बिकने आता है उस पर 2.5% से 5% तक टैक्स (चुंगी कर) लगता है। मान लो कोई कपड़े का लट्ठा एक सौ रुपये का है। उस पर व्यापारी लगभग ढाई रुपये से पांच रुपये चुंगी कर सरकार को देता है।

मुग़ल बादशाह को यहां से अच्छी आमदनी हो जाती है। जितना अधिक व्यापार हो उतनी अधिक चुंगी इकट्ठी होगी सो मुग़ल बादशाहों की व्यापार बढ़ोत्तरी में रुचि ज़रूर है।

टकसाल

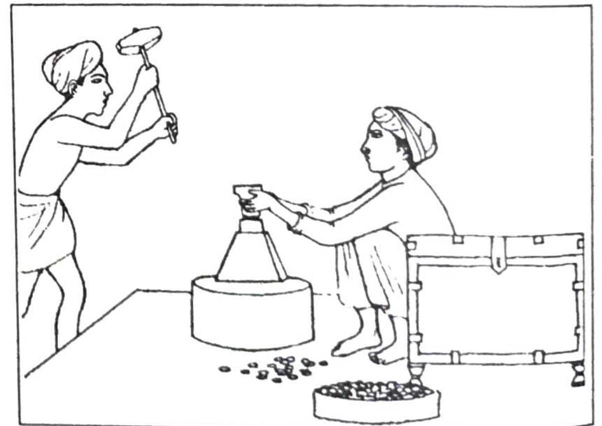
चुंगी घर के सामने सड़क पार कर के मुग़लों की शाही टकसाल है जहां सिक्के ढलते हैं। यहां विदेशी व्यापारी सोना-चांदी देते हैं और मुग़ल राज्य में चलने वाले सिक्के ढलवा लेते हैं। इन्हीं सिक्कों से तो वे मुग़ल राज्य के अन्दर माल खरीदेंगे। टकसाल के साथ ही लगा है दरिया महल, जो कि बन्दरगाह की देखरेख करने वाले उच्च अधिकारी का निवास स्थान है।

मैदान में बाज़ार

अब चलो, इन इमारतों के पीछे फैले लंबे चौड़े मैदान पर पहुंचे। यहां एक तरफ छांव में दूर-दूर



टकसाल में सिक्के बन रहे हैं





सूरत के मैदान में बाज़ार लगा है

से काफिलों में आये बैलगाड़ी, बैल, ऊंट और घोड़े खड़े हैं। व्यापारी गाड़ियों से कपड़ों के थान और नील व शक्कर के बोरों को मज़दूरों से उतरवाकर मैदान में अपने अपने तंबुओं में रखवा रहे हैं। दिन के चढ़ते-चढ़ते खरीद फरोख़्त भी तेज़ होती जा रही है। चारों तरफ दलालों की दौड़ लगी है। बाहर से माल खरीदने आये व्यापारी दलालों की मदद से ही माल खरीदते हैं। आखिर दलाल ही तो जानते हैं, माल कहां और कितने के भाव में मिल रहा है। हर चीज़ के अलग दलाल हैं - कोई कपड़ों की दलाली करता है, कोई शक्कर की, तो कोई नील की दलाली करता है। वे उस खास चीज़ के हर खरीददार और बेचने वाले को पहचानते हैं। इस बाज़ार में इन दलालों का बहुत बोलबाला है।

उधर देखो, शाही चुंगी घर के अधिकारी मैदान के दौरे पर निकले हैं। हर तंबू में माल की जांच करते हुये उस पर अपनी मुहर लगाते जाते हैं ताकि लोग पहचानें कि माल पर कर चुकाया गया है।

देर से पहुंचा काफिला

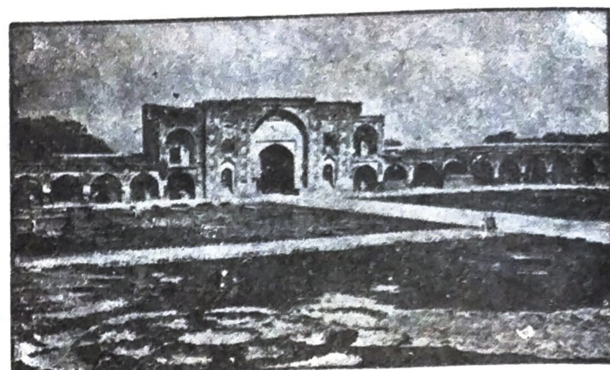
सूरत का एक गुजराती व्यापारी काफिले के पास खड़ा अपने आदमी को फटकार रहा है। आदमी बयाना से नील खरीद कर उसे बैलगाड़ियों के काफिले पर लदवा कर लाया है। सूरत पहुंचने में उसे 20 दिन की देरी हो गई थी और बेचारा बहुत थका हुआ, परेशान सा पहुंचा है कि मालिक की फटकार सुननी पड़ रही है।

आदमी समझाता है, "बैलगाड़ियां मिलने में देर हुई, मालिक! मैं आगरे में चौधरी उदयराम की गद्दी के सामने दस दिन तक चक्कर लगाता रहा। उनकी सारी बैलगाड़ियां बाहर गई हुई थी। फिर लखनऊ से 20 गाड़ियों का काफिला लौटा। तब उदयराम ने मुझे गाड़ियां किराए पर दीं।"

"बस बस! बहुत सुन ली तुम्हारी राम कहानी।" मालिक भुनभुनाया। उसके माल को आने में देरी हो गई थी सो दूसरों का माल पहले ही बिक चुका था

और वो भी ऊंचे दामों में। अब उसे दाम ऊंचे नही मिल पाएंगे वह जान गया था। "अरे, तुमने डाक से खबर क्यो नही भेजी? कासीदों की कोठी उदयराम के घर के बगल में ही है। ज़रूरी हरकारा (चिट्ठी) भेजते तो बीस दिन में आगरा से यहां आ जाता। पैसे ज़्यादा लगते तो क्या, मुझे मालूम रहता न कि माल आ रहा है। मै यहां सौदा तय करके रखता।"

(कासीदे उस समय के डाकिये थे जो दौड़कर जगह जगह चिट्ठी पहुंचाते थे।)



एक सराय

आगरा से सूरत का सफर

चलो, उधर डच व्यापारियों के तंबू की तरफ चलें। ये लोग आगरा से लंबा रास्ता तय करके सूरत आ पहुंचे हैं। ग्वालियर, सिरोंज, उज्जैन, बुरहानपुर से होते हुए सूरत पहुंचे हैं। तंबू के अन्दर यात्रा के किस्से सुनाए जा रहे हैं, कि कैसे दिन भर की धूल और हवा में सफर करते हुए रात को किसी शहर की सराय में शरण मिलती थी - और कभी-कभी सराय पूरी भरी मिली तो आम के बगीचे में ही रात काटनी पड़ी, कैसे अब रास्ते में पड़ने वाले नालों पर मुग़ल अधिकारियों ने अच्छे पक्के पुल बना दिए हैं तो सफर आसान हो गया है, कैसे रास्ते भर डाकुओं का भय बना रहा और इस डर से दो बार रास्ता बदल कर सफर में वे आगे बढ़े और इस कारण सूरत पहुंचने में कुछ दिनो की देरी हो गई।

इधर चुंगी, उधर कर

इतने में हमें कुहनी मारते हुए दो पारसी व्यापारी बातों में मशगूल, पर फुर्ती से चलते हुए निकले। एक अपनी उंगली पर गिनागिना कर कह रहा था, "हर शहर से निकलते समय चुंगी दो, सड़कों के लिए कर दो, सरायों और पुलों के लिए कर दो, गाड़ी में जुते ऊंट, बैल और अपने घोड़े रास्ते में घास चरते हैं तो चराई कर दो, पर जनाब अभी छुटकारा कहां मिला है - अभी नावों के लिए कर देंगे, बन्दरगाह के इस्तेमाल का कर देंगे, माल बेचने का कर देंगे।

यह सब कर मुग़लों के राज्य को चुकाये और समुद्र पर पहुंच जायेंगे तो पुर्तगालियों का राज्य शुरू हो जायेगा। उनसे व्यापगर के 'पास' नहीं खरीदेंगे तो हमारे जहाज़ लूट लिये जायेंगे। इसीलिए चुपचाप पुर्तगालियों को रकम अदा करनी ही पड़ती है। इसको दो, उसको दो, बड़ा ताज्जुब है कि हम लोगों के पास भी कुछ बच जाता।" वे ठहाका लगा कर आगे बढ़ जाते हैं - तो ज़ाहिर है उनके पास काफी कुछ बचता होगा। हमारा ध्यान उनका पीछा करने से हटकर उस ओर जाता है जहां कुछ भगदड़ सी मची हुई है।

मजदूरों के लिए भगदड़

अरे, अरे - मज़दूरों को लेकर दो व्यापारी भिड़ पड़े हैं। "इनसे मैंने तय किया है।" "नही, इनसे मैंने तय किया है।" हां भई - बरसात खत्म हो गई है। नवंबर का महीना है - जहाज़ अब जल्दी भर-भरा कर समुद्र पर होना चाहिए सो मज़दूरों के लिए भगदड़ मची है।

अब्दुल गफूर की धाक

मज़दूरों की ही बात को लेकर सूरत शहर के काज़ी बहुत परेशान हैं। चलो, पता करें क्या बात है।

हमने पूछा तो पता चला कि मल्लाहों का सरदार फकीर मुहम्मद अपनी बिरादरी के 40 लोगों को ले कर सूरत के सबसे बड़े व्यापारी अब्दुल गफूर के पास काम मांगने गया था। अब्दुल गफूर का जहाज़ लाल सागर को सफर करने को तैयार हो रहा था। मल्लाहों की ज़रूरत उसे थी ही। उसने फकीर मुहम्मद और उसके आदमियों को नौकरी पर रख लिया। नौकरी की शर्तें थीं कि सरदार को महीने के 10 रु. मिलेंगे और 2 मन चावल, 8 सेर घी, 1 मन दाल मिलेगी। बाकी मल्लाहों को 5 रु. महीने, 1 मन चावल, आधा मन दाल व 4 सेर घी मिलेगा। और 2 साल तक वे सब अब्दुल गफूर के जहाज़ पर काम करेंगे।

पर इन शर्तों से हट कर एक शर्त और थी जिसे सुन कर काज़ी चौंके थे। अब्दुल गफूर ने मल्लाहों के सामने शर्त रखी थी कि समुद्र पर वे उसके जहाज़ की रक्षा करेंगे और अगर डाकुओं ने जहाज़ लूट लिया और वे न बचा पाए तो सूरत में उनका घर, सामान, परिवार सब अब्दुल गफूर के हवाले हो जाएगा। मल्लाह ये शर्त भी मान गए थे।

इस समझौते को शहर के काज़ी के पास दर्ज़ कराना था। (न्यायाधीश को उन दिनों काज़ी कहा जाता था।) जब काज़ी साहब ने आखरी शर्त पढ़ी तो वे चौंक गये। मल्लाहों से उन्होंने कहा, "अरे, यह क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लोग! तुम जहाज़ नहीं बचा पाये तो तुम्हारे बीबी बच्चे अब्दुल गफूर के गुलाम हो जायेंगे।" फकीर मुहम्मद बोला, "साहब हम ग़रीब और लाचार हैं। क्या कर सकते हैं!" काज़ी साहब बोले, "ग़रीबी है तो क्या बेवकूफी करोगे?" उन्होंने ऐसा अन्याय भरा समझौता दर्ज़ करने से मना कर दिया। पर अन्त में वही हुआ जो अब्दुल गफूर ने चाहा - अगले दिन मल्लाहों ने उन्हीं शर्तों पर अब्दुल गफूर का जहाज़ जाकर संभाल लिया।

तो इस तरह दुख, दर्द, गुस्से और ठहाके के सिलसिले के बीच व्यापार का काम चलता रहता है। आखिरकार सब तैयारियां हो जाती हैं और जहाज समुद्र को निकल पड़ते हैं।

मुग़लों के समय में परिवहन, डाक यात्रा, कर वसूली के अनुभव तुमने पढ़े।

ये आज के व्यापारियों के अनुभवों से कैसे मिलते-जुलते हैं - इस पर चर्चा करो।

काज़ी को समझौते की कौन सी बात अन्यायपूर्ण लगी और क्यों?

हवा की दिशा और समुद्री यात्रा

ये थे नज़ारे सूरत शहर के। यहां तुमने देश विदेश के व्यापारियों को आते देखा। यहां पर यूरोप, अरब, ईरान, चीन, इंडोनेशिया और भारत के दूसरे भागों से व्यापारी आते थे। ये लोग जहाज़ों से सागरों को पार करते हुये आते थे।

उन दिनों पाल के जहाज़ होते थे जो समुद्र पर हवाओं के सहारे चलते थे। समुद्र पर हवा निश्चित दिशाओं में बहती है - कभी हवा पूरब से पश्चिम की ओर चलती और कभी पश्चिम से पूरब की ओर। जब हवा पूरब से पश्चिम की ओर चलती तब जहाज़ केवल पश्चिम दिशा में चल सकते थे।

गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल से सितंबर तक हवा दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर से भारत की ओर चलती है। उन महीनों में यूरोप से जहाज़ अफ्रीका का चक्कर लगाते हुये भारत आते थे। उन्ही महीनो में अरब व्यापरियों के जहाज़ लाल सागर से भारत

के पश्चिमी तट पहुंचते थे। गर्मी के महीनों में जहाज़ भारत के पूर्वी तट से इंडोनेशिया की ओर चलते थे।

इंडोनेशिया में व्यापारी भारत में खरीदे सूती कपड़े बेचकर लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची जैसे मसाले खरीदते थे। ठंड के मौसम में यानि अक्टूबर नवंबर में हवा का रुख बदलता। अब हवा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती। इन हवाओं के सहारे पाल के जहाज़ भारत आ पहुंचते। ठंड के ही मौसम में यूरोप को रवाना होते थे और अरब जहाज़ लाल सागर की ओर चल पड़ते।

यूरोप से व्यापार

पुर्तगाल देश का नाविक वास्को ड गामा सबसे पहले सन् 1492 में यूरोप से अफ्रीका का चक्कर लगाते हुये भारत पहुंचा। इसके बाद एक-एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। वे यूरोप और अफ्रीका से सोना-चांदी लाते और भारत में उसके बदले में रेशमी और सूती कपड़े खरीदकर इंडोनेशिया ले जाते। वहां इन कपड़ों के बदले में मसाले खरीदकर यूरोप ले जाते। यूरोप में इन मसालों की खूब मांग थी। व्यापारियों को इसमें 20-30 गुना मुनाफा होता था। धीरे-धीरे यूरोप में भारत के कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। सो भारत से कपड़ों की खरीदी भी बढ़ने लगी।

हिन्द महासागर पर पुर्तगालियों का राज्य बना

हिन्द महासागर, जिस पर से व्यापार होता था, पर कई लोगों की निगाहें थीं।

मानचित्र में देखो कि हिन्द महासागर के पास के महाद्वीपों में किन चीज़ों का व्यापार होता था। सागर में जहाज़ों के चलने के रास्ते किन बन्दरगाहों से होते हुए निकलते थे।

इन्हीं रास्तों पर वे जहाज़ चलते थे जिनसे माला-माल हुआ जा सकता था। इन बन्दरगाहों और रास्तों पर अगर किसी का कब्ज़ा हो जाये तो पूरा व्यापार उनके हाथ में आ सकता था।

यूरोप के कई देश - फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, पुर्तगाल आदि - हिन्द महासागर के व्यापार पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश में रहे। पर सन् 1492 से सन् 1600 के बीच पुर्तगाल देश के व्यापारियों ने यह कर दिखाया।

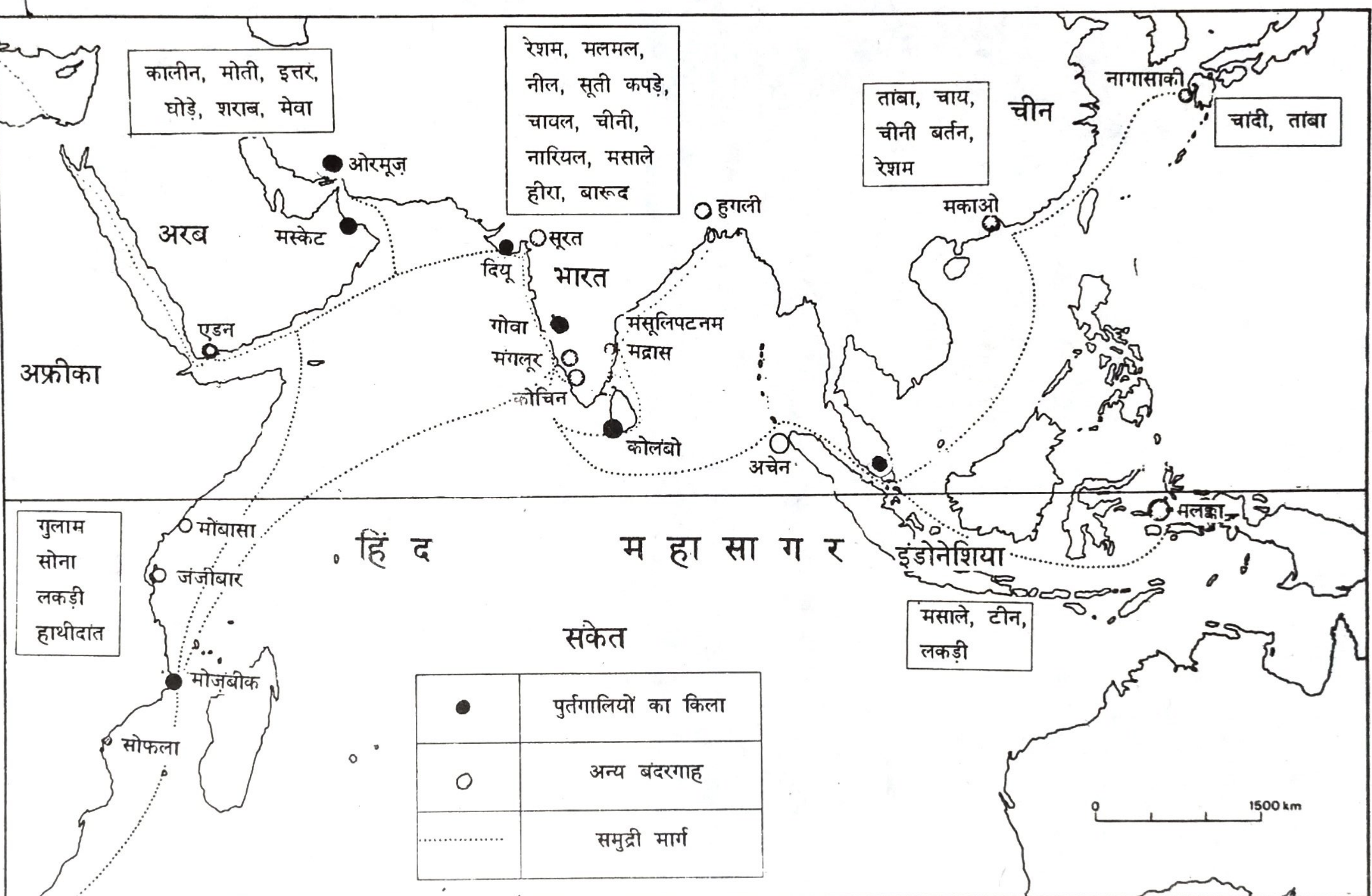
नक्शे में देखो, पुर्तगालियों ने हिंन्द महासागर को घेरने वाले पूरे समुद्र तट पर जगह-जगह कब्ज़ा कर के अपने किले बना लिए थे। ये किले जहाज़ चलने के सारे रास्तों पर निगरानी रख पाते थे।

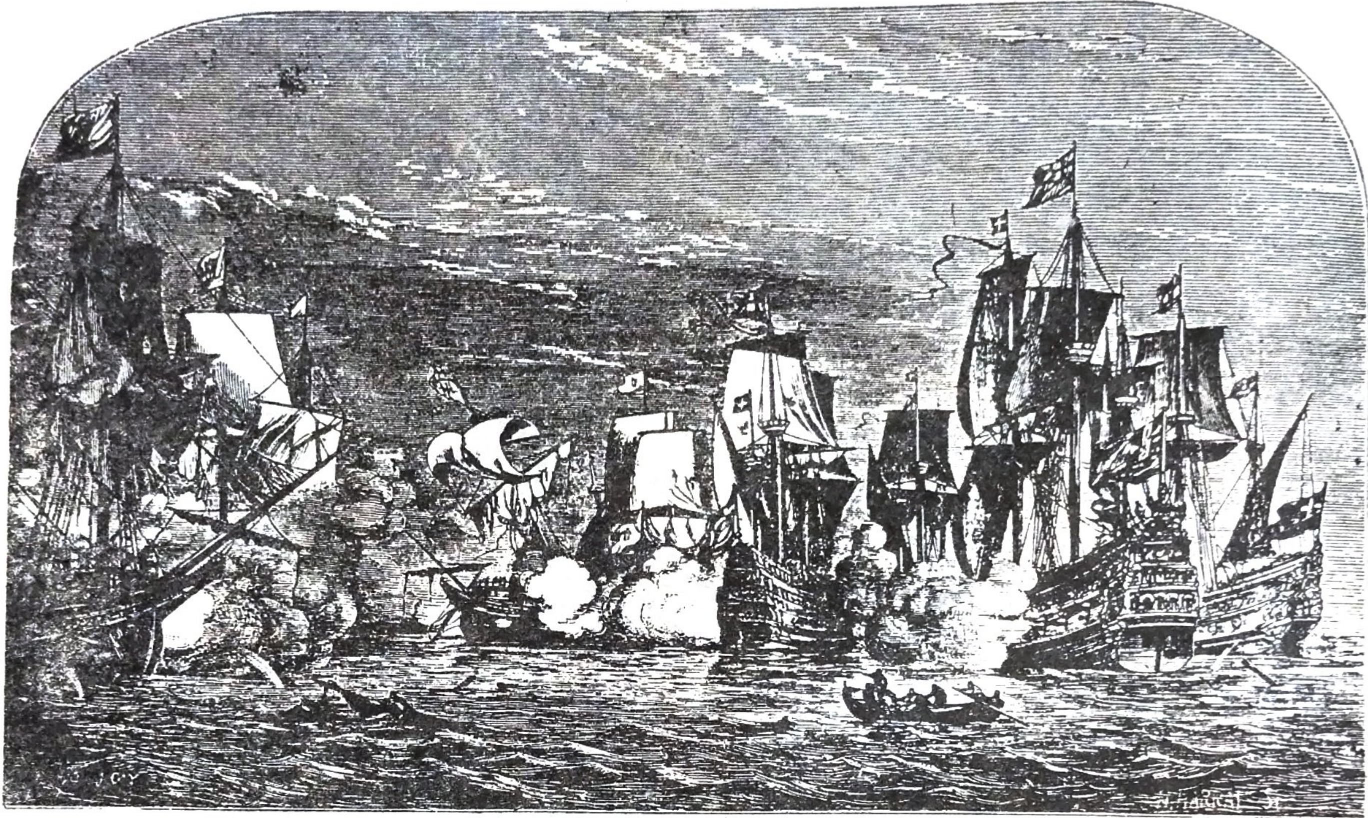
इस तरह पुर्तगालियों ने हिन्द महासागर पर अपना राज्य बनाया। पानी पर राज्य? हां। हुकुम था कि इस सागर पर सिर्फ पुर्तगाली जहाज़ व्यापार करेंगे। उनकी इज़ाज़त बग़ैर दूसरा कोई व्यापारी अपना जहाज़ इस सागर से नही ले जाएगा। पुर्तगालियों की इज़ाज़त मोटी रकम दे कर पास के रूप में खरीदनी पड़ती थी।

क्या किसी की हिम्मत थी टक्कर लेने की? तो सेना सिर्फ ज़मीन पर पैदल या हाथी घोड़े पर चलने वाली नहीं होती। सेना समुद्र पर भी होती है - जहाज़ों पर तैनात रहती है। जिन पर बन्दूकें और तोपें जमी होती हैं।

पुर्तगालियों से टक्कर लेने वाले अरब, गुजराती व अन्य व्यापारियों के जहाज़ कितनी ही बार उनकी नौ सेना (नाव पर सैना) द्वारा लूटे गए और गोलाबारी से डूबे। जिन बन्दरगाहों पर दूसरे व्यापारियो का माल उतरता-चढ़ता था उन बन्दरगाहों को पुर्तगालियों की नौ सेना ने तबाह किया। उनके मुकाबले की नौ सेना किसी की न थी। हिन्दुस्तान के तो किसी भी राजा ने नौ सेना तैयार करने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं

हिंद महासागर में व्यापार





सन 1612 में सूरत के पास में पुर्तगाली व अंग्रेज़ी जहाज़ों के बीच लड़ाई

दिया था। मुग़ल बादशाहों ने भी नहीं। इसलिए पुर्तगालियों से परेशान होकर भी कोई उन्हें खदेड़ न सका।

इंडोनेशिया पर डच लोगों का राज्य

कुछ वर्षों बाद हॉलैंड देश के लोग - जो डच कहलाते थे - ने पुर्तगालियों को भी मात कर दिया। उन्होंने पुर्तगालियों को हरा कर इंडोनेशिया पर अपना राज्य बना डाला और इस तरह वहां उगने वाले मसालों पर उनका एकछत्र अधिकार बन गया।

भारत में यूरोप के व्यापारियों की होड़

भारत में दूसरे यूरोपीय देश के व्यापारी पुर्तगाली लोगो के हाथ से व्यापार छीनने की कोशिश करते रहे। समय के साथ पुर्तगाली नौ सेना और किलों की ताकत अंग्रेज़, डच और फ्रांसीसी लोगों के मुकाबले के कारण कमज़ोर पड़ गई। उसके बाद भारत में यूरोप के यह सभी लोग व्यापार हथियाने की होड़ में लगे रहे। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका।

यूरोप के सभी देशों के व्यापारी हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते थे कि वे भारत में कम से कम कीमत दे कर सामान खरीद सकें। फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेच कर खूब मुनाफा कमा सकें। उन्होंने पाया कि सूरत, मसूलीपटनम जैसे बड़े बन्दरगाहो पर जो सामान व्यापारियो द्वारा बिकने लाया जाता है वह महंगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारी अन्दर गांव-गांव में अपना आदमी या एजेन्ट

भेज कर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले।

पर गांव-गांव से माल लाने में उनके आदमी को कई तरह के कर चुकाने पड़ते थे। यूरोप के व्यापारियों को ये कर बहुत अखरते। इन्हें चुकाने में बहुत पैसे खर्च हो जाते थे और माल की कीमत बढ़ जाती थी। यह बात गुरुजी से समझो।

इन व्यापारियों ने व्यापार का अधिक से अधिक लाभ उठाने का एक तरीका अपनाया। वे बादशाहों व राजाओं के पास अपने-अपने दूत भेजते और भारत में खुल कर व्यापार करने की इज़ाज़त मांगते। व्यापारियों के दूत कुछ करों को न देने की छूट मांगने लगे। इसके बदले में वे बादशाहों व राजाओं को बहुमूल्य भेंट पेश किया करते थे। बहुत बार उन्हें करों की छूट मिल जाया करती थी। राजाओं के मन में यह आशा रहती थी कि करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा, और राज्य खूब फलेगा-फूलेगा। इससे और अधिक कर मिलेगा।

करों में बढ़ोतरी की उम्मीद के अलावा हिन्दुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से एक धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौ सेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौ सेनाएं ही कर सकती थी और हिन्दुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। अंग्रेज़, फ्रांसीसी व डच कहते, "व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिन्दुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारण्टी देंगे। नही तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा।"

यूरोपीय देशों द्वारा व्यापार के लाभ पर कब्ज़ा करने से संबंधित पांच महत्वपूर्ण वाक्य रेखांकित करो।

इस स्थिति का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिन्दुस्तान में व्यापार का खूब लाभ लूटा। उन्हें कई कर न देने की छूट मिली, ज़मीन खरीद कर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बन्दरगाह बनाए और अपने-अपने किले भी बनाए। इन व्यापारियों ने आगे जाकर किस तरह भारत में अपना राज्य बना लिया, यह तुम अगले पाठ में पढ़ोगे।

o o o

अभ्यास के प्रश्न

1. यूरोप के व्यापारी इंडोनेशिया जाकर मसाले खरीदने से पहले अफ्रीका और भारत के बन्दरगाहों पर क्यो रुकते थे?
2. मुग़लों के समय में व्यापारी अगर माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहे तो उसकी क्या व्यवस्था थी?
3. मुग़ल काल में डाक से खबर पहुंचाने की क्या व्यवस्था थी?
4. जहाज़ चलाने का काम कौन लोग करते थे? उन्हें इस काम के बदले में क्या मिलता था?
5. पुर्तगालियों ने हिन्द महासागर पर अपना राज्य किस तरह बनाया? इसका उन्होंने क्या फायदा उठाया?
6. पुर्तगालियों को भारत के राजा हरा कर भगा क्यों नहीं पाए?
7. भारत के राजाओं ने यूरोपीय देश के व्यापारियों को किस तरह की सहायता दी? उन्होंने यूरोपीय व्यापारियों को सहायता क्यों दी?

6 भारत में अंग्रेज़ों का राज्य बना

तुमने यह अक्सर सुना होगा कि अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने आए थे और राज्य करने लगे।

आओ समझें कि यह कैसे हुआ।

> *तुम पिछले पाठों के अनुसार बताओ कि -*
> *भारत में किन यूरोपीय देशों के व्यापारी आते थे?*
> *वे व्यापार का मुनाफा बढ़ाने के लिए क्या कोशिशें करते थे?*
> *मुग़ल साम्राज्य के कमज़ोर पड़ने के बाद भारत में कौन-कौन से राज्य बने?*

सशस्त्र व्यापारी

भारत में व्यापार करने के लिए यूरोप के व्यापारियों ने अपनी अपनी कंपनियां बनाईं थी। अंग्रेज़ व्यापारियों की 'इंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी' थी और फ्रांस के व्यापारियों की 'फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी' थी। इंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापार पर कब्ज़ा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रहीं। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने देश - इंग्लैंड व फ्रांस - से सैनिक बुलवाने लगीं। इंग्लैंड और फ्रांस देश के राजा अपनी अपनी कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे।

भारत में ज़मीन लेकर इन कंपनियों ने अपने अपने किले भी बनाए और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े।

अस्त्र-शस्त्र, सैनिक बल और किलेबंदी के सहारे होने वाला यह व्यापार कोई साधारण व्यापार नही रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे

अंग्रेज़ सेना का एक अफसर भारत पधारते हुए



देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं।

> *क्या तुम समझा सकते हो कि उन्हें इसमें क्या ख़तरा नज़र आया?*

राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे। पर वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बनने दे सकते थे। उन्होंने कंपनियों की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की।

उदाहरण के लिए, 1764 में कर्नाटक के नवाब अन्वरुद्दीन खान ने फ्रेंच कंपनी के खिलाफ अपनी सेना भेजी। पर, कर्नाटक के नवाब की बड़ी सेना को फ्रेंच कंपनी की छोटी सी सेना ने पूरी तरह हरा दिया।

इस हार ने सब को आश्चर्य में डाल दिया। यह सबके सामने साबित हो गया कि छोटी सी यूरोपीय सेना अपने से बड़ी भारतीय सेना से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। इससे यूरोपीय व्यापारियों का दुःसाहस बढ़ने लगा। वे सोचने लगे कि हम अपनी सेना के बल पर भारत में मनचाहा करवा सकते हैं।

पर, यूरोपीय सेना इतनी शक्तिशाली क्यों साबित हुई?

यूरोपीय सेना की खासियत

यूरोपीय सेना के पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थी। पर, ज़्यादा महत्व की बात यह है कि यूरोपीय सैनिकों को नियमित रूप से अभ्यास कराया जाता था और बहुत अनुशासन में रखा जाता था।


अंग्रेज़ सेना के भारतीय सिपाही अभ्यास करते हुए

यूरोपीय सेना में रोज़ परेड और ड्रिल होती थी। इस तरह के अभ्यास से कंपनी की सेना में भर्ती किए गए भारतीय सिपाही भी लड़ाई में बहुत कुशल हो जाते थे जबकि भारतीय सेनाओं में रोज़ परेड और ड्रिल का नियम नहीं था। दोनों सेनाओं में एक महत्वपूर्ण फर्क यह भी था कि भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों को ज़्यादा नियमित रूप से वेतन मिल जाता था।

इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा।

> *यहां यूरोपीय फौज की दो विशेषताएं बताई हैं। कक्षा में चर्चा करो कि इनके कारण यूरोपीय फौज युद्ध में ज़्यादा सफल क्यों रह पाती होगी?*

भारत के राज्य और अंग्रेज़ कंपनी की सेना

एक तरफ फ्रेंच कंपनी से होड़ में अंग्रेज़ कंपनी जीतने लगी थी। दूसरी तरफ भारत के राज्यों में भी उसका और उसकी सेना का बड़ा दबदबा था। इस सबका फायदा व्यापार में मुनाफा बढ़ाने के लिए किया जाने लगा। वह कैसे, आओ देखें।

भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। कंपनी इन झगड़ो में अपनी टांग अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी।

राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले

में कंपनी उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगी।

राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट में देते। यह धन कंपनी के व्यापार के काम आता।

कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक इलाका भेंट में ले लेती। उस इलाके के गांव शहरों से कंपनी लगान वसूल करती और लगान से मिले धन से व्यापार करती। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी।

कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे।



कंपनी द्वारा राज्य के काम में दखल

कंपनी राज्यों में जो माल खरीदती थी उस पर उसे कई कर न देने की छूट मिली हुई थी। पर, कंपनी को मिली इस छूट का फायदा और बहुत लोग उठा रहे थे। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, उसके कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से मालामाल होके भारत से लौटते थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बता कर कर देने से बच जाते थे।

कंपनी की आड़ में राज्यों में लूट-खसोट, धोखा-धड़ी मची हुई थी। कंपनी को अपनी सैनिक ताकत का घमंड था इसलिए वह उद्दंडता से काम कर रही थी। कंपनी कारीगरों से ज़ोर ज़बरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती। जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे उनके किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती रहती। जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज़ उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटा कर वे ऐसे किसी व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए।

इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं के राज्य में क्या-क्या फायदे उठाने की कोशिश करती थी?

अंग्रेज़ों का राज्य बना

समय के साथ अंग्रेजों को लगने लगा कि वे व्यापार के फायदे के लिए भारत का खुल कर इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब वे खुद उस पर राज्य करें।

भारत अंग्रेज़ो के व्यापार के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि वे उस पर राज्य बनाने की सोचने लगे?

सबसे पहले अंग्रेज़ भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेच कर मालामाल होते थे। फिर जब इंग्लैंड में कपड़े के कारखाने लग गए तो वे वहां का बना कपड़ा और दूसरा सामान भी भारत में बेचने लगे। भारत से वे कपास खरीद कर अपने देश के कारखानों को बेचते। वे भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवा कर उन्हें दूर दूर बेचते - जैसे - नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कॉफी। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाईनें और सड़कें बिछाने की कोशिश भी शुरू की। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें खोलना चाहते थे व जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे।

यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई।

इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज़ भारत के राजाओं व नवाबों को हटा कर खुद शासन चलाने लगे।

सन् 1757 में अंग्रेज़ों ने पलासी नाम की जगह पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा कर बंगाल पर अधिकार जमाया। पलासी का युद्ध भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है।. फिर धीरे-धीरे अंग्रेज़ भारत के सब छोटे बड़े राज्यों पर कब्ज़ा करने लगे।



राबर्ट क्लाइव मुग़ल बादशाह से बंगाल की लगान लेने का अधिकार पा रहा है

कई राजाओं और नवाबों ने अंग्रेज़ों की चालों को समझा और बहुत तैयारियां कर के अंग्रज़ों का कड़ा मुकाबला किया। ऐसे राजा थे मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान, मराठा सरदार महादजी सिंधिया, नाना फडनविस आदि। मगर इनके राज्य छोटे थे और वे एक-एक कर के अंग्रेज़ों से हार गए।

टीपू सुल्तान



अंग्रेज़ी सफलता के पीछे रॉबर्ट क्लाईव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेसली जैसे सेनापतियों का महत्वपूर्ण योगदान था।



वॉरेन हेस्टिंग्स

धीरे-धीरे भारत के अनेकों इलाकों पर अंग्रेज़ों का सीधा शासन स्थापित हो गया। कई जगहों पर पुराने राजाओं व नवाबों का शासन बना रहा पर ये राजा व नवाब अंग्रज़ों के अधीन हो गए। उनके दरबार में एक अंग्रेज़ अधिकारी (जिसे रेसीडेन्ट कहते थे) रहने लगा ताकि राज्य के काम काज पर अंग्रेज़ सरकार की निगरानी बनी रहे।

उदयपुर के राजा के दरबार में अंग्रेज़ रेसीडेन्ट



नक्शे में देखो सन् 1857 तक आते आते अंग्रेज़ों की हुकूमत कहां तक फैली थी?
उन राज्यों की सूची बनाओ जहां भारतीय राजा बने रहे।
व्यापार करते करते इंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज्य बनाने की क्यों सोचने लगी?
अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत की क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं?

अंग्रेज़ी राज्य से असंतोष

अंग्रेज़ों को अपना शासन जमाने के लिए बहुत लड़ना पड़ा। मगर उन्हें फिर भी चैन न मिला। उन्हें लगातार भारतीय लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा।

पुराने राज-परिवार के लोग विद्रोह करते थे क्योंकि अंग्रेज़ अपनी मर्ज़ी से किसी को भी राजा बनाते या हटाते थे।

किसान व ज़मीन के मालिक विद्रोह करते थे क्योंकि उनसे बहुत अधिक और बहुत सख़्ती से लगान वसूल किया जाता था और उन्हें अपनी ज़मीन नीलामी के ज़रिये खोने का डर हमेशा बना रहता था।

आदिवासी भी लड़ाई के मैदान में उतरे क्योंकि अंग्रेज़ों के नये कायदे-कानून लागू हो रहे थे। इनसे आदिवासी लोग जंगल और ज़मीन पर अपने अधिकार खोने लगे थे। तुम इन बातों के बारे में अगले पाठों में गहराई से पढ़ोगे।

उन दिनों हिंदुओं व मुसलमानों के मन में यह भी डर बैठने लगा था कि अंग्रेज़ उनके धर्म को नष्ट करके सब को ईसाई बना देंगे।

अंग्रेज़ों का सबसे कड़ा मुकाबला सन् 1857 में हुआ जब कुछ महीनों के लिए लगभग पूरे उत्तर-भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत उखाड़ फेंकी गई। यह विद्रोह अंग्रेज़ों के भारतीय सिपाहियों ने शुरू किया - मगर देखते देखते पुराने राज-परिवार, ज़मीदार, किसान आदिवासी व कारीगर सब इस विद्रोह में शामिल होते गए।

1857 के विद्रोह की शुरुआत

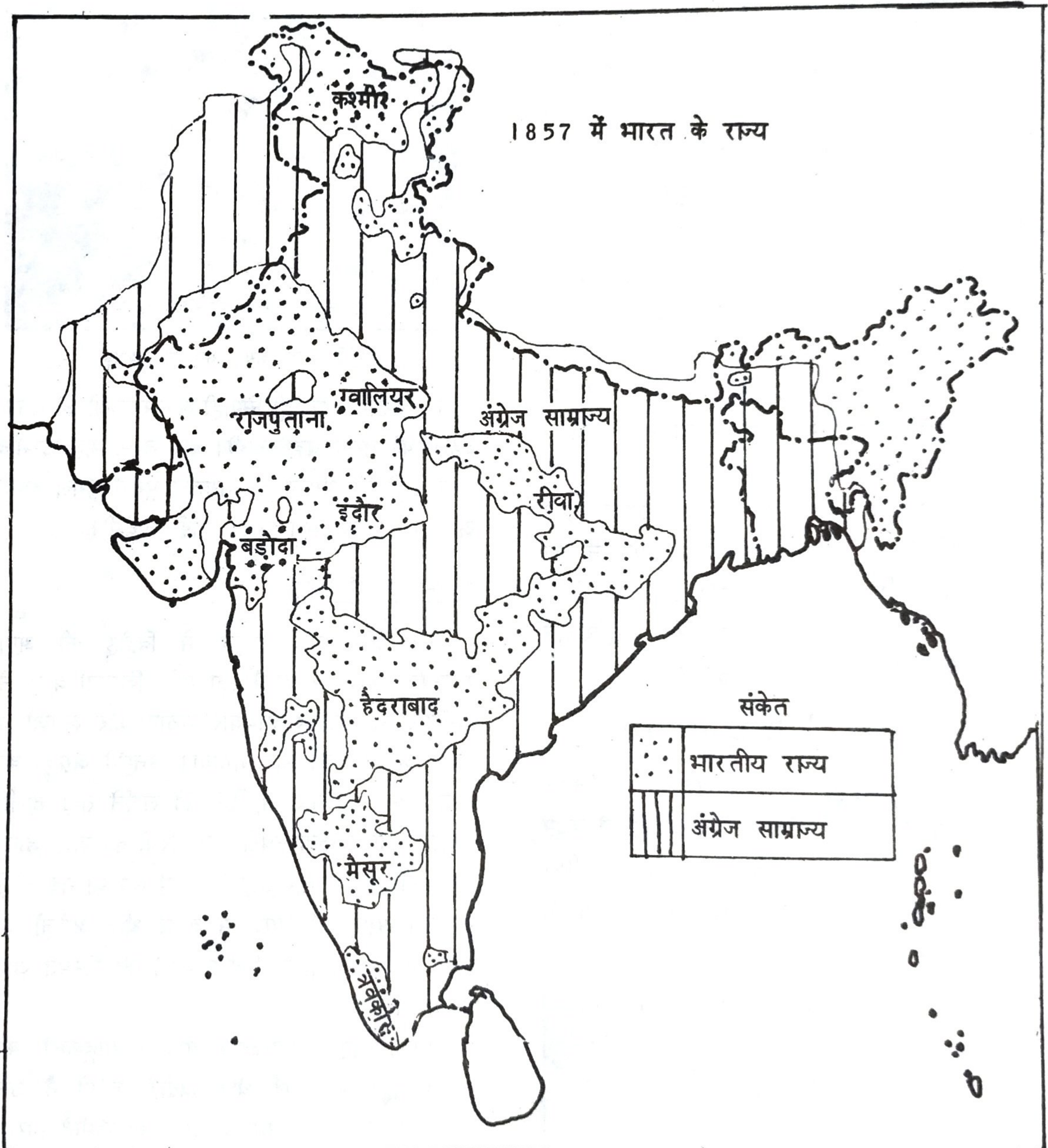
जगह - मेरठ की सैनिक छावनी, जहां अंग्रेज़ी फौज ठहरी थी।

दिन - इतवार, 10 मई, सन् 1857

सूरज ढलने ही वाला था जब फौज के भारतीय सिपाहियों ने अपने अंग्रेज़ अफसरों पर बंदूक चलानी शुरू कर दी। हां वही सैनिक जिन्होंने अंग्रेज़ों की तरफ से लड़कर पूरे भारत के राजाओं पर विजय पाई थी। अब वे अंग्रेज़ों के व्यवहार से तंग आ गए थे। उन्हें न तंख्वाह ठीक से मिलती थी, न फौज में उनसे इज्ज़त से बर्ताव किया जाता था। ऊपर से सिपाहियों को शक था कि बंदूकों के नए कारतूसों में गाय और सुअर की चरबी मिली है। सिपाही डरने लगे कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सो उन्होंने 10 मई सन् 1857 को अपने अंग्रेज़ अफसरों पर गोली चला दी।

विद्रोही सिपाही रातों-रात देहली की तरफ कूच कर गए। सुबह होते ही वे यमुना नदी पार करके देहली पहुंच गए। इस बीच मेरठ शहर में खबर फैली कि सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। तब शहर में गदर मच गया। बाज़ार से भीड़ का रेला आया और अंग्रेज़ों के बंगलों पर हमला बोलने लगा। भीड़ में पुलिस के लोग भी शामिल हो गए थे और देखते-देखते आसपास के अंग्रेज़ों के बंगले व दफ्तर जलाए गए, और कई अंग्रेज़ लोगों की हत्याएं हुईं।

उधर, मेरठ के विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंच गए थे। वहां मुग़ल वंश का बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र लाल किले में अंग्रेज़ों द्वारा नज़रबंद था। सिपाहियों ने उसे अपना बादशाह एलान किया और उसे अंग्रेज़ों


1857 में भारत के राज्य
कश्मीर
राजपुताना
ग्वालियर
अंग्रेज साम्राज्य
इंदौर
रीवा
बड़ोदा
हैदराबाद
मैसूर
त्रवंकोर
संकेत
भारतीय राज्य
अंग्रेज साम्राज्य

की हुकूमत ठुकराने को राज़ी कर लिया। "अंग्रेज़ों को भगा कर पुराना मुग़ल राज्य फिर से स्थापित करना है" - यह विद्रोहियों की पुकार थी।

इस पुकार का फैलना हुआ नहीं कि जगह-जगह पर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा - अलीगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, एटक, मथुरा की छावनियों में सिपाहियों ने गदर मचा दिया। अंग्रेज़ बुरी तरह घबरा गए। उनकी स्थिति वाकई बहुत नाजुक थी। भारत में 45,000 अंग्रेज़ी फौजी व अफसर थे। पर फौज़ में भारतीय सिपाहियों की संख्या इनसे कहीं अधिक थी - दो लाख बत्तीस हज़ार। ये ही सिपाही विद्रोह पर उतर आए थे। तो हर शहर में अंग्रेज़ निवासियों की जानमाल की रक्षा कौन करेगा? भारतीय फौजों पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए कई अंग्रेज़ फौजी अंग्रेज़ परिवारों की रक्षा के लिए रोक लिए जाते थे। इस सब के चलते विद्रोह तुरंत कुचला व दबाया न जा सका और समय मिलने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक फैलता गया।



नाना साहब पेशवा

विद्रोह का फैलना

कई राज-परिवार जिनके राज्यो को अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था, विद्रोह में शामिल होने लगे, जैसे अवध के पुराने नवाब और मराठा पेशवा नाना साहब।

> *क्या तुम जानते हो इस कविता द्वारा कौन प्रसिद्ध हुआ -*
> *"चमक उठी सन सत्तावन में*
> *वो तलवार पुरानी थी।*
> *खूब लड़ी मरदानी वो तो*
> *--------------------थी।।"*



विद्रोहियों की अंग्रेज़ सेना से मुठभेड़

सब तरफ से विद्रोही सिपाही और राजाओं की सेनाएं देहली की तरफ बढ़ने लगीं। सब तरफ यह उम्मीद जाग उठी कि अंग्रेज़ों को भगाकर पुराने मुग़ल राज्य और पुरानी व्यवस्था लौटा लाई जायेगी।

गांव-गांव में विद्रोह

उत्तर-प्रदेश और बिहार मे विद्रोह की आग गांव-गांव कस्बा-कस्बा फैलती गई। किसानों व पुराने ज़मीदारों ने मिलकर हथियार उठाए और अंग्रेज़ों व उनके अफसरों को मार भगाया। उन्होंने अंग्रेज़ों को लगान देना बंद कर दी, रेल की लाईनें तोड़ डाली, पुलिस थानों, डाकतार-घरों, कचहरियों को जला डाला और टेलीग्राफ के तार तोड़ दिए। ये सब वो नई चीज़े थी, जो अंग्रज़ों ने भारत में बनाई थी। अंग्रेज़ों को हारते देखकर लोगों में विद्रोह करने की हिम्मत और बढ़ती गई।

अंग्रेज़ी कानून की मदद से गांवो में साहूकारो की ताकत बहुत बढ़ गई थी। विद्रोही लोगो ने उन साहूकारों के, जिनके पास किसानों की ज़मीन गिरवी थी, या जिन्होंने किसानों की ज़मीन हड़प ली थी, घर लूट लिए, और उनके कागज़ात जला दिए।

विद्रोह का कुचलना

विद्रोहियों की इतनी बड़ी और व्यापक सफलता के बावजूद अंग्रेज़ धीरे-धीरे स्थिति पर काबू पाने लगे।

विद्रोही बड़ी वीरता से लड़े। मगर उनमें दो बड़ी कमियां थीं। हर शहर या प्रदेश के विद्रोही अलग-अलग अंग्रेज़ो से लड़ रहे थे। आपस में मिल-जुल के एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं लड़े। अतः अंग्रेज़ हरेक क्षेत्र के विद्रोहियों से अलग-अलग निपट पाए।

विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों की सख़्त कमी थी। आधुनिक बंदूकें व तोप और उनके लिए कारतूस व बारूद तो विदेश से आते थे। अतः विद्रोहियों को पुरानी बंदूकों और तीर, भालों व तलवारों से लड़ना पड़ा। ऐसे हथियार आधुनिक बदूंकों के सामने आखिर कितनी देर टिक पाते?

फिर भी अंग्रेज़ इस विद्रोह की तीव्रता से बहुत डर गए। जब भी उन्हें विजय हासिल हुई - उन्होंने बड़ा ही निर्ममतापूर्ण व्यवहार किया। वे विद्रोहियों को अमानवीय तरीकों से मारकर गांव-गांव में पेड़ों पर लटका देते ताकि गांव वाले विद्रोह का अंजाम समझ सकें। कई विद्रोहियों को तोप के मुंह पर बांध कर बारूद्ध से चिथड़े-चिथड़े उड़ा दिया गया। अनेकों विद्रोही सालों तक अंग्रेज़ों से छुपते फिरते रहे। कई तो नेपाल आदि जगहों पर छुपने चले गए।

अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुरशाह ज़फर को भारत से निकाल कर रंगून भेज दिया और रंगून में ही इस अंतिम मुग़ल बादशाह की मृत्यु हुई।

1857 का यह विद्रोह अंग्रेज़ों की ताकत को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा विद्रोह था। इसे दबाने के बाद भारत पर उनकी पकड़ मज़बूत हो गई और वे अगले 90 सालों तक भारत पर शासन करते रहे।

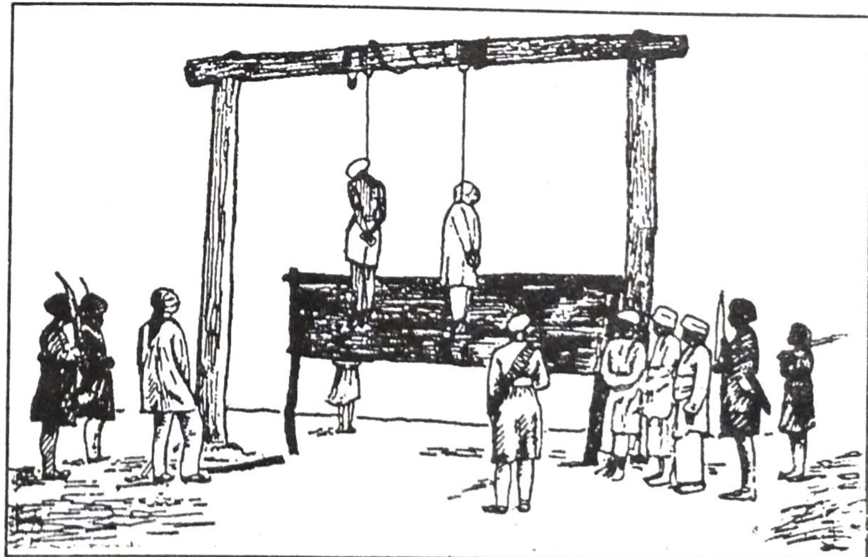
> *1. सही विकल्प चुनो -*
> *क. 1857 के विद्रोही मुग़ल काल की पुरानी व्यवस्था - हटाना/लौटाना चाहते थे।*
> *ख. अंग्रेज़ी फौज की कमज़ोरी थी कि अधिकतर सैनिक - यूरोपीय/भारतीय थे।*
> *2. विद्रोही फौजों की क्या कमज़ोरियां थीं?*

कई लोग विद्रोह से दूर रहे

हमें यह नही सोचना चाहिए कि हर भारतीय अंग्रेज़ो के खिलाफ लड़ रहा था। पंजाब, बंगाल, दक्षिण भारत में विद्रोह नही के बराबर हुआ। कई ऐसे राजा थे जिनका राज्य तब तक सुरक्षित था। उन्होंने विद्रोह न करके अंग्रेज़ों का साथ दिया। ऐसे राजा थे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, राजस्थान के राजपूत राजा, भोपाल के नवाब आदि।

कई ज़मीदार व साहूकार थे जिन्होंने अंग्रेज़ी कानून

विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है



की सहायता से अपनी संपत्ति बढ़ा ली थी। वे भी अंग्रेज़ों से नही लड़े। कई ऐसे गांव थे जहां से अंग्रेज़ो द्वारा बनवाई गई नहरें निकली थीं। जिन गांव वालो ने इसका फायदा उठाया था - उन पर लगान का बोझ कम ही था। ऐसे गांव के लोगों ने भी अंग्रेज़ो का साथ दिया।

बंगाल और महाराष्ट्र में कई समाज सुधारक विद्धान हुए जो सोचते थे कि अंग्रेज़ों का विज्ञान, शिक्षा, कायदे-कानून अच्छे हैं और इनको अपनाकर भारतीयो को अपने पिछड़े समाज को सुधारना है - इसमें ही भारतीयों की भलाई है। वे साचते थे कि अंग्रेज़ों का विरोध न करके, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह और नवाब व राजाओं का राज्य फिर से स्थापित हुआ तो भारत पिछड़ जाएगा। ऐसे विद्वानों ने भी अंग्रेज़ों का विरोध नही किया।

विद्रोह के बाद

सन् 1857 का विद्रोह दबाने में अंग्रेज़ों को एक साल से भी ज़्यादा लगा। इसी दौरान उन्होंने अपनी कई नीतियों को बदला और नई नीतियों को अपनाया।

सन् 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने महत्वपूर्ण घोषणा की। घोषणा में उसने कहा कि भारत के राजा अपने-अपने राज्य में निश्चिंत होकर राज्य करें। अंग्रेज़ अब उन्हें हटाने की कोशिश नही करेंगे। इस प्रकार उन्होने राज-परिवारो को अपने साथ कर लिया। इसी तरह ज़मींदारों को कई रियायतें दी गयी और उनसे वादा किया गया कि उनकी संपत्ति की रक्षा की जाएगी। पंडितों और मौलवियों से वादा किया गया कि भारतीय धर्मो के मामले में अंग्रेज़ी सरकार दखल नहीं देगी और पुरानी परम्पराओं को चलने देगी। यह भी वादा था कि भारतीयों को शासन में सहयोग के लिए शामिल किया जायेगा।

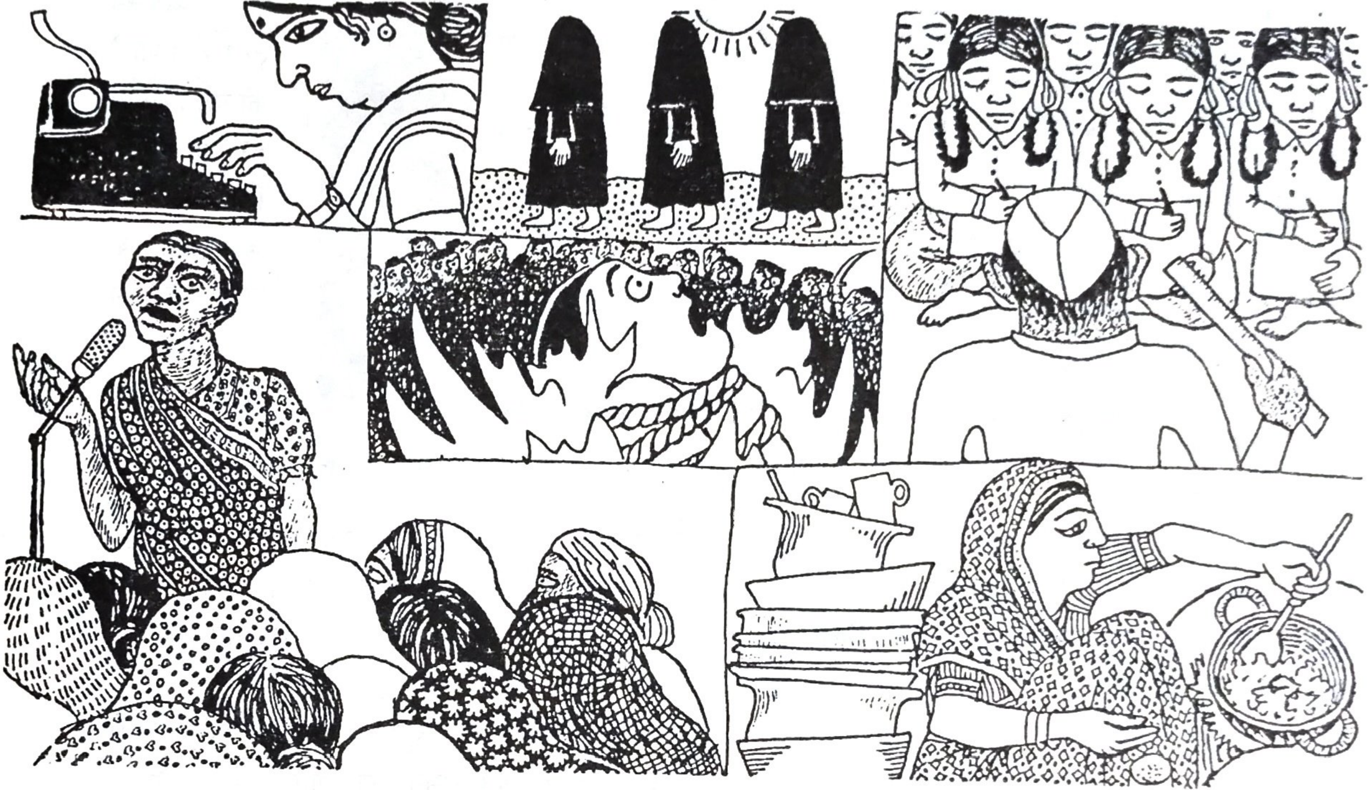
सच में अंग्रेज़ों को सन् 1857 में अपना राज्य हाथ से जाता दिखा था। अब उनकी पूरी कोशिश यही रही कि भारत के महत्वपूर्ण लोगों को हर प्रकार की रियायत देकर, उनसे समझौता कर लें ताकि उनका समर्थन अंग्रेज़ों को मिलता रहे।



अभ्यास के प्रश्न

1. यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने भारत में सेना क्यों रखी थी? कंपनी के काम में तुम्हें सेना का क्या महत्व नज़र आता है?
2. भारत के राज्यों में दखल करके कंपनियां कौन-कौन से फायदे हासिल कर पाती थी - चार उदाहरण बताओ।
3. 1857 तक भारत के कौन लोग अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ हुए और कौन लोग खिलाफ नही हुए - समझा कर लिखो।
4. क. लोगों ने सन् 1857 में किन तरीकों से अंग्रेज़ों का विरोध किया?
   ख. वे विरोध करके क्या पाना चाहते थे?
5. 1858 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा में विद्रोहियों की कौन-कौन सी शिकायतें दूर की?

7 नए विचार और समाज सुधार की कोशिश



ऊपर महिलाओं के बारे में कई चित्र बने हैं।

तुम्हारे विचार में इनमें से कौन सी बातें 200 साल पहले हो ही नहीं सकती थीं?

महिलाओं की स्थिति में अंग्रेज़ शासन के समय से बहुत बदलाव आए हैं।

हमारे विचार सिर्फ महिलाओं के प्रति ही नहीं, परंतु जातपात, धर्म, ईश्वर आदि के बारे में भी काफी बदले हैं।

आओ, देखें कि अंग्रेज़ों के समय में नए विचार कैसे फैले और समाज सुधार की क्या कोशिशें हुईं।

समाज की रीतियों को सुधारने की कोशिश अपने इतिहास में समय-समय पर होती रही है। अंग्रेज़ों के समय में ये कोशिशें विशेष रूप से हुईं।

अंग्रेज़ी शिक्षा की मांग

शुरू में अंग्रेज़ों ने पाठशालाओं और मदरसों को बढ़ावा दिया। पाठशालाओं में संस्कृत में शास्त्रों, पुराणों और व्याकरण का अध्ययन कराया जाता था और मदरसों में कुरान व अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। जो भारतीय लोग अंग्रेज़ों के संपर्क में आए थे और इंग्लैंड में दी जाने वाली शिक्षा की जानकारी रखते थे, वे इस बात से खुश नही थे कि अंग्रेज़ भारत में पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा दें। ये वे भारतीय थे जो अंग्रेज़ सरकार के प्रशासन में नौकरी करने लगे थे, वकालत करते थे, या अंग्रेज़ी व्यापारियों के साथ काम करते थे। ये लोग अंग्रेज़ों के विचारों से प्रभावित हुए और चाहने लगे कि अपने समाज में भी बदलाव आए। वे चाहते थे कि अंग्रेज़ी शिक्षा भारत में फैलाई

जाए ताकि भारतीय लोग नए ज्ञान विज्ञान को सीखें और अंग्रेज़ों के समान विकास करें।

उनमें से एक थे राजा राम मोहन राय। वे बंगाल के एक ज़मींदार परिवार के थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज़ सरकार कलकत्ता में एक संस्कृत पाठशाला शुरू करवा रही है तो उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को एक ज़ोरदार चिट्ठी लिख कर अंग्रेज़ी शिक्षा की मांग की। उन्होंने लिखा - *"हमें पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोक का ज्ञान भर सकती है और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो।*

चूंकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों व उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है।" कलकत्ता 11 दिसम्बर 1823.

राजा राम मोहन राय की तरह ही देश भर में हज़ारों अन्य लोगों ने अंग्रेज़ सरकार पर दबाव डाला कि वह भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की व्यवस्था तुरंत करे। लोगों को यह विश्वास हो गया था कि विज्ञान की जानकारी के कारण ही यूरोप के देशों का दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में ऊंचा स्थान है। भारत के पिछड़ेपन का यही कारण है कि यहां पर वैज्ञानिक शिक्षा की कमी है। भारत के लिए यह पिछड़ापन दूर करके यूरोपीय देशों के बराबर होना सबसे महत्वपूर्ण बात है।



अंग्रेज़ी कचहरी में काम कर रहे भारतीय : इन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त की

उधर, अंग्रेज़ सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोगों के बगैर इतने लंबे-चौड़े प्रशासन का काम कौन संभालेगा? यह तो ठीक था कि इंग्लैड के लोगों को भारत लाकर सरकारी अधिकारी बनाया जाएगा। पर छोटे से बड़े, सभी कामों के लिए अंग्रेज़ी अधिकारी व कर्मचारी रखें तो यह महंगा भी पड़ेगा। इसलिए, कम से कम बाबू, कर्मचारी व छोटे अधिकारियों के पदों के लिए अंग्रेज़ी में शिक्षित भारतीय लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यह सोच कर अंग्रेज़ सरकार ने भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई। चूंकि इसे सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले नाम के अंग्रेज़ अधिकारी ने बनाया था यह मैकॉले की शिक्षा नीति के नाम से जानी जाती है।

भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार की मदद

से अंग्रेज़ी स्कूल व कॉलेज खोलने शुरू किए।

अंग्रेज़ी शिक्षा देने वाले इन स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता था? अंग्रेज़ी भाषा, भारतीय भाषा, विज्ञान, भूगोल, इतिहास व गणित। सिर्फ ईसाई पादरियों द्वारा चलाए गए स्कूलों में अलग से बाइबल का अध्ययन भी कराया जाता था।

अंग्रेज़ी शिक्षा भारतीय लोगों को क्यों ज़रूरी लगी? और अंग्रेज़ सरकार को क्यों ज़रूरी लगी?



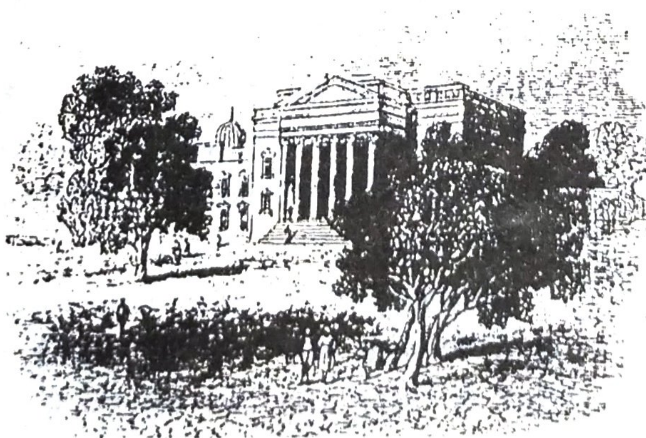
नया ज्ञान, नए विचार

अंग्रेज़ी शिक्षा का असर

क्या तुम सोच सकते हो कि छोटे शहर और गांव के छात्र जब इन नए स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने जाते थे तो उनके मन पर कैसा असर होता था?

लाहौर के कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र रुचि राम साहनी ने अपने अनुभव के बारे में लिखा - "मैं अपने शिक्षकों का एहसानमंद तो हूं ही पर यह भी कहना चाहता हूं कि लाहौर के शासकीय महाविद्यालय में आकर मैंने अपनी आंखों के सामने ज्ञान का ऐसा खज़ाना खुला पाया जैसा मैंने पहले कभी नही देखा था। वैसे तो कॉलेज की सारी किताबें एक बड़े हॉल में रखी पंद्रह अलमारियों में आ जाती थीं।

अंग्रेज़ी शिक्षा देने वाले नए स्कूल कॉलेज बने



पर फिर भी, जिस आदमी ने कभी कोई पुस्तकालय न देखा हो, और जो ज्ञान का प्यासा हो, उसके लिए तो सरकारी स्कूल का छोटा पुस्तकालय और सरकारी कॉलेज का बड़ा पुस्तकालय अनमोल मोतियों से भरे सागर जैसा था - जिसमें कोई भी गोता लगा के ज्ञान के मोतियों को पा सकता था।"

स्कूल-कॉलेज के छात्र कक्षाओं के बाद पुस्तकालय से नई नई किताबें ले कर पढ़ते थे। इनमें इंग्लैंड व यूरोप में लिखी गई कई महत्वपूर्ण किताबें थी। यूरोप की नई दुनिया को समझने की तेज़ ललक और जिज्ञासा से भरे छात्र अंग्रेज़ी भाषा में लिखी किताबों को बड़ी मेहनत से बांचने की कोशिश करते थे, जबकि किताबें उनके कोर्स की भी नही थी।

रुचि राम साहनी लिखते हैं - "मैं और गुरुदत्त मिलकर जॉन स्टुअर्ट मिल की छोटी सी किताब को लाईन दर लाईन, पैरा दर पैरा पढ़ते जाते, उसके अर्थ को समझते जाते, उस पर चर्चा और बहस करते जाते। कभी-कभी तो हम घंटे भर में एक-दो वाक्य से ज़्यादा नही कर पाते थे क्योकि या तो हम लेखक की बातों के असली मतलब को पकड़ नही पाते थे, या पूरा समय इसी चर्चा में निकल जाता था कि किताब की बातों को हम खुद कहां तक अपना सकते हैं।"

नए स्कूल-कॉलेज में पढ़े लोग अंग्रेज़ी विचारों और संस्कारों से बहुत प्रभावित हुए। उनकी तुलना में भारतीय समाज व धर्म के कई विचार व संस्कार इन लोगों को बहुत गलत लगने लगे। उन्होंने तरह तरह के सवाल खड़े किए। जैसे :

"ईश्वर मूर्तियों और मंदिरों में कैसे हो सकता है? क्या किसी ने कभी ईश्वर को देखा है? ईश्वर का रंग, रूप, आकार कैसे हो सकता है?"

"छुआछूत और जातपात के नियमों का क्या मतलब हैं? सब इंसान बराबर है - ईश्वर की संतान हैं। तब जाति का भेदभाव क्यों माना जाए?"

"औरते क्या पुरुष के बराबर इंसान नही हैं? हमारे धर्म व समाज में औरतों के साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों होता है? हम अपने आपको सभ्य कहते हैं तो औरतों के प्रति हो रही क्रूरता को क्यों मानते जाएं?"


राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की शुरुआत की

लोगों के मन में उथल पुथल मची हुई थी। हर परंपरा व नियम को लोग उधेड़ उधेड़ कर देख रहे थे और विश्लेषण कर रहे थे। क्या गलत है? क्या सही है? समाज बिगड़ा कैसे? क्या हमेशा से बिगड़ा हुआ था? समाज सुधरेगा कैसे? ये सवाल लोगों के मन को मथने लगे थे।

अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को क्या नई बात मिली?
इन छात्रों के मन में उठे सवालों पर विचार करो।
तुम इन सवालों के बारे में क्या सोचते हो?

समाज सुधार का अभियान

अंग्रेज़ अधिकारी और यूरोपीय पादरी भी भारतीय समाज की बुराइयों को उजागर कर रहे थे। अंग्रेज़ अधिकारियों को लगता था कि उन्हें नए कानून बना कर इन बुराइयों को रोकना चाहिए। ईसाई पादरियो को लगता था कि उन्हें ईसाई धर्म फैला कर भारतीय समाज को सुधारना चाहिए।

इस माहौल में कई पढ़े-लिखे भारतीय लोग भी अपने समाज की बुराइयों का विरोध करने के लिए एकजुट होने लगे। कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया। कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपनाने का विचार किया पर फिर कुछ सोचकर रुक गए। ऐसे एक व्यक्ति थे महाराष्ट्र के मोरो विट्ठल वालावेकर, जो लिखते हैं - "मैं जब पढ़ता ही था तभी हिन्दू धर्म से मेरा विश्वास उठ गया और मेरा मन ईसाई धर्म की ओर मुड़ने लगा। पर मैंने सोचा कि नया धर्म अपनाने से पहले पुराने धर्म से उसकी तुलना कर लेनी चाहिए। इस तरह मैंने ईसाई धर्म का अध्ययन किया तो पाया कि हिन्दू धर्म की तरह उसमें भी कई अंध विश्वास हैं। तब मुझे लगा कि कोई भी धर्म भगवान की देन नहीं है।

दरअसल सब धर्मो की मूलभूत बातें एक सी हैं और ये हमें अपने विवेक से ही पता चलती हैं। यह प्राकृतिक धर्म हर जगह पाया जाता है अतः यही सच्चा धर्म होगा। इसका सार यह है कि :

ईश्वर एक ही है और हमें उसी को मानना चाहिए।
दूसरों की भलाई करना सबसे बड़ा पुण्य है।
दूसरों का अहित करना सबसे बड़ा पाप है।

इन सामान्य धार्मिक सिद्धांतो को तय करने पर हमने ईसाई बनने की योजना त्याग दी।"

मोरो विट्ठल जैसा अनुभव कई लोगों को हुआ। वे न तो ईसाई बने और न ही पांरपरिक हिन्दू रहे। उन्होंने अपने नए धार्मिक विचारों के अनुसार कार्य करने के लिए नए संगठन बनाए जैसे, बंगाल में ब्रह्मो समाज बना और महाराष्ट्र में परमहंस मंड़ली बनी।

> ***यूरोपीय विचारो से प्रभावित होने के बाद भी कई भारतीयों ने ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाया? यूरोपीय विचारों से प्रभावित कई भारतीय लोगों के विचारों में ऐसी क्या बात थी कि वे पांरपरिक हिन्दू धर्म भी नहीं मान पाए?***

समाज सुधार का विरोध

पर क्या तुम सोच सकते हो कि इस प्रकार के नए धार्मिक विचार रखने वाले लोगों का समाज में कितना विरोध हुआ? परमहंस मंडली के लोग बंबई में गुप्त रूप से बैठकें करते थे। बैठक में मंडली के सब सदस्य इक्ट्ठा हो कर, मिल कर भोजन करते थे। सदस्य अलग अलग जाति के थे। वे इकट्ठे भोजन करके जाति पाति के भेदभाव को तोड़ना चाहते थे। पर यह काम वे खुले आम नही कर पाते थे। इसलिए एक किराए के कमरे में गुप्त रूप से मिलते थे। जब मकान मालिक को यह सब पता चला तो उसने उन्हें कमरा देने से मना कर दिया।

मंडली के लोग सोचते थे कि जब उनके एक हज़ार सदस्य हो जाएंगे तभी वे खुल कर अपने विचारों का प्रचार करेंगे।

समाज के समाने खुल कर आने में मंडली की हिचकिचाहट सही भी थी। ब्रह्मो समाज के लोग खुली सभा में उपदेश देते थे। वे कहते थे कि सब धर्मो में अच्छाइयां हैं .... ईसा मसीह व मोहम्मद पैगंबर महान संत थे। यह सुन कर सभा में बैठे लोग उठकर बाहर दौड़ पड़ते थे। भागते हुए लोग यह कहते जाते थे कि अरे रे रे - ये ब्रह्मो समाज वाले तो ईसाई हैं - अरे ये तो मुसलमान हैं ....।

इससे हम जान सकते हैं कि लोगों के बीच अपने विचार रखने में समाज सुधारकों को कितनी मुश्किल आती थी। कई माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूल में भेजने से डरने लगे और अखबारों में ऐसी चिट्ठियां छपी जिनमें लोगो से अपील की गई कि वे अपने बच्चों को अंग्रेज़ी सीखने न भेजें क्योंकि ये बच्चे अपने धर्म में विश्वास खो बैठते हैं और जाति प्रथा को ठुकराने लगते हैं।

> ***परमहंस मंडली के सदस्यों का छिप कर जातपात के नियम तोड़ना तुम्हें कैसा लगा? क्या उन्होंने ठीक किया था?***
> ***अगर तुम ब्रह्मो समाज की सभा में होते तो क्या उठ के चले जाते? लोगों के बैठक से चले जाने के बारे में तुम क्या सोचते हो?***
> ***क्या आज भी माता पिता बच्चों को अंग्रेज़ी शिक्षा देने से कतराते हैं?***

वास्तव में उन दिनों परंपरावादी लोगों और नए विचार रखने वाले लोगो मे युद्ध सा छिड़ा हुआ था जो काफी हद तक आज भी जारी है। उन दिनो तो बाकायदा शास्त्रार्थ हुआ करते थे। नए और पुराने विचार के लोग किसी आम जगह पर आकर एक दूसरे से वाद विवाद करते थे और जनता खड़ी हो कर उनकी बातें सुनती थी। फिर दोनों पक्ष की बातें छोटी पुस्तकों के रूप में छाप कर बांटी जाती थीं।

आओ, ऐसे एक शास्त्रार्थ की झलक देखें जिसमें पांरपरिक धर्म का समर्थन करने वाले सती प्रथा को सही बता रहे हैं।

सती प्रथा पर शास्त्रार्थ

पंडित तर्कालंकार और राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को ले कर बहस हुई। तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे जबकि राम मोहन राय सती प्रथा खत्म करना चाहते थे।

तर्कालंकार ने कहा : "ऋषि अंगीरा ने कहा है कि जो औरत स्वर्ग की कामना करती है उसे पति की चिता में जल कर मर जाना चाहिए।"

राम मोहन : "पर, मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद औरत को सरल व सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने विधवा औरत को सती होने के लिए नहीं कहा।

फिर, आप लोग तो औरत को पति की चिता के साथ बांध देते हैं। और ऊपर से खूब सारी लकड़ी जमा देते हैं ताकि वह चाहे भी तो उठकर न भाग सके। जब चिता को आग लगाते हैं तो औरत को बांसो से दबाए रखते हैं। यह तो सरासर स्त्री हत्या है। ज़बरदस्ती विधवा को जलाने की बात किस शास्त्र में लिखी है।"

पंडित तर्कालंकार : "यह बात तो किसी शास्त्र में नही लिखी पर हमारे देश में ऐसा करना एक बहुत पुरानी परंपरा है। इसलिए सती तो होनी ही चाहिए।"

राम मोहन : "सती हमारे देश में हर समय व हर जगह नही होती आई है। फिर भी, यह सोचिए कि चोरी व हत्या भी तो पुराने समय से हो रही है। क्या आप इन्हें भी सही मानेंगे? पुरानी होने के बावजूद हम चोरी व हत्या जैसे अपराधों का विरोध करते हैं। वैसे ही सती प्रथा स्त्री हत्या है - एक अमानवीय अपराध है। अतः इसे बंद करना चाहिए।"

अगर सब ऋषि मुनियों के शास्त्रों में यह लिखा होता कि विधवा औरत को सती हो जाना चाहिए तब तुम्हारे विचार में आज भी उस रीति का पालन होना चाहिए या नहीं? कारण भी बताओ।



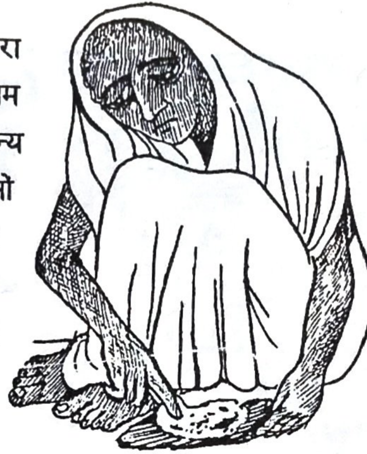
सती के चारों तरफ लोग तलवारें लिए क्यों घूम रहे हैं?

तुम खुद ही सोचो क्या जीवन के अधिकार को ले कर स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? किसी स्त्री की मृत्यु पर उसके पति से तो आशा नहीं की जाती कि वह अपनी पत्नी के साथ जल मरे। तो स्त्री के लिए सती होने की रीति क्या उचित है?

औरतों के लिए नए कानून

राम मोहन राय की कोशिशों के कारण अंग्रेज़ सरकार ने 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून लागू किया। पर औरतों के साथ अन्याय करने वाली कई और रीतियां भी थी। ऊंची कहलाने वाली जातियों मे विधवा औरतों को दुबारा शादी करने की अनुमति नही थी। विधवा स्त्री को सफेद कपड़े पहनने होते थे, बाल कटाने पड़ते थे और उसे शुभ अवसर पर नही बुलाया जाता था।

जबकि विधुर पुरुष दुबारा शादी कर सकता था। राम मोहन राय जैसे अन्य समाज सुधारकों ने विधवाओं के हित में भी आवाज़ उठाई और मांग की कि विधवाओं को दुबारा शादी करने की अनुमति होनी चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। यह अभियान छेड़ने वालों में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर प्रमुख थे।


विधवा औरत

विधवाओं की दुबारा शादी की बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन गई थी क्योंकि छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। बचपन में ही अगर वे विधवा हो जाएं तो पूरी लंबी ज़िदंगी भर उन्हें विधवा बन के दुख में जीना पड़ता था।

1856 में यह कानून बना कि विधवा बच्चियों की दुबारा शादी की जा सकती है।

कुछ प्रांतों के लोगों के बीच लड़की को जन्म के तुरंत बाद मार देने का भी रिवाज़ था। लड़की के जीवन का इतना भी मूल्य नहीं समझा जाता था कि उसे जीवित रहने दिया जाए।

नई जन्मी लड़की को मार देना भी ग़ैर कानूनी बनाया गया।

इस तरह लड़कियों व औरतों के प्रति क्रूरता और अत्याचार की कुछ मुख्य बातों पर सरकार ने कानूनी रोक लगाई। सरकार के अधिकारियों और राम मोहन राय, विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे व कई अन्य समाज सुधारकों ने इन कानूनों को लागू करवाने की कोशिश की। धीरे-धीरे कई लोगों ने उनका समर्थन किया पर उनका विरोध करने वालों की भी कमी नही थी।

तुम तब होते या होती तो इन नई बातों का समर्थन करते/करतीं या विरोध? कारण बताओ। क्या आज भी ये कुरीतियां पाई जाती हैं?

महिलाओं की शिक्षा

महिलाओं के खिलाफ चल रही कुप्रथाओं पर रोक लगाने के अलावा, समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान शुरू किया। विद्यासागर जैसे लोगों को लगता था कि महिलाओं के जीवन का अपना महत्व है। उन्हें भी अपनी बुद्धि का विकास करने का अधिकार होना चाहिए। अतः महिलाओं की स्थिति सुधाराने के लिए उन्हें आधुनिक शिक्षा देना ज़रूरी है।

इन समाज सुधारकों के प्रयासों से लड़कियो के लिए कई स्कूल खोले गए। पर इन शालाओं का भी खूब विरोध हुआ। लोग सोचते थे कि लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो वे अपने पति से दब के नही रहेंगी और घर के काम नही करेंगी। कुछ लोग तो यह मानते थे कि पढ़ी लिखी औरत का पति जल्दी मर जाएगा। जो मां बाप हिम्मत करके आगे आते थे और अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजते थे उन्हें समाज से निकाल दिया जाता था। बहुत कोशिश व साहस करके लड़कियां पढ़ने आने लगीं।


लड़कियां स्कूल जाने लगी

पर आज भी, इतने सालों बाद लड़कों की तुलना में लड़कियां कम पढ़ाई जाती हैं।

इस बात के लिए तुम अपने स्कूल का उदाहरण दो। तुम्हारे घर में लड़कों को ज़्यादा पढ़ाने के लिए क्या तर्क दिया जाता है? क्या तुम्हें यह सही लगता है? आजकल लड़कियों को क्यों पढ़ाते हैं? चर्चा करो।

ऐसी एक लड़की की कहानी पढ़ें जिसने अंग्रेज़ो के समय में औरतों के विकास के लिए बहुत हिम्मत से काम लिया।



1889 में शुरू किया गया शारदा सदन

पंड़िता रमाबाई सरस्वती

रमाबाई का जन्म सन् 1858 में हुआ था। उनके पिता अनन्त शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें गांव छोड़ कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बना कर रहना पड़ा। वही रमाबाई का जन्म हुआ। अनन्त शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र व पुराण पढ़ाए। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तो उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहें - पर किसी ने उन्हें आश्रय नही दिया क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे और उसे दोष देते थे, जैसे वह कोई पाप कर रही हो।



तीर्थ यात्री के भेष में रमाबाई बृन्दावन से विधवा बच्चियों को बचाने चली।

रमाबाई घूमती घूमती जब कलकत्ता पहुंची तो वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रमाबाई ने कई जगहो पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृत में भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमा बाई सरस्वती कहलाई। आगे जाकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपनाया।

बंगाल में ही रमाबाई ने 22 वर्ष की उम्र में अपनी पसंद के एक आदमी से विवाह कर लिया। उन दिनो एक औरत का 22 वर्ष तक अविवाहित रहना और फिर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना बहुत ही अनहोना काम था।

रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगा दिया। वे विधवा हो गई, उसके बाद भी वे बेझिझक अपने काम में लगी रही। वे अकेले इंग्लैड व अमेरीका भी गईं ताकि वहां के महिला संगठनो के बारे में जान पाएं। भारत आकर उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नाम

का आश्रम व स्कूल शुरू किया। शारदा सदन में महिलाओं को कई हुनर व काम भी सिखाये जाते थे ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

महिलाओं का अपने पैरों पर खड़ा होना रमा बाई को बहुत ज़रूरी लगता था। वे कहती थीं कि महिलाएं सब कुछ चुपचाप सहती हैं क्योंकि वे पुरुषों पर निर्भर करती हैं। "पुरुष हम महिलाओं से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे जानवरों के साथ किया जाता है। जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करती हैं तो कहा जाता है कि हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रही हैं और यह पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप तो पुरुषों के कुकर्मो को सहना और विरोध न करना है।"

एक सभा में भाषण की शुरूआत रमाबाई ने इस प्रकार की - "आदरणीय सभागण, आपको मेरी कमज़ोर आवाज़ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भारत की औरतों को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया है तो उनकी आवाज़ मज़बूत कैसे हो?"

उनकी शिकायत थी कि जिस तरह इंग्लैंड में भारत के लोगों की सुनवाई नहीं होती उसी तरह भारत के समाज में उसकी महिलाओं की सुनवाई नहीं होती।

औरतों की तरफ से पंडिता रमाबाई सरस्वती ने समाज से जो शिकायतें कीं, क्या वे तुम्हें उचित लगती हैं?
क्या कोई लड़की बताना चाहेगी कि लड़की होने के नाते उसे कक्षा में क्या परेशानियां होती हैं? अक्सर कक्षा में लड़कियां बहुत धीमे बोलती हैं या चुप रहती हैं। ऐसा क्यों? रमाबाई के विचार में इस बात का क्या कारण होता?

संत कवियों की परंपरा और आर्यो की वैदिक संस्कृति

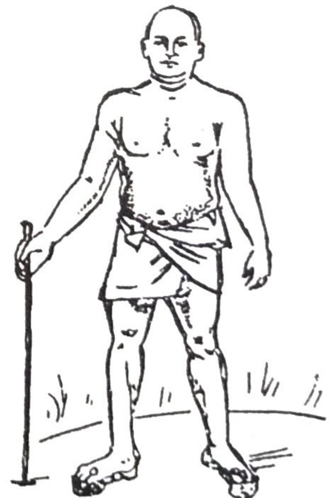
अंग्रेज़ों के समय में जो नए विचार फैले उनसे प्रभावित हो कर कुछ लोग एक नये रास्ते पर चले। लेकिन समाज के अधिकतर लोगों को अपनी पुरानी परंपराओं और रीतियों से गहरा लगाव था और नई बातें अपनाने में उन्हें झिझक थी। सब के मन में यह प्रश्न था कि हमारी संस्कृति और परंपरा में क्या सुधारवादी बातें हैं ही नहीं? और क्या हमें उनसे प्रेरणा नहीं मिल सकती?

लोगों ने पाया कि पुराने समय में ऐसे संत कवि हुए हैं जिन्होंने समाज व धर्म की बुराइयों को उजागर किया है और नई भावनाओं के अनुसार लोगों को जीना सिखाने की कोशिश की है। संत रामदास, रैदास, नानक, कबीर, तुकाराम .... सभी ने जाति पाति की ऊंच नीच, ब्राह्मणवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध किया है और लोगों को एक ही ईश्वर की सीधी साधी भक्ति करना सिखाया है और सब मनुष्यों में समानता की बात सिखाई है।

समाज सुधारकों ने इन पुराने संतों की सीख की सहायता से समाज में नए विचार फैलाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के प्रार्थना समाज के सुधारकों ने संत तुकाराम की वाणी का विशेष रूप से प्रचार किया।

एक तरफ संत कवियों से प्रेरणा लेने की कोशिश हुई और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने आर्यो की वैदिक संस्कृति से भी समाज सुधार की प्रेरणा ली।

दयानंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी थे। उन्होंने यह तर्क दिया कि वैदिक युग में आर्यो की जो संस्कृति थी उसमें आजकल की बुराइयां नही थी। जैसे वैदिक युग में मूर्ति पूजा, कर्म कांड, बाल विवाह, अछूत प्रथा, विधवा विवाह पर रोक


दयानन्द सरस्वती

जैसी रीतियां नही होती थी। सब बुराइयां बाद मे समय के साथ समाज में आई हैं और पुराणो आदि ग्रंथों मे लिखी गईं। इसलिए उन्होंने यह अभियान छेड़ा कि लोगों को आर्यो की वैदिक संस्कृति फिर से अपनानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया।

यह संगठन पंजाब में बहुत लोकप्रिय हुआ। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसका असर रहा।

आर्य समाज ने 'संस्कार विधि' नाम की पुस्तक तैयार की। इसमें विस्तार से बताया गया कि जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के संस्कार वैदिक विधि से कैसे किए जाने चाहिए। जगह जगह छोटे-बड़े शहरों में आर्य समाज की शाखाएं खोली गईं और उसके सदस्य बनाए गए। यह कोशिश की गई कि लोग वैदिक विधि को खुद समझें और उसी के अनुसार जीवन के सब संस्कार करें। धीरे धीरे बहुत संख्या में लोग आर्य समाज का साथ देने लगे।

ज़ाहिर है इस बात का परंपरावादी ब्राह्मणों व पंडितो ने बहुत विरोध किया और उन्होंने भी पांरपरिक हिन्दू धर्म, जिसे वे सनातन धर्म कहते थे, की रक्षा के लिए सनातन धर्म सभाएं बनानी शुरू कर दीं।

एक तरफ जहां धार्मिक संस्कारों के मामले में आर्य समाज का काफी विरोध होता रहा वही आर्य समाज के एक दूसरे कार्यक्रम को बहुत अधिक सफलता मिली। यह था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज व स्कूल का कार्यक्रम। यह स्कूल आर्य समाज ने लाहौर में स्थापित किया। इसका उद्देश्य था बच्चों को आधुनिक अंग्रेज़ी ज्ञान विज्ञान की अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कृत और वेदों की शिक्षा भी देना। इससे लोगों के मन की दोनों इच्छाएं पूरी होती थी। उनके बच्चों को अंग्रेज़ी शिक्षा भी मिलती थी जिससे नौकरी और नया ज्ञान मिलता था और बच्चे अपने धर्म की बातें भी सीखते थे।

समाज सुधारकों ने नए विचार फैलाने के लिए भारतीय संस्कृति की किन बातों की सहायता ली?
संत कवियों और वैदिक संस्कृति की बातों का प्रचार करने पर भी परंपरावादी पंडितों व लोगों ने समाज सुधारकों का विरोध क्यों किया?
दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लोकप्रिय क्यों हुआ?

मुस्लिम सुधार आंदोलन

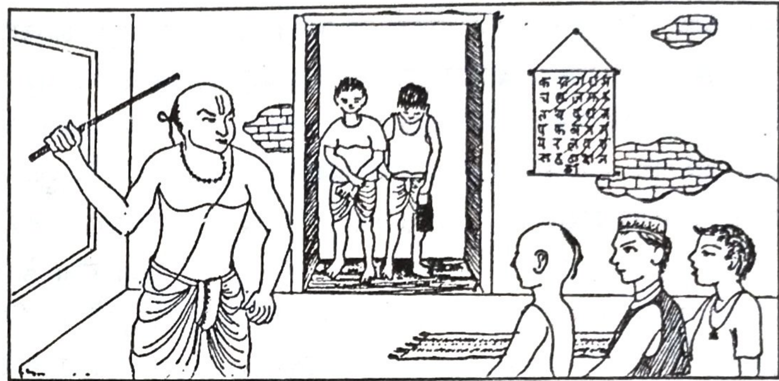
जैसे सुधारवादी हिन्दुओं को ब्राह्मणों व पंड़ितो से लड़ना पड़ रहा था वैसे ही सुधारवादी मुसलमानों को मौलवियों से लड़ना पड़ा। अधिकांश मौलवी अंग्रेज़ी शासन के सख़्त खिलाफ थे और उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा का भी कड़ा विरोध किया।


सर सय्यद अहमद खां

परंपरावादियो के विरोध के बावजूद कुछ मुसलमानों ने अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने लोगो के बीच नए विचार फैलाने की कोशिश की। नए विचारों व अंग्रेज़ी शिक्षा का आग्रह करने वालो में सर सैयद अहमद खां और डा. इकबाल प्रमुख थे। इस प्रकार के लोगो ने मुस्लिम औरतों के बुरका पहनने का कस के विरोध किया। कुछ सुधारवादी मुसलमानों ने तो हठ कर के अपनी बेटियों का पर्दा हटवाया और उन्हें अपने साथ घर से बाहर लाने की कोशिश की।

हिन्दुओं की तरह मुसलमान लोगों को भी अंग्रेज़ी शिक्षा अपनाने में अपने धर्म की रक्षा का डर रहता

था। मुसलमानों के बीच भी ऐसी शिक्षण संस्थाएं बनाने की कोशिश हुई जिससे कि लोगों को आधुनिक शिक्षा और अपने धर्म की मूल बातें - दोनों मिल सकें। मुसलमानों के लिए खोली जाने वाली संस्थाओं में अलीगढ़ का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया व यूनानी आयुर्वेदिक कॉलेज प्रमुख थीं। इनमें मुस्लिम औरतों की शिक्षा को भी विशेष रूप से बढ़ावा देने की कोशिश हुई।



शूद्र मानी जाने वाली जाति के छात्रों को स्कूल से भगा दिया जाता था।

गैर ब्राह्मण जातियों के सुधार आंदोलन

तुमने देखा है कि जातपात, छूआछूत, कर्मकांडों का विरोध सभी समाज सुधारक कर रहे थे। पर ये समाज सुधारक मुख्य रूप से ऊंची कहलाने वाली जातियों के लोग थे। उन्ही दिनों नीची कहलाने वाली जातियों में भी समाज सुधारक हुए और इन जातियों के लोगों ने आगे आकर जातपात व कर्मकांडों की व्यवस्था को उखाड़ फैकनें का प्रयास किया।

आमतौर पर हिन्दू राजा जातपात के नियमों को सख़्ती से लागू करवाते थे। पर अंग्रेज़ सरकार ने कोर्ट-कचहरी के ज़रिए जातपात के नियमों को लागू करने से इनकार कर दिया।

जोतिबा फूले



फिर ईसाई पादरियो द्वारा चलाए गए स्कूलों में नीची कहलाने वाली जातियों के बच्चों को भी बराबर से शिक्षा देने की कोशिश हुई।

इस तरह के माहौल में नीची कहलाने वाली जातियों के कई लोग पढ़ लिख कर आगे आए और बहुत साहस से समाज सुधार के काम में लगे। इस प्रकार के समाज सुधार आंदोलन महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक तमिल नाडू, आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुए।

आओ महाराष्ट्र में जोतिबा फुले के नेतृत्व में छिड़े आंदोलन के उदाहरण से कुछ बातें समझें।

जोतिबा फूले माली जाति के थे और सब्ज़ियां व फूल बेचने का धंधा करते थे। उन्होंने एक ईसाई स्कूल में कुछ साल शिक्षा पाई थी। जब वे बड़े हुए तो वे अपनी पत्नी के साथ महार व मांग जाति की लड़कियो के लिए स्कूल खोलना चाहते थे। इस बात से नाराज़ हो कर उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था।

जोतिबा फूले ने नीची मानी गई जातियों के जीवन की समस्याओं को गहराई से देखा और उन पर कई नाटक, पुस्तकें आदि तैयार की। उन्होंने दिखाया कि गांव के ब्राह्मण चोरी छिपे माली और कुन्बी लोगों को कहते हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल नही भेजे, नही तो पटेल उनके साथ बुरा बर्ताव करेगा।

बहुत से ब्राह्मण शिक्षक स्कूल में शूद्र मानी जाने वाली जातियों के छात्रों को पीटते हैं, ताकि वे स्कूल

से भाग जाए और दुबारा कभी स्कूल न आएं।

गरीब लोगों को खामखाह ब्राह्मण पुजारियों की वजह से अनापशनाप खर्च करना पड़ता है।

सभी सरकारी दफतरों में, नगर पालिकाओं में, छोटे-बड़े अधिकारी ब्राह्मण हैं। वे दूसरी जाति के गरीब किसानों को तरह तरह से तंग करते हैं।

जोतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज नाम का संगठन बनाया। समाज ने मुख्य रूप से ये काम उठाए :

- नीची मानी गई जातियों के बच्चों के लिए अलग स्कूल, कॉलेज व छात्रावास की मांग व व्यवस्था करना जिनमें नीची मानी गई जातियों से ही शिक्षक निरीक्षक नियुक्त हों ताकि इन जातियों के बच्चे शिक्षित होकर समाज में ऊपर उठ सकें।
- नीची मानी गई जातियों के छात्रों के बीच लेख, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिताएं करवाना ताकि उनकी झिझक टूटे और वे अन्य ऊंची मानी गई जाति के लोगों की तरह अपनी बातें ज़ोरदार ढंग से सब के सामने रख पाएं।
- नीची मानी गई जातियों को इस बात का बढ़ावा व मदद देना कि वे अपने सब धार्मिक संस्कार ब्राह्मणों के बगैर पूरे करे - लोग स्वयं धर्म के संस्कार कर लें या चाहें तो अपनी ही जाति का पुजारी रखें और इसे ही दक्षिणा दें।

यह अभियान काफी सफल भी रहा। जैसे, 1884 में एक अखबार ने खबर छापी की जुन्नार के 40 गांवों के शूद्रों ने 300 विवाह संस्कार ब्राह्मणों के बगैर संपन्न कर लिए हैं। 1873 की एक खबर में छपा कि पुणे का 700 माली, कुन्बी, कुम्हार, बंढ़ई व अन्य जातियों ने ब्राह्मणों से स्वतंत्र होने को अभियान छेड़ा हुआ है और वे अपने पूर्वजों के श्राद्ध संस्कार ब्राह्मणों के बिना ही पूरे कर रहे हैं।


ब्राह्मणों की दान दक्षिणा पर खर्च

इस तरह के विरोध से तंग आ कर कुछ ब्राह्मण पुजारी तो दक्षिणा लेने के हक का दावा करने के लिए कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचे, पर वहां मुकदमे हार गए।

इन आंदोलनों के कारण नीची मानी गई जातियों के विकास और उनके हक व अधिकार की बात जोरदार ढंग से सामने आ पाई। आगे चल कर डा. अंबेडकर जैसे नेता भी इन जातियों पर हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए लड़े।

<u>स्वतंत्रता के बाद</u>

समाज सुधारकों की कोशिशों से हमारे समाज में बहुत से बदलाव आए, पर यह नही कहा जा सकता कि समाज सुधार पूरी तरह सफल हुए। तुम अपने आसपास आज भी बहुत सी बातें देखते हो जो अंग्रेज़ों के समय से सुधारवादी लोग बदलना चाह रहे थे। और आज भी लोग किसी न किसी तरह समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं।

> ***तुम आजकल इन बातों को लेकर सुधार की क्या कोशिशें देखते हो - महिलाओं की स्थिति, जातपात का विरोध, धार्मिक कर्मकांड का विरोध?***

अंग्रेज़ों के समय से चले आंदोलन के कारण स्वतंत्र भारत के संविधान में महिलाओं और पुरुषों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। सब जाति व धर्म के लोगों

को समान माना गया है। नीची मानी गई जातियों पर हुए अन्यायों को दूर करने के लिए उनके हक में कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं - जैसे आरक्षण की व्यवस्था।

संविधान और कानूनों में इन बातों को मानना एक बात है और असलियत में इन्हें लागू करना दूसरी बात है। समानता और न्याय की बातों को असलियत में उतारने के लिए आज भी लोग जूझ रहे हैं।

अभ्यास के प्रश्न

1. भारत में किस तरह के लोग चाहते थे कि भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा फैले? वे ऐसा क्यों चाहते थे?
2. राजा राममोहन राय सरकार द्वारा संस्कृत पाठशाला खोले जाने के खिलाफ क्यों थे?
3. अंग्रेज़ सरकार भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा क्यों फैलाना चाहती थी?
4. अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर शिक्षा का क्या असर पड़ा - तुम अपने शब्दों में दो-चार वाक्य लिखो।
5. परमहंस मंडली के सदस्य ऐसे क्या सुधार करना चाहते थे कि उनका कड़ा विरोध हुआ?
6. जिस स्त्री का पति मर जाता था, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और रमाबाई जैसे सुधारकों ने ऐसी स्त्रियों की मदद में क्या किया?
7. महिलाओं की हालत सुधारने के लिए उन्हें शिक्षित करना क्यों ज़रूरी है - तुम अपने विचार लिखो।
8. पंडिता रमाबाई ने 'शारदा सदन' की स्थापना क्यों की? वहां क्या सिखाया जाता था?
9. स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वैदिक काल में क्या-क्या कुरीतियां नही थी जो बाद में आयी?
10. दयानंद एंग्लो वेदिक कॉलेज में क्या-क्या पढ़ाया जाता था?
11. मुसलमानों में अंग्रेज़ी शिक्षा फैलाने के लिए क्या कदम उठाये गये?
12. जोतिबा फुले और सत्यशोधक समाज के लोगों नीची मानी जाने वाली जोतियों के उद्धार के लिए क्या-क्या कदम उठाये?

8 अंग्रेज़ी शासन और भारत के किसान

"लगान नहीं चुकायी तो ज़मीन की नीलामी"

मुग़ल बादशाहों की तरह अंग्रेज़ भी किसानों से अधिक से अधिक लगान वसूल करना चाहते थे। मुग़लों के समय में अगर कोई किसान लगान नहीं चुका पाया तो उसके नाम पर बकाया लिखा जाता और आने वाले वर्षों में ज़ोर-ज़बरदस्ती से वसूल किया जाता था। मगर अंग्रेज़ों ने लगान लेने के लिए एक दूसरी व्यवस्था की।

अगर मान लो कोई किसान या ज़मीदार अपना लगान पूरी तरह से समय पर चुका नहीं पाया तो अंग्रेज़ सरकार उसकी ज़मीन को नीलाम कर देती थी। नीलाम ज़मीन को और कोई खरीद लेता और उस पैसे से सरकार लगान वसूल कर लेती।

खेती-किसानी पर समय-समय पर कई मुश्किलें आ जाती हैं। बाढ़ या सूखे से फसल नष्ट हो जाती है। कभी बाज़ार में फसल के भाव बहुत गिर जाते हैं तो किसानों को फसल बेचकर बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। ऐसी मुश्किलों में किसानों को ऊंची लगान के पैसे भरना बहुत अखरता था। पर अंग्रेज़ सरकार आमतौर पर लगान माफ करने को तैयार नहीं होती थी। यहां तक कि समय की मोहलत भी नहीं देती थी। अगर किसान तय किए समय तक लगान न भरे तो कचहरी से उसकी ज़मीन की नीलामी का नोटिस निकल जाता था। ज़मीन नीलाम होकर किसान के हाथ से छिन जाती थी।

अंग्रेज़ों के शासन में सैकड़ों किसानों व ज़मीदारों की ज़मीन नीलाम होने लगी। नीलामी से बचने के लिए वे सेठ, साहूकारों से बड़ी मात्रा में कर्ज़ा लेने लगे। कर्ज़ा न चुका पाये तो साहूकार भी ज़मीन की नीलामी करवा देते थे और फिर उस ज़मीन को खुद ज़ब्त कर लेते थे।

इस स्थिति में किसानों पर क्या गुज़री थी, आओ कुछ उदाहरणों से समझें।

> *अंग्रेज़ सरकार के लगान वसूल करने के तरीके की दो मुख्य बातें क्या थीं?*

अंग्रेज़ों के नये नियमों से किसानों को जूझना पड़ा



1875 में साहूकारों के खिलाफ मराठा किसानों का विद्रोह

1875 में महाराष्ट्र के पुणे व अहमदनगर जिलों के किसान अपने गांवों के साहूकारों के खिलाफ बुरी तरह भड़क गए। गांव-गांव में किसान साहूकारों के घरों को घेर कर उनके बहीखातों की मांग करने लगे। मना करने पर वे साहूकार का घर जला देते। गांव के सब लोगों ने उनका साथ दिया और साहूकारों का नाई, धोबी बंद करवा दिया। कई साहूकार गांव छोड़ कर भाग लिए।

इस तरह भड़कने के पीछे क्या कारण था? एक मराठा किसान कुछ इस प्रकार बताता - "जब देखो तब ये साहूकार कचहरी से कुर्की (नीलामी का नोटिस) ले आते हैं। हम कर्ज़ा नही चुका पायें तो हमारी घर-ज़मीन सब नीलाम करा देते हैं। पुश्तों से ये लोग हमें अपना कर्ज़दार बनाए रखे हैं। जितना भी पैसा दो, कर्ज़ा चुकता ही नहीं। ये अपने बहीखातों में हमारे नाम झूठा कर्ज़ा चढ़ाए रखते हैं। इनके बहीखाते जलकर राख हो जायें तभी हमारी आफत टलेगी।"

किसानों का कर्ज़ा बढ़ने का एक कारण लगान वसूली का नया नियम था। पर एक दूसरे कारण से भी किसानों पर कर्ज़ा लदता जा रहा था। यह था फसलों का विदेशी व्यापार। 1875 में मराठा किसानों का साहूकारों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, उसके पीछे भी विदेशी व्यापार का असर था।

विदेशों से व्यापार

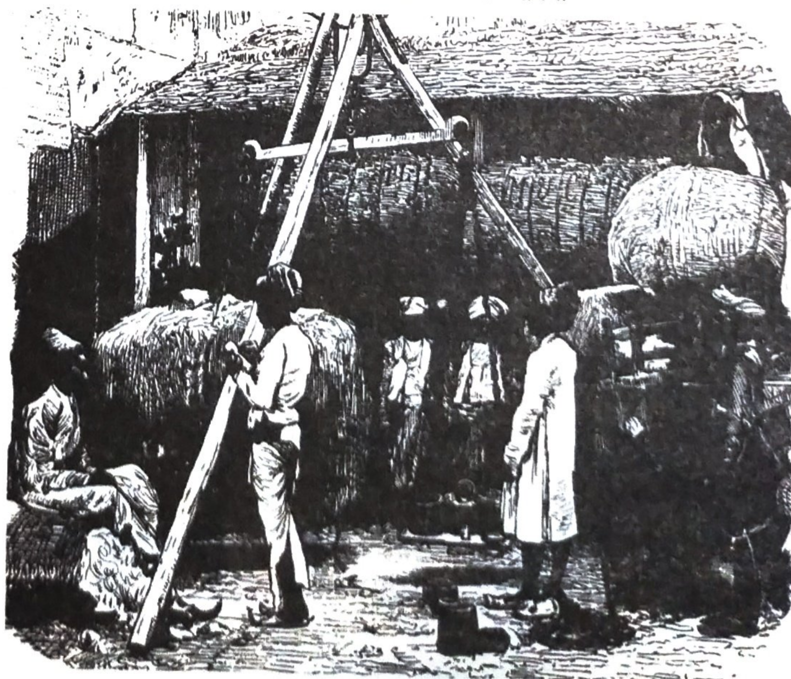
दरअसल बात इस तरह थी। 1861 के आसपास कपास की बहुत मांग होने लगी थी और कपास बहुत ऊंचे दामों में बिकने लगी थी। सब किसानों ने दूसरे अनाज न बो कर कपास उगानी शुरू की। कपास के लिए लागत लगती थी - सो साहूकारों से कर्ज़ा लिया। सन् 1865 के बाद कपास का दाम बहुत गिरने लगा। जो कपास 1864 में बारह आने प्रति किलो बिक रही थी अब छह आने प्रति किलो बिकने लगी। किसानों का बहुत घाटा हुआ। इस पर से सरकार का लगान भी चुकाना पड़ा। अब किसानो को और कर्ज़ा लेना पड़ा। किसान इधर साहूकारों की जकड़ में फंसते जा रहे थे तो उधर साहूकार मालामाल हो रहे थे।

कपास के दाम बढ़ने-घटने का कारण यह था - इंग्लैंड में बहुत कपड़ा मिलें थीं। उनके लिए कपास संयुक्त राज्य अमेरीका से आती थी। सन् 1861 में अमेरीका में युद्ध छिड़ गया और वहां से कपास आनी बंद हो गयी। अब इंग्लैंड के मिल मालिक भारत से कपास खरीदने लगे। कपास की मांग बढ़ी और उसके साथ-साथ कीमत भी। कपास का दाम 3 आने किलो से 12 आने हो गया।

लेकिन सन् 1865 में अमेरीका में युद्ध समाप्त हुआ और वहां से कपास फिर से इंग्लैंड जाने लगी। अब भारत की कपास की मांग गिरने लगी और उसका दाम भी गिरने लगा। ऐसे में किसानों की आमदानी घटने लगी। लगान चुकाना मुश्किल हो गया। कर्ज़ा बढ़ गया। उन्हीं दिनों साहूकारों के खिलाफ मराठा किसानों का विद्रोह भड़का।

कितनी दूर के देशों में हुई घटनाओं से यहां के किसानों को भारी लाभ भी हुआ और फिर नुक्सान भी। कपास ही नहीं बल्कि भारत से गेहूं, शक्कर, नील, पटसन, चाय आदि चीज़ दूर देशों में बिकने लगी थी।

कपास तोल कर विदेश भेजी जायेगी



वहां किसी भी कारण से दाम बढ़ते या घटते तो यहां के किसानों पर असर पड़ता।

मराठा किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया?
कपास के व्यापार से मराठा किसानों का कर्ज़ा क्यों बढ़ा?

लगान नहीं चुकाएंगे

मुग़लों के समय में जब लगान का बोझ बहुत बढ़ता था तो किसान गांव छोड़ कर चले जाते थे।

शुरू में अंग्रेज़ों के समय में भी वे लगान के बोझ से बचने का यही तरीका अपनाते रहे। पर, धीरे-धीरे आबादी बढ़ी और खाली ज़मीन की कमी होने लगी।

इस हालत में किसानों के लिए अपनी ज़मीन छोड़ कर जाना संभव नहीं था।

तब मुसीबत के समय में किसान खुल्लम खुल्ला अंग्रेज़ सरकार को लगान देने से इनकार करने लगे। भारत के किसानों ने लगान माफी के लिए कई आंदोलन किए। इनमें 1928 में गुजरात राज्य की बाड़दौली तहसील में हुआ आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है।

बाड़दौली का किसान आंदोलन

तीस साल पहले सरकार ने बाड़दौली के किसानों का लगान तय किया था। अब 1926 में सरकार को फिर से तय करना था कि अगले 30 सालों के लिए लगान उतना ही रखना है, या बढ़ाना है तो कितना?

सरकार ने तय किया कि लगान 30 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए।

यह बात जान कर बाड़दौली के किसान भड़क उठे। उन्होंने कहा, "लगान में इतनी बढ़ोत्तरी करने का कोई आधार ही नही है। सरकार बिना कारण लगान बढ़ा रही है। पूरे मामले की ठीक से छानबीन नही की गई है - और यूं ही लगान बढ़ा दी। हम नही चुकाएंगे।"

"हां, बिल्कुल नहीं चुकाएंगे। अगर सरकार मानती है तो उतना लगान दे देंगे जितना देते आए हैं। नही मानती तो एक धेला भी नहीं देंगे।"

सरकार नहीं मानी और बढ़ा हुआ लगान वसूल करने पर तुली रही।

किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की सहायता भी ली। उन दिनों कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी और देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगी थी। कांग्रेस के लोग किसानों का साथ देने के लिए बाड़दौली भी आए।

ज़ब्ती और नीलामी

लगान देने से इनकार करने पर सरकार किसानों की फसल, ज़मीन, बर्तन, ज़ेवर, जानवर - कुछ भी ज़ब्त कर लेती थी और उसे बेच कर लगान वसूल करती थी। ज़ब्ती के डर से कई किसान चोरी छिपे लगान चुकाने की कोशिश भी करते थे। अगर कोई किसान लगान देने को राज़ी हो जाता तो बाकी किसान उस के साथ उठना, बैठना, खाना-पीना सब व्यवहार छोड़ देते और इस तरह उस पर इतना दबाव डालते कि वह भी सबकी तरह लगान इनकार करने में शामिल हो जाता।

बाड़दौली के आंदोलनकारी किसानों ने ज़ब्ती से बचने के कई उपाय किए। कई गांव के किसान अपने घर के पीतल के बर्तन, ज़ेवर आदि दूसरी जगह रह रहे रिश्तेदारों के घर छुपा आए। गांव के लड़के पेड़ों पर छुप कर निगरानी रखने लगे। जैसे ही सरकारी आदमी आते दिखते वे बिगुल बजा देते। गांव वालों को खबर

हो जाती। कई गांवों में ऐसा किया गया कि बिगुल सुनते ही सब लोग अपने गाय, बैल, भैंस खुले छोड़ देते और अपने-अपने घरों पर ताला डाल देते। ऐसे में सरकारी आदमी पहचान ही नहीं पाते कि कौन से जानवर किस किसान के हैं। ज़ब्ती करने में उन्हें बड़ी कठिनाई जाती।

गांव वाले सरकारी आदमियों को खाना-पानी-आराम करने की जगह - कुछ भी नहीं देते थे। अप्रैल-मई की चिलचिलाती धूप में अधिकारी परेशान हो कर चले जाते।



चाहे पुलिस घर तोड़ दे हम लगान नहीं चुकायेंगे

यदि कहीं उन्होंने किसानों के जानवर ज़ब्त कर लिए तो किसान रातों रात अपने जानवर छुड़ा लाते। सरकार लगान न चुकाने वाले किसानों की ज़मीन ज़ब्त कर के नीलाम कर देती थी। तो, किसानों ने नीलाम की गई अपनी ज़मीन वापस पाने का रास्ता भी निकाल लिया। अगर गांव का कोई आदमी उनकी ज़मीन खरीदता तो किसान मिल कर उस पर इतना दबाव डालते थे कि वह आदमी ज़मीन लौटाने पर मज़बूर हो जाता था। यदि बाहर के किसी आदमी ने उनकी ज़मीन खरीदी और वहां खेती करने आया तो गांव के लोग मिल कर उसे भगा देते थे।

इस तरह कई किसान ज़ब्ती के नुक्सान से अपने को बचा कर सरकार का विरोध कर पाए। फिर भी बहुत से किसानों को काफी नुक्सान सहना पड़ा। पुलिस के दल और लगान अधिकारी उनके घरों के ताले तोड़ कर अंदर घुस जाते थे, तोड़-फोड़ करते थे और बर्तन, ज़ेवर, सामान ज़ब्त कर के ले जाते थे। ज़ब्त किया हुआ सामान और ज़मीन निश्चित वापस मिल जाएगी - ऐसा भी कोई भरोसा नही था। बहुत से किसानों को वाकई में अपनी नीलाम ज़मीन वापस नही मिली। फिर भी बहुत हिम्मत और साहस के साथ किसानों ने लगान देने से इनकार किया और खुल्लम खुल्ला सरकार का सामना किया। वे पुलिस, फौज, जेल, थाने, किसी बात से नहीं डरे।

वे कहते थे, "फौज आई तो क्या लगान ले लेगी? क्या गोरा हमारी ज़मीन को जहाज़ में लाद के विलायत ले जाएगा? ले जाए ले जा सके तो। देखें तो सही!"

किसानों के आंदोलन को पढ़े-लिखे लोगों, मिल मज़दूरों आदि अनेक लोगों का समर्थन मिला। आखिर सरकार को झुकना पड़ा और लगान में सिर्फ 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। बाड़दौली आंदोलन को देखते हुए सरकार ने दूसरी ज़गहों पर भी लगान बढ़ाने की अपनी योजना छोड़ दी। बाड़दौली के किसानों ने अंग्रेज़ सरकार को झुका दिया। इस बात से देश में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। गांधीजी ने कहा कि बाड़दौली जैसे आंदोलनों से देश को स्वतंत्र करने में सफलता मिलगी।

> ***बाड़दौली के किसानों ने लगान देने से क्यों मना किया?***
> ***बाड़दौली के आंदोलनकारी किसानों को क्या नुक्सान उठाना पड़ा?***
> ***किसानों ने ज़ब्ती के नुक्सान से बचने की क्या कोशिशें कीं?***

ज़मींदार और किसान

"ज़मीन का मालिक कौन"

शुरू में अंग्रेज़ शासकों को एक सवाल बहुत परेशान करता था। वो सोचते, "भारत में लगान किस से वसूल करें? जो भी हो, सरकार सीधे उसी आदमी से लगान लेगी जो ज़मीन का असली मालिक है और अपनी ज़मीन पर खेती करता या करवाता है।"

तुम सोचोगे कि इसमें दिक्कत क्या थी? अगर तुम भोगपतियों और मुग़ल काल के गांवों की बातें याद करो तो तुम्हें दिक्कत समझ में आएगी। तुम जानते हो कि ज़मींदार किसानों से लगान इकट्ठा करते थे और सरकार को चुकाते थे।

> ***पर क्या वे किसी भी किसान को ज़मीन से हटा सकते थे?***
> ***क्या वे किसान से उसकी ज़मीन पर बटाई वसूल कर सकते थे?***
> ***क्या वे किसान की ज़मीन के मालिक थे?***

तुम जानते हो कि मुग़लों के समय तक ज़मीन का मालिक तो किसान ही था। पर अंग्रेज़ों को कई बार ऐसा लगा कि ज़मींदार सरकार को लगान देते हैं इसलिए शायद वे ही ज़मीन के मालिक हैं। अंग्रेज़ अधिकारियों को यह भी लगा कि ज़मींदार ताकतवर लोग हैं। अगर उनका साथ मिले तो भारत में अंग्रेज़ शासन मजबूत होगा। वे यह भी समझ रहे थे कि सैकड़ों-लाखों अलग-अलग किसानों से लगान इकट्ठी करना बड़ा मुश्किल काम होगा।

यह सब सोच कर अंग्रेज़ों ने तय किया कि वे ज़मींदारों को ही ज़मीन का मालिक मानेंगे और उन्हीं से लगान वसूल करेंगे। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में विशेष रूप से लागू हुई।

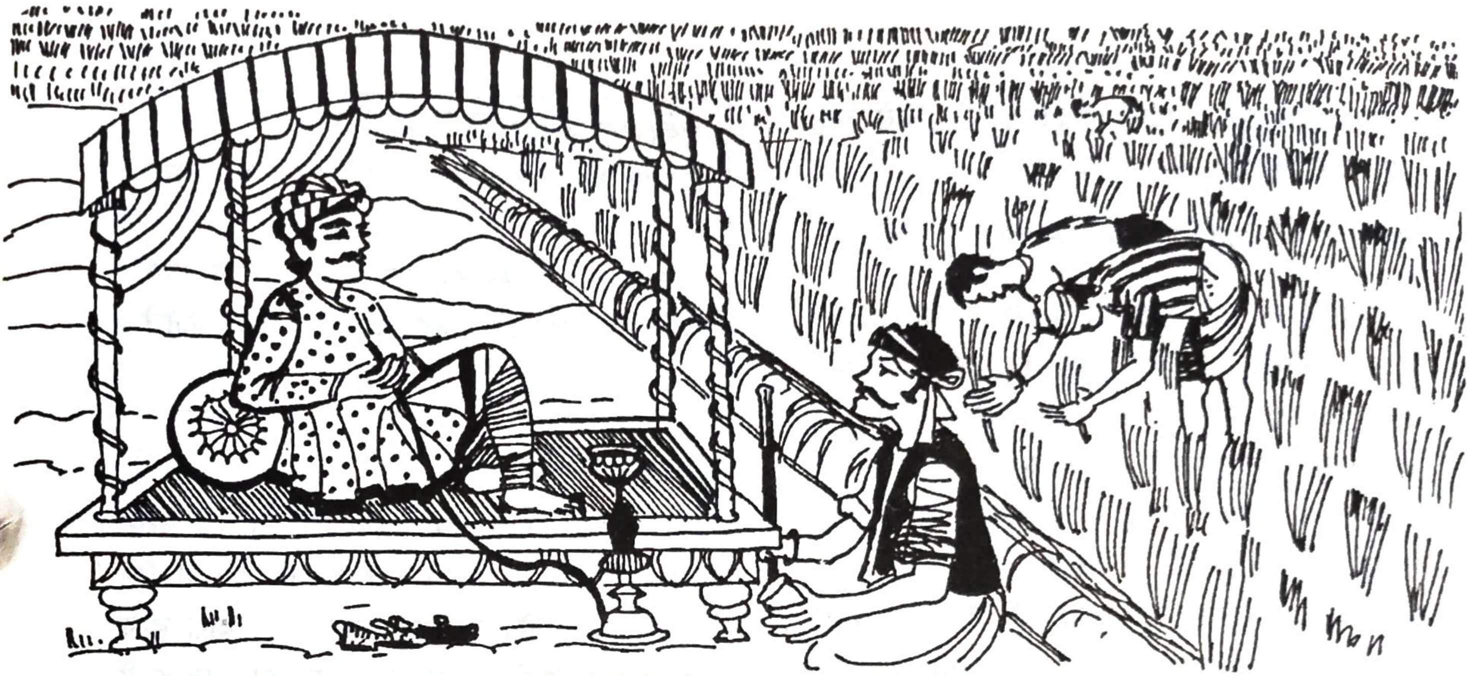
अरे यह क्या हुआ? लगान तो मुग़लों के समय में भी ज़मींदारों से ही ली जाती थी, पर उन्हें ज़मीन का मालिक मानना क्यों ज़रूरी था? अगर हम किसी अंग्रेज़ अधिकारी से यह पूछते तो वह शायद यह जवाब देता, "हमारा नियम है कि कोई व्यक्ति समय पर पूरा लगान नही चुकाए तो हम उसकी ज़मीन नीलाम कर के लगान वसूल करते हैं। अगर हम ज़मींदार को ज़मीन का मालिक नही मानें तो लगान न चुकाने पर किसकी ज़मीन नीलाम करेंगे? जितनी ज़मीन पर लगान देना उसकी ज़िम्मेदारी है, उतनी ज़मीन का मालिक वो ज़मींदार नही होगा तो और कौन होगा?"

इस तरह अंग्रेज़ शासन के नए नियम कानून लागू हुए और ज़मींदार ज़मीन के मालिक बनाए गए। अब किसान ज़मींदारों के बटाईदार बन के रह गए। किसानो का अपनी ही ज़मीन पर अब कोई हक नही रहा।

> *अंग्रेजों की सोच के अनुसार जो ज़मीन का लगान चुकाता है वो ज़मीन का क्या होता है?*
> *अंग्रेज़ों की यह सोच मुग़लों के समय की व्यवस्था से कैसे फर्क थी?*
> *तुम्हारे विचार में ज़मींदार को ज़मीन का मालिक मानने से ज़मींदारों और किसानों पर क्या असर पड़ा होगा?*

किसान की ज़मीन और ज़मींदार का हक

ज़मींदारों ने ज़मीन के मालिक होने के नाते अपने नए अधिकारों का खूब फायदा उठाया। उन दिनों भारत



किसान ज़मींजारों के बटाईदार बना दिये गये

में आबादी भी बढ़ रही थी और ज़मीन की कमी महसूस होने लगी थी। अब परेशान किसान गांव छोड़ कर कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि किसानी के लिए ज़मीन कहां से मिलती? किसानों की मज़बूरी का भी ज़मींदारों ने खूब फायदा उठाया। आओ, देखें कैसे।

अवध का रहने वाला एक गरीब किसान गयादीन था। वह अपनी गाय बेचने जा रहा था।

क्यों?

गयादीन कहता : "ज़मींदार हर साल ज़्यादा बटाई मांग रहा है। हर साल बटाई का हिस्सा बढ़ा देता है। मैं कैसे चुकाऊं? मैं नहीं चुका पाया इसलिए ज़मींदार ने कचहरी में केस कर दिया। मुझे गाय बेच कर ज़मींदार को पैसे चुकाने हैं।"

पैसे चुकाने पर ज़मींदार ने गयादीन को उसकी ज़मीन जोतने दी। पर एक साल बाद गयादीन अपनी 10 साल की बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से कर रहा था।

क्यों?

गयादीन बताता : "ज़मींदार कहता है कि इस साल ज़मीन तभी जोतने दूंगा जब पांच सौ रुपए का नज़राना दोगे। नज़राना नहीं दे सकते तो ज़मीन से बेदखल कर दूंगा। मैं क्या करूं? इस बूढ़े से मुझे बेटी के पांच सौ रुपए मिले हैं। ये रुपए ज़मींदार को दूंगा और खेत जोतूंगा। नहीं तो खाऊंगा क्या?"

गयादीन की ज़मीन पर ज़मींदार बटाई वसूल कर रहा था। गयादीन उसे मना क्यों नहीं कर सका? ज़मींदार ने गयादीन से किस बात का नज़राना वसूल किया?

गयादीन जैसे लाखों किसानों की हालत दयनीय हो गई थी। जिस ज़मीन के वे मालिक थे उस ज़मीन को जोतने भर के लिए उन्हें अपनी गाढ़ी कमाई में से ज़मींदारों की जेबें गरम करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं था कि ज़मींदार उनसे सिर्फ उतनी लगान लेते थे जितनी सरकार को चुकानी थी। सरकारी लगान से काफी ज़्यादा रकम वे किसानों से वसूल करने लगे थे। किसान को इसकी रसीद देने का तो सवाल ही नहीं था।

यह अतिरिक्त रकम ज़मींदार अपनी बटाई का हिस्सा मानते थे और मालिक होने के नाते वे यह अधिकार महसूस करने लगे थे कि जब चाहें बटाई की दर

बढ़ाए, जिसे चाहे ज़मीन जोतने को दे, जिसे चाहे ज़मीन से बेदखल कर दे।

ज़मींदार की ज़मीन और किसान की सेवा

किसानों की ज़मीन के तो वे मालिक बन ही गए थे पर ज़मीदारों की अपनी खुद की ज़मीनें भी थीं। इन्हें खुदकाश्त या सीर की ज़मीन कहा जाता था। अपनी खुदकाश्त ज़मीनों को वे मज़दूर लगा के या बटाई पर दे के जुतवाते थे। पर वे अक्सर इसी कोशिश में रहते थे कि अपनी ज़मीन पर भी मज़दूरी और बटाई देने का नुक्सान न उठाना पड़े। "क्यों न अपनी ज़मींदारी में आने वाले किसानों से अपनी खुदकाश्त ज़मीन भी जुतवाई जाए?" यह विचार ज़मींदारों के मन में आते देर न लगी और किसानों को ज़मींदार की ज़मीन पर बेगार काम करने के लिए मज़बूर होना पड़ा। अगर कोई मना कर दे तो ज़मींदार के सिपाही पीट पीट के उसे बेगार करवाने ले जाते। ज़मींदारों का ऐसा दबदबा था कि वे अपने सिपाहियों से रास्ते चलते किसी भी किसान को पकड़वा के बुला लेते और अपने खेतों पर काम करवा लेते। ज़मींदार के खेतों में बेगार करने के कारण किसान अपनी ज़मीन पर ठीक से खेती भी नहीं कर पाते थे।

ज़मींदारी के बोझ के कारण किसान अपनी ज़मीन पर खेती सुधारने का उत्साह भी जुटा नही पाते थे। 1878 में एक सरकारी रपट में लिखा था कि किसान अपनी ज़मीन पर न कुंआ खोदने और सिंचाई करने की कोशिश करते हैं, न मेढ़ें बनाने या नाली निकालने और खाद डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके सिर पर ज़मीन से बेदखल किए जाने का डर हमेशा मंडराता रहता है। अगर वे खेती सुधारें तो ज़मींदार झट बटाई बढ़ा देगा। ज़मींदार भी किसान को सुधार करने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि किसान उस ज़मीन पर अपना हक जताने लगेंगे।

खुदकाश्त ज़मीन किसे कहते थे?
किसानों को किस काम के लिए बेगार करना पड़ता था?
किसान की ज़मीन पर खेती सुधारने की बात किसान और ज़मींदार दोनों ही क्यों नहीं चाहते थे?

अनगिनत वसूलियां

ज़मीन को लेकर ये सारी समस्याएं तो एक तरफ थी ही। पर ज़मींदार बात-बात पर किसानों से पैसे भी वसूल करते थे। कमिशनर साहब का दौरा हुआ तो किसानों से 'कमिशनरावन' नाम का चंदा ज़बरदस्ती वसूल किया जाता था। इसी तरह ज़मींदार के हाथियों के लिए 'हाथियावन' चंदा, ज़मींदार मोटर खरीद रहे हैं तो 'मोटरावन' चंदा, घोड़े खरीद रहे हैं तो 'घोड़ावन' चंदा। किसानों से अनगिनत ऐसे चंदे वसूल किए जाते थे। यहां तक कि एक बार एक ठकुराइन का फोड़ा पक गया तो उन्होंने झाड़ फूंक और इलाज में काफी पैसा खर्च किया। यह पैसा भी उनके किसानों से "पकावन" चंदे के रूप में वसूल किया गया। इनके अलावा किसानों को नियमित रूप से ज़मींदार के घर पर मुफ्त घी, दूध, सब्ज़ी, गुड़, भूसा, गोबर के उपले जैसी कई चीज़ें तो देनी ही पड़ती थी।

ऐसी स्थिति भारत के कई प्रांतो में हो गयी थी। बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े ज़मींदार थे। हरेक ज़मींदार दर्ज़नों व सैकड़ों गांव के मालिक थे। इन ज़मींदारों की ज़्यादतियों के खिलाफ किसान बराबर विरोध करते रहे।

अवध के किसानों का विद्रोह

उदाहरण के लिए : सन् 1920-22 में उत्तर प्रदेश में अवध के किसानों ने बड़े-बड़े जुलूस निकाले और ज़मींदारों की वसूलियों का विरोध किया। कई

अत्याचारी ज़मींदारों का नाई-धोबी बंद किया और उन्हें गांव से भगा दिया। ज़मीन से बटाईदारों को हटाने व बटाई बढ़ाने की कोशिश करने वाले ज़मींदारों की ज़मीन जोतने से इनकार किया।

किसानों ने अपनी "किसान सभाएं" भी बनाईं ताकि अपने संघर्ष को आगे बढ़ा सकें। बाबा राम चन्द्र, झिंगूरी सिंह, सूरज प्रसाद, मदारी पासी उत्तर प्रदेश के किसानों के मशहूर नेता हुए। अंग्रेज़ सरकार ने आंदोलन को कुचलने में ज़मींदारों की पूरी सहायता की। फिर भी किसानों के प्रभावशाली आंदोलन को देखते हुए अंग्रेज़ सरकार को बटाईदारों के हित में कानून बनाने पड़े।

आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन 1946-50

1946-47 की बात है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना प्रांत में एक गांव था बिश्नुपुर। बिश्नुपुर के ज़मींदार के पास 40,000 एकड़ ज़मीन थी। उसने एक ग़रीब धोबन की ज़मीन को हथियाने की कोशिश की। इसके खिलाफ किसानों का विद्रोह शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में यह आंदोलन चारों ओर फैल गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कम्यूनिस्ट पार्टी ने किया। किसानों ने बंदूकें खरीदकर अपनी सेना बनाई और लगभग 3,000 गांवों से अधिकारियों व ज़मींदारों को भगाकर उनकी ज़मीन हथिया ली और किसानों व मज़दूरों में बांट दी। किसानों ने गांव में अपना शासन शुरू कर दिया। इन गांवों में बेगार बंद हुई, मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाई गई, जिस ज़मीन से किसानों को निकाला गया था, वह उन्हें लौटाई गई। यह नियम बना कि किसी को 100 एकड़ से अधिक असिंचित या 10 एकड़ से अधिक सिंचित ज़मीन रखने का अधिकार नहीं हैं। अगर इससे अधिक किसी के पास ज़मीन थी तो उसे गरीब किसानों के बीच बांटा गया।

ज़मींदारों से लड़ने की तैयारी करती तेलंगाना की औरतें



इस बीच 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने किसानों से वादा किया कि वह उनके हित में कानून बनाएगी, अतः किसान अपना आंदोलन बंद कर दें। पुलिस के सहारे आंदोलन दबाया भी गया।

> *अवध के किसान क्या चाहते थे?*
> *तेलंगाना के किसानों ने अपने शासन में किसानों के हित में क्या-क्या कदम उठाए?*
> *ताकतवर होते हुए भी अवध और तेलंगाना के ज़मींदार किसानों के सामने कमज़ोर कैसे पड़ गए?*

स्वतंत्रता के बाद कानून और किसान

अंग्रेज़ों के समय हुए किसान आंदोलनों के कारण किसानों की समस्याएं, उनकी मांगे और उनकी आशाएं उभर कर आईं। यह स्पष्ट था कि किसान चाहते हैं कि सरकारी लगान कम हो, साहूकारों के चंगुल से राहत मिले और ज़मींदारों का दबदबा खत्म हो। यह मांग भी उठने लगी थी कि ज़मीन जोतने वाले की अपनी होनी चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद किसानों से ली जाने वाली लगान बहुत कम की गई। किसानों की कर्ज़े की ज़रूरत पूरी करने के लिए सरकारी बैंक खोले गए। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि ज़मींदारी प्रथा खत्म की गई।

ज़मींदारी प्रथा को खत्म करने का कानून 1950 में बना। यह तय हुआ कि हरेक किसान से सरकार

सीधे लगान वसूल करेगी। ज़मींदारों के ज़रिए लगान वसूली नहीं होगी।

यह भी तय किया गया कि ज़मींदार सिर्फ अपनी खुद की ज़मीन के मालिक रहेंगे। किसानों की ज़मीन का मालिक होने का हक अब उन्हें नहीं होगा। किसानों को उनकी अपनी ज़मीन का मालिक बनाया जाएगा।

पर ज़मींदारों को यह बात कैसे भा सकती थी? उन्होंने दावा किया कि किसानों की ज़मीन से उनका "हक" छीनने के बदले में उन्हें मुआवज़ा मिलना चाहिए।

क्या तुम्हें ज़मींदारों की यह मांग उचित और न्यायपूर्ण लगती है?

उस समय सरकार ने तय किया कि ज़मींदारों को मुआवज़ा दिया जाएगा। मुआवज़ा दे कर सरकार ने ज़मींदारों से किसानों की ज़मीन ले ली ताकि किसानों को उनकी ज़मीन दी जा सके। पर ज़मींदारों को मुआवज़ा देने में सरकार को काफी पैसा खर्च करना पड़ा था। इसलिए यह नियम बनाया गया कि किसानों को उनकी ज़मीन का मालिक तभी बनाया जाएगा जब वे अपनी ज़मीन की कुछ कीमत चुकाएंगे। यह बात बहुत लोगों को ठीक नहीं लगी। क्योंकि जो किसान कीमत चुका पाए वे अपनी ज़मीन के मालिक बने और उनके सिर से ज़मींदारी का बोझ हल्का हुआ। लेकिन लाखों ग़रीब किसान यह कीमत नहीं चुका पाए और पहले की तरह भूमिहीन बटाईदार और मज़दूर बने रहे और बड़े किसानों व ज़मींदारों के खेतों पर काम करते रहे।

यह ज़रूर है कि स्वतंत्रता के बाद बटाईदारों के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बने ताकि उनसे अनुचित बटाई नहीं ली जाए, और उन्हें बिना कारण ज़मीन से नहीं हटाया जाए। मज़दूरों के हित में भी कुछ कानून बने। पर बड़े किसानों ने इन कानूनों से बचने के कई उपाय भी ढूंढ लिए।

तुम्हारे इलाके में बटाईदारों और खेतिहर मज़दूरों के हित में क्या कानून लागू हुए हैं?

आज स्थिति यह है कि भारत में सभी जोतने वाले ज़मीन के मालिक नहीं हैं। काश्त करने वालों को ज़मीन का हक दिलवाने के लिए स्वतंत्रता के बाद भी आंदोलन हो रहे हैं।

तुम अपने बड़े बूढ़ों से पता करो कि तुम्हारा गांव किस की ज़मींदारी या मालगुज़ारी में आता था? मालगुज़ार का तुम्हारे गांव के किसानों से कैसा रिश्ता था?
ज़मींदारी/मालगुज़ारी खत्म होने का कानून बनने के बाद तुम्हारे इलाके में क्या बदलाव आए हैं? तुम्हारे गांव में कितने भूमिहीन किसान व खेतिहर मज़दूर हैं? उनके पास ज़मीन क्यों नहीं है?

अभ्यास के प्रश्न

1. मुग़ल काल के किसानों और अंग्रेज़ों के समय के किसानों की स्थिति में तुम्हें क्या फर्क नज़र आते है?
2. क) अमेरीका में 1861 से 1865 तक हुए युद्ध ने मराठा किसानों पर क्या असर डाला - समझाओ।
   ख) क्या आजकल भी फसल के दाम बहुत ज़्यादा गिर जाने से किसान चौपट हो जाता है? समझाओ।
3. अंग्रेज़ों के समय में आबादी बढ़ने से किसानों पर क्या असर पड़ा?
   क्या यह असर आज भी देखा जा सकता है?
4. क) तुमने किसानों को साहूकार, सरकार, ज़मींदार के खिलाफ विरोध करने के क्या-क्या तरीके अपनाते देखा?
   ख) आजकल किसान अपने हितों के लिए कैसे लड़ते है?

9 अंग्रेज़ों के शासन में जंगल और आदिवासी

अंग्रेज़ों के समय में जंगल के उपयोग में बदलाव

अंग्रेज़ों से पहले जंगल का उपयोग

जंगल में रहने वाले आदिवासी और जंगल के पास रहने वाले गांव के लोग जंगल का उपयोग करते आए थे। एक तरह से वे ही जंगल के मालिक थे। वे वहां शिकार करते थे, कंद, फल-फूल, जड़ी-बूटियां बटोरते थे, अपने ढोर चराते थे। कहीं कहीं लोग जंगल जलाकर खेती भी करते थे। वे अपने घर और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए जंगल से लकड़ी काट लाते थे। मगर यह सब अपने घर के उपयोग के लिए करते थे - व्यापार करने या बेचकर मुनाफा कमाने के लिए नहीं। वे जंगल की थोड़ी बहुत चीज़ें बेचते भी थे तो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें (नमक, लोहा) खरीदने के लिए ही बेचते थे।

जो किसान और आदिवासी जंगल का उपयोग करते थे, वे उसकी रक्षा भी करते थे। पेड़ काटते भी तो पुराने ही पेड़ काटते थे और नए पेड़ों को बढ़ने देते थे। एक साथ सारा जंगल अंधाधुंध नही काटते, थोड़े थोड़े हिस्से ही काटते ताकि जंगल नष्ट न हो।

जंगल में रहने वाले लोग समय समय पर राजाओं व बादशाहों को मूल्यवान भेंट लाकर देते थे (हाथी दांत, खाल, शहद आदि)। जो लोग जंगल में खेती करते थे वे कभी कभी लगान भी देते थे। पर जंगल के उपयोग को लेकर राजा या बादशाह कोई ख़ास नियम कानून नही बनाते थे और इस तरह जंगल के लोग स्वतंत्र रूप से उनका उपयोग और देखभाल करते आए थे।

अंग्रेज़ों के समय में जंगल का उपयोग

अंग्रेज़ों के समय में जंगल की लकड़ी का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। उस समय कलकत्ता, बंबई जैसे बड़े बड़े शहर बस रहे थे, मीलों लंबी रेल लाईनें बिछ रही थी, बड़े बड़े जहाज़ बन रहे थे, और खदानें खुल रही थीं। इन सबके लिए लकड़ी ज़रूरी थी।

जंगल से भोजन बटोरते हुए



रेल लाईन के स्लीपर

सन् 1870 में लगभग आठ हज़ार किलोमीटर लंबी रेल लाईनें बिछाई

गई थी। सन् 1910 तक पचास हज़ार किलोमीटर से भी अधिक रेल लाईनें बिछ चुकी थीं। रेल पटरियां बिछाने के लिए हर साल लगभग एक करोड़ लकड़ी के स्लीपर लगते थे। स्लीपर की लकड़ी सप्लाई करने के लिए हिमालय और तराई के जंगल के जंगल काटे गये।

इसके अलावा इमारतों, खदानों और जहाज़ों के लिए भारी मात्रा में जंगल काटकर बेचा जाने लगा। यह काम लकड़ी के व्यापारी और जंगल के ठेकेदार किया करते थे।

अंग्रेज़ सरकार को भी लकड़ी के इस व्यापार से बहुत फायदा होता था। सरकार जंगलों को काटने का ठेका नीलाम करती थी। ठेकेदार से मिले पैसों से सरकार को बहुत आमदनी होने लगी थी।

पहले की तुलना में अंग्रेज़ शासन में जंगल का उपयोग क्यों बदला?

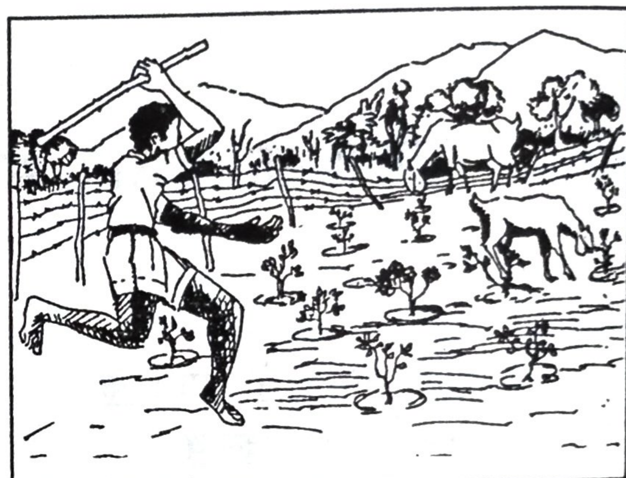
जंगलों को खतरा और नए जंगल लगाने की ज़रूरत

जब ठेकेदार बेतहाशा जंगल काटने लगे तो जंगल तेज़ी से खत्म होने लगे। अब यह खतरा पैदा हो



रेल लाईनों के लिए जंगल की कटाई खूब हुई

गया कि सारे जंगल कटकर खत्म हो जायेंगे। तब जाकर कटे हुए जंगलों की जगह नए पौधे उगाने की ज़रूरत महसूस हुई। आखिर सारे जंगल कट जायेंगे



वन विभाग की पौध और गांव की बकरी

तो रेल, जहाज़ और मकानों के लिए लकड़ी कहां से मिलेगी? आम लोगों के उपयोग के पेड़ (आम, महुआ, नीम आदि) लगाने में सरकार की रुचि नहीं थी। सरकार चाहती थी कि कटे हुए जंगलों की जगह ऐसे पेड़ लगें जिनकी मांग बाज़ार में थी (जैसे सागोन, चीड़)।

वन विभाग बना

तेज़ी से खत्म होते हुए जंगलों की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने 1864 में वन विभाग बनाया। वन विभाग का काम था वनों की कटाई पर निगरानी रखना और नए जंगल लगाना।

वन विभाग द्वारा नए वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए और पुराने जंगल को खत्म होने से बचाने के लिए ढेरों नियम बनाये गए। इन नियमों का यही नतीजा रहा कि लोगों का जंगलों पर जो अधिकार था वह छिनने लगा। वे अब स्वतंत्र रूप से लकड़ी काटने, ढोर चराने, फल फूल इकट्ठा करने, शिकार करने जंगल में नही जा सकते थे। इसके कुछ उदाहरण देखो।

अफसर : "हम कटे जंगलों में नए पौधे लगाते हैं तो गांव वालों के ढोर चर जाते हैं। इन्हें जंगल में आने से रोकना होगा।"

"गांव के लोग गर्मी में जंगल के घास फूस जलाते हैं ताकि बरसात के बाद चराने के लिए घास उग आये। इस आग से बड़े पेड़ तो नही जलते हैं पर वन विभाग द्वारा लगाए गए छोटे पौधे झुलस जाते हैं। इस तरह घास फूस जलाने पर रोक लगानी चाहिए।"

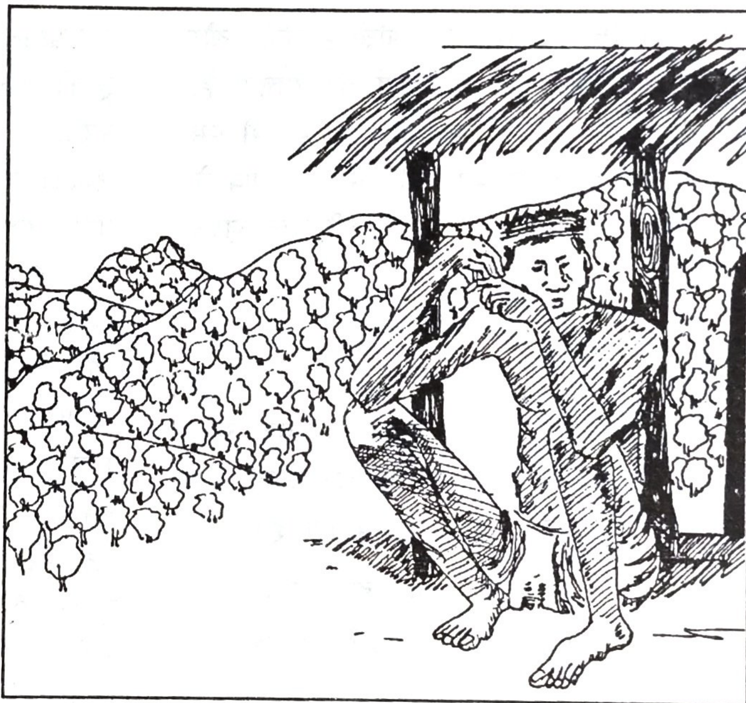
"ये जो सागोन जैसे कीमती पेड़ हैं, उन्हें ये गांव वाले डालियां और टहनियां तोड़कर खराब कर देते हैं। इसलिए हमें उनके अच्छे दाम नही मिलते हैं। इस तरह टहनियों को तोड़ने से गांव वालों को रोकना होगा।"

इन बातों की वजह से नया वन कानून 1878 में बना। इस कानून के तहत जंगलों को दो भागों में बांटा गया।

1. <u>सरकारी (रिज़र्व) जंगल</u> - जिसमें कोई भी घुस तक नहीं सकता था।
2. <u>सुरक्षित जंगल</u> - जहां लोग अपने उपयोग के लिए सरगट्ठा लकड़ी और छोटी वनोपज ला सकते थे और ढोर चरा सकते थे। लेकिन यहां भी बहुत प्रतिबंध थे। जैसे "पेड़ नही काट सकते", "घास फूस नही जला सकते", "दो दिन से ज़्यादा ढोरों को नही चरा सकते वरना जुर्माना होगा"।

इन सब बातों का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा - चलो, एक कहानी पढ़ कर जानें। यह कहानी है सुकरू जानी की जो उड़ीसा की पहाड़ियों में बसे देगचा वनग्राम का रहने वाला था।

वन विभाग को नए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी क्यों लगा?
वन विभाग को नए पौधों की रक्षा के लिए गांव वालों पर रोक क्यों लगानी पड़ी?



इस साल खेती बढ़ानी है

<u>सुकरू जानी की कहानी</u>

<u>अंग्रेज़ों के शासन से पहले</u>

सांझ ढल रही है। सुकरू जानी अपनी झोपड़ी के अगवाड़े बैठा सामने की पहाड़ी के जंगल में से धूप को खिसकते हुए देख रहा है। पहाड़ी की यही सामने वाली ढलान उसे बहुत मोह रही है। हल्की ढाल है, मिट्टी भी गहरी है।

सुकरू सोच रहा है कि इस साल उसे खेती बढ़ा लेनी चाहिए। दोनों लड़के बड़े हो चुके हैं। उनकी शादी करनी है। लड़की वालों को चुकाने के लिए रकम चाहिए। नही तो शादी कैसे होगी।

सुकरू की आंखें अपने बेटों की ओर उठ जाती हैं। पहला बेटा माण्डिया कुल्हाड़ी की धार तेज़ करने में मग्न है। टीकरा अपनी डुगडुगी के तारों से बहुत देर से एक धुन निकालने की कोशिश कर रहा है।

बेटो को देख कर सुकरू की आंखो में संतोष और गर्व भर आता है। पान खाते हुए वह सोचता है, "अब टीकरा भी बड़ा हो गया है। इस वर्ष से हम थोड़ा ज़्यादा खेत तैयार कर लेंगे। कल मैं गांव के प्रधान से यह सामने वाली पहाड़ी की बात ज़रूर करूंगा।"

खेतों का बंटवारा

अगले दिन देगचा गांव का प्रधान आने वाले साल के लिए खेत बांटने वाला था। इसलिए उसने सारे गांव वालों को डुमका पहाड़ी पर बुलाया है।

अगले दिन सुबह ही सब लोग डुमका पहाड़ी पर पहुंच गये। प्रधान ने सबसे पूछ-पूछ कर खेती के लिए ज़मीन बांटी।

आसपास की सात-आठ पहाड़ियां और बीच के पठार की ज़मीन देगचा गांव की है। कई सदियों से इन पहाड़ों और इस पठार पर देगचा गांव के लोग जंगल जलाकर खेती करते आये हैं। किसी साल एक पहाड़ी पर खेती की तो किसी साल दूसरी पहाड़ी पर। हर साल किस ज़मीन पर खेती करनी है यह गांव का प्रधान गांव के सयाने लोगों से विचार करके तय करता है। अब डुमका पहाड़ी पर खेती करने की बारी है।

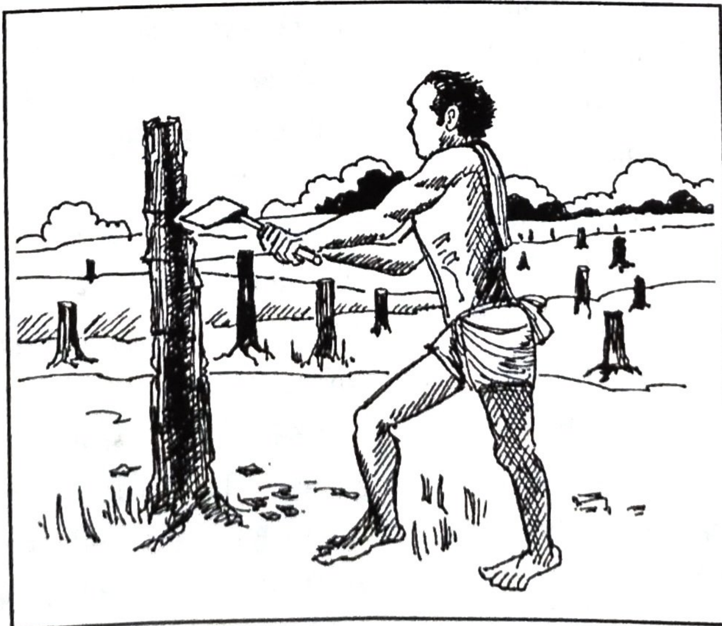
सुकरू डुमका पहाड़ी पर दो बीघा ज़मीन मांगता है और वो उसे मिल जाती है। फिर वह प्रधान से उसके घर के सामने वाली पहाड़ी की हल्की ढाल पर आधा बीघा ज़मीन तोड़ने की बात करता है। लेकिन प्रधान को सुकरू की बात ठीक नही लगती। वह उसे मना करते हुये कहता है, "नहीं, नही सुकरू। उस पहाड़ी को हम हाथ नही लगायेंगे। आने वाले सालों में तोड़ने के लिए नई ज़मीन बची रहनी चाहिए। तुम डुमका पहाड़ी पर ही एक बीघा और ले लो।"

सुकरू मन मसोसकर रह जाता है। टीकरा पास खड़ा है। तुनक के बोला, "प्रधान ने क्यों मना किया?" सुकरू ने समझाया, "नहीं, प्रधान ठीक कह रहा है। चल अपन यही तीन बीघे ज़मीन तोड़कर बोयेंगे। देखें तू कितनी मेहनत कर सकता है - मेरी जितनी या माण्डिया जितनी या हमसे भी ज़्यादा।"

डुमका पहाड़ी पर ज़मीन तोड़ना

सर्दी के दिन अब सचमुच चले गये हैं और हवा में लपट आने लगी है। डुमका पहाड़ी ऊपर से नीचे तक कुल्हाड़ियों की ठक-ठक से गूंज रही है। देगचा गांव के लोग पेड़, झाड़ियां, घास फूस काटने में लगे हैं। इस पहाड़ी पर उन्होंने इक्कीस-बाईस साल पहले खेत बनाये थे। यहां एक दो साल फसल उगाकर दूसरी जगह चले गये थे। तब से अब तक डुमका पहाड़ी पर काफी जंगल उग आया है। अब उसे फिर से काट रहे हैं।

खेत तैयार करने के लिए जंगल काटना



सुकरू, माण्डिया और

टीकरा भी लगे हुये हैं। टीकरा दो घंटों से लगातार कुल्हाड़ी चला रहा है। उसका गला बुरी तरह सूख रहा है। "क्यों, थक गया?" माण्डिया ने उसे चिढ़ाया।

"नहीं तो।" टीकरा बोला। "क्यों माण्डिया, वो पहाड़ी का खेत अच्छा था न जहां नीचे ही तोरु नदी बहती है! नदी में सपड़ने में कितना मज़ा आता था!"

माण्डिया बोला, "तू भी क्या सपड़ता था! मैं और बाबा कुल्हाड़ी चलाते थे और तू तोरु नदी में मछली पकड़ता था!"

टीकरा ने कहा "तो क्या! मछली खाने को मिलती तो थी। अब वहां कब खेत बनाएंगे माण्डिया? क्या अगले साल?"

भाईयों की बात सुन सुकरू बीच में बोल पड़ा, "नहीं, अगले साल नहीं। अभी तीन साल पहले ही तो वहां खेती की है। अभी तो वहां थोड़ी झाड़ियां ही उगी हैं। पेड़ ज़रा ज़रा से हुये हैं। अगर अब वहां काटकर बोयेंगे तो बहुत ही हल्की फसल होगी। वहां खेती करने में तो अब कई साल लगेंगे। तू उतावला मत हो रे टीकरा।

बाप बेटे तीनों डेढ़ महीने तक लगे रहे। जब दूसरों के खेतों में पेड़ कटाई का काम पूरा हो गया तो उन्होंने कुछ दिन सुकरू के खेत में मदद कर दी। फिर भी चलीस-पचास दिन में कहीं जाकर तीन बीघे ज़मीन पर पेड़ काटे जा सके।

अब कई महीने खेतों में कुछ काम नहीं रहेगा। डुमका पहाड़ी पर कटे हुये पेड़ पड़े-पड़े सूखेंगे। चारों तरफ के जंगलों के बीच खेती के लिए साफ किया गया यह छोटा सा हिस्सा अलग ही दिखाई पड़ता है। अब बरसात आने के कुछ दिन पहले ही सूखी लकड़ी को जलाया जायेगा और राख पर बीज छिड़के जाएंगे। वे ज़मीन को जोतते या बखरते नहीं हैं। राख में छिड़के बीज बरसात में उगेंगे और बरसात के बाद फसलों की कटाई शुरू होगी।

जंगल में फल बटोरना और शिकार

माण्डिया और टीकरा खुश थे। पेड़ काटने का मेहनती काम अब खत्म हो गया है। वे अब चारों ओर के जंगलों में जाया करेंगे और खरगोश, हिरण आदि मारकर लाया करेंगे। सभी को शिकार करना बहुत पसन्द है। गांव के सब पुरुष छोटी-छोटी टोलियों में शिकार करने जायेंगे।



औरतें भी जंगल में कंद, फल, पत्ते आदि खाने की चीज़ें इक्टठा करने जायेंगी। उनके साथ सुकरू की पत्नी सोबारी और दो बेटियां - जिली और बिली - जायेंगीं।

जब तक नई फसल नहीं आ जाती तब तक इसी तरह जंगल की चीज़ों से गुज़ारा करना होता है। पिछली फसल गर्मी के महीनों तक खत्म होने को होती है। तब जंगल के शिकार और फलों के सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं रहता।

हाट में जाना है

जिली और बिली भी खुश हैं। जंगल से इमली, चिरौंजी, महुआ और गुल्ली बीनकर वे पास के कस्बे में हाट में बेचने जायेंगी। हाट से थोड़ा नमक और तेल तो हमेशा लाना होता है। पर इस बार उन्होंने सोच के रखा है कि वे अपने लिए एक एक लाल मनकों की माला ज़रूर लेकर आयेंगी। पर इतनी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे भी तो हों। "चल बिली," जिली

कहती है, "इस बार जंगल से राम-बुहारी भी काट लायेंगे। दो-चार झाड़ू बनाकर हाट में बेचेंगे।"

हाट में साहूकार

जिली, बिली, माण्डिया और टीकरा - चारों बच्चे हाट जाने को तैयार हो रहे हैं। उधर मां सोंबारी सुकरू से बात कर रही है। "घर में कोदो तो पहले ही खत्म हो गया था। अब मक्का भी खत्म हो रहा है। जंगल से चाहे जो ले आओ, पर अनाज तो चाहिये न? अब की बार साहूकार से अनाज लेना ही होगा।"

सोंबारी सामान को टोकरी में रखती हुई कहती है, "तुम लोग पहले साहूकार की दुकान पर जाना। ये सारी चिरौंजी, इमली, गुल्ली और राम-बुहारी उसे देकर पहले तीन सेर कोदो ले लेना। फिर नमक और तेल लेना। फिर जो पैसे बचें उस से ही माला खरीदना।"

साहूकार

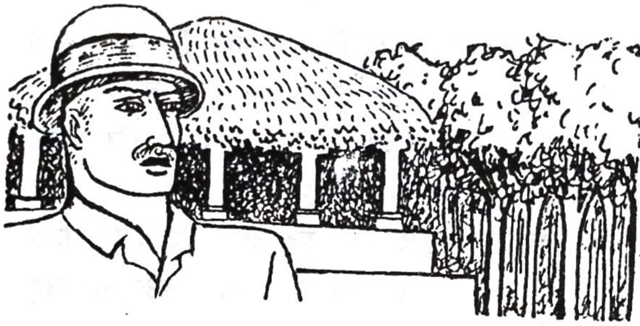
साहूकार रामचन्द बिसोई कस्बे में रहता है। सख्त ज़रूरत पड़ने पर गांव वाले उसी के पास जाते हैं। उसी से अनाज और पैसे उधार लेते हैं। उसी को अपनी अधिकांश चीज़ें बेचते हैं, चाहे वह कम दाम दे। हर साल फसल कटने के समय साहूकार अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव में पहुंच जाता है, उधारी वसूल करने। साहूकार से उधार लेते रहने और चुकाते रहने का यह सिलसिला चलता ही रहता है।

वैसे साहूकार जब शुरू में आया था तब सिर्फ जागीरदार का लगान इकट्ठा करता था। मगर धीरे-धीरे सूद पर उधार देना, चीज़ें खरीदना-बेचना, यह सब भी शुरू कर दिया।

साहूकार ने जिली और बिली से इमली, गुल्ली और चिरौंजी तोल कर ली। इसके बदले में उसने कोदो, तेल और नमक दिया। मगर इसके बाद जिली और बिली के पास पैसे नहीं बचे कि वे माला खरीद पायें। माण्डिया और टीकरा बाज़ार में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। बाज़ार में कहीं दूर से एक फकीर आया था। वह झूम-झूमकर नाच रहा था और कह रहा था, "अब सब कुछ बदलेगा। अब सब कुछ बदलेगा। नवाबों का शासन खत्म हो गया। अंग्रेज़ बहादुर का राज हो गया। अब सब कुछ बदल जायेगा।" जिली और बिली उस फकीर को देखते रह गये। ऐसा क्या बदलाव आयेगा?

इस कहानी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दो।

1. *सुकरू जानी खेती क्यों बढ़ाना चाहता था?*
2. *देगचा गांव की ज़मीन कहां कहां थी?*
3. *गांव के प्रधान ने सुकरू को घर के सामने वाली पहाड़ी पर खेत क्यों नहीं बनाने दिया?*
4. *गांव के लोग कहां ज़मीन तोड़ेंगे और कौन परिवार किस जगह खेत बनाएगा - यह कैसे तय होता था?*
5. *देगचा गांव के लोग जो खेती करते थे और तुम्हारे आसपास के गांवों में जो खेती होती है, उसमें क्या अंतर है?*
6. *तोरू नदी के पास वाली पहाड़ी पर कई वर्षों के बाद ही खेती की जायेगी - इसका सुकरू ने क्या कारण बताया?*
7. *गर्मी और बरसात के दिनों में खाने की कमी क्यों होती थी? तब देगचा गांव के लोग क्या-क्या करते थे?*
8. *साहूकार गांव वालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? वह लोगों से उधार कैसे वसूल करता था?*



अंग्रेज़ सरकार का ज़माना

देगचा गांव के लोगों को अक्सर हाट बाज़ार में अंग्रज़ों के किस्से कहानी सुनने को मिलते रहे। सब से ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रेलगाड़ी। लोगों ने एक गोरे साहब को रेल की पटरियां बिछाने का काम करवाते देखा। फिर जब एक दिन धुंआ छोड़ती छुक छुक करती रेलगाड़ी पटरी पर से गुज़री तो मानो महीनों तक लोगों ने और कोई बात ही नहीं करी। शहर जाने की उत्सुकता अब सबसे ज़्यादा इसीलिए बनी रहती कि शायद रेलगाड़ी देखने को मिल जाए।

इस बीच सुकरू जानी और सोंबारी दोनों गुज़र गए। जिली और बिली की शादियां हो गईं। अब माण्डिया और टीकरा अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। जब भी वे बाज़ार से लौटते तो आपस में बातें करते कि आसपास कितना कुछ बदल रहा है।

"तू ने देखा टीकरा, शहर में कितने नए नए लोग आ कर रहने लगे हैं?" माण्डिया कहता। "हां देखा! पर देखने लायक बात तो यह है कि उस तरफ नीचे मैदान के सारे जंगल साफ होने जा रहे हैं।"

"हां, हां, सो तो दिख रहा है। वहां सब हल बैल से खेती करने वाले लोग आ गए हैं। उनके गांव बस गए हैं।"

दरअसल, सरकार ने ही मैदान की ज़मीन नीलाम करवाई थी ताकि किसान, ज़मीदार आदि यहां आ कर ज़मीन लें, उसे अपने नाम दर्ज़ कराएं, उस पर खेती फैलाएं और सरकार को नियमित लगान दें। पर माण्डिया, टीकरा व उनके साथियों को नीलामी-वीलामी का कुछ पता नही था।

देगचा गांव के लोगों ने शहर और उसके आसपास क्या-क्या बदलाव देखे - सूची बनाओ।

गांव वालों के नाम ज़मीन दर्ज़ हुई

आखिर वो दिन भी आया जब एक गोरा साहब - हाफपैंट और टोप पहने, घोड़े पर चढ़ के - देगचा गांव आया। वह जंगल और खेत देखता रहा, प्रधान



से पूछ-ताछ करता रहा। उसकी खातिरदारी में पूरा गांव जुटा रहा। न जाने किस बात से नाराज़ हो जाए और क्या कर डाले - इस चिंता में लोग मारे मारे फिरते रहे।

गोरा साहब तो उस दिन चला गया। कुछ दिनों बाद हिन्दुस्तानी अधिकारियों का एक दस्ता गांव पधारा। तहसीलदार साहब और रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब साथ में थे। वे सब के खेतों को नाप नाप के अपने खाते में लिखने लगे। माण्डिया के खेत पर पहुंच कर बोले, "तुम्हारा खेत कहां से कहां तक है?"

माण्डिया ने अपना खेत दिखा दिया। उसकी नप्ती कर के इंस्पेक्टर बोला, "ये दो बीघे तुम्हारे नाम से दर्ज़ कर रहा हूं। इसी पर खेती करना। और कही जंगल मत काटना। बाकी जंगल सरकार का है।"

माण्डिया मन ही मन सोचने लगा, "ये क्या कह रहे हैं? अगले साल हम किसी दूसरी पहाड़ी पर जंगल काट कर खेती करेंगे।" पर डर के मारे वह उन से कुछ पूछ नही पाया।

रेवेन्यू इंस्पेक्टर डुमका पहाड़ी पर बने खेत देगचा गांव वालों के नाम दर्ज़ कर के चला गया।

यह जंगल सरकार का है

अगले साल धनुका पहाड़ी पर खेती करने की बारी थी। गांव का प्रधान सब को लेकर वहां गया और खेत बांटे। ठक-ठक-ठक-ठक पेड़ काटने का काम शुरू हो गया।

कई दिन काम चलता रहा। फिर एक दिन अचानक, खाकी वर्दी पहने एक आदमी दौड़ते-दौड़ते पहाड़ी पर चढ़ता दिखा। यह था फॉरेस्ट गार्ड। चिल्ला के बोला, "ऐ रोको। यह क्या कर रहे हो? यह सरकार का जंगल है। यहां पेड़ काटना मना है। काटने वाले को जुर्माना भरना होगा।"

प्रधान उसके पास जा के बोला, "हुज़ूर! आप यह क्या कह रहे हैं? यह जंगल तो हमारा है। पुर्खों के समय से हम यहां खेती करते आए हैं।"

गार्ड बोला, "तुम लोगों की ज़मीन तो डुमका पहाड़ी पर दर्ज़ है। और यहां का जंगल सरकार ने ले लिया है। यह तुम्हारा नही हैं। चलो, चौकी पर और जुर्माना भरो। हरेक को बीस-बीस रुपए देने होंगे। चलो मेरे साथ।"

सब लोग सकपका गए। प्रधान ने जल्दी से सबको बुला कर कुछ बातें कीं। लोग अपने अपने घरों को दौड़े गए और तरह तरह की चीज़ें लेकर फॉरेस्ट गार्ड के सामने पेश किए। अंडे, मुर्गी, कद्दू, हल्दी। हाथ जोड़ कर बोले, "ये सब चीज़ें आप रख लीजिए साहब। हमें अपनी ज़मीन पर खेती कर लेने दीजिए। नही तो हम कहां जाएंगे, क्या खाएंगे?"

लोगों की मज़बूरी देख के फॉरेस्ट गार्ड का लालच बढ़ने लगा, "रख दो यह सब। पर देखो, मैं बहुत जोखिम का काम कर रहा हूं। तुम लोगों को सरकारी जंगल काटने दूंगा तो मेरी नौकरी का क्या होगा?"

प्रधान बोला, "आप हमारे सब कुछ हैं। आप जैसा कहें वैसा हम करेंगे। मगर हमें खेती करने दें।"

फॉरेस्ट गार्ड ने दाएं बाएं आंखें घुमाईं और प्रधान को एक तरफ ले जा के कहा, "सब लोग 5-5 रुपए दो। तब मैं तुम्हारे लिए यह खतरा उठाऊं। सोच लो। मैं परसों फिर आऊंगा।" इतना कह कर वह चला गया।

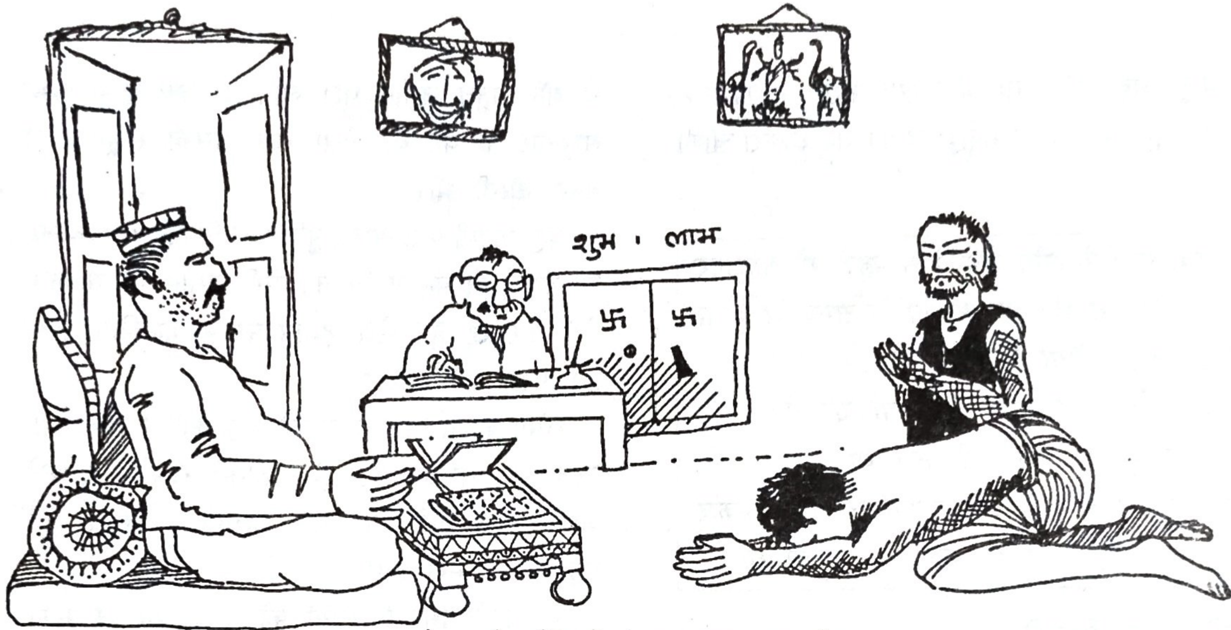
प्रधान ने सब को फॉरेस्ट गार्ड की बात बताई। काफी विचार हुआ। पर आखिर में लोगों ने जैसे तैसे पैसे इक्ट्ठे कर के गार्ड को दिए। जिनके पास पैसे नहीं थे, वे साहूकार से उधार ले कर आए। उनमें माण्डिया भी था।

धनुका पहाड़ी पर खेती करना देगचा गांव वालों को गलत क्यों नहीं लगा और फॉरेस्ट गार्ड को यह गलत क्यों लगा?
सरकार समझती थी कि जंगल पर उसका हक है।
देगचा गांव के लोग समझते थे कि जंगल पर उनका हक है।
दोनों में से किसका हक ज़्यादा पुराना था?

कर्ज़ा और बंधुआ मजदूरी

फॉरेस्ट गार्ड को भेंट और पैसे दे कर जंगल में खेती करते रहना एक नियमित बात हो गई थी। बात अखरती थी क्योंकि जिस चीज़ को अपना मानो उसके लिए दूसरे की खुशामद करते फिरना पड़ता था। और इसके लिए बार बार साहूकार से कर्ज़ा लेना पड़ रहा था।

टीकरा यही सब सोचता हुआ, गुस्सा होता हुआ, जंगल से लौट रहा था। उसके कंधे पर शिकार लदा था। सामने से फॉरेस्ट गार्ड आता दिखा। लपक के टीकरा के सामने आया और आंखें तरेर कर बोला,



और कर्ज़ा चाहिए तो बंधुआ मज़दूर बनना होगा

"जब देखो तब जंगल से चुपचाप शिकार मार कर लाते हो। मैं कुछ नहीं कहता। क्या, चौकी पर जा कर जुर्माना भरने का इरादा है?"

टीकरा समझ गया कि गार्ड साहब को भेंट चाहिए। पर आज न जाने उसका मन कैसा हो रहा था। तन के बोला, "आप कर लीजिए जो करना है। मैं और कुछ नही दे सकता। अब तो साहूकार भी कर्ज़ा नही देता है।"

गार्ड साहब के सामने अकड़ने का अंजाम बुरा ही होना था। सो हुआ। टीकरा को सिपाही पकड़ के ले गए और चौकी में बंद कर दिया।

माण्डिया बौखलाया हुआ साहूकार के पास पहुंचा, "सेठजी, थोड़ा कर्ज़ा और दे दीजिए। टीकरा को बंद कर दिया है। उसे छुड़ाना है।"

साहूकार रामचन्द बिसोई मन ही मन मुस्कराया। उसके मन में कई सपने तैर रहे थे। वह देख रहा था कि दिन फिर रहे हैं। ये लोग अब कही के नही रहेंगे। पहले न जाने कहां-कहां जंगलों में खेती करते फिरते थे। पर अब बात बात पर उससे कर्ज़ा लेने आते हैं। जंगल की ज़मीन भी इनके हाथ से निकल गई है।

साहूकार ने नीचे मैदान में ज़मीन खरीदी हुई थी। अच्छी ज़मीन थी। पर उस पे हल कौन चलाएगा यही समस्या थी। वह दूसरे किसानों से या मज़दूरों से ज़मीन जुतवा सकता था पर एक ज़्यादा अच्छा उपाय उसके दिमाग में घूम रहा था। मूंछों पर उंगली फेरते हुए बोला, "देखो भाई माण्डिया, तुम्हारा पुराना कर्ज़ा कितना है? चुकाते तो हो नही।"

माण्डिया गिड़गिड़ाया, "नही सेठजी, मना न करें।" साहूकार बोला, "तो सुनो। तुम दोनों भाईयों में से एक को मेरा बंधुआ मज़दूर बनना होगा।"

यह सुन कर माण्डिया दो कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। थोड़ा रुक के साहूकार बोला, "मेरे खेत पर काम करना होगा। मैं खाने को दूंगा। हर साल कर्ज़े का 2 रु. माफ कर दूंगा। हर साल रुपए में आठ आना ब्याज लगता रहेगा। जितने साल कर्ज़ा चुके, उतने साल मेरे यहां मज़दूरी करना। मजूंर है तो [illegible] लो, नही तो कही और जाओ।"

मंजूर नहीं होता तो और क्या करता माण्डिया? वह साहूकार का बंधुआ मज़दूर बना। तब टीकरा चौकी से छूटा।

देगचा गांव के लोग अंग्रेज़ों से पहले भी साहूकार से कर्ज़ा लेते थे। पर अंग्रेज़ों के समय में कर्ज़ा बहुत बढ़ने लगा - क्यों?
लोग कर्ज़ा क्यों नहीं चुका पा रहे थे?
बंधुआ मज़दूरी की शर्तें क्या थीं?
क्या तुम सोच सकते हो कि माण्डिया किसी प्रकार बंधुआ मज़दूरी से छुटकारा पा सकता था?

ज़मीन की नीलामी

गांव के सब लोगों के साथ टीकरा घाट के नीचे जा रहा है। इस साल घाट के नीचे की ज़मीन पर खेती करनी है। यह गांव की सबसे अच्छी ज़मीन है। ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं है। यहां मिट्टी अच्छी है। उन्होंने 22 साल पहले घाट नीचे खेती की थी। अब वहां अच्छा जंगल उग गया था।

टीकरा के कंधे पर कुल्हाड़ी है - पर मन बहुत उदास है। वह अकेला कितनी ज़मीन तोड़ पाएगा? अब माण्डिया न जाने कब वापस आएगा।

घाट नीचे पहुंच कर प्रधान ने खेत बांटे और लोगों ने पेड़ों की कटाई शुरू की। देखते देखते बारिश के दिन आए और खेत बो दिए गए। फसल खड़ी होने लगी।

कटाई का समय आया। लोग हंसिये लेकर गाते हुए खेतों पर पहुंचे और कटाई शुरू करने ही वाले थे कि पुलिस के कुछ सिपाहियों के साथ एक हट्टा-कट्टा आदमी आता दिखाई दिया। हंसिये थामे हुए हाथ जहां के तहां रुक गए। आशंका से भरी आंखों ने उस आदमी की तरफ देखा। वह मैदान के एक गांव का बहुत बड़ा किसान था। उसके पास कई जोड़े बैल थे और बहुत ज़मीन थी। लोगों ने उसे कभी कभी साहूकार के घर बैठे देखा था। उसकी साहूकार से बहुत दोस्ती थी।

वह आदमी पास आकर पुलिस के सिपाहियों से बोला, "ये देखो! मैं कहता था न। मेरी ज़मीन पर ये लोग खेती कर रहे हैं। मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। पकड़ लो इन्हें।"

लोगों की तरफ मुंह कर के वह आदमी चिल्लाया, "खड़े खड़े क्या ताक रहे हो? हंसिये पटको और थाने जाओ। इस ज़मीन को मैंने नीलामी में खरीदा है। यह ज़मीन मेरी है।"

पुलिस के सिपाही लोगों को पकड़ कर ले गए। एक बार फिर लोगों ने कर्ज़ा लिया और किसी तरह जुर्माना चुकाया।

फिर वे फॉरेस्ट गार्ड से जा कर मिले। बोले, "आप तो कहते थे जंगल में खेती कर लो। यह ज़मीन की नीलामी का मामला क्या है?"

गार्ड बोला, "अरे वो ज़मीन सरकारी जंगल में नहीं है। उसे सरकार ने खेती के लिए नीलाम कर दिया है। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। तहसीलदार से मिलो।"

लोग तहसीलदार से जा कर मिले। अब उनके गुस्से की सीमा नहीं रही थी। उत्तेजित स्वर में कहने लगे, "ये हमारे पुर्खों की ज़मीन है। हम वहां खेती करते आए हैं। आपने नीलाम कैसे कर दी?"

तहसीलदार कड़क के बोला, "कौन कहता है तुम्हारे पुर्खों की ज़मीन है? तुम्हारे नाम से डुमका पहाड़ी की ज़मीन दर्ज़ है। इतने सालों से यह घाट नीचे की ज़मीन खाली पड़ी थी। जंगल था। कोई उस पर खेती नहीं कर रहा था। हमने नीलाम कर दी ताकि वहां ठीक से खेती हो और हर साल लगान मिले। तुम लोग जैसे खेती करते हो वैसे अब नहीं चलेगा। यह बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही?"

लोग चिल्लाए, "पर हमें तो बताया नहीं? कब नीलामी हो गई?"

तहसीलदार बोला, "तुम्हारे घर मैं बताने नही जाऊंगा। दफ्तर पर नीलामी का नोटिस लगा था। पर तुम लोगों को तो कुछ मालूम ही नही रहता। इसका मैं क्या करूं? जाओ दफा हो जाओ यहां से।"

> *नीलामी से पहले घाट के नीचे की ज़मीन किसकी थी?*
> *नीलामी के समय उस पर जंगल क्यों उगा था - खेती क्यों नहीं हो रही थी?*
> *सरकार यह ज़मीन नीलाम क्यों कर रही थी?*

मज़दूरी का जीवन

घाटी नीचे की खड़ी फसल को दूसरा ले गया। इस साल पेट भरने को भी कुछ नहीं मिला। टीकरा साहूकार से अनाज उधार लेने पहुंचा। अब तो साहूकार की हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। बोला, "डुमका पर तुम्हारे नाम से जो ज़मीन है, उसे गिरवी रखूंगा। तभी उधार दूंगा। दो साल में उधारी नही चुकाई तो ज़मीन ले लूंगा। बोलो?"

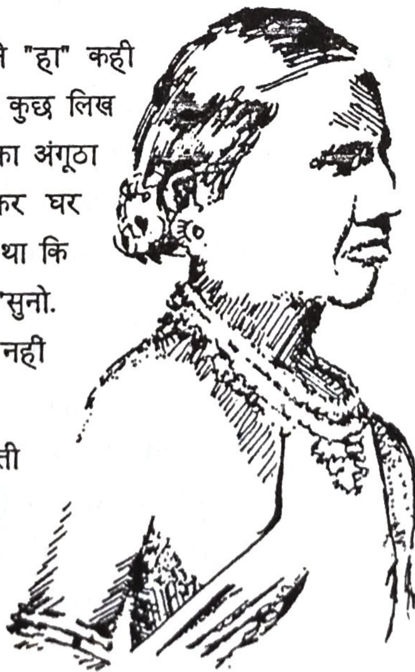
बोलना क्या था? टीकरा ने "हा" कही और साहूकार ने एक कागज़ पर कुछ लिख कर दो आदमियों के सामने उसका अंगूठा लगवाया। टीकरा कोदो ले कर घर आया। थका हारा वह बैठा ही था कि उसकी पत्नी कजोदी दौड़ी आई, "सुनो. यहां से चले चलो। अब यहां नही रहेंगे।"

"कहां चलो? कैसी बातें करती है?" टीकरा ने कहा।

कजोदी ने उसे बताया कि एक ठेकेदार आया है। "वह वन विभाग के लिए जंगल में सड़क बना रहा है। कह रहा है मज़दूर चाहिए। हर महीने 2 रुपए देगा। चलो, हम दोनों सड़क पर काम करेंगे," कजोदी ने ज़ोर दिया। टीकरा कुछ देर सोचता रहा, "कजोदी ठीक कह रही है। यहां क्या रखा है? जंगल अपना नही रहा। ज़मीन नही रही। साहूकार की उधारी चुकती नहीं है। डुमका पहाड़ी की ज़मीन भी वो ले लेता है तो ले ले।"

अगले दिन गांव के कई और लोगों के साथ टीकरा और कजोदी सड़क पर मज़दूरी करने चल दिए। आगे भी उनका जीवन मज़दूरी करते ही बीता। जिन जंगलों में वे खेती करते थे, अब वे उन्हीं जंगलों को लकड़ी के ठेकेदारों के लिए काट देते हैं। जिन पेड़ों की राख पर वे बीज बोते थे उन पेड़ों को अब काट के रेल की पटरियां बनाने के लिए भेजते हैं।

अपना सब कुछ एक-एक कर के छिन जाने का गुस्सा उनके मन में भरा है। एक दिन वे शहर के





अगले दिन टीकरा और कजोदी मज़दूरी करने चल दिए

पास सड़क का काम कर रहे थे कि एक फकीर वहां से गुज़रा। वह गाता हुआ जा रहा था।

टीकरा को अपने बचपन की याद आई जब एक दिन हाट में ऐसे ही एक फकीर से उन्हें अंग्रेज़ों की सरकार बनने का पता चला था। पर आज यह फकीर क्या कह रहा है? "आएगा, आएगा, वो दिन भी आएगा। ये सब भाग खड़े होंगे। सारे के सारे - ये अंग्रेज़, ये साहूकार, ये ज़मीदार। अरे, इन्हें सांथालों ने मार मार के भगा दिया था........ इन्हें मुण्डा भगा रहे हैं....... इन्हें....."



आदिवासियों के विद्रोह

जंगलों में रहने वाले आदिवासी किसानों की हालत इस तरह बहुत बिगड़ने लगी थी। मध्य प्रदेश में बैगा, मारिया, मुरिया, गोंड, भील, आंध्र के कोया, रेड्डी, कोलम, उड़ीसा के शबर आदिवासी, सभी अपने पुराने तरीके से खेती नहीं कर पा रहे थे। वे साहूकारों के हाथ फंसते गये। उन्हें या तो वन विभाग और ठेकेदारों का मज़दूर बनना पड़ रहा था या बाहर से आये किसानों और साहूकारों के खेतों में बंधुआ मज़दूर बनना पड़ रहा था।

जहां-जहां सड़कें और रेल लाईनें पहुंची वहां-वहां बाहर के लोगों का पहुंचना और ज़मीन हथियाना आसान हो गया।

नया वन विभाग जो बना, उसका दबाव भी बढ़ता गया। बात-बात पर जुर्माना, आदिवासियों को पीटना, गांवों में घुसकर जबरन लोगों का सामान उठा ले जाना, औरतों से छेड़-छाड़ करना, रिश्वत लेना, बेगार करवाना आम बातें होने लगी।

ऐसी कठिन परिस्थितियों के खिलाफ आदिवासियो ने बार बार जगह-जगह विद्रोह किये। विद्रोहों के दौरान वे बड़ी संख्या में पुलिस थाने, वन विभाग की चौकियां और साहूकारों के घर जला डालते। कई जगह पूरे जंगल में आग लगा देते। इस तरह विद्रोह 1856 में सांथालो ने बिहार में किया, 1880 और 1922 में आंध्र के कोया आदिवासियों ने किया, 1910 में बस्तर में मारिया और मुरिया आदिवासियों ने किया, 1940 में गोंड़ और कोलम लोगों ने किया।

कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह

सांथाल विद्रोह

अंग्रेज़ों के शासन की शुरूआत से बिहार के सांथाल लगातार विद्रोह करते रहे। 1855-56 में एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसमें सांथालो ने ज़मीदारों और साहूकारों को लूटना मारना शुरू कर दिया। सांथालो ने ऐलान किया कि अंग्रेज़ो का राज्य खत्म हो गया है और वे सांथालो का स्वतंत्र राज्य बना रहे हैं। पर तीर धनुष धारी सांथाल अंग्रेज़ो की फौज का मुकाबला

एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोही - बिरसा मुण्डा





अन्याय नहीं सहेंगे

नहीं कर पाये। उस भीषण युद्ध में पंद्रह हज़ार सांथाल मारे गये।

सीता राम राजू और कोया आदिवासी

सड़क बनाने के काम में वन विभाग आदिवासियों से बेगार करवाता था। इस के विरोध में आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासियों ने विद्रोह किया। उन्होंने एक सेना बनाई और दो वर्ष तक लड़ते रहे। उनके नेता अल्लूरि सीता राम राजू थे। अन्त में सीता राम राजू को गिरफ्तार करके मारा गया।

कुमाऊं में वन विद्रोह (1921-22)

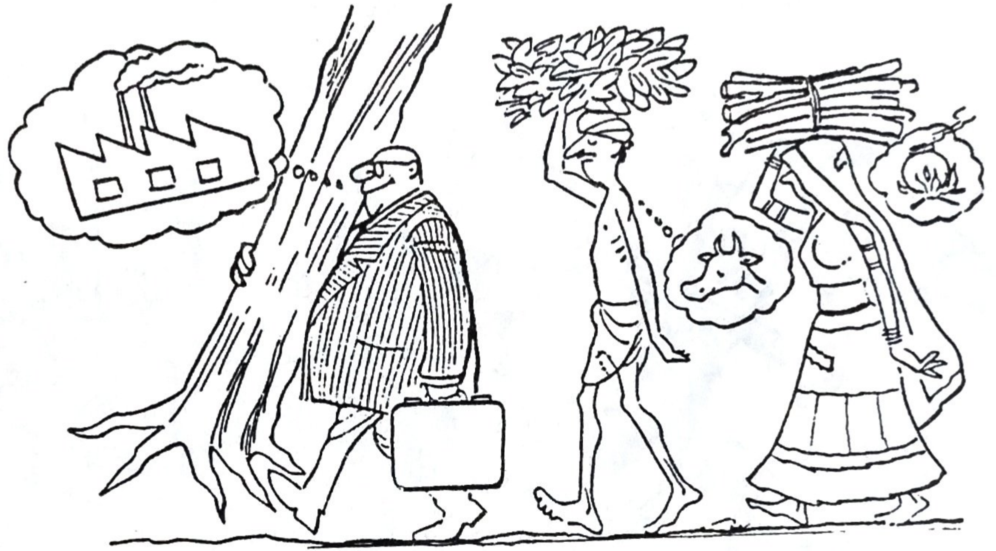
उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र के किसानों ने जंगल पर से अपना अधिकार छिनने के बदले में वन विभाग का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुल कर वन विभाग के नियम तोड़े। जिन जंगलों में ठेकेदार लकड़ी काटते थे उन्हें जलाने की कोशिश हुई। लोगों ने वन विभाग के लिए बेगार करने से इनकार किया।

इन आंदोलनों के कारण अंग्रेज़ सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी। जगह जगह उन्होंने अपने नियम कानून में ढील दी। कुछ क्षेत्रों में यह भी कानून बनाया कि बाहर के लोग आदिवासियों की ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं।

स्वतंत्रता के बाद वनों पर अधिकार

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने वन आरक्षित करने और लोगों द्वारा वन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की नीति कायम रखी है। तुमने समझा है कि यह नीति उद्योगों के लिए वनों के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। पर गांव के लोगों को वनों के इस्तेमाल में इस नीति से बहुत परेशानियां होती हैं।

तुम्हारे यहां लोगों को लकड़ी कहां से व कैसे मिलती है?
आजकल लोगों को जंगल की चीज़ें प्राप्त करने में क्या सुविधाएं व कठिनाइयां हैं?



जंगल खत्म कैसे होते हैं?

वनों का इस्तेमाल लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी हो और उद्योगों के लिए भी हो - इन दो अलग-अलग ज़रूरतों का मेल या समाधान नही हो पाया है।

स्वतंत्रता के बाद बड़ी तेज़ी से उद्योग लगे हैं और कागज़, खेल का सामान, पैकिंग आदि के कारखानों में लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होने लगा है। वन बहुत तेज़ी से कट रहे हैं। इससे हमारे पर्यावरण के लिए कई मुश्किल समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं।

० ० ०

अभ्यास के प्रश्न

1. क) गांव के लोग जिस तरह जंगल का उपयोग करते थे उससे जंगलों के पूरी तरह नष्ट होने का ख़तरा क्यों नहीं था?
   ख) यह ख़तरा कब और क्यों पैदा होने लगा?
2. वन विभाग जंगल की क्या व्यवस्थाएं करने के लिए बनाया गया?
3. वन विभाग और गांव वालों की टक्कर किन कारणों से होती थी?
4. जंगल जला के खेती किस तरह की जाती थी - 10 वाक्यों में इसकी मुख्य बातें समझाओ।
5. जंगल जला कर खेती करने वाले गांवों के चारों तरफ जंगल पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो जाता?
6. क) अंग्रेज़ शासन से पहले आदिवासी किसान साहूकारों से कर्ज़ा क्यों लेते थे? साहूकार कर्ज़ा कैसे वसूल करता था?
   ख) अंग्रेज़ शासन में आदिवासी किसान साहूकारों से कर्ज़ा और किन कारणों से लेने लगे? अब साहूकार कर्ज़ा किस प्रकार वसूल करने लगा?
   ग) साहूकार के तरीकों में यह फर्क क्यों आने लगा?
7. अंग्रेज़ सरकार खेती क्यों फैलाना चाहती थी और इसके लिए उसने क्या कदम उठाए?
8. क) आदिवासी लोग किस किस तरह मज़दूरी कर के अपना जीवन बिताने लगे?
   ख) वन विभाग द्वारा करवाए जाने वाले बेगार के खिलाफ कहां कहां विद्रोह हुए?
9. क) आदिवासी लोगों ने किन किन के खिलाफ विद्रोह किए? वे अपना विद्रोह और गुस्सा किस तरह प्रकट करते थे - कुछ उदाहरण बताओ?
   ख) आदिवासियों के विद्रोह किस तरह दबाए जा सके?

10 अंग्रेज शासन में उद्योग और मज़दूर

भारतीय कपड़े की प्रसिद्धि

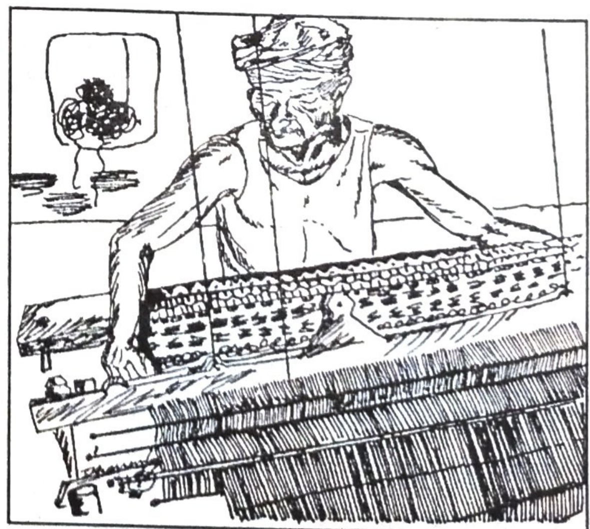
भारत में बुना कपड़ा जग भर में प्रसिद्ध था। इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल - सभी देशों के व्यापारी भारत का कपड़ा खरीदने आते थे। अफ्रीका, इंडोनेशिया और यूरोप, सभी जगह भारत के कपड़े की बहुत मांग थी और अच्छी बिक्री होती थी। व्यापारी खूब मुनाफा कमाते थे। पर इसका बहुत थोड़ा हिस्सा ही कपड़ा बुनने वाले बुनकरों को मिलता था। फिर भी बुनकरों के पास काम की भरमार थी। वे अपने घरों में हाथ से चलने वाले करघों पर व्यापारियों के लिए कपड़ा बुनने में लगे ही रहते थे। अमीर, ग़रीब, भारतीय, विदेशी - अलग-अलग ग्राहकों के लिए वे कई तरह के कपड़े बुनते थे।

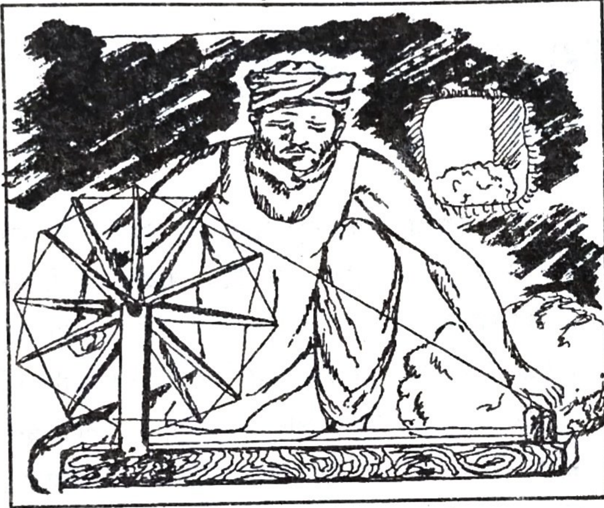
भारतीय बुनकरों का नुकसान

मगर इंग्लैंड में 50 साल में एक ऐसा बदलाव आया जिससे दुनिया भर में भारतीय कपड़े की मांग घट गई और भारत के बुनकरों का माल बिकना कम हो गया। लगभग 1750 के बाद इंग्लैंड में कारखाने लगने लगे और मशीनों से सूत और कपड़ा बनाया जाने लगा। मशीनों से बहुत सस्ते में और बहुत अधिक मात्रा में माल तैयार होने लगा। कारखानों का बना कपड़ा बाज़ारों में बिकने आने लगा। इंग्लैंड की सरकार ने एक कानून बनाया। इस कानून के अनुसार भारत से इंग्लैंड में बिकने आने वाले कपड़े पर एक विशेष कर लगा दिया गया। भारत के कपड़े पर इंग्लैंड की सरकार ने यह कर क्यों लगाया? इंग्लैंड के लोग चाहते थे कि उनके नए-नए कारखानों को सुरक्षा मिले क्योंकि वे अभी जम नही पाए थे। भारत के कपड़े को कर लगा के महंगा कर दिया गया। इससे वहां के कारखानों के कपड़े को बाज़ार मिल पाया और कारखानों में बना कपड़ा ज़्यादा बिकने लगा। धीरे-धीरे मशीनों में सुधार हुआ और नई मशीनें बनीं। इनके कारण कपड़े का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा और कपड़ा बहुत सस्ता भी हो गया।

इस तरह इंग्लैड में भारतीय कपड़े की मांग गिरने लगी। अब इंग्लैंड के कारखाना मालिकों और व्यापारियों ने यह कोशिश शुरू की कि दुनिया भर में उनका माल बिके। इंग्लैंड के व्यापारी इंग्लैंड के कारखानों में बना कपड़ा भारत में बेचने के लिए लाने लगे। उन दिनों भारत में अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित हो रहा था। इसलिए व्यापारियों को सरकार का सहारा भी था। उनकी कोशिशों से भारत में भी इंग्लिश कारखानों में बना कपड़ा बिकने लगा। कलकत्ता, बंबई, मद्रास जैसे शहरों के बाज़ारों में अंग्रेज़ी कपड़े का बोलबाला

इंग्लैंड में कपड़ा बिकना कम हो गया





विदेशी सूत से टक्कर लेनी पड़ी

हो गया। बहुत सस्ता होने के कारण गांवों में भी यह कपड़ा बिकने लगा। इस स्थिति में भारत के ग़रीब बुनकरों के धंधें पर असर पड़ने लगा। विदेश में और देश में, दोनों ही जगह अंग्रेज़ी कारखानों के कपड़े ने उनके बहुत से ग्राहक छीन लिए।

यही नहीं, भारत के सूत कातने वालों के धंधे पर भी चोट हुई, क्योंकि कपड़े के अलावा इंग्लैंड के कारखानों में बना सस्ता, महीन सूत भी बड़ी मात्रा में भारत में बिकने आने लगा। अब बुनकर कपड़ा बुनने में यही विदेशी सूत काम में लेते और देशी जुलाहों का सूत कम खरीदते।

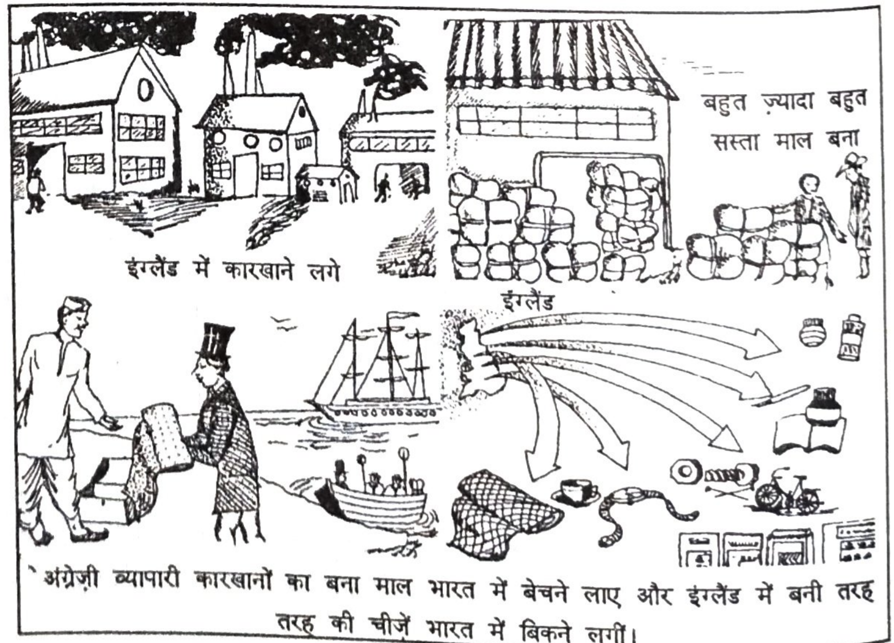
समय के साथ इंग्लैंड में दूसरी चीज़ें बनाने के कारखाने भी लगे। माचिस, सीमेंट, कागज़, नट-बोल्ट, बर्तन, पेन, पेंसिल घड़ियां, पिन, कंघी, साबुन, तेल - ये सभी चीज़ें इंग्लैंड से भारत में बिकने के लिए आने लगी। भारत की अंग्रेज़ सरकार अपने उपयोग की अधिकांश चीज़ें इंग्लैंड से मंगाती थी। कागज़ व स्याही से लेकर इमारतें बनाने का और रेल बनाने का बहुत सा ज़रूरी सामान इंग्लैंड से मंगाया जाता था।

यह यूरोप में औद्योगीकरण का ज़माना था। नई मशीनों से, नई तकनीक से, काम के नए तरीकों से चीज़ें बनाई जा रही थीं। ये पुराने तरीकों से बनाई गई चीज़ों की तुलना में ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा सस्ते में बिकने लगीं।

अंग्रेज़ शासन के समय में भारतीय बुनकरों और जुलाहों के धंधे पर क्या असर पड़ा?
इंग्लैंड की बनी क्या क्या चीज़ें भारत में बिकने लगीं और क्यों?

भारत में उद्योगों के विकास की उम्मीद और दिक़्क़तें

एक तरफ कारखानों में बनी चीज़ों की होड़ के कारण भारत के कारीगरों द्वारा पुरानी विधि से बनायी जा रही चीज़ों की मांग कम होने लगी और कारीगरों का धंधा मंदा पड़ने लगा। पर दूसरी तरफ भारत के कई सेठों, व्यापारियों व पढ़े लिखे लोगों ने सोचा कि



अंग्रेज़ी व्यापारी कारखानों का बना माल भारत में बेचने लाए और इंग्लैंड में बनी तरह तरह की चीज़ें भारत में बिकने लगीं।

क्यो न भारत में ही आधुनिक कारखाने डाले जाएं और मशीनों से चीज़ें बनाई जाएं? इन लोगों के मन में एक उम्मीद जगी कि भारत के लोग इंग्लैंड की मदद से विज्ञान, तकनीक, मशीनों, कारखानों की बातें सीखेंगे और समझेंगे और जिस तरह इंग्लैंड में उद्योगों का विकास हुआ है, वैसा विकास भारत में भी होगा।

शुरू में कुछ जोशीले लोगों ने कारखाने डालने की कोशिश की, पर वे ज़्यादा सफल नही हुए। कारखाने चलाने के लिए जानकारी, अनुभव, मशीनों और धन की ज़रूरत थी। ये चीज़ें भारत में आसानी से उपलब्ध नही थी।

यही नहीं, जो धनी भारतीय और अंग्रेज़ लोग व्यापार धंधे में रुचि रखते थे, उनका सारा ध्यान विदेशी व्यापार में लगा हुआ था। विदेशों से बना हुआ माल लाकर भारत में बेचना और भारत का कच्चा माल विदेशों में बेचना - यह एक बड़ा ही फायदेमंद धंधा बना हुआ था।

बड़ी-बड़ी यूरोपीय कंपनियों ने इस धंधे में धन लगाया हुआ था और भारत के सेठ व व्यापारी भी उनकी सहायता में लगे थे।

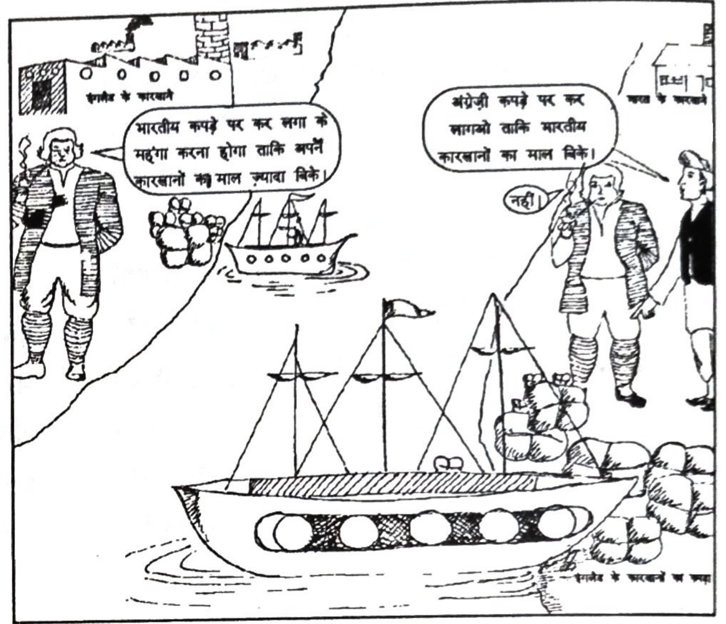
यूरोपीय कंपनियां अफीम, नील, कॉफी व चाय के बगान लगाती और इन फसलों को उगाकर तैयार कर के पैक करती और अपने जहाज़ों से इंग्लैंड व यूरोप में बिकने भेजतीं। ये कंपनियां बंगाल में जूट और महाराष्ट्र में कपास की खरीदी करतीं और इंग्लैड के कारखानो के लिए भेजतीं। वे बिहार व बंगाल में कोयला खदानें खोलतीं ताकि भारत में रेलगाड़ियां और स्टीमर चल सकें। रेलगाड़ियों और स्टीमरों की मदद से ही वे भारत में जगह-जगह से कच्चा माल बाहर भेज सकती थीं और इंग्लैंड के कारखानो का तैयार माल भारत में जगह-जगह बिकने के लिए पहुंचा सकती थी।

धनी लोग भारत में कारखाने डालने की बजाय विदेशी व्यापार में पैसा लगाने की सोचते थे क्योंकि इसमें फायदा निश्चित था। यह ज़रूर था कि भारत में कारखाने डालने के लिए कच्चा माल उपलब्ध था और यहां बड़ी संख्या में सस्ते मज़दूर भी मिल सकते थे। फिर भी भारत में कारखाना डालना जोखिम भरा काम लगता था।

अंग्रेज़ी कारखानो की होड़ में भारत के कारखाने सफल हो पाएंगे इस बात का भरोसा नही हो पाता था। यही डर रहता था कि भारतीय कारखानो में बने माल की तुलना में इंग्लैंड से आया माल ज़्यादा



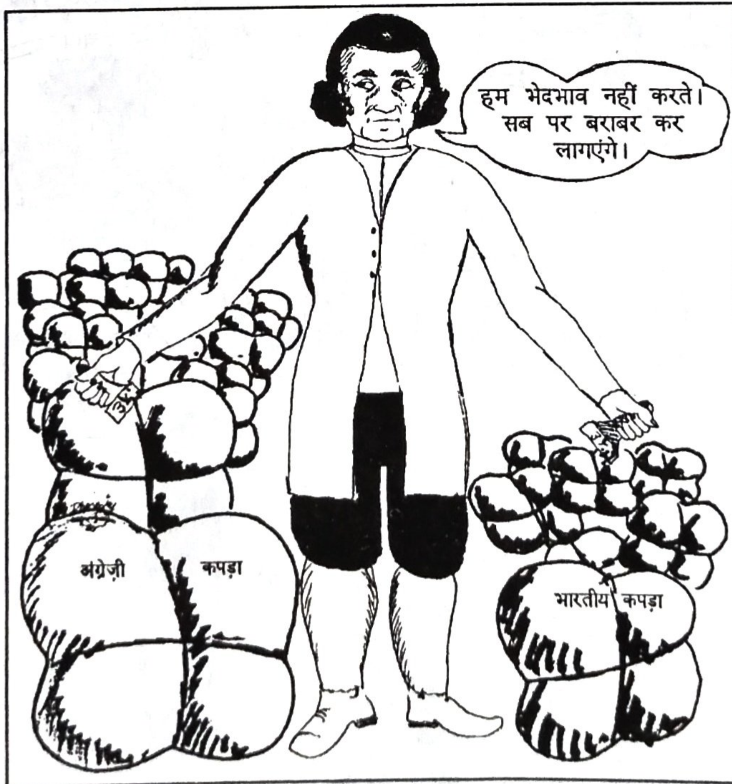
बिकेगा क्योंकि वह सस्ता था। ऐसे में अगर सरकार सहायता करती तो कुछ बात बन सकती थी।



अंग्रेज़ सरकार की नीति

सन् 1850 से ही, पहले बंबई में, और फिर अहमदाबाद में बहुत हिम्मत के साथ कुछ कपड़ा मिलें शुरू कर दी गईं थीं। इस तरह भारत में भी मशीनों से कपड़ा बनना शुरू हो गया था। पर इंग्लैंड के कपड़ों की बिक्री भारत में बहुत हो रही थी।

इस स्थिति में कई पढ़े-लिखे लोगों ने और कारखाना मालिकों ने यह मांग की कि इंग्लैंड से आ रहे कपड़े पर सरकार विशेष कर लगाए ताकि भारत में बन रहे कपड़े को सुरक्षित बाज़ार मिल सके। विशेष कर लगने से अंग्रेज़ी कपड़ा भारत में महंगा बिकता और उसकी तुलना में भारतीय कारखानों में बना कपड़ा सस्ता बिकता। इस विशेष कर से भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता।



तुम जानते हो कि इंग्लैंड की सरकार ने इंग्लैड के कपड़ा उद्योग की सहायता के लिए भारतीय बुनकरों के कपड़े पर कर लगाया था। पर उसी सरकार ने भारतीय उद्योगों की सहायता के लिए अंग्रेज़ी कपड़े पर ऐसा कर लगाने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड के कारखाना मालिकों और व्यापारियों का अंग्रेज़ सरकार पर इतना दबाव था कि सरकार उनके हितों के खिलाफ कुछ नही कर पाती थी।

सन् 1896 में भारत की अंग्रेज़ सरकार को आमदनी की सख्त कमी हुई। सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके सोचने लगी। तब अपनी मुश्किल की घड़ी में सरकार ने भारत में आ रहे अंग्रेज़ी कपड़े पर $3\frac{1}{2}\%$ कर लगा दिया। पर इससे अंग्रेज़ी कपड़े के धंधे का नुक्सान न हो इसलिए सरकार ने तुरंत उतना ही कर ($3\frac{1}{2}\%$) भारत के कारखानों में बन रहे कपड़े पर भी लगा दिया।

यह कर भारतीय लोगों और अंग्रेज़ सरकार के बीच छिड़े लंबे झगड़े का कारण बना। भारतीय कारखानों के माल पर कर लगाकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो अंग्रेज़ी कारखानों के हितों की ही रक्षा करेगी। भारत में इस कर का कड़ा विरोध हुआ और इसे हटाने की मांग लगातार उठती रही।

भारत में यूरोपीय कंपनियां और भारतीय सेठों को किन-किन चीज़ों के धंधे से मुनाफा होता था?
भारत में कारखाने डालने में लोगों ने क्या क्या कठिनाइयां महसूस कीं?
1896 में अंग्रेज़ सरकार ने भारतीय कारखानों के कपड़े पर $3^1/_2\%$ कर क्यों लगाया?

सरकार के संरक्षण के बिना भी भारत में कपड़ा, सूत, शक्कर, जूट, कागज़, माचिस, सीमेंट के कारखानें शुरू हुए। पर उनका तेज़ी से विकास 1914 के बाद ही हुआ।

विश्व युद्ध से भारतीय उद्योगों को मदद मिली

1914 से 1918 के बीच जब विश्व युद्ध छिड़ा तब कई कारणों से विदेशी माल कम मात्रा में भारत पहुंचा। एक कारण तो यह था कि माल-वाहक जहाज़ युद्ध के काम में लगा दिए गए थे, इसलिए जहाज़ों की कमी हो गई थी। यूरोप के कारखानों में भी युद्ध की ज़रूरत की चीज़ें बनने लगी थी इसलिए भारत के बाज़ार के लिए भेजा जाने वाला सामान कम मात्रा में बना।

इस तरह के हालात में भारत में जो कारखाने डले थे उनका माल बड़ी मात्रा में बिका। बिक्री तेज़ होने के प्रोत्साहन से उद्योगों में तेज़ी से विकास हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय कारखानों के लिए बड़ी संख्या में यूरोप से मशीनें खरीदी गईं और नए कारखाने डाले गए। भारत के उद्योगपति बहुत ज़ोरों शोरों से यह मांग करने लगे कि सरकार विदेशी माल पर कर लगाए ताकि भारतीय माल की बिक्री अधिक बनी रहे।

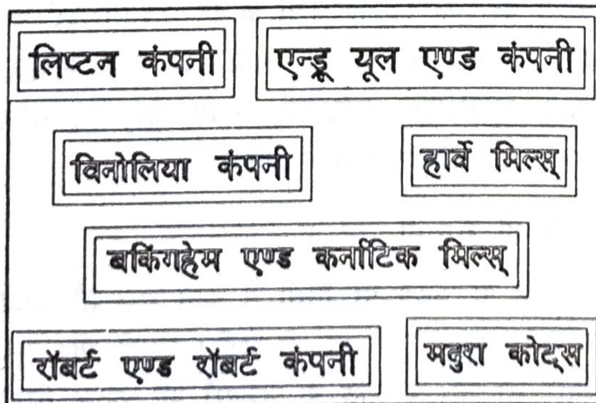
सरकार को कई कारणों से यह मांग धीरे-धीरे स्वीकार करनी पड़ी। 1917 के बाद एक-एक कर के अनेकों विदेशी सामानों पर कर लगे। इनकी सहायता से भारत में लगे कारखाने काफी विकास कर पाए।

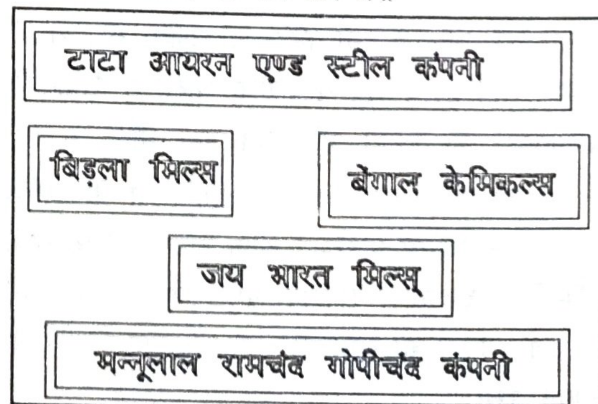
विश्व युद्ध के समय भारतीय कारखानों का तेज़ी से विकास क्यों हुआ?

स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योगों की समस्याएं

लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज़ सरकार की थोड़ी सहायता भारतीय उद्योगों को मिली थी। पर फिर भी कई समस्याएं बनी रही। बहुत अधिक संख्या में कारखाने

भारत में यूरोपीय कंपनियों का बोलाबाला था पर भारतीय कंपनियां भी आगे आने लगी





बैंक, जहाज़ आदि यूरोपीय सेठो व कंपनियों के हाथ में थे, भारतीयों के हाथ में नही। यूरोपीय होने के कारण इन कंपनियों को बहुत से फायदे थे। अंग्रेज़ सरकार के सभी प्रकार के अफसरों, अधिकारियों तक उनकी पहुंच आसान थी जबकि भारतीयों की ऐसी पहुंच हो ही नही सकती थी। सारा विदेशी व्यापार इन कंपनियों के हाथ में था इसलिए इनके पास धन की भी कमी नही थी।

हालांकि यूरोपीयों के प्रभाव के बावजूद भारतीय उद्योगपति काफी आगे बढ़े थे। कपड़ा उद्योग पर सबसे ज़्यादा भारतीय उद्योगपतियों का ही नियंत्रण था।

भारतीय उद्योगपतियों की उपलब्धि का सबसे बड़ा उदाहरण था जमशेदजी टाटा नाम के उद्योगपति द्वारा जमशेदपुर में इस्पात बनाने का कारखाना डालना।

भारतीय उद्योगों को विदेशी माल पर कर के रूप मे सरकार से थोड़ी सी सहायता तो मिली थी पर यह काफी नहीं थी।

उद्योगों के पूरे विकास के लिए रेल, सड़क, बिजली, कोयले, लोहे की सुविधा जितनी मात्रा में चाहिए थी, अंग्रेज़ सरकार का इस ओर उतना ध्यान नहीं था।

भारतीय उद्योगपतियों को कारखाने डालने के लिए सारी मशीनें विदेश से खरीदनी पड़ती थी। भारत में मशीन बनाने का उद्योग शुरू ही नही हो पाया था।

भारत में उद्योगों के विकास के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों की मदद चाहिए थी। ये भी विदेशी लोग ही दे पाते थे क्योंकि भारत में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की संख्या भी बहुत कम थी।

अंग्रेजो के समय में ही उद्योगपतियों के अनेक संगठन बने जिसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीस (फिकी) प्रमुख था। इन संगठनों ने उद्योगपतियों की समस्याओं को लगातार सरकार के सामने रखा।

अंग्रेज़ शासन के समय में कौन-कौन से उद्योग भारत में स्थापित हो गए थे?
स्वतंत्रता के समय भारत के उद्योगों के विकास मे क्या-क्या कठिनाइयां थीं?

स्वतंत्रता के बाद

स्वतंत्र भारत की सरकार ने उद्योगों को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया। इस विषय के बारे में तुम दूसरे पाठ में विस्तार से पढ़ोगे। अंग्रेज़ शासन के खत्म होने और भारतीयों की स्वतंत्र सरकार बनने से देश के औद्योगिक विकास की कई समस्याएं दूर हुई।

भारत में मज़दूरों के शुरू के दिन

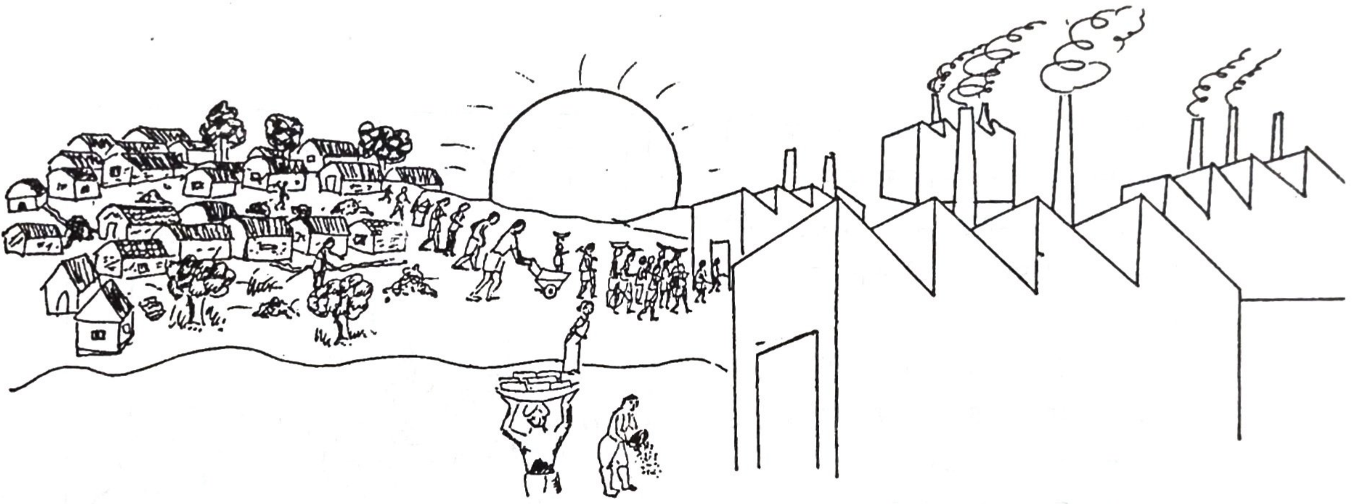
औद्योगिक नगर और मज़दूरों की बस्तियां

सन् 1850 से भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। सबसे बड़ा उद्योग था कपड़ा और सूत बनाने का। 1905 में कपड़ा उद्योग में लगभग सवा दो लाख मज़दूर काम करते थे, जूट कारखानों में लगभग डेढ़ लाख मज़दूर थे और कोयला खदानों में लगभग 1 लाख मज़दूर लगे थे।

उद्योगों में रोज़गार पाने की आशा ले कर गांवों से ज़रूरतमंद किसान, मज़दूर और कारीगर शहर आने लगे थे। उनके पीछे उनके गांवों से उनके रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र भी आते गए और शहरो में मज़दूरों की संख्या बढ़ने लगी। कारखानों के इर्द-गिर्द मज़दूरों की झोपड़ियां और बस्तियां बनने लगीं। इस तरह कानपुर, बंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास जैसे कई नगर भारत के औद्योगिक नगर बने।

काम के हालात

रोज़ पौ फटने पर मिलो में काम शुरू हो जाता था और सूरज डूबने पर ही मशीन रुकती थी। मुंह अंधेरे ही नीद से उठ के मज़दूरों की कतार मिलो



औद्योगिक नगर बने जिसमें मज़दूरों की बस्तियां खड़ी होने लगी

की ओर चल देती थी - आदमी भी और कई औरतें और बच्चे भी।

एक बार मशीन पर लगे तो बस फिर रुकने का नाम नहीं था। दिन भर में खाना खाने के लिए भी कोई निश्चित अवकाश नही था। काम के बीच में 15-20 मिनिट निकाल कर, और उतनी देर किसी दूसरे को काम संभालने की बात कह कर, मज़दूर खाना खा लेते थे। खाना खाने की कोई अलग जगह भी नही थी।

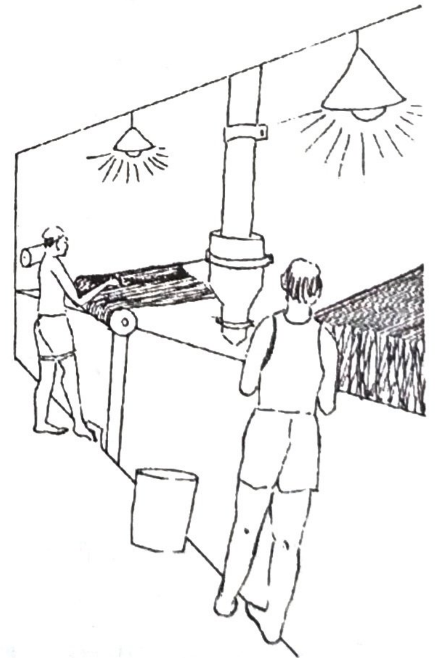
मिलों की उमस, गर्मी, शोर, धूल और घुटन में दिन भर निकल जाता। जब सूरज डूबता और अंधेरे में दिखना बंद हो जाता तब मशीनें रुकती और छुट्टी होती।

ऐसे महीनों तक चलता था। सप्ताह में एक दिन छुट्टी रहेगी - यह नियम भी नहीं था। बस, साल में आने वाले बड़े तीज त्यौहारों पर मालिक छुट्टी दे देता था।

लेकिन साल के प्रत्येक दिन काम करना तो संभव नही है। हारी बीमारी घर परिवार के काम - ये भी तो लगे रहते हैं। थकान भी होती है। ऐसे में जिस दिन मज़दूर काम पर नहीं पहुंचे उसकी दिन भर की पगार मारी जाती थी।

उन दिनों भुगतान भी माल के हिसाब से ही होता था। जितना माल बनाया उतना पैसा मिलेगा, यह मालिक की शर्त थी। अगर मशीन खराब हो जाए या कच्चा माल देर से मिले या कम मिले, और इन कारणों से माल कम बने - तो इसमें मज़दूर की गलती या ज़िम्मेदारी नही है। फिर भी, मालिक मज़दूरों के पैसे काट लेता था। यानी, मज़दूरों को महीने भर की कोई निश्चित आमदनी नहीं मिल पाती थी।

इतना ही नहीं, मालिक महीने के अंत में मज़दूरों का पूरा भुगतान भी नही करता था। अगले महीने के आखिर तक पैसे रोक के रखता था। ऐसे में मज़दूर काम छोड़कर जाना चाहें तो नही जा सकते थे - क्योंकि उनकी पिछले महीने की मज़दूरी मालिक के चगुंल में फंसी थी।



बिजली आई और काम बढ़ा

जुर्मानों का ज़ोर था। मालिक बात-बात पर मज़दूरों से जुर्माना लेता था। देर से आने पर, कपड़ा खराब हो जाने पर, मन लगा के काम नही करने पर जुर्माने होते थे और महीने की पगार में से काट लिए जाते थे।

ऐसे हालातो में औरतों, आदमियों, बच्चों - सभी को गर्मियों में 14 घटों तक और सर्दियो में 12 घंटों तक काम करना होता था।

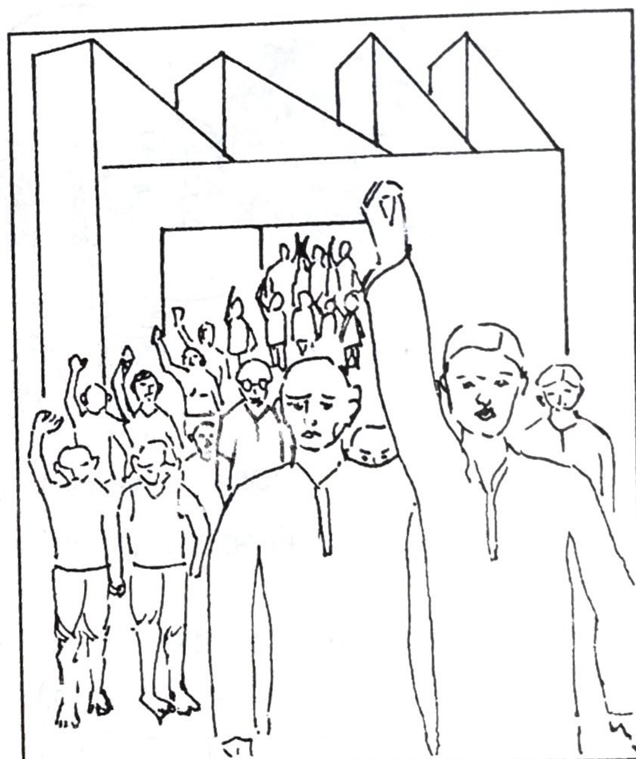
तब 1880 में एक नयी बात शुरू हुई। मिलों में बिजली के बल्ब लगने शुरू हुए। उजाला बढ़ा तो मज़दूरों के काम के घंटे बढ़े। अब तो सूरज डूबने पर काम रोकने की ज़रूरत नहीं थी। अब 15-15 घंटे काम लेना आम बात हो गई।

काम के दौरान इतनी सारी समस्याएं तो थीं, ऊपर से रोज़गार की कोई सुरक्षा भी नहीं थीं। मिल को घाटा होने लगे तो मालिक मज़दूरों की छंटनी कर देता था। घाटे के समय मज़दूरों के वेतन में भी कटौती कर दी जाती थी। लेकिन मुनाफा होने पर मालिक ने अपने आप मज़दूरों का वेतन बढ़ा दिया हो - ऐसा तो कभी नही होता था।

भारत में कारखानों के शुरू के दिनों में - मज़दूरों के काम और आराम को ले कर क्या नियम थे?
मज़दूरी के भुगतान के क्या नियम थे?
मज़दूरों की आमदनी किन-कन कारणों से मारी जाती थी?
बिजली के बल्ब लगने से मज़दूरों पर क्या असर पड़ा?

मज़दूरों के संघर्ष

ऐसे बुरे काम के हालातो के खिलाफ मज़दूरो ने शुरू से ही लड़ाई छेड़ी। 1870 से ही बंबई में लगातार हड़तालें की जाने लगीं। शुरू में मज़दूरों के



मज़दूर हड़ताल पर निकल आते

कोई संगठन या यूनियन नही बने थे। हर मिल के मज़दूर अक्सर आपस में मिल कर हड़ताल करते थे और मालिकों पर दबाव डालते थे।

जैसे 1892 में बंबई के मिल मालिक मज़दूरों के वेतन में कटौती करने की सोच रहे थे। इस स्थिति में सभी मिलो के मज़दूर संघर्ष के लिए तैयार होने लगे। सरकार ने कारखानों की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर कहलाता था। फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने मज़दूरों के बारे में लिखा हुआ था - "अगर वाकई पगार में कटौती की जाती है, तो बहुत संभव है कि बंबई में आम हड़ताल हो जाएगी। हालांकि मज़दूरों की कोई संगठित ट्रेड यूनियन नही है, फिर भी अधिकांश मज़दूर एक सी जात बिरादरी व गांवों के हैं और आसानी से एक जुट हो कर कदम उठाते हैं।"

मज़दूर किस तरह संघर्षशील होकर अपने हितो की रक्षा खुद करते थे, इसके कुछ उदाहरण पढ़ो।

1900-1901 में बंबई की 20 मिलो ने एक साथ मज़दूरों के वेतन में $12^1/_2\%$ की कटौती कर दी। इस कटौती की प्रतिक्रिया में 20,000 मिल मज़दूरों ने काम रोका और हड़ताल पर निकल आए। बीसों मिलें 10 दिन तक बंद रही।

इसी तरह 1919 में, जब महंगाई बढ़ रही थी और मज़दूरों की पगार नही बढ़ी थी, तब बंबई की सभी मिलो के डेढ़ लाख मज़दूर हड़ताल पर निकल आए और 12 दिन तक मिलें बंद रही।

वैसे, यह बात ध्यान देने लायक है कि मज़दूर सिर्फ अपने वेतन के लिए नही लड़े, बल्कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ते रहे।

1908 में अंग्रेज़ों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले एक प्रसिद्ध नेता लोकमान्य तिलक को 6 साल कालापानी की सज़ा दे दी थी। इस के विरोध में बंबई की सारी की सारी मिलों के मज़दूरों ने 6 दिन तक लगातार हड़ताल की। इस तरह मज़दूरों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेकर कई बार हड़तालें की।

मज़दूरों के द्वारा की गई हड़तालों के कुछ कारण बताओ।

मजदूरों की समस्याओं पर विचार

अजीब बात यह थी कि शुरू में भारत के अधिकांश पढ़े लिखे लोग मज़दूरों की हालत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके मन में सब से ऊपर यही चिंता रहती थी कि किसी तरह भारत में उद्योगों का विकास हो पाए। शुरू में वे इस बात की चिंता नहीं कर रहे थे कि उद्योगों में मज़दूरों की स्थिति कैसी होनी चाहिए।

पर सबसे अजीब बात तो यह हुई कि इंग्लैंड के कारखाना मालिक, व्यापारी और समाज सेवक लोग भारतीय मज़दूरों की हालत पर चिंता व दुख ज़ाहिर करने लगे और ज़ोर-शोर से सरकार का ध्यान उनकी तरफ खीचने लगे।

इंग्लैंड के उद्योगपति और समाज सेवक सरकार पर बहुत दबाव डालने लगे कि सरकार को भारत में मज़दूरों की हालत सुधारने के लिए वैसे ही कानून बनाने चाहिए और लागू करने चाहिए जैसे इंग्लैंड में हैं। इस दबाव के कारण सरकार सोचने लगी कि कारखानों में मज़दूरों के काम के घंटे कम करने का कानून बनाना चाहिए। मज़दूरों को अवकाश देने का कानून बनाना चाहिए।

ये बातें भारत के उद्योगपतियों और पढ़े लिखे लोगों को बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि मज़दूरों को काम के निश्चित घंटे और अवकाश जैसी सुविधाएं देने से मिलों का उत्पादन कम हो जाएगा। मालिकों का खर्च बढ़ जाएगा। इससे कारखानों में बनने वाली चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। इस स्थिति में इंग्लैंड से बन कर आया माल ज़्यादा आसानी से बिक पाएगा सौर भारतीय उद्योगों का विकास चौपट हो जाएगा।

भारतीय उद्योगपतियों का यह शक तो शायद ठीक ही था कि इंग्लैंड के उद्योगपति अपने स्वार्थ के लिए ही भारतीय मज़दूरों का ख्याल रखने का ढोंग कर रहे थे। इस स्थिति में भारत के पढ़े लिखे लोगों के मन में भी यह विश्वास बैठा था कि मज़दूरों के हित में कानून बनने से भारत में उद्योगों का विकास नही हो पाएगा। 1875 में बंगाल के एक प्रमुख अखबार में छपी इन पंक्तियो से उन दिनों का सोच-विचार स्पष्ट होता है - "इस नए उद्योग के नाश होने से तो यह ज़्यादा अच्छा है कि मज़दूर अधिक संख्या में मरते रहें। .... एक बार हमारे उद्योग अच्छी तरह जम जाएं, फिर हम अपने मज़दूरों के हितो की रक्षा कर सकते हैं।"

उद्योगपतियों और पढ़े लिखे लोगो के मन मे डर ज़रूर था पर यह पूरी तरह ठीक नही था। भारत


मज़दूरों में आदमी थे, औरतें भी और बच्चे भी

में लगे कारखाने मुनाफा कमाने लगे थे। मालिक नई-नई मिलें खोल रहे थे। जैसी भी स्थिति हो मज़दूरों की हालत में सुधार तो सबसे ज़रूरी था क्योंकि उन्हीं की मेहनत के बल पर उद्योगों का विकास होना था।

मजदूरों के हित में कानून

सरकार ने 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट लागू किया और मुख्य रूप से मज़दूरी करने वाले बच्चों के हित में ये नियम बनाए

- सात साल से छोटे बच्चों को मज़दूर नहीं बनाया जाएगा।
- सात से बारह वर्ष के बच्चों से दिन में नौ घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा और उन्हें रोज़ एक घंटे का अवकाश दिया जाएगा। उन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी।

1891 में महिला मज़दूरों के हित में नियम बने -

- महिला मज़दूरों से दिन में 11 घंटे से अधिक काम लेना मना हुआ।
- महिला मज़दूरों को दिन में $1^1/_2$ घंटे अवकाश मिलने का नियम बना।
- बच्चों के काम के घंटे 9 से घटा कर 7 कर दिए गए और 9 साल से कम उम्र के बच्चों को मज़दूर बनाना मना हुआ।

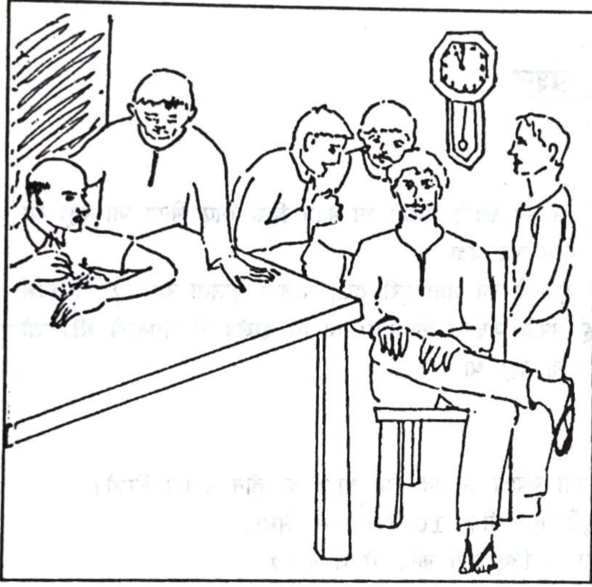
उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों में सबसे ज़्यादा संख्या पुरुष मज़दूरों की थी। उनके हित में कानून 1911 में जा कर ही बन पाया। 1911 के फैक्ट्री एक्ट के अनुसार -

- पुरुष मज़दूरों को 12 घंटे से अधिक काम पर रखना मना हुआ।
- हर छह घंटे के काम के बाद आधे घंटे का अवकाश मिलने का नियम बना।

इंग्लैंड के उद्योगपति भारत में कारखानों के खिलाफ थे पर वे इन कारखानों के मज़दूरों का पक्ष क्यों लेते थे?
भारत के पढ़े लिखे लोग भी शुरू में कारखानों के मज़दूरों के हितों की ओर ध्यान क्यों नहीं देते थे?
मज़दूरी के कानूनों के अनुसार बच्चों, महिलाओं और पुरुषों से अधिकतम कितने घंटे काम लिया जा सकता था?
कितनी उम्र से नीचे के बच्चों को मज़दूरी पर नहीं रखा जा सकता था?
क्या तुम जानते हो कि आज कल कितनी उम्र से नीचे के बच्चों को मज़दूरी पर नहीं रखा जा सकता है?
इन कानूनों का पालन करने से उद्योगपतियों को क्या नुकसान हो सकता था?

मजदूर संगठन

समय के साथ मज़दूर वर्ग की समस्याएं सब के सामने उभर कर आईं। कुछ पढ़े लिखे लोग मज़दूरों का समर्थन करने लगे और उन्होंने मज़दूरों की समस्याएं लोगों को समझाने के लिए अखबारों में लेख लिखने



मज़दूर संगठन साल भर काम करने लगे

शुरू किए। मज़दूरों की सहायता के लिए छोटे संगठन आदि बनाने भी शुरू किए।

जब मिलों में हड़तालें होती तो हड़ताल चलाने के लिए और मालिकों से समझौता करने के लिए मज़दूरों ने पढ़े लिखे लोगों के समर्थन से अपने संगठन यानी यूनियन बनाई। धीरे-धीरे यूनियन सिर्फ हड़ताल के समय नही बल्कि साल भर, मज़दूरों के अधिकारों की देख भाल करने का काम करने लगीं। ऐसी यूनियनें 1920-25 के समय से बनने लगी। इनमें समाजवादी विचारों से प्रभावित लोग प्रमुख होने लगे। गिरनी कामगार यूनियन ऐसी एक यूनियन बनी जिसकी सहायता से 1928 में बंबई के मज़दूरों ने ज़बरदस्त हड़ताल की। अहमदाबाद में गांधीजी के प्रभाव से मज़दूर महाजन नाम की ताकतवर यूनियन बनी।

मज़दूरों के बीच यूनियन बनने से सरकार और मालिक बहुत परेशान होने लगे। अब यूनियनों व हड़तालो पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए जाने लगे। सरकार ने मज़दूरों के कल्याण की देखभाल करने के लिए लेबर अफसर नियुक्त किए। सरकार यह कोशिश करने लगी कि मज़दूर अपनी समस्याएं सरकार के लेबर अफसर के माध्यम से सुलझाएं - यूनियन के पास न जाएं।

लेकिन यह बात मज़दूरों को स्वीकार नही थी। वे स्वतंत्र रूप से अपने संगठन बना कर अपने अधिकारों की रक्षा करना ज़्यादा ठीक समझते थे। इस तरह यूनियन व हड़ताल के अधिकार को लेकर मज़दूरों का सरकार व मालिकों के साथ संघर्ष चलता रहा

अंग्रेज़ों के समय भारत में बनने वाली दो प्रमुख मज़दूर यूनियनें कौन सी थी?
यूनियन या मज़दूर संघ मज़दूरों के लिए महत्वपूर्ण क्यों होती हैं, चर्चा करो।

स्वतंत्रता के बाद

मज़दूरों के संघर्ष खत्म नही हुए। अपने वेतन बढ़ाने, नौकरी की रक्षा करने और काम के हालातों को सुधारने के लिए आज भी आए दिन हड़ताले होती हैं, जुलूस निकलते हैं। मज़दूरों ने इस तरह के संघर्ष से अपने हित में कई नए कानून भी बनवाए हैं। पर हड़तालों और यूनियनों पर रोक लगाने के लिए भी सरकार द्वारा नए नए कानून बनाए जा रहे हैं और मज़दूर इनसे जूझ रहे हैं।

○ ○ ○ ○ ○

अभ्यास के प्रश्न

1. अंग्रेज़ शासन के समय में भारत में रेल बिछाने और लोहे व कोयले की खदाने चलाने का काम किस लिए किया जा रहा था? क्या इससे भारत में उद्योगों के विकास में मदद मिली होगी? सोच कर बताओ।
2. अगर भारत में अंग्रेज़ो का राज्य नहीं बनता तो क्या भारत के बुनकरों का धंधा पूरी तरह फलता फूलता रहता? समझाओ।
3. भारत के लोग अंग्रेज़ सरकार की आलोचना करते थे क्योंकि वह अपनी ज़रूरत का सारा सामान इंग्लैंड से मंगवाती थी। लोगों का कहना था कि इससे भारत में उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था।
   लोग ऐसा क्यों कहते थे - कारण समझाओ।
4. भारत के उद्योगपतियों को अंग्रेज़ सरकार से क्या दिक्कतें थी?
5. अंग्रेज़ों के शासन काल में यूरोपीय कंपनियों के लिए उद्योग लगाना ज़्यादा आसान क्यों था? दो तीन कारण लिखो।
6. जब भारत में उद्योग लगने शुरू हुए तब मजदूरों की हालत बुरी क्यों थी? 10 वाक्यों में लिखो।
7. जब यूनियन नहीं बनी थी, तब भी मज़दूर अपने हितों की रक्षा के लिए क्या करते थे व कैसे?
8. मज़दूरों की यूनियनें कैसे बनीं? यूनियन बनने से मज़दूरों के जीवन में क्या फर्क आया होगा - सोच कर बताओ।
9. सबसे पहले बाल मज़दूरों के हित में कुछ कानून बने, फिर महिला मज़दूरों के हित मे और आखिर मे पुरुष मज़दूरों के हित में कानून बने। क्या तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ होगा?
   ये कानून क्यों बनाएं गए थे?

11 मध्यम वर्ग के लोग और अंग्रेज़ी शासन

भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा देने के स्कूल कॉलेज बड़ी संख्या में खुलने लगे थे। सन् 1900 तक आते-आते देश में हज़ारों शिक्षक, वकील, डाक्टर, पत्रकार व सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हो गए थे जो अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त थे।

अंग्रेज़ शासन के काल में आगे बढ़ने के जो-जो मौके पैदा हुए थे - उनका लाभ ये लोग भी लेना चाहते थे। पर उनके सामने कई एक जैसी समस्याएं और बाधाएं आई जिनसे इन लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। ये शिक्षित लोग भारत के मध्यम वर्ग के रूप में जाने गए। इन्हीं लोगों ने मिलकर सन् 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस नाम का संगठन भी बनाया।

1880 में 900 में से 16 को छोड़ कर बाकी सभी अधिकारी अंग्रेज़ थे



इसमें उन्होने अपनी समस्याओं के साथ-साथ देश के अन्य वर्ग के लोगों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

हमें सरकारी नौकरी के बराबर अवसर नहीं मिलते

शिक्षित लोगों ने सरकारी नौकरी पाने के तरीके में कई कमियां बताईं। वे कहते थे, "सरकार के सब बड़े अफसर अंग्रेज़ हैं। कहने के लिए तो सरकार कहती है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा में पास हो कर अफसर बन सकता है - पर हम भारतीय लोगों के लिए परीक्षा में बैठना कितना मुश्किल बना हुआ है। परीक्षा लंदन में होती है - वहां तक जाना क्या आसान है? परीक्षा लंदन और भारत दोनों जगह होनी चाहिए।"



"परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र 19 वर्ष कर दी गई है। इतनी छोटी उम्र में हम भारतीय लोग अंग्रेज़ी पढ़ लिख कर परीक्षा के लिए तैयार नही हो सकते। परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ानी चाहिए।"

क्या हम बराबर के इंसान नहीं?

शिक्षित लोगों ने अंग्रेज़ो के भेद-भाव भरे व्यवहार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने भेद-भाव के कई उदाहरण लोगों के सामने रखे। जैसे -

"हमें तो अंग्रेज़ लोग बराबर का इंसान ही नहीं मानते। कहने को उनके कानून में सब बराबर हैं।



पर अगर कोई अंग्रेज़ अपराध करे तो भारतीय जज उसे सज़ा नहीं दे सकता - जबकि अंग्रेज़ जज भारतीयों को सज़ा सुनाते है।"

"हम आए दिन यह भी देखते हैं कि बराबर के अपराध के लिए अंग्रेज़ लोग हल्की सज़ा में छूट जाते हैं।"

"सरकारी नौकारी में भारतीय अफसर के प्रमोशन की बारी आती है तो उसकी जगह अंग्रेज़ अफसर को प्रमोशन मिलता है ....।"

"रेल के डिब्बे, होटल, सिनेमा, पार्क ऐसी कई जगहों पर लिखा रहता है - 'केवल अंग्रेजों के लिए।. . . कुत्तों और भारतीयों का घुसना मना है।' क्या यह अपमान सहा जा सकता है?"

"हम तो फिर भी पढ़े-लिखे संपत्तिवान लोग हैं। अनपढ़ गरीब भारतीयों के साथ अंग्रेज़ और भी बुरा बर्ताव करते हैं। अपने भारतीय नौकरों को वे बात-बात में इस तरह पीट देते हैं जिससे कइयों की मौत हो चुकी है। ज़रा सी चीज़ के लिए वे नौकरों को गोली से उड़ा दें तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता।"

भारतीयों को जीवन में आगे बढ़ने व सम्मान से रहने के अंग्रज़ों के बराबर अवसर न थे। यह बात बहुत चुभती थी। खासकर पढ़े-लिखे मध्यम वर्गीय लोगों को जो अपने आपको अंग्रेज़ों के बराबर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वे इस भेद-भाव के खिलाफ कड़े शब्दों में बोलने लगे। शिक्षित लोग यह सवाल भी उठाने लगे कि भारत का शासन किस प्रकार चलाया जाना चाहिए।

भारत में अंग्रेज़ शासन

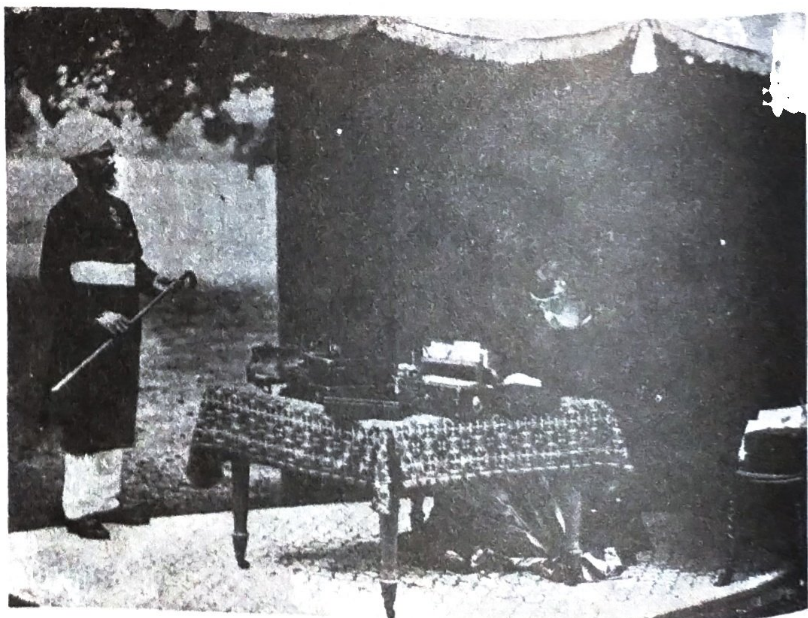
आओ, देखें कि अंग्रेज़ों के समय में भारत का शासन कौन चलाता था और कैसे।

भारत इंग्लैंड के साम्राज्य का हिस्सा था इसलिए इंग्लैंड की महारानी हमारी महारानी थी और भारत के लोग उनकी प्रजा थे।

इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की संसद और सरकार भारत पर शासन करती थी। इंग्लैंड से सीधे शासन तो नहीं हो सकता था क्योंकि भारत बहुत दूर था। इसलिए भारत के शासन की ज़िम्मेदारी कुछ अधिकारियों को सौंपी गई थी। सब से बड़ा अधिकारी इंग्लैंड में रहता था। उसे "सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया" कहते थे।

भारत में रह कर काम संभालने वाला सबसे प्रमुख अधिकारी 'वाइसरॉय' या 'गवर्नर जनरल' कहलाता था। वह भारत में अंग्रेज़ राज्य के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार था।

महारानी विक्टोरिया अपने एक भारतीय कर्मचारी के साथ



पर, अकेले वाइसरॉय के लिए भारत के शासन के सारे मामलों में सोच विचार कर निर्णय लेना और उन्हें लागू करना संभव नही था। उसकी सहायता व सलाह के लिए एक परिषद होती थी। परिषद में सरकार के महत्वपूर्ण अंग्रेज़ अधिकारी सदस्य थे।

एक वाइसरॉय और परिषद इतने लंबे चौड़े देश में शासन नही चला सकते थे। इसलिए भारत में अंग्रेज़ साम्राज्य को मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा था बंगाल प्रेसीडेन्सी, दूसरा मद्रास प्रेसीडेन्सी और तीसरा बंबई प्रेसीडेन्सी। हर प्रेसीडेन्सी में एक 'गवर्नर' नियुक्त किया गया और हर गवर्नर की सहायता और सलाह के लिए एक एक परिषद बनाई गई। इन परिषदों में भी प्रेसीडेंसी के प्रमुख सरकारी अधिकारी सदस्य होते थे।

भारत के शासन में भारतीयों का हिस्सा

भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था इसलिए शुरू से ही अंग्रेज़ अधिकारी शासन चलाते थे।

पर 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ सरकार सोचने लगी कि अगर शासन चलाने में भारत के लोगों का साथ न लिया तो भारत के लोग अंग्रेज़ों का शासन स्वीकार नहीं करेंगे और विद्रोह करते रहेंगे। इसलिए 1861 से यह नियम बना कि वाइसरॉय और गवर्नरों की परिषदों में अंग्रेज़ अधिकारियों के अलावा दूसरे लोग भी सदस्य रखे जाएंगे और इनमें से कुछ भारतीय सदस्य भी होंगे।



परिषद की सदस्यता

भारत के शिक्षित लोग इस नियम से बिल्कुल संतुष्ट नही थे। आओ, उनकी शिकायतें समझें। वे कहते, "परिषदों में भारतीयों को रखा ज़रूर है। पर यह तो सिर्फ नाम के वास्ते है। परिषद के सदस्यों में सबसे अधिक संख्या में तो अंग्रेज़ अधिकारी ही हैं।

"अधिकारियों को छोड़ कर जो सदस्य बनाए हैं उनमें बहुत से भारत में रहने वाले अंग्रेज़ व्यापारी, मिल मालिक, चाय बगान के मालिक हैं।

"इस तरह परिषद में अंग्रेज़ ही अधिक हैं, भारतीय लोग तो तीन-चार ही होते हैं।

"हां, और जो भारतीय परिषद के सदस्य हैं उनका होना न होना बराबर ही है। वाइसरॉय को अपनी परिषद के सदस्य चुनने का अधिकार है इसलिए वह उन्हीं भारतीय लोगों को चुनता है जो अंग्रेज़ सरकार का समर्थन करते हैं।

"वाइसरॉय ने कई भारतीय राजाओं, नवाबों, उनके दीवानों और ज़मीदारों को अपनी परिषद का सदस्य बनाया है। ये लोग भारत की आम जनता का दुख दर्द समझते भी नही हैं और न ही अंग्रेज़ सरकार से लोगों के हित में शिकायत करते हैं। इनके परिषद में होने से क्या फायदा?"

भारत के शिक्षित लोगों को परिषद की सदस्यता से आपत्ति थी। यह आपत्ति और भी बढ़ जाती थी जब वे इंग्लैंड से तुलना करके देखते थे -

"भई, इंग्लैंड में जो संसद है उसके सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं। वे लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। भारत के लोगों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपने प्रतिनिधि चुनें और उनके ज़रिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। लोगों की असली समस्याएं तभी सरकार द्वारा सुनी जाएंगी और हल की जाएंगी।

"हम नही चाहते कि वाइसरॉय या गवर्नर अपनी मर्ज़ी से परिषद के सदस्य चुनें। परिषद के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाने चाहिए।"

वाइसरॉय और गवर्नर कौन थे?
उनकी परिषदों के सदस्य कैसे चुने जाते थे?
शिक्षित लोगों को परिषद की सदस्यता में क्या कमियां दिखीं?
इन कमियों को दूर करने के लिए उनके क्या सुझाव थे?

परिषद के अधिकार

भारत के शिक्षित लोगों ने परिषदों के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। ये सवाल क्या थे, आओ समझें।



"परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ भी जाए तो भी क्या फायदा होगा? परिषद को कोई अधिकार ही नही है। उसका तो इतना ही काम है कि अगर वाइसरॉय या गवर्नर कोई बात विचार के लिए परिषद के सामने रखे तो परिषद बातचीत कर ले और अपनी राय बता दे।"

"हां भई। परिषद के सदस्य अगर अपनी तरफ से किसी विषय पर चर्चा करना चाहें तो उन्हें पहले सरकार से पूछना पड़ता है। वाइसरॉय या गवर्नर मना कर दें तो सदस्य उस विषय पर चर्चा नही कर सकते। ऐसी परिषद किस काम की?"

"अरे, अगर परिषद की दी हुई सलाह सरकार के लिए मानना ज़रूरी होता तो भी कोई बात बनती। पर परिषद की सलाह का इतना भी महत्व नही है। वाइसरॉय चाहे तो परिषद की सलाह ठुकरा के अलग निर्णय ले सकता है।"

"यह सब तो है ही - पर सब से ग़लत बात तो यह है कि परिषद के सदस्य सरकार के बजट पर कोई प्रश्न नहीं कर सकते। सरकार हम लोगो पर कर लगा के पैसा वसूल करती है और अपनी मर्ज़ी से खर्च करती है। पैसा हमारा है। कितना वसूल किया जाएगा, किस पर खर्च किया जाएगा - इन मामलो में हमारी राय भी तो लेनी चाहिए।"

लोगों की सरकार

इन बातों से हम समझ सकते हैं भारत के शिक्षित लोग अंग्रेज़ शासन के तरीके से कितने असंतुष्ट थे। वे चाहते थे कि जिस तरह इंग्लैंड में सरकार वहां के लोगों के प्रति जवाबदार होती है वैसे ही भारत में भी सरकार भारत के लोगों के प्रति जवाबदार हो।

शुरू में ऐसी उम्मीद भी बनी थी कि अंग्रेज़ भारत के लोगों को जवाबदार सरकार बनाना और चलाना सिखाएंगे। पर बहुत जल्दी यह उम्मीद खत्म हो गई और लोग समझ गए कि अंग्रेज़ भारत के लोगों के विकास की बातें करते ज़रूर हैं पर वे अपने साम्राज्य के विकास के लिए ही शासन करते हैं।

इंग्लैंड भारत पर अपने हितों के लिए शासन कर रहा था, भारत के हितों के लिए नही, इसलिए भारतीयों को शासन में पूरा हिस्सा देना संभव ही नही था।

हां, भारत के शिक्षित लोगों के असंतोष को देखते हुए समय समय पर कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए। सन् 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 में ऐसे कानून बने जिनसे शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी व हक थोड़े बहुत बढ़े।

पर इस दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय लोगों के हितों के लिए शासन चलाना है तो अंग्रेज़ शासन से स्वतंत्र होना होगा। अब लोग स्वराज्य के हक के लिए लड़ने लगे और अंग्रेज़ शासन हटा कर भारतीयों का स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की कोशिश में जुट गए।

स्वतंत्रता के बाद

तुम अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर बताओ कि मध्यम वर्ग के शिक्षित लोगों ने जो समस्याएं उठाई थी उनमें से कौन सी अब हल हो गई हैं - क्या अब भारतीयों को नौकरी में पूरे अवसर मिलते हैं? क्या देश की सरकार पर लोगों का नियंत्रण है?

अभ्यास के प्रश्न

1. अंग्रेज़ शासन के समय में सरकारी नौकरी पाना भारतीयों के लिए कठिन क्यों था?
2. अंग्रेज़ो और भारतीयों के बीच भेद-भाव किस तरह् से होता था?
3. अंग्रेज़ शासन के नियमों में ऐसी क्या बातें थीं जिनके कारण भारत के लोग अंग्रेज़ सरकार पर नियंत्रण नही कर सकते थे?
4. भारत के लोग चाहते थे कि सरकार उनके प्रति जवाबदार हो। यह् स्वतंत्रता के बगैर संभव क्यों नही था?

12 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन

भारत के अलग-अलग वर्गों के लोग अपनी-अपनी समस्याओं और कठिनाईयों से जूझ रहे थे। किसान, आदिवासी, उद्योगपति, मज़दूर, औरतें, मध्यम वर्ग के लोग - सभी अपने जीवन के हालात सुधारने और सुखमय बनाने की लड़ाई में लगे थे।

तुमने पिछले पाठों में इन सब लोगों की समस्याओं और उम्मीदों के बारे में पढ़ा है।

क्या तुम बता सकते हो कि ये लोग अपने-अपने हालातों में किस तरह के बदलाव चाह रहे थे?

समय के साथ ये अनेकों आंदोलन और संघर्ष एक-दूसरे के बारे में जानने लगे और निकट भी आने लगे। अंग्रेज़ी हुकूमत का असर सभी को झेलना पड़ रहा था। अंग्रेज़ी हुकूमत को हटा कर एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की कोशिश होने लगी। इस कोशिश में अलग-अलग वर्गों के लोग एक-दूसरे के संघर्षों का साथ देने लगे। स्वतंत्र राष्ट्र सभी की इकट्ठी कोशिश और शक्ति से ही तो बन सकता था। यह था भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। इस में भाग ले रहे सब वर्ग के लोग नए राष्ट्र में अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने के सपने लेकर जुटने लगे।

नए राष्ट्र को बनाने के बारे में एक गंभीर और मुश्किल सवाल भी उठने लगा था। सवाल था कि नए राष्ट्र में भारत के अलग-अलग धार्मिक संप्रदायो को क्या स्थान मिलेगा? क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सब संप्रदायो को बराबर महत्व मिलेगा? या हिंदुओं को सबसे प्रमुख स्थान मिलेगा क्योंकि वे अधिक संख्या में हैं? जो लोग या संगठन मुख्य रूप से अपने-अपने संप्रदाय का स्थान बेहतर बनाने की कोशिश में लगे थे, वे सांप्रदायिक संगठन कहे जाते थे। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग सबसे महत्वपूर्ण सांप्रदायिक संगठन थे।

नए स्वतंत्र राष्ट्र की लड़ाई में ये सवाल भी उठ रहे थे कि नए राष्ट्र में किन वर्गों के हित पूरे होंगे? भारत का नया, स्वतंत्र राष्ट्र ज़मीदारों का होगा या किसानों का होगा? मिल मालिकों का होगा या मज़दूरों का होगा? आदिवासियों का होगा या साहूकारो का होगा?

स्वतंत्र होने के बाद नए राष्ट्र में लोगों के विकास के बारे में भी कई विचार बनने लगे। कुछ लोग गांधीवादी तरीके से भारत के विकास की उम्मीद कर रहे थे, कुछ लोग पूंजीवादी तरीके से विकास करने की योजना बना रहे थे और कुछ लोग चाह रहे थे कि स्वतंत्र भारत का विकास समाजवादी तरीके से हो। तुम विकास के इन अलग-अलग विचारों के बारे में गुरुजी से चर्चा करो।

लोगों में नए राष्ट्र के सपने अलग-अलग थे और संघर्ष के तरीके भी कई अपनाये गए। आओ, अब राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न तरीकों और चरणों के बारे में पढ़ें।

सरकार अपने वादे पूरे करे

तुम जानते हो कि पढ़े-लिखे लोगों का एक अखिल भारतीय संगठन 1885 में बना था - 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस'। इसका हर साल तीन दिन का अधिवेशन हुआ करता था जिसमें देश के हर प्रांत से प्रतिनिधि भाग लेने आते थे। इनमें सुरेंद्र नाथ बेनर्जी, फिरोज़शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे बहुत प्रसिद्ध हुए।



सन् 1919 में अमृतसर में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रतिनिधिमंडल

कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी। सरकारी नीतियों की आलोचना भी होती थी। सरकार को कैसी नीतियां अपनानी चाहिए - इसके बारे में प्रस्ताव पास किए जाते थे।

शुरू में पढ़े-लिखे लोगों के मन में अंग्रेज़ शासन पर विश्वास था। अंग्रेज़ यह बतलाने की कोशिश करते थे कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और अंग्रेज़ों की देखभाल में ही उसका सही विकास होगा। वे कहते थे कि भारत का विकास करने के लिए ही वे उस पर शासन कर रहे हैं। पढ़े-लिखे लोग यह चाहते थे कि सरकार जो बातें कहती है और जो वादें करती हैं, उसे पूरी तरह निभाए। इसलिए वे सरकार से बार-बार कृपा की प्रार्थना करते थे और उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनके सुझाव ज़रूर मानेगी।

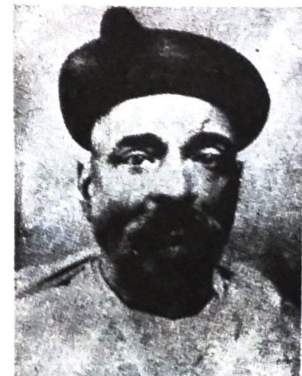
देश के हर हिस्से से भारतीयों द्वारा छापे जा रहे अखबार निकल रहे थे, जिनमें लोगों की कठिनाईयों व सरकारी नीतियों की विस्तार से चर्चा होने लगी।

लेकिन अंग्रेज़ सरकार पर इन चीज़ों का ख़ास असर नही पड़ा। सरकार को लगता था कि मुट्ठी भर पढ़े-लिखे लोगों की बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।

"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।"

जब यह बात स्पष्ट होने लगी कि अंग्रेज़ सरकार पर कांग्रेस के प्रस्तावों व सुझावों का असर नहीं पड़ रहा है तो विरोध की भावना तीखी और तेज़ होने लगी। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार "केसरी" में लिखा - "बारह वर्षो से चिल्ला-चिल्ला कर हमारे गले बैठ गए हैं, पर सरकार के कानों में जूं तक नही रेंगी हैं। .... अब यह ज़रूरी है कि हम गांव-गांव में आम लोगों को राजनीति की शिक्षा दें, उन्हें उनके अधिकार बताएं व अधिकारो के लिए लड़ना सिखाएं।"

तिलक ने लोगों के सामने यह विचार स्पष्ट किया कि कोई भी सरकार लोगों के सहयोग से ही चल पाती है। इसलिए उनका कहना था - "तुम ग़रीब हो और दबाए हुए हो। फिर अपनी ताकत का अहसास करो। अगर तुम न चाहो तो यह शासन नहीं चलेगा। तुम्हीं तो रेल और सड़कें बिछाते हो, तुम्हीं तो डाक घर चलाते हो, लगान इकट्ठा करवाते हो। अंग्रेज़ शासन की कृपा की आस में मत जीओ। अपनी आत्म-शक्ति इतनी बढ़ाओ कि अपने अधिकार जीत पाओ।"



बाल गंगाधर तिलक

तिलक ने ही लोगों में जोश भरने वाला यह गरजता हुआ नारा दिया -

"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।"

तिलक के अलावा बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय व कई और लोग इन नए विचारों व भावनाओं को मानते थे और फैलाते थे। इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में "गरम दल" कहा जाने लगा। इनकी तुलना में रानाडे, फिरोज़शाह मेहता आदि लोगों को "नरम दल" के नाम से पुकारा जाने लगा।

> *नरम दल व गरम दल की भावनाओं, विचारों और तरीकों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देते हैं? चर्चा करो।*

बहिष्कार और स्वदेशी

अंग्रेज़ों से प्रार्थना करने की बजाए अपने बल पर स्वराज्य हासिल करने की भावना से दो तरह के कार्यक्रम बने -

एक, अंग्रेज़ी कपड़े, शक्कर आदि माल का बहिष्कार करना, यानी उन्हें न खरीदना। दूसरा, 'स्वदेशी' यानी अपने देश के लोगों द्वारा बनाई चीज़ों का ही उपयोग करना। 'बहिष्कार' और 'स्वदेशी' की बात लोगों में एक आंदोलन के रूप में 1905 से तेज़ी से फैली।

1905 में अंग्रेज़ सरकार के वाइसरॉय लॉर्ड कर्ज़न ने बंगाल प्रेसीडेन्सी (प्रांत) को दो हिस्सों में बांट दिया था - पश्चिमी बंगाल जिसमें हिंदू अधिक थे और पूर्वी बंगाल जिसमें मुसलमान अधिक थे। देश के लोगों के बीच इस तरह फूट पैदा करने की कूटनीति के खिलाफ लोगों में भयंकर गुस्सा फूट पड़ा। तब अंग्रेज़ी हुकूमत को कमज़ोर बनाने के प्रयत्न ज़ोर पकड़ने लगे।

अपना विरोध प्रकट करने के लिए लोगों ने बड़ी मात्रा में विदेशी सामान का बहिष्कार किया। जगह-जगह अंग्रेज़ी कपड़ों की होलियां जलाई गईं। 1906 में कलकत्ता बंदरगाह में विदेशी कपड़ा, सूत, जूते, सिगरेट - पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम मात्रा में आए। खास कर विदेशी सिगरेट और जूतों की मांग आधे से भी कम हो गई।

लोगों में स्वदेशी का विचार पनपने लगा। वे कहते, "हम अपने उद्योग लगाएंगे, अपने स्कूल-कालेज खोलेंगे, गांव के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याएं दूर करेंगे। हम अपनी पंचायतें व कचहरियां चलाएंगे। हम अपने विकास के लिए अंग्रेज़ों पर निर्भर नही रहेंगे और अपनी आत्म-शक्ति बढ़ाएंगे।"

यह थी स्वदेशी की भावना। इसकी प्रेरणा से कई स्कूल, कॉलेज, कारखाने, पंचायतें शुरू की गईं।

> *लोग यह क्यों सोचते थे कि बहिष्कार और स्वदेशी कार्यक्रमों से देश को स्वराज्य मिल पाएगा - चर्चा करो।*

हिंसात्मक क्रांतिकारी आंदोलन

बहिष्कार व स्वदेशी का तरीका भी कुछ लोगों को संतुष्ट न करता था। उन्हें लगता था कि स्वदेशी भावना को फैलाकर स्वराज्य हासिल करने में बहुत देर लग जाएगी। उन्हें अंग्रेज़ों से लड़ने का एक और तरीका ज़्यादा उचित लगता था। वह था हथियारों का इंतज़ाम करके अंग्रेज़ अफसरों की हत्या करना। "हर ज़िले में कुल अंग्रेज़ हैं ही कितने से? अगर हम पक्का इरादा कर लें तो अंग्रेज़ शासन एक दिन में खत्म हो सकता है।" औरोबिंदो घोष ने 'युगान्तर' अखबार में लिखा।

इस भावना से कई खुफिया संगठन बने और उनमें देश के प्रेम व बलिदान की भावना से अनेक नवयुवक आए। उन्होंने देश-विदेश से अस्त्र-शस्त्र इकट्ठे किए। इसके लिए वे सरकारी खज़ाने और सरकारी शस्त्र भंडार पर छापे भी मारे थे। अंग्रेज़ों की हत्या के प्रयास के लिए खुदीराम बसु, प्रफुल चाकी आदि क्रांतिकारी बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्हें फांसी की सज़ा भुगतनी पड़ी पर उनके बलिदान ने लोगों को गहरे रूप से देश प्रेम की ओर खीचा।



गांधीजी

अहिंसा और सत्याग्रह

स्वराज्य के लिए अंग्रेज़ों की हत्या करने का रास्ता सब को उचित नहीं लगता था। हिंसा व हत्या का विरोध करने वालो में गांधीजी प्रमुख थे। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना ज़ोर-ज़बरदस्ती व हिंसा के उसे प्राप्त कर सकना चाहिए। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए (यानी सत्याग्रह)। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नही करनी चाहिए।

गांधीजी ने सत्याग्रह करने के लिए ये कार्यक्रम बनाए - अन्याय करने वाले का सहयोग न करना (यानी असहयोग करना) और अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना (यानी अवज्ञा करना)। गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज़ शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा।

जब गांधीजी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया मोड़ आंया। गांधीजी लोगों की छोटी-छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन छेड़ते थे। वे अंग्रेज़ सरकार से मांगे करते थे कि लगान कम करे, नमक पर कर हटाए, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाए, शराब की बिक्री बंद करे (शराब की बिक्री से सरकार को बहुत आय मिलती थी)। गांधीजी के नेतृत्व में हज़ारों की संख्या में लोग अपनी इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकलने लगे। इसके पहले के किसी भी प्रयास से भारी मात्रा में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे।

गांधीजी ने ही देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया ताकि हमेशा से ठुकराए गए लोग नया राष्ट्र बनाने के आंदोलन में शामिल हो सकें।

> *तुमने सहायक वाचन पुस्तक में गांधीजी की जीवनी विस्तार से पढ़ी होगी और उनके जीवन की ऐसी बहुत और बातों को समझा होगा। ऊपर दिए अंश को पढ़ कर बताओ कि गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें जोड़ीं?*

असहयोग आंदोलन 1920-22

1915 के बाद स्वराज्य की मांग ज़ोर पकड़ रही थी। इस राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने कई कदम उठाए। 1919 में रौलट ऐक्ट नाम

1922 में असहयोग आंदोलन का एक जुलूस



का कानून बना। इसके चलते अंग्रेज़ सरकार किसी को भी कोर्ट में लाए बगैर जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून के विरोध में देश भर में हड़ताल की गई।

> *क्या तुम समझा सकते हो कि लोगों ने रौलट ऐक्ट का ज़ोरदार विरोध क्यों किया?*

लोगो को सबक सिखाने के लिए जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलाईं जिससे लगभग 400 लोग मारे गए। यह घटना 13 अप्रैल 1919 की है।

ऐसी विकट स्थिति में गांधीजी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1857 के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेज़ी हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला बड़ा आंदोलन था। इसका उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज़ शासन का सहयोग न करना। आओ, इसकी कुछ झलकें देखें -

"अंग्रेज़ों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाएं। हम क्यों उनका शासन संभालें?" यह कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में मुंशी प्रेमचंद भी थे जो गोरखपुर की सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ी और एक राष्ट्रवादी अखबार में काम करने लगे।

अनेको छात्रों ने सरकारी स्कूल-कॉलेज छोड़ दिए और स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे। उदाहरण के लिए बिहार में 41 स्वदेशी हाई स्कूल और 600 स्वदेशी माध्यमिक व प्राथमिक शालाएं खोली गईं जिनमें जून 1922 तक 21,500 छात्र दर्ज़ हुए।

बिहार में ही लोगों को चरखे और कपास बांटने के लिए 48 खादी भंडार खोले गए और 3 लाख चरखे बांटे गए। देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी। कई जगह परिषद के चुनावों में लोगों ने वोट नहीं डाले।

अंग्रेज़ी कपड़े की दुकानों व शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। अंग्रेज़ी चीज़ों के बहिष्कार के साथ-साथ स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश भी हुई। इसमें गांधीजी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत कातने का अभियान जोड़ दिया। इससे घर-घर में देश को आत्म-निर्भर बनाने की भावना मज़बूत बनी।

छोटे-बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जुलूस में निकलते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते। पुलिस उन्हें रोकती, उन पर लाठियां बरसाती, पर लोग पुलिस पर हाथ भी न उठाते। एक जत्था पिटते हुए गिरफ्तार हो जाता तो उसके पीछे दूसरा जत्था 'इंकलाब ज़िन्दाबाद', 'चरखा चला-चला के हम स्वराज्य लेंगे' और 'महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाते हुए आता और शान्तिपूर्वक गिरफ्तारी देता। अंग्रेज़ शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शान्ति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह कर के करते।

कलकत्ता में असहयोगियों का जुलूस



1921 में इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया - लोग उसके स्वागत में नही गए और बंबई शहर में उस दिन हड़ताल रही।

दूर दराज़ के इलाकों में, गांव-गांव में गांधीजी की खबर फैल गई। किसानों, आदिवासियों, मज़दूरों में भी यह जोश भर गया कि अब चंद दिनों में अंग्रेज़ राज्य खत्म हो जाएगा - और "गांधीजी का स्वराज्य" आ जाएगा।

देश में जहां-जहां गांधीजी जाते लोग उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ते। किसानों और आदिवासियों को यह विश्वास हो गया था कि स्वराज्य में गांधीजी लगान कम करवा देंगे और वन विभाग के नियम खत्म करवा देंगे। वन विभाग के नियमों की परवाह न करते हुए कई जगहों के आदिवासी व किसान जंगलों में अपने ढोर चरने ले गए और जंगल से लकड़ी काट लाए।

स्वराज्य की खुशी में झारग्राम के सांथाल आदिवासियों ने हाट और ज़मीदारों के जंगल लूटे।

जलपाईगुड़ी के सांथालों ने गांधी टोपी पहन कर पुलिस के दल पर हमला किया। उन्हें यह विश्वास था कि गांधी टोपी पहनने से बंदूक की गोली उन्हें नही मार सकती।

सूरमा घाटी के चाय बगानों से 8,000 मज़दूर बगान छोड़ कर गांव को लौटने लगे। वे यह घोषणा करते हुए गए कि 'गांधी महाराज' ने उन्हें जाने का आदेश दिया है और 'गांधी महाराज' उन्हें गांव में ज़मीन दिलवाएंगे।

1920-22 के बीच अवध के किसान बाबा रामचंद्र के साथ ज़मीदारों का विरोध कर ही रहे थे। अब उत्तर प्रदेश में किसानों ने जगह-जगह गांधीजी के नाम पर ज़मीदारो का विरोध किया और बटाई देने से मना किया।

इस तरह देश भर में उथल-पुथल मच गई और लोगों में अन्याय व अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ज़बरदस्त भावना उमड़ पड़ी।

पर, 1922 में गांधीजी ने असहयोग आंदोलन बंद करवा दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चौरी-चौरा नाम की जगह पर किसानों के जुलूस ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी। इसमें 22 सिपाही मारे गए। किसान थाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू की। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी। 22 सिपाहियों की हत्या के जुर्म में सरकार ने 19 किसानों को फांसी पर चढ़ाया और 150 किसानों को काले पानी का दंड दिया।

गांधीजी ने चौरी-चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया - समझाओ।

पूर्ण स्वराज्य का नारा और नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930-32

1928 में अंग्रेज़ सरकार ने भारत के शासन के नियम बनाने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बैठाई। इस समिति में एक भी भारतीय न था। इससे बिलकुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज़ सरकार यह मानने को तैयार नही है कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहां-जहां गया वहां उसके विरोध में जुलूस व हड़तालें हुई और "साइमन वापस जाओ" का नारा ज़ोरों से गूंजा।

28-30 नवंबर 1928 को अवध के बड़े ज़मीदारो ने लखनऊ में साइमन के स्वागत में एक समारोह रखा। इसके विरोध में लखनऊ में कई जुलूस निकले। साइमन



मद्रास में साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस

का विरोध करने के लिए लोगों ने गुब्बारों पर लिखा 'साइमन वापस जाओ' और ये गुब्बारे समारोह स्थल के ऊपर उड़ाए।

इन विरोध प्रदर्शनों में बहुत लोग पुलिस द्वारा पीटे गए, जिनमें जवाहर लाल नेहरू भी थे।

1929 में कांग्रेस ने यह फैसला किया कि अब किसी भी हालत में अंग्रेज़ शासन के अंतर्गत नहीं रहना है। अब भारत के लोग पूर्ण स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। इस लड़ाई के लिए गांधीजी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यानी, देश के नागरिक खुल्लम खुला, पर शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के कानून तोड़ेंगे।

इस आंदोलन की शुरुआत में गांधीजी ने नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया। अंग्रेज़ सरकार के कानून के अनुसार सिर्फ सरकार नमक बनवा के बेच सकती थी और लोगों से नमक पर कर भी वसूल करती थी। नमक पर कर देना एक ऐसी बात थी जो देश भर के छोटे-बड़े, सभी लोगों पर असर डालती थी। गांधीजी ने तय किया कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून की अवज्ञा करके ही शुरू करनी चाहिए। उनके साथियों ने साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर दांडी नाम की जगह तक पैदल यात्रा की और समुद्र तट पहुंच कर नमक बनाया।

इसके बाद देश में सैकड़ों जगहों पर लोगों द्वारा नमक बनाया गया। ख़ास कर उन जगहों पर जो समुद्र के किनारे थीं।

दूसरी जगहों पर सरकार के और कानून भी तोड़े गए। यह तय हुआ कि किसान सरकारी लगान नहीं चुकाएंगे। जिन क्षेत्रों में ज़मींदार थे, वहां किसानों से कहा गया कि वे ज़मींदार को लगान देते रहें पर सरकार उनसे जो चौकीदारी टैक्स लेती है वो देने से मना कर दें।

मध्य भारत के इलाकों में, जहां जंगल बहुत थे, आदिवासियों और किसानों से जंगल कानून तोड़ने के लिए कहा गया।

एक बार फिर देश भर, गांव-गांव और छोटे-बड़े शहरों में आंदोलन की लहर चली। रायपुर, भंडारा, सिवनी, अमरावती, बैतूल में आदिवासियों और किसानों ने जंगल से बड़ी मात्रा में लकड़ी काटी।

दांडी में नमक उठाते हुए गांधीजी



उत्तर प्रदेश के किसानों ने चौकीदारी टैक्स चुकाने से इनकार तो किया ही पर साथ-साथ ज़मीदारों को बटाई देने से भी मना करने लगे।

महाराष्ट्र में शोलापुर की कपड़ा मिलों के मज़दूरों ने गांधीजी की गिरफ्तारी की खबर सुन कर 7 मई को हड़ताल कर दी। मज़दूरों की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के लिए जुलूस निकाले, शराब की दुकानें जलाई, पुलिस चौकियां, कचहरी और म्युनिसिपैल्टी की इमारतें और रेल्वे स्टेशन पर हमला किया। उन्होंने लगभग 7 दिन तक शोलापुर से अंग्रेज़ प्रशासन को उखाड़ फेंका और अपना अलग प्रशासन स्थापित किया जिसमें उन्होंने शहर के लोगों में से ज़िला मजिस्ट्रेट से लेकर थानेदार तक सब अधिकारी नियुक्त कर दिए।

उधर बंबई के व्यापारियों ने सबके सामने शपथ ली कि वे विदेशी कपड़ा नही बेचेंगे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर हुआ। बंबई में 1929-30 में 124 करोड़ गज़ विदेशी कपड़ा मंगाया गया था। बहिष्कार के चलते 1930-31 में सिर्फ 52 करोड़ गज़ विदेशी कपड़ा मंगाया गया।

उन्ही दिनों कांग्रेस पार्टी ने तय किया था भारत का राष्ट्रीय झंडा कैसा होगा। जगह-जगह लोगों ने अंग्रेज़ सरकार का झंडा उतार कर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। पुलिस लोगों को ऐसा करने से रोकती तो लोग पुलिस को चकमा दे कर झंडा फहरा के आते।

देश भर में हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए। कई बार जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता और मजिस्ट्रेट उनसे कहता - "क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना हैं?" तो लोग जवाब देते - "नही, हम अंग्रेज़ न्यायाधीश से कुछ नही कहना चाहते क्योंकि हम उसे न्यायाधीश स्वीकार ही नही करते।" फिर मजिस्ट्रेट सज़ा सुना देता और लोगों को कई महीनों की जेल हो जाती।

जन आंदोलन और समाजवादी विचार

अंग्रेज़ शासन के खिलाफ जब जनता आंदोलन करने लगी तो कुछ नए सवाल खड़े हो गए। जैसे, राष्ट्रीय आंदोलन में सिर्फ अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ा जाए या ताकतवर भारतीयों से भी न्याय ओर समानता के लिए लड़ा जाए? क्या हिंसा बिलकुल अनुचित है?

आंदोलन की राह पर आम लोग कई ऐसी बातें करने लगे जो गांधीजी को गलत लगती थी। पहली बात यह थी कि लोग कई बार हिंसा का रास्ता अपनाने पर मज़बूर हो जाते थे। दूसरी बात यह कि लोग सिर्फ अंग्रेज़ों का विरोध करने की बजाय उन भारतीयों का भी विरोध करने लगे थे जिनसे वे दुखी और परेशान थे। जैसे, किसान अंग्रेज़ों से लगान रोकने के साथ-साथ ज़मीदारों को बटाई देना बंद करने लगते, व साहूकारों के बहीखाते जला देते। मिलों के मज़दूर काम रोककर हड़ताल पर निकल आते। चाय बागानों के मज़दूर बागान छोड़कर चले जाते। आदिवासी जंगल जलाने लगते और वन विभाग के अधिकारियों को मार भगाते। दूर-दराज़ के गांव-शहरों में बिखरे लोगों को यह बात समझ में आई थी कि गांधीजी ने सत्य व न्याय के लिए लड़ने का आदेश दिया है और वे सब अपने-अपने हिसाब से सत्य व न्याय के लिए लड़ने निकल पड़ते। वे यह मानते थे कि वे गांधीजी के आदेश का ही पालन कर रहे हैं।

पर गांधीजी हिंसा के खिलाफ थे और वे यह भी नही चाहते थे कि ज़मीदारों, साहूकारों व मिल मालिकों के खिलाफ लोग आंदोलन करें। वे सोचते थे कि ये झगड़े आपसी प्रेमभाव से सुलझ जाने चाहिए। फिर वे सब लोगों का ध्यान अंग्रेज़ शासन से लड़ने में लगाए रखना चाहते थे और चाहते थे कि दूसरी समस्याएं स्वराज्य मिलने के बाद उठाई जाएं। इन विचारों के कारण गांधीजी ने कई बार लोगों के आंदोलन पर रोक



भगत सिंह

लगाने व सीमा में रखने की कोशिश की। चौरी-चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेना इसी का एक उदाहरण है।

इनसे कुछ हटकर समाजवादी लोगों के विचार थे। वे ऐसे आंदोलन का समर्थन कर रहे थे जो अंग्रेज़ों से भी न्याय दिलवाए और मिल मालिकों व ज़मीदारों से भी। 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। कुछ साल कांग्रेस में भी कई समाजवादी लोगों ने काम किया पर बाद में वे कांग्रेस से अलग हो गए और अलग पार्टियां बनाईं।

समाजवादी विचारों को रखने वाले कुछ लोगों के नाम ये हैं - एस.ए. डांगे, मुज़फ्फर अहमद, एम.एन. राय, भगत सिंह, सुभाषचंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण आदि। इन लोगों का विचार बन रहा था कि किसानों और मज़दूरों के संगठन बनने चाहिए व उन्हें अंग्रेज़ों के अलावा ज़मीदारों, साहूकारों और मिल मालिकों के खिलाफ भी संघर्ष करना चाहिए ताकि स्वतंत्रता के बाद जो नया राष्ट्र बनेगा, वह मज़दूरों व किसानों का राष्ट्र हो। इन लोगों ने किसान सभाओं व मज़दूर संगठनों को राष्ट्रीय आंदोलन में अधिक स्थान देने की कोशिश की।

1942 का भारत छोड़ो आंदोलन

1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस और अमरीका मिलकर जर्मनी, जापान व इटली से लड़ रहे थे। इस युद्ध के लिए इंग्लैंड भारत के लोगों और धन का उपयोग करना चाहता था। इस मौके पर कांग्रेस ने आवाज़ उठाई कि युद्ध में भारत के सहयोग के बदले में उसे स्वराज्य मिलना चाहिए। पर अंग्रेज़ सरकार इस मांग को मानने को तैयार नहीं थी। जब स्थिति यहां तक पहुंची तो 1942 में गांधीजी ने "अंग्रेजो भारत छोड़ो" आंदोलन शुरू किया। गांधी, नेहरू व अन्य नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लोग और भी भड़क गए। बड़ी संख्या में अंग्रेज़ सरकार के दफ्तर, कोर्ट-कचहरी, डाक घर, पुलिस थाने जलाए गए। शोलापुर, मद्रास और कलकत्ता में मज़दूरों ने विरोध ज़ाहिर करते हुए हड़ताल की और पुलिस से मुठभेड़ की। हज़ारों लोगों ने गिरफ्तारी दी।

सुभाष चंद्र बोस



सुभाषचंद्र बोस ने बर्मा जाकर जापान की मदद से एक भारतीय सेना खड़ी की। और अपनी इस आज़ाद हिंद फौज के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। उनका इरादा था कि इस सेना से अंग्रेज़ों को हराकर भगा दिया जाएगा।

1946 में अंग्रेज़ सरकार की नौ-सेना में भारतीय नौ-सैनिकों ने बगावत कर दी। जगह-जगह हड़तालें हो रही थी। अपने राज्य के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विद्रोह देख कर अंग्रेज शासक आखिर हार मानने लगे। वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमज़ोर महसूस कर रहे थे। ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा। इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी की सरकार थी वह भारत को स्वतंत्र करने को राज़ी हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ शासन से आज़ादी मिल गई।

भारत-पाकिस्तान विभाजन

स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया, वैसे हिंदू और मुसलमान संप्रदायवादी लोग अपने-अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। इस हालत में 1940 में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, चूंकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़े। जगह-जगह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे।

अंग्रेज़ों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान के नाम से अलग राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे। पर अनेकों हिंदू-मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे। उन दिनों हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत मार-काट मच गई व एक-दूसरे के प्रति बहुत भय और घृणा फैलाई गई। गांधीजी यह सब स्वीकार करने को तैयार नही थे। 77 वर्ष की बूढ़ी उम्र में वे भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने-बुझाने चल दिए। उन्होंने कहा, "मैं अपनी जान की बाज़ी लगा दूंगा पर यह नही होने दूंगा कि भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जिएं। उन्हें आत्म-सम्मान के साथ चलना है।"


मोहम्मद अली जिन्नाह

वे इस सिद्धांत पर अडिग थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान, दोनों के लिए बराबर जगह है। यह बात हिंदू संप्रदायवादी नही मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। उनमे से एक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। भारत का विभाजन क्यों और कैसे हुआ यह एक बहुत दुखद और कठिन कहानी है जिसके बारे में तुम आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे।

राजा-महाराजाओं के शासन की समाप्ति

तुम जानते हो कि अंग्रेज़ों के शासन के अलावा भारत के कई हिस्सों में राजा-महाराजाओं का शासन

भी था। भारत में 562 ऐसे छोटे-बड़े राज्य थे। वे अंग्रेज़ों की अधीनता तो मानते थे पर जब अंग्रेज़ भारत छोड़ कर जाने लगे तो राजाओं ने चाहा कि वे अपना-अपना स्वतंत्र राज्य अलग चलाएं। लेकिन इन रजवाड़ों में भी कई सालों से आम लोगों के आंदोलन चल रहे थे जो चाहते थे कि राजाओं, ज़मीदारों, जागीरदारों का शासन खत्म हो। वे भी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार व लोगों के अधिकारों की मांग कर रहे थे। वे भारत राष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते थे।



जवाहरलाल नेहरू और वल्लभाई पटेल

1947-48 में भारत की नई स्वतंत्र सरकार ने इन छोटे-बड़े रजवाड़ों को भारत में मिलाया। जो राजा नहीं माने, उनके राज्य में सेना भेज कर यह काम पूरा किया गया। राजाओं, नवाबो को हटाकर पेंशन दे दी गई। इस पेंशन को प्रिवी-पर्स कहा जाता था। राजाओं से ये समझौते करवाने का काम मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा किया। इस तरह आज के भारत के सब हिस्से एक राष्ट्र के अंतर्गत आए।

कई सालों बाद, 1971 में राजाओं के प्रिवी-पर्स खत्म कर दिए गए।

देश आज़ाद हुआ और एक नया राष्ट्र बना। लंबे समय से चले आ रहे कई संघर्ष सफल हुए और अपनी मंज़िल पर पहुंचे। पर अनेकों लोगों के संघर्ष और सपने 1947 में भी पूरे नहीं हुए। उनके प्रयत्न स्वतंत्रता के बाद भी जारी हैं।



अभ्यास के प्रश्न

1. नीचे लिखे हुए आंदोलनों का क्या मतलब था और उनमें लोग किस तरह भाग लेते थे -
   - (क) बहिष्कार
   - (ख) स्वदेशी
   - (ग) असहयोग
   - (घ) नागरिक अवज्ञा आंदोलन
2. गांधीजी के सत्याग्रह कार्यक्रम में हिंसात्मक कामो पर पाबंदी क्यो थी?
3. आम जनता के आंदोलनों के बारे में गांधीजी और समाजवादियों के विचारों में क्या फर्क था?
4. गांधीजी की हत्या किन कारणों से हुई?
5. स्वतंत्र भारत में पुराने राजाओं को क्या स्थान दिया गया?

नागरिक शास्त्र

1 बैंक

तुमने बैंक के बारे में सुना होगा। तुम्हारी जानकारी में लोग बैंक का क्या-क्या उपयोग करते हैं, तीन-चार बातें सोचकर लिखो।

पुराने समय में जो लोग पैसे बचाना चाहते थे, वे पैसों को या सोने-चांदी के सिक्कों को घड़ों में बंद करके ज़मीन के नीचे दबाकर रख देते थे। मगर इसमें हमेशा चोरों का खतरा था। अक्सर वे यह भी भूल जाते थे कि कहां पर धन छिपा कर रखा है। आज भी कई पुराने शहरों में घरों के नीचे ऐसे सोने के सिक्कों से भरे घड़े मिलते हैं।

मगर आजकल बहुत से लोग जो पैसा बचाना चाहते हैं, वे ऐसा नहीं करते हैं। वे अपने बचे हुए पैसों को बैंक में जमा कर देते हैं। वहां उनका पैसा सुरक्षित रहता है।

तुम सोचोगे कि बैंक में क्या चोरी नहीं होती?

बैंक में कभी चोरी हो भी जाये तो पैसे जमा करने वालों को नुकसान नहीं होता है। क्योंकि बैंक का काम एक खास ढंग से चलता है।



बैंक का चौकीदार

बैंक का कार्य कैसे चलता है? इसके बारे में पाठ में पढ़ो।

__बैंक में खाते__

बैंकों में पैसे जमा करने से लोगों के पैसे सुरक्षित तो रहते ही हैं, साथ ही उन्हें अपने जमा पैसों पर बैंक से ब्याज़ भी मिलता है। जितने पैसे जमा किए हैं, जमा करने वाले को कुछ सालों बाद उससे अधिक पैसे वापिस मिलते हैं।

शिक्षक, दुकानदार, किसान, व्यापारी, अफसर, डॉक्टर, वकील - सभी प्रकार के लोग बैंक में खाते खोल कर पैसे जमा करते हैं।

बैंक में पैसे सुरक्षित रखने में लोगों के अलग-अलग उद्देश्य रहते हैं। जैसे दुकानदार व व्यापारी रोज़ पैसे कमाते हैं और चाहते हैं कि दिन भर में आए पैसे को रोज़ बैंक में जमा कराएं। साथ ही रोज़ ज़रूरत के अनुसार (जैसे माल खरीदने के लिए या मज़दूरों को देने के लिए) पैसे निकालें। इन लोगों के लिए बैंक में "चालू खाता" खोलने की सुविधा है। इस खाते में रोज़ पैसा जमा कराया जा सकता है और रोज़ निकाला जा सकता है। इस खाते में जमा किए गए पैसों पर बैंक ब्याज नहीं देता।

लोग अपनी आमदनी में से पैसे बचा-बचा कर बैंक में सुरक्षित रखते जाना चाहते हैं। इनके लिए बैंक में "बचत खाता" खोलने की सुविधा है। जो लोग बचत करने के लिए बैंक में पैसे जमा करते हैं उ

रोज़-रोज़ पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं होती। बचत खाते का नियम भी है कि छह महीनों में 50 बार से ज़्यादा पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। सही भी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बार पैसे निकाले गए तो बचत कैसे होगी? बचत खाते में जमा पैसे पर बैंक 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देती है।

कई ऐसे भी लोग हैं जो यह तय कर लेते हैं कि उन्हें अपनी बचत के कुछ पैसे कई महीनों या सालों तक खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पैसे को वे "मियादी जमा खाते" में एक निश्चित समय तक जमा कर देते हैं। इस पर उन्हें ज़्यादा ब्याज मिलता है।

मान लो कि किसी के पास बचत खाते में 6,000 रुपये जमा हैं। इस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। उसने सोचा, "मैं मियादी खाते में दो साल के लिए 2,000 रुपये डाल देती हूं। मुझे अगले दो साल इन पैसों की ज़रूरत नहीं होगी।"

वह मियादी खाते में रकम जमा करवा देती है। अब उसे इन 2,000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। दो साल पूरे होने से पहले वह इस खाते में से पैसे नहीं निकाल सकती। दो साल बाद उसे ब्याज समेत पैसे वापस मिल जाएंगे।

अगर उसे इस बीच पैसों की बहुत ज़रूरत आ पड़ी और उसे मियाद पूरी होने से पहले पैसे निकालने पड़े तो ब्याज कम दर से लगा के उसे तब तक बनी रकम दे दी जाएगी।

> *व्यापार के लिये खोले गये खाते को क्या कहते हैं? इस खाते में और मियादी खाते में क्या-क्या अंतर हैं?*

बैंक में लेन देन के नियम

बैंक में जमा किए गए अपने पैसों को लोग सुविधानुसार निकाल सकते हैं। खाते में से पैसे निकालने के दो तरीके होते हैं - एक, फॉर्म भर कर निकालना और दूसरा, चेक दे कर निकालना।

एक दिन नीरज के घर पर पैसों की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि अपने खाते से पैसे निकाल लाता हूं। उसका खाता भारतीय स्टेट बैंक में था। उसने बैंक पहुंच कर पैसे निकालने का फार्म मांगा (नीचे इस फार्म का चित्र देखो)। उसने फार्म भर कर खिड़की के पीछे बैठे बाबू को पेश किया। बाबू ने पास बुक मांगी पर नीरज पास बुक घर भूल आया था। उसने बाबू से कहा, "आप तो मुझे पहचानते हैं। पैसे दे दीजिए, मैं आप को पास बुक बाद में दे दूंगा।" बाबू ने कहा, "यह संभव नहीं। बैंक का नियम है कि फार्म के साथ पास बुक दिखाना आवश्यक है।" उसने नीरज को नियम भी पढ़वाया। नीचे दिए गए फार्म पर तुम भी नियम पढ़ो।

नीरज घर गया और पास बुक लेकर आया। पास बुक के साथ उसने पैसे निकाले। उस के बाजू में

पैसे निकालने का फार्म

संक्षिप्त हस्ताक्षर
Initials
सी.ओ.एस. C.O.S. 161 ए A
खाता बही पृष्ठ
Ledger Folio
B.P.P.

जमाकर्ता का नाम .... नीरज कुमार ....
Name of Depositor (s)

सावधानी: यह बचत बैंक आदेश निकासी फार्म चैक नहीं है। इस फार्म के साथ पास-बुक रहना अनिवार्य है अन्यथा भुगतान प्राप्त नहीं होगा।
CARE : This Savings Bank withdrawal Order Form is Not a cheque. Unless this form is accompanied with Pass Book payment will be refused.

प्रेषिती / To: भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
बचत बैंक SAVINGS BANK

.... हण्डिया .... शाखा / Branch ....
कृपया स्वयं अथवा धारक को Please pay self or bearer
रुपये .. पांच सौ मात्र .... दीजिये | रु Rs. 500/-
Rupees
तथा राशि को मेरे / हमारे बचत बैंक खाता क्र० 75258 .... में नामे डालिये
and debit the amount to my/our Savings Bank Account No ....

नीरज कुमार
3/2/89
(जमाकर्ता Depositor (s))

No. SB/BFS A 3262481

कोड सं. CODE NO. अरेरा कालोनी शाखा Arera Colony Branch 5002

बैंक आफ इंडिया · BANK OF INDIA

दिनांक Date 3/5/1988

Pay गौरी कुमारी या धारक को or Bearer

रुपये Rupees पचास हज़ार मात्र अदा करें Rs. 50,000/-

राम नरेश 3/5/88

खा./सं. A/c.No. [redacted] खा./ब.प. L/F

Ledger Folio Initial

राम नरेश का चेक, गौरी कुमारी के नाम

एक व्यक्ति खड़ा था जिसने एक दूसरे तरह का फार्म देकर पैसे निकाले। नीरज ने उससे पूछा, "आप के पास पास बुक नहीं है, पैसे कैसे निकाले।" उसने बताया, "यह चेक है। इस के साथ पास बुक की ज़रूरत नहीं।"

> *पास बुक क्या होती है और इसका क्या उपयोग है - गुरुजी के साथ चर्चा करो।*

चेक

चेक आजकल रुपए पैसों के लेन-देन में बहुत उपयोग किया जाता है। चेक से हम अपने खाते में से पैसे तो निकाल ही सकते हैं, इसके अलावा दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी को बड़ी रकम देना चाहता है तो उसके नाम चेक लिख देता है। यदि किसी को दूसरी जगह पैसे भेजना है तो वह चेक लिख कर डाक द्वारा पहुंचा सकता है। व्यापार, धंधे और अन्य प्रकार के लेन-देन के लिए चेक एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

चेक से लेन देन का एक उदाहरण पढ़ो। राम नरेश भोपाल का एक बड़ा व्यापारी है और गौरी कुमारी वहीं पर एक कारखाने की मालकिन हैं। राम नरेश का खाता 'बैंक ऑफ इंडिया' में है और गौरी कुमारी का खाता 'पंजाब नेशनल बैंक' में है। राम नरेश ने गौरी कुमारी को 50,000 रु. देने थे। राम नरेश ने गौरी कुमारी के नाम चेक काटा।

चेक पर लिखा है "गौरी कुमारी या धारक को रुपये पचास हज़ार मात्र अदा करें"। गौरी कुमारी के पास चेक पहुंचा। वह अब दो काम कर सकती है। यदि उसे नगद पैसे चाहिए तो वह राम नरेश के बैंक (बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा कालोनी, भोपाल) जाकर यह चेक पेश कर सकती है। वहां बैंक वाले राम नरेश के हस्ताक्षर मिलाएंगे और ये देखेंगे कि उसके खाते में पर्याप्त पैसे हैं या नहीं । तब वे गौरी कुमारी को नगद पैसे देंगे और राम नरेश के खाते में से 50,000 रुपये घटा देंगे।

गौरी कुमारी एक दूसरा तरीका भी अपना सकती

है। वह अपने बैंक के खाते में चेक जमा कर सकती है। अब सब काम बैंक वाले करेंगे। गौरी कुमारी का बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक (भोपाल) राम नरेश के बैंक को यह चेक भेजेगा। राम नरेश का बैंक (यानी बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल) उसके हस्ताक्षर मिलाकर और खाते की जांच कर के गौरी कुमारी के बैंक के साथ हिसाब कर लेगा। राम नरेश का बैंक उसके खाते में से 50,000 रु. घटा देगा और गौरी कुमारी का बैंक गौरी कुमारी के खाते में 50,000 रु. जोड़ देगा।

शुरू में राम नरेश के खाते में 65,000 रु. थे और गौरी कुमारी के खाते में 60,000 रु. थे। बैंक में यह चेक जमा होन के बाद इनके खाते में कितने रुपये होंगे, लिखो।

यदि गौरी कुमारी भोपाल में नहीं, देवास में होती, तब भी वह दूसरा तरीका अपना सकती थी यानी राम नरेश का चेक अपने बैंक के खाते में जमा करा सकती थी।

इस स्थिति में दोनों बैंकों के बीच हिसाब चिट्ठी द्वारा किया जाता। राम नरेश के खाते से तो 50,000 रु. ही घटाए जाते पर गौरी कुमारी के खाते में 50,000 रु. से कुछ कम रुपए जोड़े जाते। काटे गए पैसे बैंक अपना कमीशन के रूप में रख लेता है।

क्रॉस चेक

तुम सोचोगे कि यदि यह चेक गौरी कुमारी की बजाय और किसी के हाथ लग जाए तो वह राम नरेश के पैसे निकाल सकता है।

यह खतरा दूर करने का एक तरीका है। राम नरेश चेक पर "या धारक" शब्दों को काट कर इस तरह दो लकीर खीच सकता है। ऐसे चेक को क्रॉस या रेखीकृत चेक कहते हैं।

रेखीकृत चेक

ऐसा करने पर चेक के पैसे नगद में नही प्राप्त हो सकते हैं। गौरी कुमारी भी राम नरेश के बैंक जाकर पैसे नही निकाल सकती है। यानी यह चेक केवल गौरी कुमारी के खाते में ही जमा किया जा सकता है। कोई और इस चेक से नगद पैसे नही निकाल सकता।

रेखीकृत चेक या क्रॉस चेक लेन-देन का सुरक्षित माध्यम है। ये पैसे बैंक में ही जमा किए जा सकते हैं। यदि किसी तीसरे व्यक्ति के पास ऐसा चेक आ जाए और वह पैसे हड़पना चाहे तो यह आसान नही है। आमतौर से बड़ी मात्रा का लेन-देन रेखीकृत चेकों के माध्यम से ही होता है।

जब बैंक में किसी व्यक्ति का खाता होता है तब बैंक का फर्ज़ है कि उस व्यक्ति के मांगने पर (चेक या फार्म द्वारा) बैंक उसे नगद पैसे दे दे। यदि चेक लिखने वाले व्यक्ति के खाते में उतने पैसे न हों जितने का उसने चेक लिखा है, तो चेक उसे वापिस भेजा जाता है। नए नियम के अनुसार ऐसा चेक लिखने वाले को सज़ा भी मिल सकती है।

बैंक ड्राफ्ट

चेक से लेन-देन के अलावा बैंक द्वारा लेन-देन का एक दूसरा तरीका है-बैंक ड्राफ्ट।

मान लो तुम्हें नौकरी के लिए अर्जी के साथ 30 रु. भेजने हैं। नौकरी के इश्तहार में लिखा है कि पैसे बैंक ड्राफ्ट या मनी आर्डर से भेजना है।

पता करो --

1. *बैंक ड्राफ्ट भेजने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा?*
2. *मनीआर्डर भेजने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा?*
3. *बैंक ड्राफ्ट या मनी आर्डर द्वारा जिनको पैसे भेजोगे, उन्हें पैसे किस तरह प्राप्त होंगे?*

तुमने राम नरेश और गौरी कुमारी के बीच पैसे का लेन देन देखा। इसी तरह और भी बड़ी मात्रा में खरीदी-बिक्री चलती रहती है और नोट वास्तव में कहीं हाथ नही बदलते। ड्राफ्ट व चेक से ही लेन देन चलता है। बस, एक के खाते में रकम कम हो जाती है और दूसरे के खाते में जुड़ जाती है। इस तरह व्यापार और लेन-देन में बहुत सुविधा हो गई

खाते में लेन देन का एक अभ्यास करो

फूल सिंह का खाता टिमरनी की भारतीय स्टेट बैंक शाखा में है। वह एक किसान है। उसने छगन लाल को सोयाबीन बेचा है। छगन लाल ने उसे 5,000 रु. का चेक दिया है। फूल सिंह के खाते में 7,000 रु. थे। उसके खाते में छगन लाल का चेक जमा करने के बाद 12,000 रु. हो जाएंगे। ***नीचे फूलसिंह की पास बुक की तालिका दी गई है। इसे अपनी कापी में उतारो। छगन लाल का चेक जमा करने की स्थिति इस तालिका में भरो।***

फूल सिंह की पास बुक

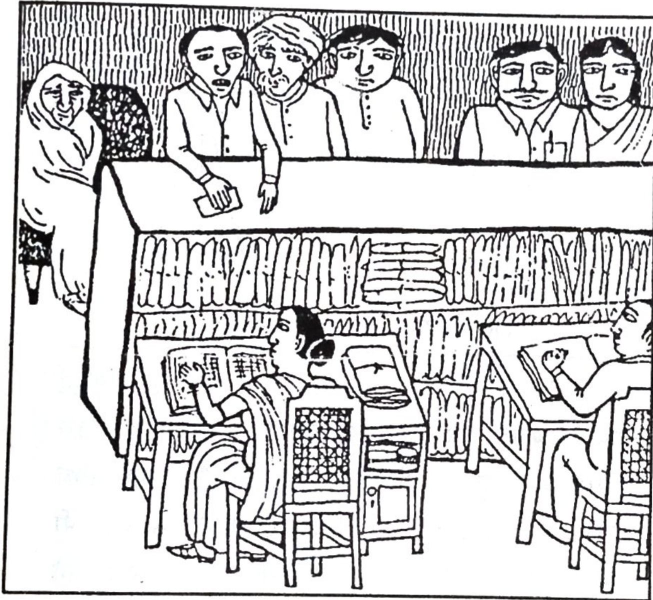
क्र.	विवरण	निकाली गई रकम	जमा की गई रकम	शेष जमा राशि
1.	पहले से जमा राशि			7,000
2.	छगन लाल का चेक प्राप्त			
3.				
4.				

फूल सिंह अपना घर बनवा रहा था। उसे घर के लिए सीमेंट खरीदना था। सीमेंट की कीमत 8000 रु. थी। उसने सीमेंट व्यापारी कमल गुप्ता को 8000 रु. का चेक दिया। कमल गुप्ता ने चेक अपने खाते में जमा कराया।

फूल सिंह के मकान पर मज़दूर काम कर रहे थे। मज़दूरी देने के लिए उसे 2000 रु. की ज़रूरत थी। उसने ये 2,000 रु. बैंक से नगद निकाले।

फूल सिंह द्वारा कमल गुप्ता को दिए गए चेक और मज़दूरी के लिए निकाले गए पैसों को फूल सिंह की पास बुक तालिका में उपयुक्त जगह पर भरो।

इन दोनों भुगतान के बाद फूल सिंह के खाते में कितने रुपए जमा थे? यह भी तालिका में उपयुक्त जगह पर भरो।



पास बुक भरवाते हुए

है। नोटों की गड्डियां लाने ले जाने की कठिनाई व खतरों से बचा जा सकता है। पैसे दूर कहीं भेजने हों तो डाक द्वारा चेक या ड्राफ्ट भेज सकते हैं। बैंकों की शाखाएं जगह-जगह हैं। चेक के माध्यम से दूर-दूर तक व्यापार और लेन-देन हो सकता है।

बैंक में चोरी

हम ने देखा कि बहुत से लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं। बैंक इन पैसों का क्या करती है? आगे की कहानी पढ़ कर इसका जवाब ढूंढते हैं।

सुबह तड़के ही शहर में सनसनी फैल गई। बैंक में डकैती हो गई थी। बंदूकों से लैस डाकुओं ने बैंक के चौकीदार पर हमला किया था। चौकीदार के पास बन्दूक थी पर पांच-सात लोगों के सामने वह कमज़ोर पड़ गया था। चौकीदार भी घायल हो गया था। बैंक में डकैती की खबर सुनकर कई बड़े किसान और व्यापारी घबराए। उनके तो खूब पैसे बैंक में जमा थे। किसी के पचास हज़ार तो किसी के दो लाख। कई लोगों की चार-पांच हजार रुपए की बचत पूंजी भी बैंक में थी।

कई लोग सोच रहे थे कि बैंक में जमा उनके पैसे अब उन्हें नहीं मिलेंगे। उनका ख्याल था कि उनके द्वारा जमा किए गए सभी पैसे वहां बैंक की तिजोरी में थे। ऐसा सोचने वालों में से मोहन कुमार भी एक व्यक्ति था। उसके 50,000 रु. बैंक में जमा थे।

लोगों ने बैंक के मैनेजर से मिलने की मांग की। बैंक मैनेजर बाहर आयी और उसने कहा कि किसी का नुक्सान नहीं होगा। जितने पैसे खाते में हैं, उतने पैसों पर उनका अभी भी हक है। डकैती का नुकसान बैंक को ही सहन करना होगा । खातेदारों के सभी पैसे सुरक्षित हैं। इस पर लोग संतुष्ट होकर जाने लगे। मोहन कुमार भी जाने वाला था कि उसने मैनेजर को कैशियर से बात करते हुए सुना, "आज कैश (नोट और सिक्के) कितना था?"

कैशियर ने बताया कि तिजोरी में 50,000 रु. थे। मोहन ने सोचा कि बैंक की तिजोरी में केवल 50,000 रु. थे जब कि मेरे ही खाते में 50,000 रु. हैं। यह कैसे हो सकता है? सभी खातेदारों की रकम जोड़ी जाये तो बहुत होगी, फिर भी तिजोरी में इतने कम नगद पैसे रखे हैं।

खातेदारों के मांगने पर बैंक को नगद पैसे देना ज़रूरी है। फिर इतने कम नगद पैसे से बैंक का काम-काज कैसे चलता है?

बैंक के बाहर खूब भीड़ थी



बैंक में नगद पैसे

बैंक का फर्ज़ बनता है कि मांगने पर खातेदारों को नगद पैसे अदा करे। पर बैंक के बहुत से खातेदार होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे खातेदार अपने सारे पैसे निकालने बैंक आ जाएं। मानो किसी बैंक के 2,000 खातेदार हैं तो किसी एक दिन में 25-50 लोग नगद मांगने आयेंगे। शायद महीने की शुरुआत में ज़्यादा और बाद में कम। यदि किसान खातेदार हैं तो बोनी के समय ज़्यादा नगद की मांग होगी और फसल कटने के समय पैसे जमा होंगे। हर दिन कुछ ही लोग नगद पैसे निकालने आते हैं, और कुछ लोग नगद जमा भी करते हैं। बैंकों को अपने अनुभव से पता चल जाता है कि दिन-भर में लगभग कितने नगद पैसों की ज़रूरत हो सकती है। उतने पैसों का बैंक प्रबन्ध रखती है।

एक और कारण से बैंक को बहुत नगद पैसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे तुमने पाठ में देखा, बहुत सा लेन-देन चेक द्वारा होता है। यहां नगद पैसों की ज़रूरत ही नहीं। पैसा एक खाते से दूसरे खाते में चढ़ जाता है। कई खातेदारों का काम-काज चेक के लेन-देन द्वारा चलता रहता है। इस कारण भी बैंक को बहुत कम नगद पैसे रखने पड़ते हैं।

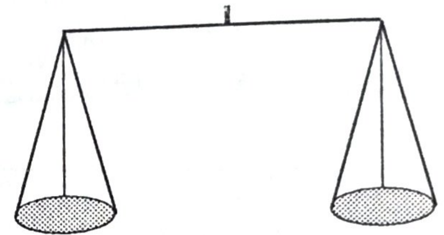
तिजोरी में सिर्फ 50,000 रु. क्यों थे? तुम्हारे विचार में बाकी पैसों का बैंक क्या करती है?

बैंक के कार्य

बैंक के दो प्रमुख कार्य हैं - लोगों के पैसे जमा करने के लिए खाते खोलना और लोगों की ज़रूरत के लिए कर्ज़ या ऋण देना। यह मानो कि एक ही तराजू के दो पलड़े हैं।

तुमने अक्सर सुना होगा कि दुकान लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, ट्रैक्टर या मोटर खरीदने के

बैंक के कार्य



लिए बैंक लोगों को लोन या कर्ज़ा देती है। कर्ज़ा एक निश्चित समय तक के लिए दिया जाता है। उस समय से पहले कर्ज़ा लौटाना पड़ता है। साथ-साथ ऋण लेने वाले को उस पैसे पर ब्याज या सूद भी चुकाना पड़ता है। इसी ब्याज के पैसों से बैंक को आमदनी और मुनाफा मिलता है।

लोगों को कर्ज़ा देने के लिए बैंक के पास धन कहां से आता है? तुमने देखा कि बहुत से लोग अपने बचत के पैसे बैंक के बचत या मियादी खातों में जमा करते हैं। बैंक में जमा पैसों से बैंक दूसरों को उधार या लोन देती है। कर्ज़दारों से जो ब्याज़ मिलता है, उसी में से पैसे जमा करने वालों को बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है।

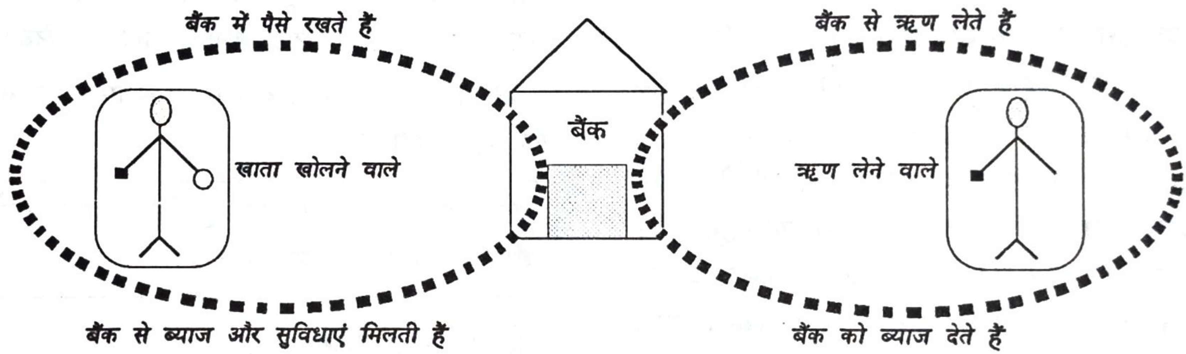
तरह-तरह के ऋण

हम ने देखा था कि बहुत सारे लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं और इस तरह एक जगह काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है। फिर इन पैसों का उपयोग ऋण देने में किया जाता है। कुछ ऋण योजनाओं के लिए सरकार बैंकों को अलग से पैसे देती है। इस तरह बैंक कई प्रकार के छोटे-बड़े ऋण देती है।

बैंक के कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो कि उद्योग, बड़े व्यापार और धंधों के लिए दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए -

नर्मदा सोयाबीन कंपनी ने सोयाबीन तेल निकालने का एक और कारखाना लगाना चाहा। उसके प्रबंधक,

बैंक का लोगों के साथ संबंध



चित्र के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर दोः

1. बैंक को ऋण लेने वालों से क्या फायदा होता है?
2. बैंक में खाता खोलने से लोगों को क्या फायदा होता है?
3. यदि बैंक ऋण देना बन्द कर दे तो क्या होगा?

प्रकाश अरोड़ा ने पैंतालिस लाख रुपऐ की ऋण योजना बना कर बैंक को प्रस्ताव दिया। बैंक के अधिकारियों ने योजना का अध्ययन किया और उनसे बातचीत की। उन्हें विश्वास हो गया कि यह कारखाना चल पायेगा। उन्होंने ऋण मंज़ूर कर दिया। कंपनी ने अपनी स्वयं की पूंजी दस लाख रुपये भी लगाई थी। बैंक ने खरीदी गई मशीनें, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने नाम पर गिरवी रखीं। यदि कारखाना नही चला तो वह मशीनें बेच कर अपना कर्ज़ वापस प्राप्त कर सकता है। ऋण पर 16.5% ब्याज की दर रखी गई। जैसे-जैसे कंपनी में तेल का उत्पादन होगा यह ऋण किश्तों में लौटाया जायेगा।

इसी तरह धंधे और व्यापार के लिए बहुत से कर्ज़ दिये जाते हैं। किसी को मशीनें खरीदनी हैं; किसी को कारखाना चलाने के लिए कर्ज़ चाहिए; किसी को ट्रक खरीदना है; किसी को दुकान डालनी है आदि। ऐसे ऋण की ज़रूरत बैंक पूरी करती है और अपने नियमों के अनुसार ब्याज वसूल करती है।

बैंक एक दूसरे प्रकार का ऋण भी देती है जो कि सरकारी योजनाओं से संबंधित है। सरकार का एक उद्देश्य है कि खेती का उत्पादन बढ़ाया जाए। बैंक खेती के लिए कई प्रकार के ऋण देती है - खाद, बीज की खरीदी के लिए, कुआं खुदवाने के लिए; बिजली मोटर के लिए, पशु खरीदने के लिए, ट्रैक्टर, थ्रेशर के लिए, ज़मीन सुधार के लिए आदि।

उदाहरण के लिए - धन्ना लाल और बद्री प्रसाद ने लोन की अर्ज़ियां डाली थीं। धन्ना लाल के पास कुल आठ एकड़ ज़मीन थी। उसे फसल बोने के समय खाद और बीज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। फसल बेचने पर वह ये पैसे लौटा देगा। धन्ना लाल को

3000 रु. चाहिये थे। उसने फसल बंधक रखी। फसल कटने पर बैंक को वह यह पैसे 10% ब्याज सहित लौटा देगा।

बद्री प्रसाद के पास तो तीस एकड़ ज़मीन थी। उसने ट्यूब वेल के लिए लोन की अर्ज़ी दी थी। उसके पास 10,000 रु. थे और वह बैंक से 15,000 रु. ऋण चाहता था। वह 5-10 सालों में किश्तों में ये पैसे लौटाएगा। उसने अपनी ज़मीन बैंक के पास रहन रखी। यदि वह लोन न लौटाए तो बैंक उसकी ज़मीन बेचकर पैसे वसूल कर सकती है। उसे 12.5% ब्याज भरना होगा। दोनों की अर्ज़ियां मंजूर हो गईं। दोनों के नाम से बैंक में खाते खुल गए। इन खातों में ऋण की रकम दर्ज़ करा दी गई। अब दोनों अपने-अपने खाते से खाद-बीज या ट्यूब-वेल के लिए पैसे निकाल सकते हैं।

इसी तरह सरकार की कई और ऋण योजनाएं हैं। शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार के साधन दिलाने के लिए स्व-रोज़गार ऋण योजना है। कोई भी व्यक्ति, जिसने दसवीं पास की है, और जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष है और जिस के परिवार की कुल वार्षिक आमदनी 10,000 रु. से अधिक नही है, वह इस योजना का फायदा उठा सकता है। उदाहरण के लिए कमला चौहान ने इस योजना के अंतर्गत रेडीमेड-कपड़े की दुकान डालने के लिए 25,000 रु. का ऋण लिया। उसमें से 7,000 रु. की छूट या सब्सिडी है। उसे केवल 18,000 रु. ब्याज सहित लौटाने होंगे।



मेनेजर से ऋण की बातचीत

इसी तरह बैंक कई छोटे धंधे, व्यापार के लिए ऋण देती है जैसे - साइकल दुकान; आटा चक्की; मशीन सुधार की दुकान; जूते की दुकान; खुद का साइकल रिक्षा, आटो रिक्षा; सिलाई मशीन आदि के लिये।

इस तरह अलग-अलग योजना या स्कीम के अंतर्गत बैंक ऋण देती है।

> ***ऋण तो साहूकार भी देता है फिर उसके और बैंक के काम में क्या अंतर है?***

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

आज लगभग सभी बैंक सरकार के हैं। शायद यह सोचना भी मुश्किल होगा कि कभी ये बैंक लोगों के निजी होते थे। जैसे आज किसी व्यक्ति की खेती होती है, किसी की दुकान होती है और कुछ लोग कंपनी बनाकर कारखाने चलाते हैं, इसी प्रकार पहले बैंक का काम करने वाली कुछ निजी कंपनियां थीं। कंपनी चलाने वाले तय करते थे कि वे पैसा कहां लगायेंगे और शाखाएं कहां खोलेंगे।

परन्तु 1969 में सरकार ने सभी मुख्य बैंको को अपने अधिकार में ले लिया। अब इन बैंको की मालिक सरकार बन गई है। यह परिवर्तन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाता है। अब सरकार तय करने लगी कि बैंको का पूरा कामकाज कैसे चलेगा।

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की अनेक शाखाएं खोली गईं। इससे बैंक की सेवाएं बहुत लोगों को उपलब्ध हो सकी। खासकर ग्रामीण इलाकों में और छोटे शहर व कस्बो में बैंकों का बहुत फैलाव हुआ।

राष्ट्रीयकरण के साथ कुछ और बदलाव भी आए। पहले बैंक वही ऋण देती थी जिसमें उसे अधिक लाभ होता हो। अब इस प्रकार के व्यापारिक ऋण के अलावा, बैंकों ने कई विशेष ऋण देने शुरू किए जो कि राष्ट्रीय विकास की योजनाओं से संबंधित हैं।

पाठ का सारांश

इस पाठ में हमने पढ़ा कि बैंक के दो प्रमुख कार्य हैं - खाते खोलना और ऋण देना। तीन प्रकार के खाते होते हैं। मियादी, बचत और चालू। बैंक कई सुविधाएं देती है जैसे कि पैसों को सुरक्षित रखना, चेक के माध्यम से लेन-देन की व्यवस्था करना और ऋण देना। खातेदार जब चाहे, बैंक के नियमानुसार, पैसे निकाल सकते हैं। बैंकों में जमा पैसों का उपयोग ऋण देने के लिए किया जाता है। बैंक कई प्रकार के ऋण देती है। ऋण द्वारा बैंक ब्याज कमाती है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद बैंक के काम काज में बहुत परिवर्तन आया। बैंकों की शाखाओं का फैलाव हुआ और बैंकों ने कई विशेष ऋण योजनाएं शुरू की।

o o o o o o o o

अभ्यास के प्रश्न

1. नीचे दी गई तालिका में जानकारी गलत स्थानों में लिखी गई है। इस तालिका को सुधार कर अपनी कॉपी में लिखो।

बैंक खाता	ब्याज दर	पैसे निकालने के नियम
चालू खाता	10%	6 महीने में केवल 50 बार
बचत खाता	0%	निश्चित समय से पहले नहीं निकाल सकते
मियादी खाता	5%	कोई रोक नही है

2. बैंक में पैसे रखने से क्या कोई कठिनाई भी हो सकती है? सोचकर लिखो।
3. तुम्हें 2,000 रु. की ज़रूरत है। तुमने अपनी बहन को चेक काट कर दिया और उसे पैसे लाने के लिए भेजा। अपनी कॉपी में यह चेक लिखो?
4. चेक द्वारा लेन-देन से क्या सुविधाएं हो गई हैं?
5. रेखीकृत चेक, साधारण चेक की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित क्यों है?
6. बैंक में जमा पैसों का कुछ हिस्सा ही नगद तिजोरी में रखा जाता है। ऐसा क्यों है और इस से बैंक को क्या लाभ होता है?
7. (अ) यदि बहुत से खातेदार बैंक में पैसा रखना पंसद न करें तो बैंक के कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
   (ब) यदि बहुत से ऋण माफ कर दिए जाएं तो बैंक के कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
8. बैंक को मियादी खाते पर ब्याज .... होता है। बैंक को ऋण पर ब्याज ....है।
   आमतौर पर, मियादी खाते की ब्याज दर या ऋण की ब्याज दर अधिक होती है? ऐसा क्यों होता है?
9. कृषि के ऋण के बारे में दिया गया उदाहरण फिर से पढ़ो और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो :
   क) यदि धन्ना लाल और बद्री प्रसाद लोन/कर्ज़ न लौटाएं तो बैंक क्या कर सकती है?
   ख) धन्ना लाल और बद्री प्रसाद का ऋण वापस करने का समय अलग क्यों है?
   ग) धन्ना लाल और बद्री प्रसाद जैसे ऋण योजना से सरकार का क्या उद्देश्य पूरा होता है?
   घ) मान लो इस वर्ष वर्षा ठीक नही होती है और इस कारण किसानों की फसल आधी नष्ट हो जाती है। इस समय एक व्यक्ति का कहना है कि ऋण आधा माफ कर देना चाहिए और दूसरे व्यक्ति का कहना है कि अगले वर्ष की फसल देखकर वसूल करना चाहिए। तुम्हारी राय में बैंक को क्या करना चाहिए और क्यों?
10. साहूकार की ब्याज दर बैंक की ब्याज दर से अधिक है फिर भी बहुत सारे लोग साहूकार से ऋण लेते हैं। इसके क्या-क्या कारण हैं? कक्षा में चर्चा करो और तर्क देते हुए इसका उत्तर लिखो।

2

टैक्स

काले धन का प्रसार रोकने के लिए कठोर कदम

ये अब महंगे पड़ेंगे

पेट्रोल, डीजल, सिगरेट, पान मसाला स्टील व एल्युमीनियम के बर्तन मोटर कार, माइक्रो ओपन वाशिंग मशीन, रेफ्रीजरेटर, एयर कंडीशनर, विदेशी पुस्तकें, विमान यात्रा, आइस्क्रीम, कोको, मानव निर्मित रेशे, अंतर्देशीय पत्र छपे पोस्ट कार्ड.

ये अब सस्ते पड़ेंगे

सरसों और रेपसीड तेल, अचार, काफी, जीवन रक्षक दवाईयां, होम्योपैथिक दवाईयां, अखबारी कागज, पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, मिश्रित धागे, जूट निर्मित वस्तुएं, हाथ से बना कागज प्रदूषण रोकने के उपकरण, बैटरी सेल, शीरा, आयकर सीमा बढ़ी

बम्बई के उद्योग-व्यापार क्षे... आमतौर पर बजट का स्वाग...

केन्द्रीय योजनाओं के लिए ३१३२१ करोड़ का प्रावधान

कॉफी सस्ती हो जाएगी, आइस्क्रीम महंगी होगी

वित्तमंत्री का भाषण (भाग क)

'हमारा पहला काम कीमतों में वृद्धि को रोकना है'

स्वास्थ्य पर ९५० करोड़ खर्च

आयकर छूट की सीमा २२००० हु...

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम समाप्त

किसान कर्जमुक्ति हेतु १००० करोड़ रु., ४९% राशि ग्रामीण क्षे...

पेट्रोल - डीजल के ... बढ़ा...

रुपया कैसे आ... कहां जाएगा

अखबारों में बजट की खबरें

तुमने बजट की खबरें देखीं। कहीं लिखा था "पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ाए जाने पर रोष" तो कही लिखा था "किसान कर्ज़ मुक्ति हेतु 1,000 करोड़ रुपये"। यह सब था बजट का शोर गुल जिसमें सरकार अपनी एक साल की आमदनी (आय) और खर्च (व्यय) के बारे में बता रही है। बजट का एक हिस्सा आमदनी का होता है - जिस में बताया जाता है कि इस वर्ष सरकार के पास पैसे कहां-कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कर या टैक्स किस पर बढ़ाया जा रहा है और उस से कितने पैसे मिलेंगे। बजट का दूसरा हिस्सा खर्च के बारे मे जानकारी देता है कि इस वर्ष सरकार किन चीज़ों पर खर्च करेगी - जैसे रक्षा पर कितना, योजनाओं पर कितना, सरकार चलाने पर कितना आदि। तुम्हें शायद मालूम होगा कि सरकार का वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिना जाता है। तुमने चित्र में जो बजट की खबरें पढ़ी वे 1990-91 की बजट की खबरें हैं। यानी 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1991 तक के आय और व्यय के बारे में बताया गया है।

केंद्र सरकार का बजट केंद्र के वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं। संसद में बहस होती है और स्वीकृति मिलने पर बजट लागू होता है।

उसी तरह राज्यो में भी राज्य के वित्त मंत्री अपनी-अपनी विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का बजट भोपाल में विधानसभा में बैठे विधायकों के सामने रखा जाता है। विधानसभा में भी बहस होती है और राज्य के बजट को स्वीकृति दी जाती है।

> *ऊपर दिए चित्र में खबरों को पढ़ कर बताओ कि कौन-कौन सी बातें सरकार के खर्च (व्यय) के बारे में हैं।*

अलग-अलग कर

तुमने खबरें पढ़ते समय देखा कि सरकार के पास आमदनी का स्रोत अलग-अलग प्रकार के कर हैं। सरकार कई तरह के कर लगाती है। जैसे :

बिक्री कर - वस्तुओं को बेचते समय यह कर लगाया जाता है।

उत्पादन कर - वस्तुओं के उत्पादन होने पर या बनाने पर यह कर लगाया जाता है।

सीमा शुल्क - दूसरे देशों में बनी वस्तुओं को अपने देश में लाने से पहले यह कर देना होता है।

आय कर - व्यक्तियों की वार्षिक आमदनी पर यह कर लगाया जाता है।

निगम कर - कंपनियों के वार्षिक मुनाफे पर यह कर लगाया जाता है।

बिक्री कर और उत्पादन कर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों इकट्ठा करती हैं जबकि सीमा शुल्क, आय कर और निगम कर केवल केंद्रीय सरकार इकट्ठा करती है।

> *तुम कई दूसरे करों से परिचित हो जो कि पंचायत, नगर पलिका या नगर निगम वसूल करते हैं। ऐसे करों के पांच उदाहरण बताओ।*

बिक्री कर

कमला और उसके पिताजी टी.वी. खरीदने दुकान पर पहुंचे। फरवरी का महीना था। सभी कह रहे थे कि आने वाले बजट में टी.वी. के दाम बढ़ जाएंगे। कमला के परिवार ने तय किया था कि मार्च से पहले टी.वी. खरीद लेंगे। दुकान पर अलग-अलग टी.वी. देखे। दुकानदार बार-बार कहता "इस टी.वी. का दाम टैक्स



जोड़ कर 2,500 रु. है। उस टी.वी. का दाम टैक्स जोड़ कर 3,400 रु. है।" आखिर कमला के पिताजी ने टी.वी. खरीद ही लिया। दुकानदार ने बिल दिया। उस पर लिखा था :

टी.वी.	3,000 रु.
बिक्री कर 8%	240 रु.
कुल	3,240 रु.

कमला के परिवार को टी.वी. खरीदते समय 240 रु. बिक्री कर देना पड़ा। कमला के पिताजी ने दुकानदार को 3,240 रु. दिये जिसमें से 3,000 रु. दुकानदार रख लेगा और 240 रु. बिक्री कर के पैसे सरकार को देगा।

इस तरह जब हम साबुन, तेल, जूते, खाद, दवाई, चीनी, वनस्पति आदि खरीदते हैं तो हमें **बिक्री कर** चुकाना होता है। दुकानदार इसे दाम में जोड़कर वसूल कर लेता है।

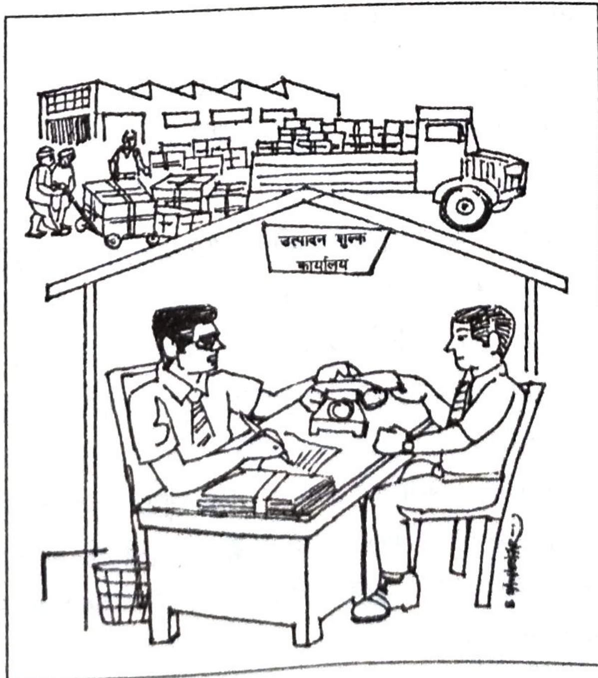
इन उदाहरणों से हमने देखा कि वस्तुओं की बिक्री पर सरकार कर लेती है। इसे बिक्री कर कहते हैं। इसे दुकानदार चुकाता है और खरीददार से वसूल करता है।

मध्य प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों की सरकारें अब बिक्री कर के इस रूप के बजाए व्यापारियों से अलग ढंग का कर वसूल करने की सोच रही हैं। क्या तुमने इसके बारे में सुना है?

खरीददार से बिक्री कर कैसे वसूल किया जाता है?

उत्पादन कर

वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक और टैक्स है जिसे उत्पाद शुल्क या उत्पादन कर कहते हैं। यह कारखानों में सामान के बनाने या उत्पादन होने पर वसूल किया जाता है। कारखाने में बने सामान को बेचने के लिए बाहर ले जाने से पहले उस पर उत्पादन कर भरना होता है। उत्पादन के हिसाब से कारखाने के मालिक या अफसर सरकार को इस कर के पैसे भरते हैं। परन्तु यह कर सभी वस्तुओं के उत्पादन पर नहीं लगाया जाता। कृषि के उत्पादन पर कोई कर नहीं लगता। यदि किसान गन्ने का उत्पादन करता है, तो उसे उत्पादन कर नहीं देना पड़ता। किन्तु शक्कर कारखाने में चीनी के उत्पादन पर कारखाने के मालिक को उत्पादन कर भरना होता है।



खरीददार पर भार

उत्पादन कर कारखाने से तो वसूल किया जाता है पर इस का बोझ खरीददार को ही सहन करना पड़ता है। कारखाने वाले, दुकानदार की तरह, कर की रकम लागत में जोड़ कर बेचते हैं। जैसे, अनीता बिजली कंपनी रंगीन टी.वी. बनाती है। मुनाफा जोड़ कर एक टी.वी. की लागत मानो 5,000 रु. है। कंपनी ने टी.वी. पर 2,500 रु. का उत्पादन कर सरकार को भरा। यानी टी.वी. कुल कीमत 7,500 रु. में कंपनी ने व्यापारी को बेचा। इसके बाद व्यापारी का मुनाफा और बिक्री कर जोड़ कर टी.वी. खरीददार को 9,000 रु. का पड़ा। यानी बिक्री और उत्पादन कर दोनों खरीददार को ही सहन करना होता है।

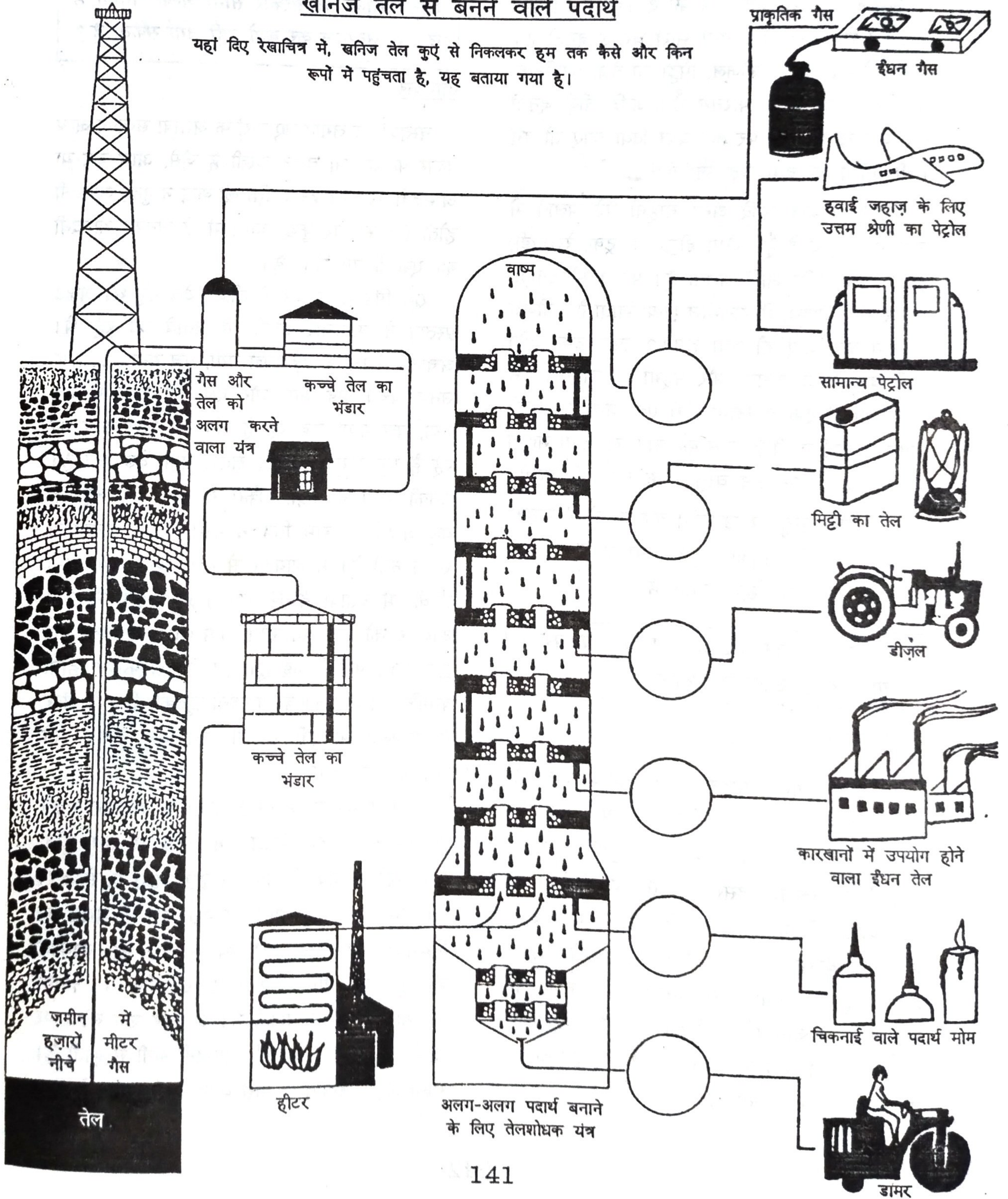
बिक्री कर और उत्पादन कर में क्या अंतर है?

उत्पादन कर का प्रभाव

किसी एक वस्तु को बनाने के लिए बहुत सी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसा कि साइकिल बनाने के लिए स्टील (इस्पात) के पाइप चाहिए। स्टील के कारखाने को स्टील बनाने के लिए लोहा और कोयला चाहिए। यदि लोहे पर कर बढ़ता है तो इस का प्रभाव साइकिल पर भी होगा। साथ ही साथ लोहे से बनने वाली सभी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। लोहे से इस्पात बनता है और इस्पात से बनने वाली सभी चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे। इस तरह लोहे पर कर बढ़ाने का प्रभाव बहुत दूर तक फैलता है।

खनिज तेल से बनने वाले पदार्थ

यहां दिए रेखाचित्र मे, खनिज तेल कुएं से निकलकर हम तक कैसे और किन रूपों में पहुंचता है, यह बताया गया है।



पिछले पृष्ठ पर दिये चित्र को देखो। इसमें दिखता है कि खनिज तेल से कितनी सारी वस्तुएं बनती हैं। खनिज तेल से पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, प्लास्टिक, सिंथेटिक कपड़े, खाद, फरनेस तेल आदि चीज़ें बनती हैं। यदि खनिज तेल पर कर बढ़ा दिया जाए तो इन सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे।

पेट्रोल, डीज़ल आदि अन्य वाहनों को चलाने में उपयोग किए जाते हैं। जैसा डीज़ल से ट्रक, रेलगाड़ी, ट्रेक्टर, बस, जीप आदि चलती हैं। पेट्रोल मोटरगाड़ी, स्कूटर आदि वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। डीज़ल के दाम बढ़ जाएं तो क्या होगा? फिर ट्रक, जीप आदि वाहनों को चलाना और महंगा हो जाएगा। इस से जो वस्तुएं ट्रक व रेलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं, उन को लाना ले जाना मंहगा हो जाएगा। इससे उन वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे।

किसी एक वस्तु पर उत्पादन कर बढ़ाने से उसका प्रभाव उन सभी वस्तुओं के दाम पर होता है जिन में उसका उपयोग किया जाता है।

यदि लोहे पर टैक्स बढ़े तो किन चीजों पर प्रभाव होगा? कुछ उदाहरण बताओ!

सीमा शुल्क

बिक्री कर और उत्पादन कर के अलावा एक और प्रकार का कर कुछ वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसे कहते हैं सीमा शुल्क। यह उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो कि हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा से लौटते समय अपने साथ एक वी.सी.आर. लाता है। उसे अपने देश के हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क भरना होगा, तभी उसे वी.सी.आर. ले जाने देंगे। कई कारखानों के लिए मशीनें या कच्चा माल विदेश से मंगवाना होता है। इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगता है।

जिन वस्तुओं पर सरकार सीमा शुल्क लगाती है उन पर उत्पादन कर क्यों नहीं लगा सकती है?

आयकर

वस्तुओं पर लगाए गए करों के अलावा सरकार अन्य प्रकार के कर भी वसूल करती है जैसे, आय कर या **आमदनी पर कर**। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ आमदनी होती है। सरकार कुछ व्यक्तियों से उनकी आमदनी का एक हिस्सा लेती है।

राम सिंह बहुत ग़ौर से टी.वी. देख रहे थे। बजट प्रस्ताव के समाचार टी.वी. में बताये जा रहे थे। अचानक वे चिल्ला पड़े "बच गया, बच गया ....।" उनके बच्चे दौड़े आये और देखा कि पिताजी "बच गया, बच गया" कह रहे हैं और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं पर आस-पास कोई ख़तरा नही दिख रहा है। उनकी पत्नी ने पूछा, "किस से बच गये, कहां है वह आदमी?" राम सिंह ने कहा, "कोई आदमी से ख़तरा नही है। मैं आयकर से बच गया। अभी-अभी टी.वी. में बताया है कि वर्ष 1990-91 के लिए आयकर की छूट की सीमा 18,000 से बढ़ा कर 22,000 कर दी गई है। इस से मुझे फायदा होगा क्योंकि अब मेरी वार्षिक आमदनी छूटकी सीमा के अंदर है, इसलिए आमदनी कर से बाल-बाल बचा - तो खुश क्यों न हूं।"

आयकर व्यक्ति अपनी आमदनी के अनुसार भरता है। परन्तु यह कर केवल उन लोगों पर लागू होता है जिनकी पूरे वर्ष की आमदनी 22,000 रु. से ऊपर है। तुम ने देखा कि यह 1990-91 के बजट का नियम था। इस से पहले वर्ष 1989-90 आयकर की छूट की सीमा 18,000 रु. थी। ये नियम हर साल बदले जा सकते हैं। आयकर उन लोगों पर नहीं लगाया जाता जिनकी आमदनी खेती से होती है। मानो किसी किसान के पास बहुत सारी ज़मीन है जिस

पर उसने कपास, गन्ना, गेहूं जैसी फसल लगाई है। उसकी वार्षिक आमदनी पर कोई कर नहीं है चाहे वह एक साल में कितने भी रुपए कमा ले।

अ) इन में से कौन से कर व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं और कौन से वस्तुओं पर : उत्पादन कर, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर

ब) इन में से कौन आयकर देंगे और कौन नहीं देंगे, कारण साहित बताओ :

छोटा किसान, बड़ा किसान, शहर के बाज़ार में मज़दूर, बड़ी कंपनी का मैनेजर, खेतीहर मज़दूर, बड़ा व्यापारी, सहायक शिक्षक, प्रधान मंत्री।

नीचे दी गई तालिका में आयकर की रकम और दर बताई गई हैं। यह 1990-91 के नियमानुसार है।

वार्षिक आमदनी	आयकर	दर (आमदनी का हिस्सा %)
22,000	शून्य	शून्य
25,000	600	2.4
50,000	7,600	15.2
1,00,000	27,600	27.6
2,00,000	77,600	38.6

इस तालिका को देख कर कह सकते हैं कि सभी को अपनी आय का बराबर हिस्सा आय कर में नही भरना होता है। 25,000 रु. कमाने वाला व्यक्ति 2.4% कर में देता है और 50,000 रु. कमाने वाला 15.2% कर में देता है। यह भी दिखता है कि जैसे-जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे-वैसे कर की दर भी बढ़ती है। यानी अधिक आमदनी वाले को अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा कर में भरना होता है। आमदनी कर की सब से अधिक दर 50% है। यानी



कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी कमाए, अपनी आमदनी का आधे से कम हिस्सा टैक्स में देता है।

कांती की आमदनी 40,000 रु. प्रति वर्ष है और उसे 4,600 रु. आयकर देना पड़ता है। कमलेश की वार्षिक आमदनी 60,000 रु. है, उसे 11,600 रु. आमदनी कर देना पड़ता है।

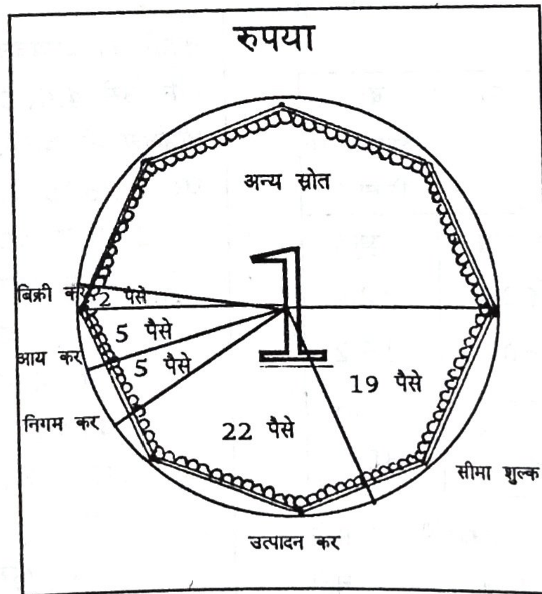
1. कौन अधिक आमदनी कर देता है?
2. किसे अपनी आमदनी का अधिक हिस्सा कर में देना पड़ता है?
3. यदि कमलेश और कांती की आमदनी उतनी ही रहें पर कमलेश को 11,600 रु. के बजाए 6,000 रु. आमदनी कर देना पड़े तो कौन अपनी आमदनी का अधिक हिस्सा कर में देगा। ऐसी स्थिति में अधिक आमदनी वाला अपने आमदनी का ....कम/अधिक/बराबर हिस्सा कर में दे रहा है।
4. आयकर के नियमानुसार अधिक आमदनी वाला अपनी आमदनी का .... अधिक/कम/बराबर हिस्सा कर में देता है।

निगम कर

व्यक्तिगत आमदनी कर के अलावा कारखानों या धंधे चलाने वाली कंपनियों को कर देना होता है। कंपनियों या धंधों में आमदनी होती है। इस आमदनी में से होने वाले सब खर्चों (कच्चा माल, वेतन आदि) को काट कर जो बचता है उसे कारखाने या कंपनी का मुनाफा कहते हैं। इस मुनाफे पर, नियमानुसार, निगम कर देना पड़ता है।

सरकार की आमदनी और उसके हिस्से

हम ने शुरू के चित्र में देखा कि बजट में कर की खूब बातें होती हैं। परन्तु इन करों को मिला कर सरकार को कितने पैसे मिलते हैं? केंद्रीय सरकार की आमदनी के हर रुपये में से आठ आने से ज़्यादा इन करों से प्राप्त होता है। यानी सरकार की कुल आय का 50% से अधिक हिस्सा। इसलिए तो बजट में करों के बारे में इतनी बातचीत होती है। यदि हम 1990-91 का बजट देखें तो पायेंगे कि 53% इन करों से प्राप्त हुआ और 47% अन्य स्रोतों से। हम चित्र द्वारा एक रुपए के हिस्सों के रूप में इस बात को कह सकते हैं।



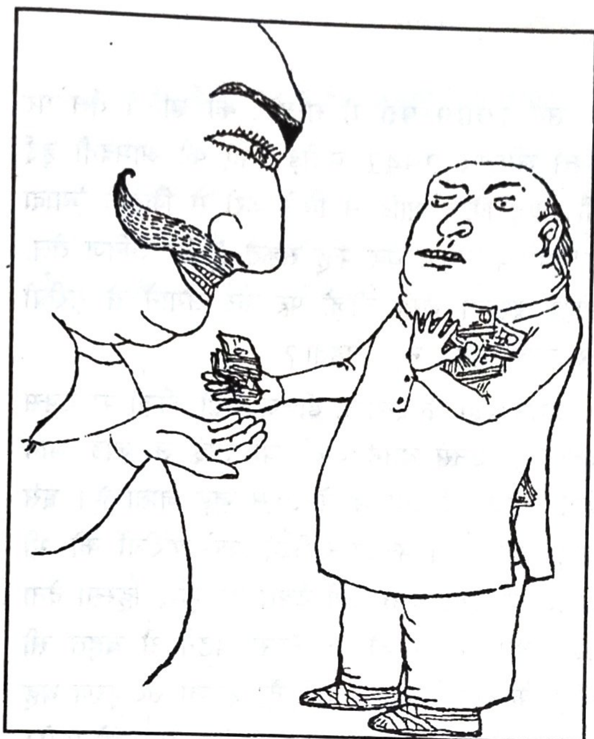
केंद्रीय सरकार की आमदनी - एक रुपए के हिस्से

आमदनीकर से सरकार की आय

सरकार को सभी करों से आमदनी होती है। सरकार को यह तय करना पड़ता है कि किसी एक कर से कितने पैसे इकट्ठा करना चाहिए।

आमदनी कर से सरकार को बहुत कम आमदनी होती है। अपने देश में 100 में से 65 लोग कृषि में लगे हुए हैं। और सरकार ने कृषि से होने वाली सभी आमदनी को करों से मुक्त कर दिया है। इस तरह आमदनी कर देने के लिए वैसे भी 100 में से 35 लोग ही बचे। इन में से भी उन सब लोगों को आयकर नहीं देना होता जिनकी आमदनी छूट की सीमा से कम है। उदाहरण के लिए, 1983-84 में 100 में से केवल एक व्यक्ति को ही आमदनी कर देना पड़ा था। बहुत कम लोगों से आमदनी कर इकट्ठा किया जाता है।

आमदनी कर इकट्ठा करने में बहुत सी दिक्कतें हैं। कई लोग अपनी पूरी आमदनी नही बताते या कम बताते हैं। इस छिपाई गई आमदनी को काला धन कहा जाता है। कई कारखाना मालिक, सेठ साहूकार, व्यापारी, प्राइवेट धंधे करने वाले अपनी आमदनी आसानी से कम बता सकते हैं। जिन लोगों को हर महीने वेतन मिलता है उनकी आमदनी का हिसाब लगाना आसान है। उनकी आमदनी पर कर सीधे ही कट जाता है। पर कई वेतन पाने वाले लोगों की आमदनी के अन्य स्रोत होते हैं जिन्हें वे छिपाते हैं। ऐसे लोग, चाहे वे कर्मचारी, अफसर, मंत्री, बाबू कोई भी हों, कई बार अपनी आमदनी सही नहीं बताते। चूंकि कृषि की आमदनी पर कोई कर नही होता, तो कई लोग कुछ ज़मीन रखते हैं और अन्य स्रोतों की आमदनी को उस ज़मीन से हुई ऊंची आमदनी बताते हैं।



कर की चोरी

इस तरह बहुत से लोग "कर की चोरी" करते हैं और "काला धन" यानी वह धन जिस पर टैक्स दिया जाना था पर नहीं दिया गया, इकट्ठा होता जाता है। इस काले धन को निकलवाने के लिए आयकर विभाग कई लोगों के यहां छापे मारता है। इस प्रकार आयकर से बहुत अधिक पैसा नहीं इकट्ठा होता। जैसा कि तुमने देखा कि सरकार की आमदनी के हर रुपए में से 5 पै. ही आयकर से मिलते हैं। वस्तुओं पर लगाए गए करों, जैसे उत्पादन कर, सीमा शुल्क व बिक्री कर से सरकार को बहुत पैसे प्राप्त होते हैं।

वस्तुओं पर कर से सरकार की आय

वस्तुओं पर कर ज़्यादा आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है चूंकि इन्हें कम जगहों से इकट्ठा करना पड़ता है। उत्पादन कर कारखानों से, बिक्री कर दुकानों से और सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बंदरगाहों से इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए करोड़ों अलग-अलग लोगों से हिसाब नही करना पड़ता।

उत्पादन या बिक्री कम बता कर वस्तुओं पर करों की चोरी भी होती है। पर वस्तु छिपाना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही वस्तुओं पर कर देने वाला (कारखाना मालिक या दुकानदार) खरीदने वाले से कर के पैसे वसूल लेता है - इसलिए वह ज़्यादा आसानी से कर के पैसे दे भी देता है। इस तरह सरकार को वस्तुओं पर कर से काफी आमदनी होती है।

वस्तुओं पर कर इकट्ठा करने में क्या आसानी होती है और आयकर इकट्ठा करने में क्या दिक्कतें आती हैं?
सरकार अपनी आमदनी के हर रुपये में से कुल मिलाकर वस्तुओं पर कर से कितने पैसे वसूल करती है? (सरकार की आमदनी के एक रुपये का चित्र देख कर बताओ)।

हमने देखा कि सरकार का बजट उसकी आमदनी और खर्च का प्रस्ताव है। आमदनी का एक बड़ा हिस्सा करों से प्राप्त होता है। कई अलग-अलग प्रकार के कर हैं। कुछ कर वस्तुओं पर लगाए जाते हैं और कुछ कर व्यक्तियों पर। इन के बारे में हमने कुछ जाना। वस्तुओं पर लगाए गए करों का लोगो पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में आगे पढ़ें।

वस्तुओं पर लगाए गए करों का असर

कोई भी कर लगाते समय सरकार यह ध्यान रखती है कि उस कर का अधिक असर गरीबों पर पड़ेगा या अमीरों पर। अमीरो पर कर का अधिक असर पड़े, इसलिए सरकार आमदनी कर मे अमीरों से उनकी आमदनी का अधिक हिस्सा कर मे लेती है।

वस्तुओं पर कर, जैसे उत्पादन व बिक्री कर लगाते समय अमीरों और ग़रीबो मे फर्क करना मुश्किल है। कोई भी वस्तु खरीदते समय सभी को उतना ही कर देना पड़ता है चाहे वह अमीर हो या गरीब।

अनाज, सब्ज़ी, सूती कपड़ा, मिट्टी का तेल, खाने का तेल, ये चीज़ें सब से ज़रूरी हैं और अमीर-ग़रीब सभी इन्हें खरीदते हैं। किन्तु ग़रीबों की आधिकांश आमदनी इन्हीं चीज़ों पर खर्च होती है। इनके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे जैम, चॉकलेट, फ्रिज, मोटर, मोटर साइकिल, वी.सी.आर, जो अमीर ही खरीद पाते हैं। ग़रीबों के लिए ऐसी चीज़ें खरीदना संभव नही है।

कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो लोग सीधे उपयोग नही करते जैसे डीज़ल, इस्पात, अल्यूमीनियम, मशीन, ट्रक व ट्रक के टायर आदि। इनका उपयोग कई चीज़ें बनाने और लाने ले जाने में किया जाता है।

अनाज, दाल जैसी ज़रूरी चीज़ों पर सरकार कर नही लगाती क्योंकि इसका असर गरीबों पर काफी पड़ता है। सरकार फ्रिज, चॉकलेट, जैम जैसी चीजों पर ज़्यादा कर लगाती है क्योंकि इनका असर सिर्फ धनी लोगों पर पड़ता है। पर फ्रिज, चॉकलेट जैसी चीज़ें तो बहुत कम बिकती है। इन्ही पर कर लगा कर सरकार को ज़्यादा आमदनी नही हो सकती।

अगर तुम 1989-90 का हिसाब देखो तो पाओगे कि फ्रिज, एयरकंडिशनर जैसी महंगी चीजों पर सरकार ने बहुत कर लगाया पर इन से सिर्फ 183 करोड़ रुपए ही मिले। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ धनी लोग खरीदते हैं और ये कम बिकती हैं।

इसलिए सरकार कुछ ऐसी चीज़ों पर अधिक कर लगाती है जो बहुत ज़्यादा बिकती हैं पर जिन्हें लोग सीधे उपयोग में नही लाते।

ये चीज़ें क्या हैं?

ये चीज़ें हैं खनिज तेल, लोहा, इस्पात, टायर व ट्यूब आदि। तुम समझ सकते हो कि ये चीज़ें कितने उद्योग, कारखानों, धंधों में उपयोग की जाती हैं। इन्हें लोग सीधे नही खरीदते। इन चीज़ों पर कर लगा कर सरकार को बहुत आमदनी मिलती है।

सन् 1989-90 में सरकार को खनिज तेल पर टैक्स लगाकर 2941 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। यह फ्रिज आदि से मिले करों से कितनी ज़्यादा है। पर क्या हम यह कह सकते है कि खनिज तेल, लोहा, इस्पात जैसी चीज़ों पर कर लगाने से ग़रीबों पर कोई असर नही पड़ता?

हमने देखा कि इस्पात, डीज़ल जैसी चीज़ों पर टैक्स बढ़ाने से उनसे बनने वाली या लाई ले जाई जाने वाली चीज़ों के दाम में ये टैक्स जुड़ जाता है। इस तरह अनाज या कपड़ा खरीदने वाले ग़रीबों को भी डीज़ल या इस्पात पर लगे टैक्स का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। इन चीज़ों पर टैक्स बढ़ने से बहुत सी चीज़ों के दाम कैसे बढ़ जाते हैं, इसका उदाहरण यह बजट आने के एक हफ्ते बाद की एक खबर में पढ़ो।

<u>नईदुनिया 25 मार्च 1990</u>

अकेले पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में हुई वृद्धि का ही मूल्य वृद्धि पर चौतरफा असर पड़ा है। जैसे सब्ज़ी, फल, दालें, तथा अन्य खाद्य सामग्री महंगी हो गई है।

मिट्टी के तेल पर कर बढ़ाने का प्रभाव किन लोगों पर होगा? फ्रिज, मोटर साइकल, वी.सी.आर आदि पर कर बढ़ाने का प्रभाव किन लोगों पर होगा?
खनिज तेल या मोटर साइकल, किस पर कर बढ़ाने से अधिक पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं और क्यों?
दूसरी वस्तुओं के भाव पर ज़्यादा प्रभाव किस के द्वारा होगा-खनिज तेल पर कर बढ़ाने से या मिट्टी के तेल पर कर बढ़ाने से और क्यों?

हमने देखा कि सरकार को वस्तुओ पर लगाए गए करों से अधिक आमदनी होती है। वस्तुओ पर कर में भी उन वस्तुओं से अधिक कर प्राप्त होता है जिनका उपयोग अन्य चीजें बनाने में या लाने ले जाने में

किया जाता है। जब ऐसी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ता है तो उसका चौतरफा असर पड़ता है।

इसलिए हर वर्ष यह प्रश्न सभी को चिंतित करता है कि कौन से कर ज़्यादा लगने चाहिए? इस तरह हमने समझा कि वस्तुओं पर टैक्स अधिक इकट्ठा किया जा सकता है, परन्तु इसका असर ग़रीबों पर काफी पड़ता है। आमदनी कर का भार अमीरों पर अधिक पड़ता है, पर उससे सरकार को कम आमदनी हो रही है। बजट का समय इसीलिए सबके लिए बड़े महत्व का होता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. सरकार बजट द्वारा किस बात का प्रस्ताव रखती है? बजट में टैक्स की बात क्यों की जाती है?
2. आयकर और उत्पादन कर में क्या अंतर है?
3. तुम ने इतिहास के पाठ "मुग़ल काल के गांव" में लगान व्यवस्था के बारे में पढ़ा। उस समय की लगान की दर देख कर बताओ क्या अधिक आमदनी वालों को अधिक दर देना होता था? मुग़ल काल का नियम आज के आयकर के नियम से कैसे भिन्न है?
4. किन-किन कारणों से आयकर द्वारा अधिक पैसे नही इकट्ठे हो पाते?
5. (इस्पात, माचिस, घड़ी, कपड़ा, लोहा) इन में से कौन सी वस्तुओं पर कर बढ़ाने से दूसरी बहुत सी चीज़ों के भाव पर असर होगा और क्यों?
6. खाने की साधारण चीज़ें जैसे अनाज, दाल, तेल तो सभी उपयोग करते हैं फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन चीज़ों पर टैक्स लगाने से ग़रीबों पर अधिक असर होगा?
7. जिन चीज़ों पर कर नही लगाया जाता क्या उनके भाव नही बढ़ते हैं? समझाओ।
8. सभी को वस्तुओं पर लगाए गए करों से बहुत डर लगता है कि इससे कीमतें बढ़ जाएंगी। पर चीजों की कीमतें क्या और कारणों से भी बढ़ती हैं? अपनी जानकारी के अनुसार चर्चा करो।
9. सरकार को अधिक आमदनी किन करों से होती है - आमदनी कर या वस्तुओं पर कर? उसका क्या कारण है?
10. आमदनी पर कर या वस्तुओं पर कर, इन दोनों में से कौन से कर का असर अमीरों पर अधिक पड़ता है और कौन से कर का ग़रीबों पर - कारण सोचकर समझाओ।
11. नीचे दिए चित्रों में क्या-क्या दिख रहा है? सीमा शुल्क किसे देना होता है? आयकर किन लोगों को नहीं देना होता है?



3

सरकार

लोकतंत्र का इतिहास

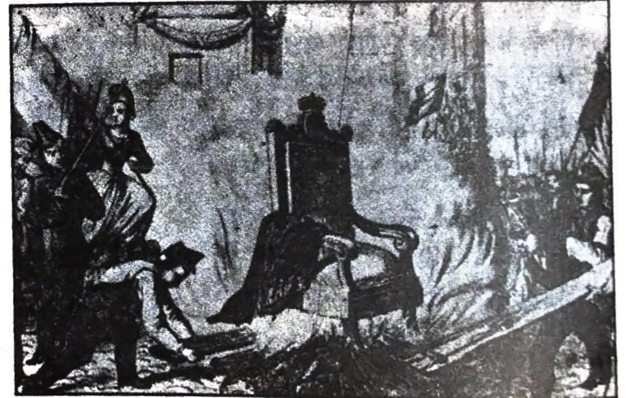
तुमने इतिहास के पाठों में पढ़ा है कि पुराने ज़माने में राजा राज्य करते थे। राजा अपनी मर्ज़ी से कानून बनाता और लागू करता। कई राज्यों में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कानून होते थे। राजा चाहे तो अपना कानून माने और न चाहे तो न माने। राजा की मर्ज़ी ही सब से ऊंचा कानून था। वह किसी कानून से बंधा नहीं था। कभी राजा से लोग खुश रहते तो कभी दुखी। पर कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी।

आमतौर पर राजा का बेटा उस राज्य का राजा बनता। कई बार एक राजा दूसरे राजा को हरा कर उसका राज्य अपने राज्य में मिला लेता। लगभग सत्रहवी शताब्दी तक दुनिया की अधिकांश जगहों पर राजा का ही शासन चलता था। इस दौरान कई राजाओं ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि राजा भगवान की मर्ज़ी से बनता है। उसे भगवान ही बना सकता है, भगवान ही हटा सकता है। तुमने पिछले साल वंशावली और राज्याभिषेक के बारे में पढ़ा था। यह भी भगवान की मर्ज़ी जताने के कुछ तरीके थे। इसी तरह यूरोप में भी राजा चर्च द्वारा भगवान की मर्ज़ी जताने की कोशिश करता था। इसके आधार पर राजा मनमानी भी कर सकता था।

इसी समय भारत और यूरोप में सामन्तों का भी बोलबाला था। राजा पर सामंत काफी दबाव डाल सकते थे। दूसरो की तुलना में उन्हें काफी फायदे मिलते थे। सामंत और ज़मींदार किसानों से खूब लगान लेते और ऐश करते थे। ये खेती या उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई पहल नहीं करते थे।

सोलहवी शताब्दी के आसपास यूरोप में शहर और उद्योग बढ़ने लगे। शहरों में पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग और औद्योगिक श्रमिक वर्ग का विकास हुआ। शासन में इनकी कोई भागीदारी नहीं थी। धीरे-धीरे शहरी लोगों में यह विचार बनने लगा कि शासन में राजा की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। शासन में और लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक सरकार बननी चाहिए यानी ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चलाई जाए।

सन् 1600 से लेकर 1900 तक पूरे यूरोप में कई जगहों पर लोकतांत्रिक क्रांति हुई और लोगों ने राजा के राज्य को खत्म कर दिया। सब से पहले



फ्रांस के राजा का सिंहासन जलाते हुए क्रांतिकारी

ऐसी क्रांति इंग्लैंड में हुई थी - सत्रहवी शताब्दी में। इसी प्रकार फ्रांस में भी जनतांत्रिक क्रांति हुई। राजा के शासन की जगह पर कैसा राज्य हो - यह विकल्प ढूंढना था।

इंग्लैंड की क्रांति के बाद शासन करने के लिए वहां संसद बनाई गई। पर इस संसद में इंग्लैंड के सभी लोग सदस्य नहीं हो सकते थे। तो संसद सदस्यो को चुनने का निर्णय हुआ। पर संसद सदस्यों को चुनने का अधिकार भी सभी को नही मिला। पहले केवल

अच्छे घरों में रहने वाले लगभग 10% पुरुषों को यह अधिकार मिला था। महिलाएं, मज़दूर आदि लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। उत्तरी अमेरिका ने भी यूरोपीय शासन से सन् 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त की और संयुक्त राज्य अमेरिका बना। उन्होंने अपने संविधान में एक जनतांत्रिक सरकार की घोषणा की। पर यहां भी कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अफ्रीकी दास, अमेरिकन इंडियन और महिलाएं इस अधिकार से वंचित रहे।



अमेरिका में श्वेत संपत्तिवान वोट डालते हुए

ऐसी क्रांतियों में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन क्रांतियों के बाद लोग धीरे-धीरे अपने जनतांत्रिक अधिकारो को बढ़ाने के लिए लड़ते रहे। सभी लोगों को - औरतें, मज़दूर, सम्पत्तिहीन - वोट डालने का अधिकार हो यह लड़ाई लंबे समय तक चलती रही और अंततः यूरोप और अमरीका में सभी लोगों को ये अधिकार मिलने लगे।

जब हमारे देश के लोग अंग्रेज़ सरकार से स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़ रहे थे, तब तक यूरोप और अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकारें बन चुकी थी। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे लोगों और नेताओं ने तय किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। यह सरकार कैसे बनाई जाएगी? ऐसे समाज में लोगों के क्या अधिकार होंगे? इन सब बातों के लिए एक संविधान बनाया गया।

लोकतंत्र में सब लोग मिलकर कुछ लोगों को चुनते हैं। संविधान बनाने वालों को भी लोगों ने चुना था। इसी संविधान में केंद्रीय और प्रांतीय सरकार दोनों को बनाने और चलाने के नियम दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं। संविधान के अनुसार चुने हुए लोग पूरे देश के लिए नियम व कानून बनाते हैं। ये नियम कानून चुने हुए लोगों के बहुमत की सहमति से बनना ज़रूरी है। कुछ ही लोग अपनी मर्ज़ी से कानून नही बना सकते।

ये नियम कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। उनको भी, जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ये कानून तोड़े तो उसे कानून के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए।

पुराने ज़माने में किसी राज्य का राजा कैसे बनता था?

राजा के राज्य में कानून कैसे बनते थे?

लोकतांत्रिक क्रांतियां क्यों हुई?

लोकतांत्रिक क्रांतियों के बाद किन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला?

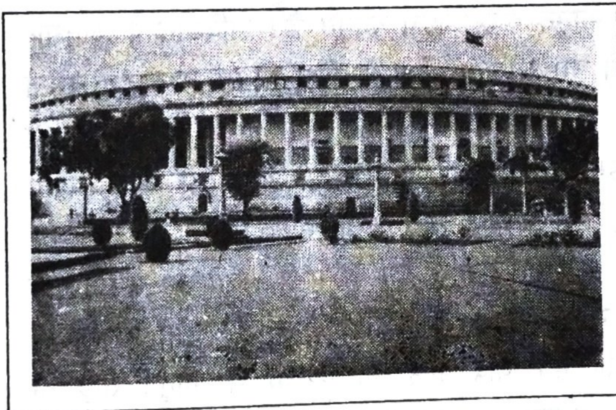
राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर हैं?

आज भी कुछ लोग देश के नियम कानून नहीं मानते, फिर भी उन्हें सज़ा नहीं मिलती, ऐसा क्यों?

हमारे यहां कई तरह के चुनाव होते हैं। तुम किन चुनावों के बारे में जानते हो? इनमें कौन चुने जाते हैं? ये चुनाव कितने सालों में होते हैं? चुनाव किस प्रकार होते हैं? कक्षा में चर्चा करो।

हमारे देश का शासन कैसे चलता है?

हमारे देश का केंद्रीय शासन कैसे चलता है, चलो इसकी कुछ झलकियां देखें:
हर प्रांत का कानून विधानसभा के सदस्य मिलकर बनाते हैं। पूरे देश का कानून संसद सदस्य बनाते हैं। संसद के दो सदन हैं, **लोकसभा और राज्यसभा** ।



संसद भवन, दिल्ली

"लोकसभा की बैठक स्थगित।"

"लोकसभा भंग - लोकसभा के लिए चुनाव।"

"डाक विधेयक वापस।"

"किसी दल को बहुमत नहीं - प्रधान मंत्री कौन बनेगा?"

"रेल दुर्घटना में 1,000 मरे - रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग।"

"एक हफ्ते में पंजाब में 512 लोग मारे गए। संसद में गृह मंत्री को हटाने की मांग।"

"सरकार महंगाई नही रोक पाई तो इस्तीफा दे।"

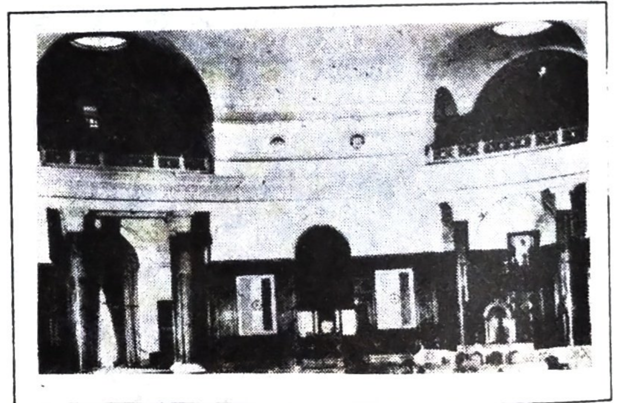
ये लोकसभा और राज्यसभा में हो रही बातों के कुछ उदाहरण हैं।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कैसे बनते हैं? वे कैसे काम करते हैं? चलो इनके बारे में पढ़ें।

देश के कानून बनाने वाली

लोकसभा का गठन

हर 5 सालों में लोकसभा भंग होती है और नए सदस्य चुने जाते हैं। इसे लोक सभा का गठन कहते हैं। 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति लोक सभा सदस्य बन सकता है। भारत में 550 लोक सभा



संसद भवन के अंदर का एक दृश्य

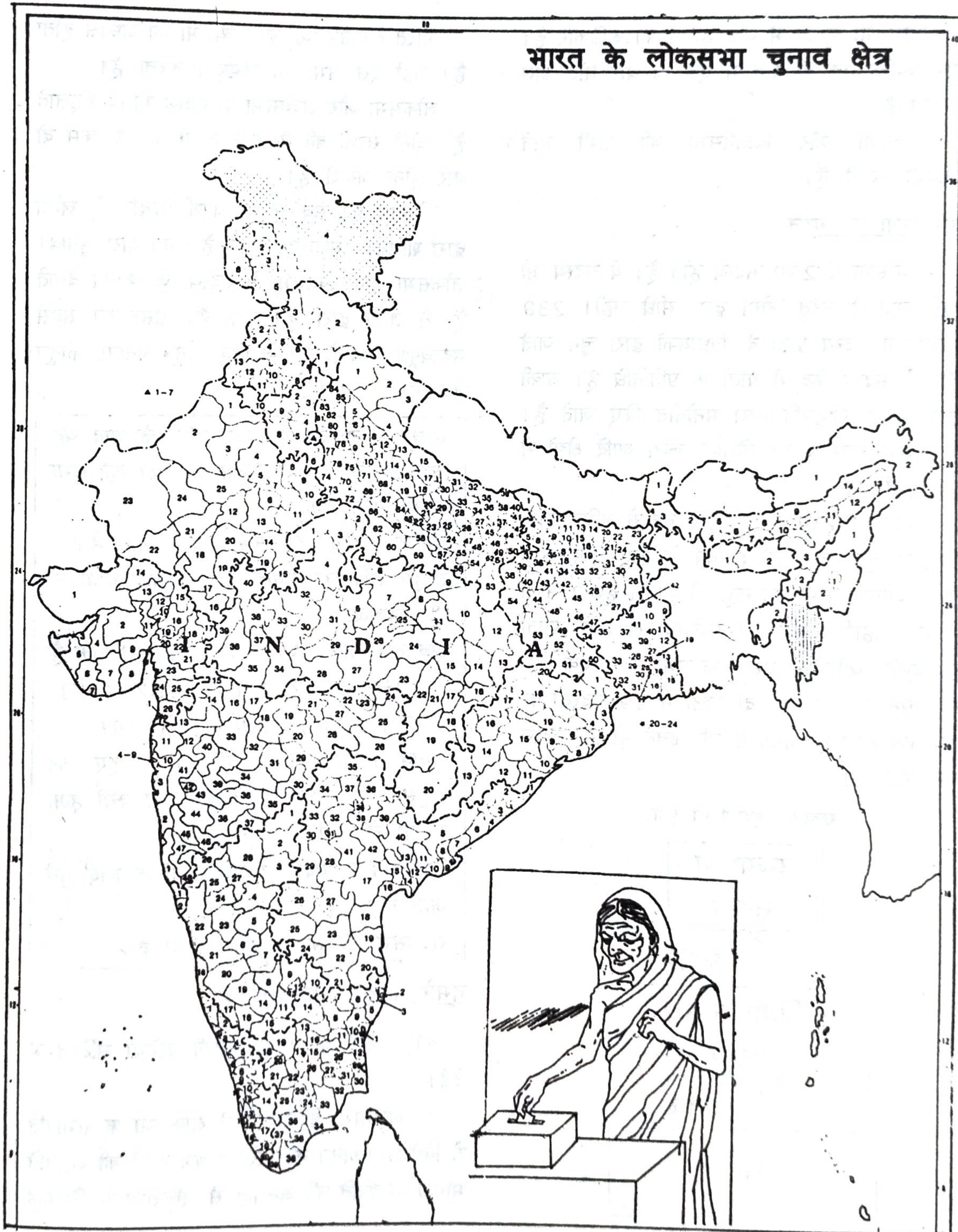
चुनाव क्षेत्र हैं। हर प्रांत से उसकी जनसंख्या के हिसाब से सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से सब से अधिक सदस्य (85) चुने जाते हैं। एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि हो सकता है।

अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे में देखो मध्यप्रदेश से कितने लोक सभा सदस्य चुने जाते हैं? किन प्रांतों से मध्यप्रदेश से अधिक लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं?

लोकसभा का एक सभापति होता है जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वह लोकसभा के काम का संचालन करता है।

लोकसभा चुनाव क्षेत्र में रहने वाले लोग वोट डाल कर अपने क्षेत्र से एक सदस्य चुनते हैं।

18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों


भारत के लोकसभा चुनाव क्षेत्र
INDIA
▲ 1-7
4-9
● 20-24

को लोकसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र में एक ही बार वोट डाल सकता है।

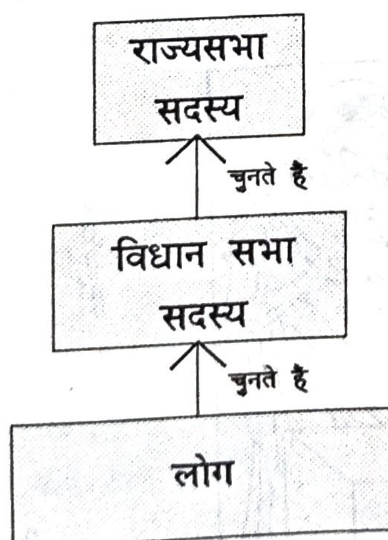
लोकसभा और विधानसभा की सभी बातें मिलती-जुलती हैं।

राज्यसभा का गठन

राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ये सदस्य भी चुने जाते हैं परंतु लोगों द्वारा सीधे नहीं। 238 राज्यसभा सदस्य प्रांतों के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। ये सदस्य केंद्र में प्रांतों के प्रतिनिधि हैं। बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य आमतौर पर विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में दक्ष होते हैं।

राज्यसभा सदस्य की उम्र 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हर सदस्य को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। हर 2 सालों में एक-तिहाई सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाती है। दूसरे शब्दों में राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ नही चुने जाते हैं। हर दो सालों में 89 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है और इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं।

राज्यसभा सदस्यों का चुनाव



भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। वही इस सभा का संचालन करता है।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सांसद कहलाते हैं। दोनों सदनों की बैठक साल में कम से कम दो बार होना ज़रूरी है।

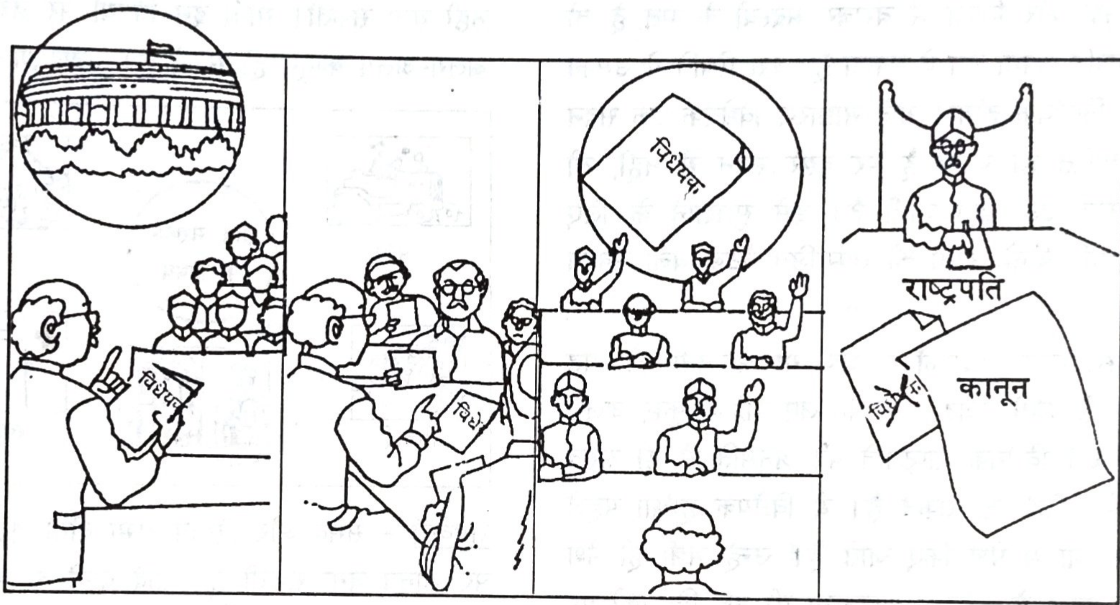
लोकतंत्र का सब से महत्वपूर्ण सिद्धांत है **लोगों द्वारा शासन**। इसका एक पहलू है लोगों द्वारा चुनाव। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, जो कानून बनाते हैं, वे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना, कानून बदलना।

सोच कर बताओ कि वोट डलने के बाद यह कैसे तय होता है कि उस क्षेत्र का लोकसभा सदस्य कौन बना?
तुम्हारे क्षेत्र का लोकसभा सदस्य कौन है?
तुम्हारे लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कुछ गांवों के नाम बताओ।
अब तक लोक सभा के नौ चुनाव हो चुके हैं - 1952, 1957, 1962, 1967, 1971, 1977, 1980, 1984, 1989 में।
चुनाव 5 साल से कम में कब-कब हुए और 5 साल से अधिक में कब? ऐसा क्यों हुआ गुरुजी से पूछो।
राज्यसभा के सदस्य कितने सालों के लिए चुने जाते हैं?
राज्यसभा के सदस्य कौन चुनता है?

हमारे कानून कैसे बनते हैं

कानून कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया संक्षिप्त में देखें।

1. लोकसभा के सदस्य ने लोकसभा के सभापति से विधेयक (कानून का प्रस्ताव) पेश करने की अनुमति मांगी। सभापति की अनुमति से लोकसभा में विधेयक



विधेयक कानून कैसे बनता है

पेश किया गया। हर सदस्य को विधेयक की एक प्रति दी गई और उसके बारे में बताया गया।

2. कुछ दिनों बाद समय तय किया गया और विधेयक के हर बिंदु पर विस्तृत चर्चा की गई। उम्मीद है कि सब सदस्य विधेयक पढ़ कर आए हैं। कई सदस्यों ने संशोधन भी सुझाए।

3. फिर कुछ दिनों बाद संशोधनों के साथ विधेयक फिर पढ़ा गया और उपस्थित सांसदों के मत लिए गए। उपस्थित सदस्यों में से आधे से अधिक ने विधेयक के समर्थन में अपना मत दिया यानी इस विधेयक को बहुमत मिला। यह विधेयक लोकसभा से 'पारित' हो गया।

इन तीनों चरणों को विधेयक के तीन वाचन कहते हैं।

4. अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। यहां भी उस पर चर्चा हुई और उस पर मत लिए गए। राज्यसभा में भी आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों के मत (बहुमत) विधेयक के पक्ष में पड़े। राज्यसभा से भी विधेयक पारित हो गया। (यदि संशोधित विधेयक को बहुमत नहीं मिलता तो वह विधेयक कानून नहीं बनता।)

5. अब इस विधेयक को कानून बनने के लिए एक आखिरी चीज़ ज़रूरी है। वह है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर के इस विधेयक को कानून बना दिया। यह है साधारण विधेयक से कानून बनने की सीधी प्रक्रिया। कानून बनाने के नियम इस प्रकार हैं :

1. साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है - राज्यसभा या लोकसभा में।

2. विधेयक कोई भी पेश कर सकता है। व्यवहार में मंत्री अधिकांश विधेयक पेश करते हैं।

3. आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत (बहुमत) यदि विधेयक के पक्ष में है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है।

4. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना ज़रूरी है।

5. आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो सभा का सभापति अपना मत नहीं देता है। पर यदि विधेयक

के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत हैं तो सभापति अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा। यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन से नहीं, तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है।

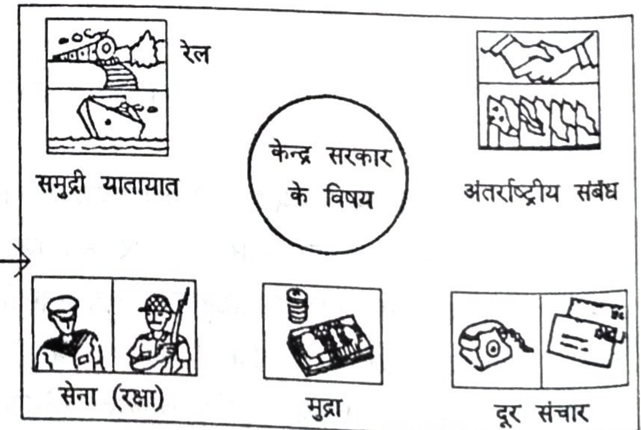
6. जिन विधेयकों में खर्चे या आमदनी की बात जुड़ी है, जैसे बजट, उस के लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। उन्हें मंत्री ही पेश कर सकते हैं। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकती है यानी ये विधेयक लोकसभा से ही पारित होते हैं। राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं।

लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण सिद्धात है बहुमत का शासन। बहुमत से लोग चुने जाते हैं, बहुमत से विधेयक पारित होते हैं।

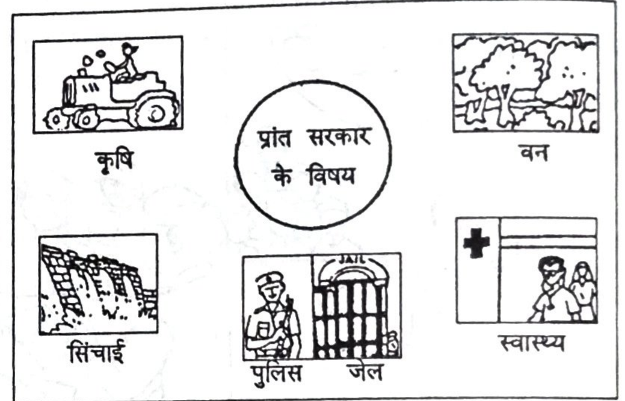
कानून कौन से, किसके

प्रांत में विधानसभाएं और केंद्र में संसद, दोनों ही कानून बनाते हैं। कौन से कानून विधानसभाएं बनाएंगी और कौन से संसद, इन विषयों की सूचियां संविधान में दी गई हैं। ऐसी 3 सूचियां हैं -

केंद्रीय - संसद 97 ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है जिन पर राज्य कानून नहीं बना सकते। इसका मतलब यह है कि इन 97 विषयों पर पूरे देश में एक ही कानून होगा। इनके कुछ उदाहरण हैं →



प्रांतीय - हर राज्य की विधानसभा 66 ऐसे विषयों पर कानून बना सकती हैं जिन पर संसद कोई कानून नहीं बना सकती। यानी इन विषयों पर हर प्रांत में अलग-अलग कानून हो सकते हैं। उदाहरण के लिए-



समवर्ती - संसद और विधान सभा दोनों 47 विषयों पर कानून बना सकती हैं। यदि दोनों के कानूनों में मतभेद हो तो संसद का कानून मान्य होता है।



कौन किस विषय पर कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच यह अक्सर विवाद का

मुद्दा होता है। दोनों ही अधिक विषयों पर कानून बनाना चाहते हैं। पर इन विषयों को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है।

साधारण विधेयक कानून कैसे बनता है?
खर्चे और आमदनी के विधेयक और साधारण विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया की तुलना कर के बताओ इनमें क्या-क्या अंतर हैं?
यदि किसी विधेयक को एक सदन में बहुमत मिलता है और दूसरे में नहीं मिलता तो क्या होगा?
यदि किसी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हैं तो क्या होगा?
यदि विधेयक को पहले सदन में ही बहुमत नहीं मिलता तो क्या होगा?
संसद और विधानसभाएं दोनों कितने विषयों पर कानून बना सकते हैं?
यदि इन कानूनों में विरोधाभास हो तो किसका कानून मान्य होता है?

कानून लागू करने वाले

जब विधेयक राष्ट्रीय कानून बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद ये कानून लागू करते हैं। वे भी संसद के सदस्य होते हैं।

प्रधान मंत्री और मंत्री परिषद कैसे बनते हैं

चुनाव के बाद लोक सभा के सदस्य बने। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया और प्रधानमंत्री से कहा कि वह अपनी मंत्री परिषद बनाए। राष्ट्रपति किसी भी लोकसभा या राज्यसभा सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है। पर वह ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो।

यह कैसे पता चलता है कि किसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है? आमतौर पर राजनैतिक दलो के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। तुम कई दलों के नाम जानते होगे। अक्सर किसी एक दल से ही लोक सभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं। यह दल फिर अपना नेता चुनता है। बहुमत दल के नेता को लोक सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री फिर मंत्री परिषद चुनता है और उसके सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री जब चाहे अपने मंत्री हटा सकता है और नए मंत्री बना सकता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा सदस्य होना ज़रूरी है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को विपक्ष कहा जाता है।

प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या काम करते हैं

संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीति लागू करने का काम मंत्री परिषद का है। इन कामों को पूरे देश में करने की ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की है। मंत्री परिषद को मंत्रिमंडल भी कहते हैं। इसके लिए मंत्री परिषद के कई मंत्रालय और विभाग हैं जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आदि। मंत्रालय और विभागों में कई हज़ार लोग काम करते हैं। ये कर्मचारी पूरे भारत में फैले हुए हैं।

फिर इन सब कामों के लिए कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर एक विभाग साल भर में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है। इस पूरे खर्च की ज़िम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की होती है। खर्चे और आमदनी का एक और मंत्रालय है - वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री के बारे में तुम पहले भी पढ़ चुके हो।

पूरे भारत के लिए रेल, डाक, टी.वी., टेलीफोन, आदि का प्रबंध करना, देश की रक्षा करना - ये सभी काम केंद्रीय सरकार के हैं।

प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई दो योग्यताएं लिखो।
केंद्रीय मंत्री कैसे बनते हैं?
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री क्या काम करते हैं?
पता करो कौन-कौन से और विभाग केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय सरकार में काम करते हैं?
तुम जहां रहते हो वहां कौन कौन से कर्मचारी केंद्रीय सरकार के हैं?

लोकसभा का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण

इतने पैसे, इतने बड़े काम, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो बहुत ताकत है। वे मनमानी न करें, पैसों का दुरुपयोग न करें इसलिए उन पर नियंत्रण रखना भी ज़रूरी है।

संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि लोकसभा के बहुमत का उन पर विश्वास हो। यदि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल हटा दिया जाता है।

इसके अलावा सांसद लोकसभा या राज्यसभा में

1. मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। मंत्रिमंडल किसी सवाल का जवाब देने से या जानकारी देने से इन्कार नहीं कर सकता, न ही गलत जवाब दे सकता है। यदि जानकारी गलत साबित हुई तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।
2. किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यानाकर्षित कर सकते हैं।
3. मंत्रिमंडल पर टिप्पणी कर सकते हैं।

इस प्रकार संसद मंत्रिमंडल के कामों पर नियंत्रण रखती है।

राष्ट्रपति

लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल ये सब हमारे देश का शासन चलाते हैं। पर पूरे भारत के शासन का प्रमुख राष्ट्रपति है। उस की सहमति के बिना शासन के बहुत से प्रमुख काम नहीं हो सकते।

राष्ट्रपति क्या-क्या करता है इसके बारे में तुम ने अब तक क्या पढ़ा?
कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है - दो बातें लिखो।

कानून बनाने में भूमिका

कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और विधेयक वापिस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को, बिना राष्ट्रपति के सुझाव लिए, पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा।

यदि किसी प्रांत का राज्यपाल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उस प्रांत का विधेयक भेजता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर के उस कानून को बनने से रोक सकता है।

नियुक्त करने की शक्ति

प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्री मंडल नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, चुनाव आयोग के सदस्य आदि की भी नियुक्ति करता है।

माफी देने की शक्ति

कई परिस्थितियों में राष्ट्रपति माफी भी दे सकता है। यदि किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो

राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है या फिर उसे उमर कैद में परिवर्तित कर सकता है। इस के लिए अभियुक्त राष्ट्रपति से माफी के लिए अर्ज़ी दे सकता है। पर यदि राष्ट्रपति ने अर्ज़ी मंज़ूर नही की तो अभियुक्त को सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी।

राष्ट्रपति का चुनाव

राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 35 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। वह मुनाफे के किसी पद पर नही रह सकता। राष्ट्रपति हर राज्य के विधायक और सांसद (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। पर राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव से कुछ अलग होता है। राष्ट्रपति पांच साल के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, वह संसद का सदस्य नहीं रह सकता।

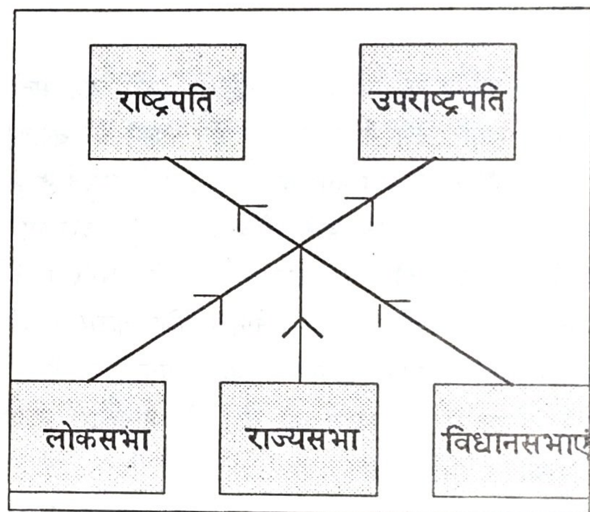
राष्ट्रपति को हटाना

यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो वह संसद द्वारा हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि वह अपने मन से कोई मंत्री नियुक्त करता है या हटाता है, या किसी स्रोत से मुनाफा कमाता है या संसद के दोनों सदनों से दो बार पारित होने के बाद भी किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नही करता तो उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है।

उपराष्ट्रपति

भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होता है। उपराष्ट्रपति भी उसी प्रकार चुना जाता है जैसे राष्ट्रपति। वह राज्य सभा का सभापति (अध्यक्ष) होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के सब काम करता है।

राष्ट्रपति कौन से कानून बनने से रोक सकता है?



राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव

यदि किसी को सर्वोच्च न्यायालय से सज़ा मिली है तो उसे माफी कैसे मिल सकती है?
राष्ट्रपति को किन कारणों से हटाया जा सकता है और उसे कौन हटा सकता है?
उपराष्ट्रपति के क्या काम हैं?

संसद की कुछ झलकियां

संसद की बैठक चल रही है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य पूरे भारत से दिल्ली आए हुए हैं। उन सब को दिल्ली में रहने की जगह मिली हुई है।

सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई। संसद में दिन शून्य काल से शुरू होता है। शून्य काल में सांसद बिना पूर्वानुमति के कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। कई सांसद आज संसद भवन नही आए हैं। चलो संसद भवन का एक चक्कर लगा कर आएं। अभी तो कॉरिडोर में ही पहुंचे है। लोकसभा से इतनी आवाज़ क्यो आ रही हैं? ज़रा झांककर देखें मसला क्या है।

लोकसभा में चर्चा

एक सांसद यह प्रश्न उठा रहे थे, "क्या यह सही है कि हमारे देश के लोग दूरदर्शन देखने के बजाए दूसरे देशों से प्रसारित कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है?" दूरसंचार मंत्री ने सदन को यह जानकारी दी कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों को अधिक रोचक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने दूरदर्शन पर कुछ आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी सदन को दी। ये जानकारी कुछ सदस्यों ने मांगी थी।

विधेयक पर चर्चा

फिर विधेयक पर चर्चा करने का समय हो गया। कुछ दिन पहले एक सांसद ने खेतीहर मज़दूरी पर केंद्रीय कानून बनाने के लिए एक विधेयक लोकसभा में पेश किया था। आज उस पर बहस होनी है। बहस शुरू हुई।

कोई कहता - "भारत में खेती की इतनी अलग-अलग परिस्थितियां हैं। कहीं सूखी खेती, कहीं सिंचित खेती, कहीं पैदावार अधिक, कहीं कम। यदि एक कानून बना दिया गया तो हर जगह के किसान इतनी मज़दूरी नहीं दे पाएंगे।" तो कोई कहता - "इसीलिए तो मज़दूरों की स्थिति कुछ जगहों पर इतनी बुरी है। सब जगह एक कानून लागू होगा तो हर जगह के मज़दूरों को कम से कम खाने को तो पर्याप्त मिलेगा।" ऐसे ही हर बिंदु पर बहस चलती रही। बहस होते-होते खाने का समय हो गया और लोकसभा भोजन-अवकाश के लिए स्थगित हो गई। 3 बजे दोनों सदन फिर मिलेंगे।

बजट विधेयक पारित

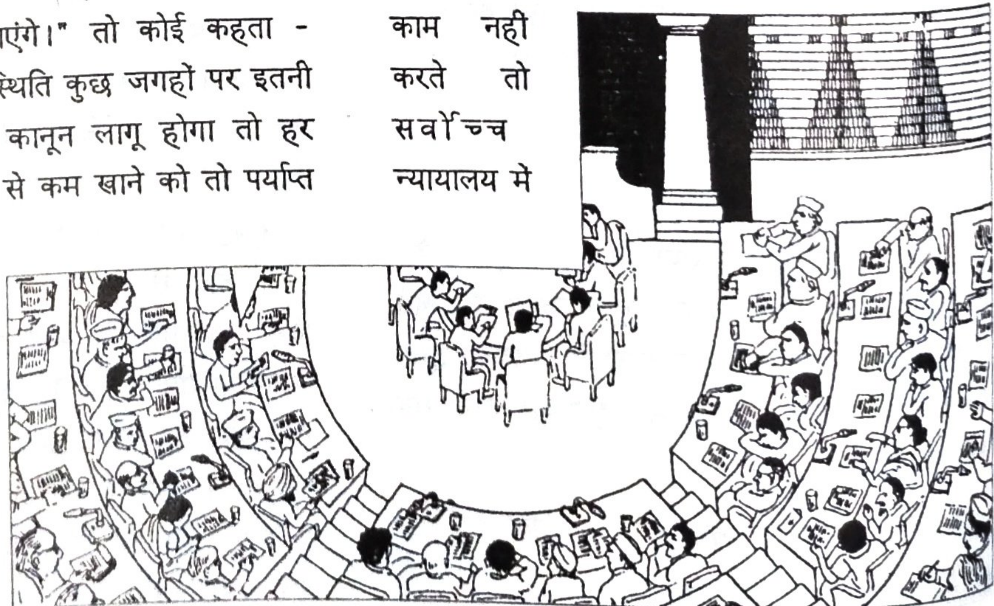
भोजन अवकाश के बाद समय आया रेल बजट पारित करने का। इस बजट पर पहले चर्चा हो चुकी थी और सुझाए गए संशोधन भी किए जा चुके थे। आज मत लेने की बारी थी। उपस्थित सदस्यों के मत लिए गए और रेल बजट पारित हुआ।

दिन भर की कार्यवाही खत्म हुई। अब दोनों सदन अगले दिन 11 बजे फिर मिलेंगे।

लोकसभा में कौन से मंत्री ने जानकारी दी और क्या जानकारी दी?
लोकसभा में किस विधेयक पर बात हो रही थी?
लोकसभा में कौन सा विधेयक पारित हुआ?

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्यायालय

हमने देखा कि भारत में नियम है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने और चले। इसके लिए संसद और मंत्री परिषद बनते हैं। इन्हें संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। इनके काम पर कई तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि ये लोग संविधान के अनुसार काम नहीं करते तो सर्वोच्च न्यायालय में



उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। संविधान के नियम समझने में मतभेद हो सकते हैं। इन्हें स्पष्ट करने में सर्वोच्च न्यायालय मदद करता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेदों पर भी सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय किया जा सकता है। दूसरे कामों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय मंत्रिमंडल और सांसदों पर नियंत्रण रख सकता है। न्यायालय भी सरकार का भाग है।

लोकतंत्र में जनमत का महत्व

लोकतांत्रिक सरकार की प्रक्रिया में मंत्रिमंडल और संसद लोगों के प्रति ज़िम्मेदार हैं। लोकतंत्र में जनता का मत (जनमत) बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि जनता ने सांसद चुने हैं, जनता उन पर ठीक से काम करने का दबाव भी डाल सकती है। यह कैसे? यदि लोग सरकार के किसी काम से खुश नहीं हैं तो सभाओं, अखबारों या पत्रिकाओं में उसकी आलोचना कर सकते हैं। ऐसी आलोचना का सरकार की नीतियों पर काफी असर पड़ता है। इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है। स्वतंत्र मत लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावित करते हैं। लोकतांत्रिक शासन में जनता अपनी सरकार चुन कर और सरकार की गलतियों की आलोचना करके सरकार को नियंत्रित कर सकती है। यदि सरकार आलोचना या स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर रोक लगाती है तो जनता का लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकार है कि वह इस रोक के विरुद्ध लड़े।

सही आलोचना करने के लिए जनता के पास सरकार के विचारों और उन की नीतियों के क्रियान्वन की सही जानकारी होना ज़रूरी है। अगले पाठों में हम सरकार के विचार, उनकी योजनाओं और नीतियों के बारे में पढ़ेंगे।

संसद की झलकियों' में बताई गई घटनाएं काल्पनिक हैं। ये केवल संसद की कार्यवाही को चित्रित करने के लिए दी गई हैं।

○ ○ ○

अभ्यास के प्रश्न

1. लोकतांत्रिक शासन में लोगों की भागीदारी किस तरह होती है? दो तरीके बताओ।
2. संसद के दो सदनों के नाम बताओ।
3. पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाता है?
4. इनमें से किन लोगों को जनता चुनती है और किन को सांसद या विधायक? कौन लोग नियुक्त किए जाते हैं?
   - राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधायक।
5. साधारण विधेयक से कानून बनने के तीन मुख्य चरण संक्षिप्त में बताओ।
6. इनमें से किन विषयों पर कानून सांसद बनाते है, किन पर विधानसभाएं और किन पर दोनों बना सकते है?
   - कृषि, रेल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पुलिस, दीवानी कानून, डाकतार, बिजली, कारखाने।
7. कानून लागू करने की ज़िम्मेदारी किसकी है?
8. मंत्रिमंडल पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है?
9. सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रख सकती है? तीन तरीके बताओ।
10. जब संसद की बैठक हो रही हो, अखबार से या रेडियो पर समाचार सुनकर एक सूची बनाओ -

विधेयक पारित हुए	मुख्य सवाल जो पूछे गए

4 हमारा संविधान

तुमने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा, 'भारत एक जनतांत्रिक देश है।' इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। कानून बनाने और बदलने में भी सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहां तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नही कर सकती। जिस देश में जनतांत्रिक सरकार होती हैं, वहां एक "संविधान" होता है। (संविधान एक पुस्तक है जिसमें देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं।) सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है- संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक, यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ, काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए।

अरे, बड़ी ज़रूरी बातें हैं इसमें तो। हमें भी जानना चाहिए इनके बारे में।

संविधान में क्या-क्या है?

सबसे पहले संविधान की एक उद्देशिका दी गई है। इसमें संविधान के उद्देश्य लिखे हैं।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वालीबन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधन को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

इसे पढ़कर गुरुजी से चर्चा करो।

हमारा संविधान बहुत लंबा है। इसमें लगभग 300 पृष्ठ हैं। यह 22 भागों में विभाजित है। इसमें इन बातों के बारे में विस्तार से लिखा है—

1. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार काम करेंगी और उनके आपस में क्या संबंध होंगे;

2. न्यायालयों का काम क्या हो? ज़िला कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय को किस तरह काम करना चाहिए;

3. किन विषयों पर केंद्रीय सरकार कानून बनाएगी, किन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी; किन विषयों पर दोनों सरकार कानून बनाएंगी; जिन विषयों पर दोनों सरकार कानून बनाती हैं, उनमें यदि तालमेल न बैठा, तो कौन सा कानून माना जाएगा।

राज्य सरकार और न्यायालयों के बारे में तुम पढ़ चुके हो। उनके बारे में जो चीज़ें तुमने पढ़ी, वे सब संविधान में ही लिखी गई हैं। अब जानें कि संविधान के पहले चार भागों में क्या बातें हैं :

पहले भाग में दिया है कि भारत का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों के क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों से मिलकर बनता है। भारत के राज्यों की सीमा और भारत की सीमा किस प्रकार बदली जा सकती है। नए राज्य किस प्रकार बनाए जा सकते हैं।

दूसरे भाग में यह बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा। जो भी भारत में पैदा होता है, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। किसी भी भारतीय नागरिक के बच्चे भी भारतीय नागरिक होंगे। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता। भारत सरकार भारतीय नागरिकता के बारे में कोई भी कानून बना सकती है।

क्या तुम और तुम्हारे माता-पिता भारत के नागरिक हैं?

तीसरे भाग में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये सभी को जानना ज़रूरी है कि उनके क्या अधिकार हैं और सबका यह हक बनता है कि वे इन अधिकारों के लिए लड़ें। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, केंद्रीय और राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है। हम अगले पाठ में यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं।

चौथे भाग में भारत सरकार और राज्य सरकारों को कुछ 'नीति निर्देशक सिद्धांत' बताए गए हैं। ये सिद्धांत ऐसे हैं जिन को ध्यान में रखते हुए सरकारों को कानून बनाने चाहिए। अपने नियमों और कानूनों से इन उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। कुछ सिद्धांत हैं—

— सभी आदमियों और औरतों को पर्याप्त रोज़गार दिलाने के लिए नीति बनाना।

— ऐसी नीतियां न बनाना जिससे कि कुछ लोगों के पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाए और अधिकांश लोगों को हानि पहुंचे।

— नीतियां ऐसी हों जिससे कि समान काम के लिए समान मज़दूरी मिले।

— किसी को भी (बच्चे, औरत या आदमी को) ऐसा काम करने पर मजबूर न होना पड़े जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता हो।

— बच्चों को अपने विकास के लिए खुला और सम्मान भरा वातावरण मिले। सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले।

— सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा वातावरण मिले, आराम और सम्मान से रहने लायक वेतन मिले और उद्योगों के संचालन में मज़दूरों की भी भागीदारी हो।

इस तरह से करीब 17 सिद्धांत इस भाग में दिए गए हैं। ये सरकार के लिए निर्देश हैं पर यदि सरकार



क्या औरतों और मर्दों को समान काम के लिए समान मज़दूरी मिलती है?

पूरी तरह इनके अनुसार काम नहीं करती तो कोर्ट या कचहरी में इनके लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता।

तुम्हें क्या लगता है - इन में से कौन से निर्देशों का पालन होता है? एक-एक सिद्धांत पर आपस में और गुरुजी के साथ चर्चा करो।

क्या तुम ऐसी नीतियों के कुछ उदाहरण पता कर सकते हो जहां इन सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा हो?

नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करवाने के लिए क्या करना चाहिए?

संविधान के चौथे भाग में ही हमारे कुछ मौलिक कर्त्तव्य भी दिए गए हैं। इनके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।

इतनी सारी बातें इस संविधान में हैं व और भी बहुत कुछ है। भारतीय भाषाओं के बारे में, धर्म के बारे में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में कई नियम आदि लिखे हैं।

हमें तो हैरानी होती है सोच कर कि कैसे यह सब लिखा गया होगा? इसकी पूरी कहानी तो बहुत लंबी है।

संविधान कैसे बना?

15 अगस्त 1947 से पहले भारत में अंग्रेज़ो का राज्य था। अंग्रेज़ ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहां का शासन उस तरह चलता था, जिस तरह इंग्लैण्ड की सरकार उसे चलाना चाहती थी।

उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नही है। किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं? उन्होंने इस बात के लिए बहुत बड़ा संघर्ष शुरू किया कि भारत के लोगों को स्वयं अपने कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक है। अपने देश का शासन स्वयं चलाने के हक के लिए भारतवासी करीब 100 साल तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। कई लोगों ने इस लड़ाई में अपनी जानें दे दीं। कई लोग सालो तक जेल में रहे। इसी लड़ाई को स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तुम अगली कक्षा में इसके बारे में पढ़ोगे।

इस संघर्ष के चलते 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ यानी भारत के लोगों को अपने लिए नियम कानून बनाने और अपनी सरकार खुद से बनाने का अधिकार मिला।

पर अपना ही शासन होगा तो कैसा होगा? यह भी तो सोचना था। क्या हमारा राजा होगा? जैसे कि अंग्रेज शासन के पहले होता था। या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? या दोनो ही? अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा तो वे कैसे और किसके द्वारा चुने जाएंगे? यह भी सोचना था कि भारत के लोगों के क्या अधिकार होंगे? उनके लिए क्या नियम कानून होंगे?

इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नही था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नही सकता था। भारत के हर

प्रान्त के लोगों (पुरुषों और महिलाओं) ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, इसलिये यह ज़रूरी था कि ये बातें तय करने में हर प्रान्त के आदमियों और औरतों यानी सभी लोगों का हाथ हो।

इस काम को करने के लिए सन् 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 308 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम तुमने सुने होंगे, वे थे सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एच. वी. कामथ। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद। संविधान परिषद की एक समिति बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर।

संविधान की अलग-अलग बातों को लेकर सभा के लोगों में बहुत सोच-विचार, चर्चा और बहस हुई। संविधान लिखने में लगभग 3 साल लग गए। सन् 1949 में संविधान सभा ने संविधान पारित किया और 26 जनवरी 1950 से यह संविधान पूरे भारत में लागू किया गया। संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश में जनतंत्र यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।



संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित नेहरू

यह थी हमारे संविधान की कहानी। अगले पाठ में हम संविधान में दिए गए अपने अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे।

* * *

अभ्यास के प्रश्न

1. संविधान की उद्देशिका को अपने शब्दों में लिखो।
2. हमारे संविधान में क्या-क्या दिया हुआ है? कितने भाग हैं?
3. हमारी सरकार किसके आधार पर काम करती है?
4. 'नीति निर्देशक सिद्धांत' का क्या मतलब है ? ये संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत बताओ।
5. संविधान कब और कैसे बनाया गया?

5

हमारे मौलिक अधिकार

भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और न्यायालयों के बारे में तो तुम पढ़ ही चुके हो। पर संविधान में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में तो हम ने अभी तक नहीं पढ़ा। ये अधिकार काफी महत्वपूर्ण हैं। हर एक भारतीय व्यक्ति को ये अधिकार हैं। संविधान के तीसरे भाग में जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें 'नागरिकों के मौलिक अधिकार' कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इन में से कोई अधिकार नही दिया जाता तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। सरकार का यह काम है कि वह हर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे।

भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं?

1. जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार

भारत में रह रहे सभी लोगों को जीने का अधिकार है। यानी कोई भी उनकी जान नहीं ले सकता। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है।

भारत के हर नागरिक को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार भी है। यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ कहीं ले जाया जाए, या किसी को कहीं जाने से रोका जाए, तो हम कहते हैं कि उसकी निजी स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा है। यदि पुलिस ऐसे व्यक्ति की रक्षा न करे तो सरकार पर मुकदमा किया जा सकता है।

हां, जब कोई व्यक्ति कोई कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है। पर जब तक वह जुर्म साबित नही हो जाता, तब तक उसे जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है।

जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार छीना जाए तो क्या किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण पढ़ोः

एक व्यक्ति, भोमा चरन ओराओं को मजिस्ट्रेट ने पागलखाने भेज दिया। भोमा चरन ओराओं पर मुकदमा चल रहा था। पागलखाने के सुपरिटेण्डेंट ने 6 महीने बाद ही मजिस्ट्रेट को बताया कि भोमा बिल्कुल ठीक है और पागलखाने से जा सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट ने इस बारे में कोई कदम नही उठाया। भोमा 6 साल तक पागलखाने में पड़ा रहा।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में भोमा की ओर से मुकदमा किया गया। यह साबित हुआ कि भोमा का जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया था। न्यायाधीश ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि वह मुआवज़े के रूप में भोमा को 15,000 रु. दे। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि, "भोमा को कितना भी मुआवज़ा दिया जाए, उस मुआवज़े से उसके उन 6 वर्षो का जीवन नही लौट सकता जो भोमा ने 'जीवित मौत' की हालत में बिताए हैं।"

> अपने शब्दों में दो वाक्य लिखो कि सोमाचरण के मौलिक अधिकार का कैसे हनन हुआ था। ऐसा एक और उदाहरण लिखो जहां जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता हो।

2. स्वतंत्रता के अन्य अधिकार

जीने की स्वतंत्रता तो हम सब को है ही और अपनी इच्छा अनुसार रहने की भी। इसके अलावा—

- अपनी इच्छा अनुसार रोज़गार करने की स्वतंत्रता

भारत का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार काम (रोज़गार) कर सकता है। कोई उससे ज़बर्दस्ती ऐसा काम नहीं करवा सकता, जो वह करना नहीं चाहता है।

मान लो कोई व्यक्ति आम बेचने का धंधा करना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। पर अगर वह किसी और से आम चोरी कर के बेचे तो उसे ज़रूर रोका जा सकता है, चूंकि वह किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा है।

- भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता

भारत के वासी भारत में कहीं भी जा कर रह सकते हैं, बस सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं। इसके लिए किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है।

हमारी एक मित्र सुकन्या की कहानी सुनो। सुकन्या का जन्म मद्रास शहर के पास एक गांव में हुआ था। दस वर्ष की उम्र में वह अपने माता-पिता के साथ पटना शहर में आ गई। वहां से स्कूली पढ़ाई खत्म करके वह कलकत्ते में कालेज में पढ़ने गई। फिर उसे वहीं नौकरी मिल गई और उसने वहीं शादी भी कर ली। उसने और उसके पति ने मिल कर कलकत्ते में ही अपने लिए एक मकान बना लिया। कोई उसे नौकरी या मकान से यह कह कर नही निकाल सकता कि वह पटना (बिहार) से आई है या चूंकि मद्रास के पास उसका जन्म हुआ था।

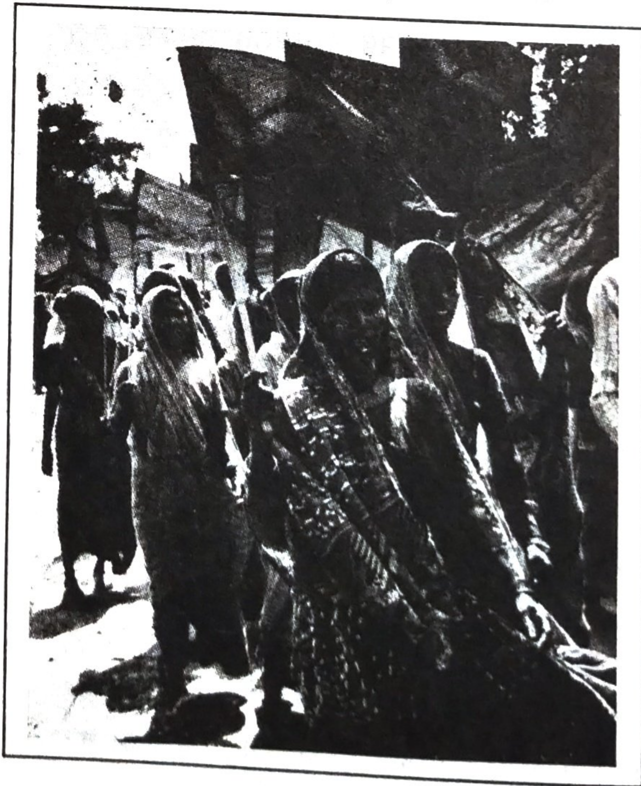
- भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता

हर भारतीय को यह अधिकार भी है कि वह भारत के किसी भी हिस्से में आज़ादी से आ जा सकता है। सुकन्या हर साल हिमाचल, पचमढ़ी जैसी जगहों में घूमने जाती है। उसे कोई कहीं नहीं रोक सकता।

- समिति बनाने का व सभा करने का अधिकार

देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आपस में बातचीत करनी पड़ती है। इसलिए कहीं भी इकट्ठे होकर सभा बुलाने की स्वतंत्रता भी हमें है। हां, यह सच है कि आम तौर से, जिस भी स्थान पर हम सभा करें, वहां के प्रशासन को सूचित करना और कभी-कभी उनसे अनुमति लेना ज़रूरी होता है।

आमसभा



- **अपने मन की बात स्वतंत्र रूप से कहने या छापने की स्वतंत्रता**

ऐसी किसी भी सभा में या किसी भी व्यक्ति से अपने मन की बात खुलकर कहने की आज़ादी है। अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से छापने की आज़ादी भी है हम भारतवासियों को। पर यदि हम ऐसी चीज़ कहें या छापें जो गलत है और जिससे दूसरों के जीवन को हानि होती है, तो हमें यह कहने या छापने का अधिकार नहीं है।

इन अधिकारों के हनन के भी कुछ उदाहरण हैं। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में भारत के दूर दराज़ के गांवो से लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं। उन्हें पक्की नौकरी तो नही मिलती - कुछ दिनों के लिए एक जगह काम कर लेते हैं, कुछ दिनो के लिए दूसरी जगह। रहने के लिए उनके पास जगह भी नहीं होती तो वे सड़क के किनारे की पटरियों पर झुग्गियां बना लेते हैं।

कुछ सालों पहले बम्बई के नगर निगम ने, कई वर्षों से पटरियों पर रह रहे 50,000 लोगों को वहां से हटाने के लिए उनकी झुग्गियां तोड़नी शुरू की। 1982 में सर्वोच्च न्यायालय में उनकी ओर से मुकदमा किया गया। उनके वकीलों का कहना था कि इन झुग्गीवासियों को तब तक पटरियो से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वे सड़क पर चलने वालो के रास्ते में बाधा न उत्पन्न करें। यदि उन्हे पटरियो पर से हटाया गया तो उनके व्यवसाय करने और भारत में कहीं भी बस कर रहने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन होगा।

इस मुकदमे के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने इन 50,000 लोगों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ने पर रोक लगा दी थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि बंबई की सड़कों की पटरियों पर रह रहे लोगों के लिए सरकार दूसरी जगह का प्रबंध करे और उसके बाद ही उन्हें पटरियों पर से हटाया जाए। नगर निगम ने उनकी झुग्गियां तोड़ कर उन्हें पटरियो पर से हटा तो दिया पर दूसरी-जगह पर उनके रहने का प्रबन्ध ठीक से नहीं किया।

क्या तुमने कभी ऐसे किस्से सुने हैं जिनमें ऊपर दिए अधिकारों का हनन हुआ है ?
जब अखबार या पत्रिकाएं पढ़ो तो उनमें ऐसे किस्से ढूंढो।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से ज़ोर ज़बर्दस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। यानी यदि कोई व्यक्ति एक काम छोड़ कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा उसे नियम से कम मज़दूरी या खराब परिस्थितियों में ज़बर्दस्ती काम करने पर मजबूर नही किया जाएगा।

बंधुआ मज़दूरी की प्रथा में मज़दूर के इस मौलिक अधिकार का हनन होता है क्योंकि उसे मजबूर होकर एक ही ज़मीदार या ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है।

क्या तुम बता सकते हो कि यह मजबूरी किन कारणों से होती है?

1982 में जब दिल्ली एशियाड खेल हुए थे, तब बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश से कई मज़दूरों को ठेकेदार काम करने के लिए लाए थे। वहां बहुत ही कम पैसो में उनसे काम करवाया जा रहा था। उनकी ओर से सर्वोच्च न्यायालय में यह दावा किया गया कि इन मज़दूरों का शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, क्योंकि बहुत कम पैसों पर काम करने के लिए इन्हें मजबूर किया जा रहा है। साथ ही इन मज़दूरों की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का भी हनन हो रहा है।

इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि

गरीबी की वजह से यदि कोई कम पैसो में काम करने को तैयार हो जाए तो यह उससे ज़बरदस्ती काम करवाने के बराबर है। इससे उन मज़दूरों के 'शोषण के विरुद्ध' मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसीलिए न्यूनतम मज़दूरी से कम में यदि कोई काम करवाता है तो सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उसे रोके। अगर सरकार ऐसा नही करती, तो उसके विरुद्ध इन मज़दूरों के मौलिक अधिकारो की रक्षा न करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है।

अब हाली और हरवाहे को एक बार उधार देकर साल दर साल काम करवाते रहना मना हो गया है। इसीलिए मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ और बिहार व उत्तरप्रदेश के कई इलाकों में बंधुआ मज़दूरों की ओर से 'शोषण के विरुद्ध' अधिकार के हनन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में कई मुकदमे किए गए हैं। ऐसे एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि वह छत्तीसगढ़ के 693 बंधुआ मज़दूरों को मुक्त करा कर उनके पुनर्वास का प्रबंध करे। हर मज़दूर को इस आदेश के अंतर्गत 4000 रुपए दिए गए।


एक बंधुआ मज़दूर

इसी अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी फैक्ट्री या खदान में काम नही करवाया जा सकता। उन्हें और किसी खतरनाक काम में भी नही लगाया जा सकता (जैसे रेलवे में किसी काम में, या बीड़ी बनाने, माचिस व आतिशबाज़ी, सीमेन्ट बनाने, गलीचा बनाने, साबुन बनाने, कपड़े की छपाई, रंगाई, व बुनाई आदि कामों में)।

तुम्हारे गांव/शहर में लोगों के और बच्चों के ये अधिकार माने जाते हैं या नहीं?

समानता का अधिकार

संविधान के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। यह एक मौलिक अधिकार है। इस का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर या उसके औरत या आदमी होने के आधार पर या उसके किसी विशेष जाति के होने के आधार पर या किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों पर, जैसे दुकानें, होटल या सिनेमा घर में जाने से या कुओं व तालाबों का पानी उपयोग करने से रोका नही जा सकता है। उसी प्रकार किसी नौकरी या व्यवसाय को करने से भी इन में से किसी आधार पर लोगों को नही रोका जा सकता।

उदाहरण के लिए यदि किसी होटल पर कोई महिला नाश्ता करने जाती है और होटल वाला उसे नाश्ता देने से यह कह कर इन्कार कर देता है कि वह अपने

होटल पर महिलाओं को खाना नही देता तो वह उस महिला के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है।

> क्या तुम और उदहारण सोच सकते हो जिन में इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है?

5. अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार

चूंकि सैकड़ो सालो से आदिवासियो व हरिजनो की जिन्दगी शोषण व असमानता से भरी रही है, इसलिए संविधान में ही पिछड़े वर्गो के लोगो को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए इस तरह जिन धर्मो के लोगो की संख्या कम हैं, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

उदाहरण के लिए आदिवासियों और हरिजनों के लिए संसद व विधानसभा की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियो के पद आरक्षित होते हैं। इन पदों पर आदिवासी और हरिजनों के अलावा कोई व्यक्ति नही काम कर सकता।

अल्पसंख्यकों (यानी जिस धर्म या समाज के लोग कम हों), को अपने समाज की संस्थाएं खोलने का और अपनी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है।

6. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

इसी के साथ जुड़ी हुई है धर्म की स्वतंत्रता। भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी, व्यक्तिगत रूप से अपने धार्मिक रीति-रिवाजो का पालन करने से नही रोका जा सकता है। पर किसी भी सरकारी दफ्तर, शाला या संस्था में किसी भी धर्म के रीति-रिवाज नही अपनाए जा सकते। इन स्थानो पर (शासकीय शाला, दफ्तर या संस्था में) नमाज पढ़ना, पूजा करना, भजन गाना, गुरबानी या किसी धार्मिक ग्रंथ (कुरान, रामायण, बाइबल) का वाचन करवाना, कानून के हिसाब से गलत है।



सरकार का कोई एक धर्म नही। उसे सभी धर्मो के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। ये सब बातें भी हमारे संविधान में दी गई हैं।

7. मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार

कहीं पर भी यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जो मुकदमे मौलिक अधिकारों के हनन पर किए जाते हैं, उन्हें लोक हित के मुकदमे कहते हैं। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह भारतीय नागिरकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नही करती तो उसके विरुद्ध लोक हित का मुकदमा किया जा सकता है।

लोक हित के मुकदमों की कुछ और विशेषताएं हैं— जिनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लोक हित के मुकदमे कर सकता है।

इस तरह का एक ही मुकदमा उन सब व्यक्तियों की ओर से किया जा सकता है, जिनके उसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो।

उदाहरण के लिए यदि एक जगह पर 50,000 लोग रह रहे हों। एक बाध के बनने से वह जगह डूब में आ रही है। उन 50,000 लोगों के—

स्वतंत्र जीवन बिताने, स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने व भारत में किसी भी जगह बस कर रहने

की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन सभी 50,000 लोगों की ओर से एक मुकदमा किया जा सकता है। 50,000 अलग-अलग मुकदमे हर एक व्यक्ति के लिए करने की ज़रूरत नही है। जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय देती है, वह इन सभी लोगों पर लागू होग।

यह बात लोगों के लिए कैसे फायदेमंद है- सोच कर समझाओ।



हमारे जंगल, तालाब नदियों आदि की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है

हमारे मौलिक कर्त्तव्य

हम सबके मौलिक अधिकारों के बारे में तो तुमने पढ़ लिया। पर इन अधिकारों को पाने के लिए हमें भी कुछ कर्त्तव्य निभाने पड़ते हैं। समाज के प्रति हमारे जो कर्त्तव्य संविधान में लिखे हैं वे इस प्रकार हैं।

1. संविधान का पालन करना

संविधान का पालन करना हमारा कर्त्तव्य है। यानी हमें संविधान में लिखी सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गीत का अपमान नही करना चाहिए।

पर यदि संविधान में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे अधिकांश लोगों को नुकसान होता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? संविधान की ऐसी चीज़ों को बदलने के भी तरीके हैं। ये तरीके संविधान में ही दिए गए हैं।

2. स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों पर चलना

भारत को अंग्रेज़ शासन से स्वतंत्रता दिलाने के लिए लाखों भारतीयों ने बहुत संघर्ष किया था। इस संघर्ष में उन्होंने कुछ आदर्श अपनाए थे। जैसे सच्चाई के लिए लड़ना। साधारण लोगों और गरीबों के हितों के लिए आवाज़ उठाना। अन्याय सहन न करना। इन सब आदर्शों पर चलना हमारा कर्त्तव्य है।

3. पर्यावरण की रक्षा करना

यदि किसी फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी किसी नदी में मिलता है, या कही बड़े बांध बनने से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जंगल कट रहा है, तो हम सबका कर्त्तव्य है कि ऐसा न होने दे।

4. महिलाओं का सम्मान करना और उनका अपमान रोकना।

जहां भी महिलाओं का अपमान होता है, हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसका विरोध करें। यदि कोई भी लड़कियो को छेड़ता है या दहेज लेता है, या अपनी पत्नी को पीटता है तो वह एक दण्डनीय अपराध कर

रहा है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसे रोकें या ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को सज़ा दिलवाएं।

5. भारत के सभी क्षेत्रों, धर्मों और भाषाओं के लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना

हमारा कर्त्तव्य है कि हम सांप्रदायिक, जातीय या क्षेत्रीय दंगों को फैलने से रोकें। यदि कोई ऐसे दंगे करवाता है या फैलाता है, तो उसे पकड़वाना और सज़ा दिलवाना हमारा कर्त्तव्य है।

6. भारत की एकता बनाए रखना

इस तरह, भारत में रह रहे सभी लोगों के बीच सद्भाव रखकर, भारत की एकता को बनाए रखना भी हमारा कर्त्तव्य है।

7. वैज्ञानिक मानसिकता व मानवता का विकास करना।

वैज्ञानिक मानसिकता, मानवता और जिज्ञासा का विकास करना, हर भारतीय का कर्त्तव्य है। आसपास हो रही प्रक्रियाओं और घटनाओं के कारण ढूंढना, सवाल करना, बिना सोचे समझे किसी की बात न मान लेना, यही सब वैज्ञानिक मानसिकता को विकसित करते हैं। मानवता का मतलब है सभी मनुष्यों का आदर व सम्मान करना। सभी मनुष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए।

8. देश की रक्षा करना

अपने देश की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। यही नही, अपने कामों से अपने देश को हर क्षेत्र (कृषि, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद) में आगे बढ़ाना भी हमारा कर्त्तव्य है।

9. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना

सार्वजनिक सम्पत्ति, जैसे बस, अस्पताल, स्कूल आदि की रक्षा करना, उन्हें अच्छी स्थिति में रखना ये हमारे कर्त्तव्य हैं।

तुम अपने गांव व शहर के लोगों के व्यवहार पर चर्चा करके समझो कि किन कर्त्तव्यों का पालन किया जाता है और किन कर्त्तव्यों का उल्लंघन होता है?

अभ्यास के प्रश्न

1. हमारे कौन-कौन से मौलिक अधिकार हैं ? किन्हीं दो मौलिक अधिकारों के हनन का एक-एक उदाहरण दो।
2. एक 10 वर्षीय लड़का है। बहुत ग़रीब है तो स्कूल न जा कर वह शिवाकाशी के माचिस के कारखाने में काम करता है। उसके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? यदि किसी को इसके बारे में पता चलता है तो वह क्या कर सकता है?
4. गांवों में सरकार ने कुआं बनवाया। यदि हरिजनों को वहां पर पानी भरने से रोका जाए तो उनके किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है?
5. लोक हित का मुकदमा कब और कहां किया जाता है? ऐसा मुकदमा कौन किस के विरुद्ध कर सकता है?
6. हमारे कौन-कौन से मौलिक कर्त्तव्य हैं?
7. यदि रमेश अपनी पत्नी को मारता है और उसको गाली बकता है, तो वह अपने किस मौलिक कर्त्तव्य को पूरा नही करता?
8. यदि राम प्यारे दूसरे समाज के बारे में बुरी अफवाहें फैलाता है तो वह किस मौलिक कर्त्तव्य का पालन नही कर रहा है?

6 विकास के लिए योजनाएं

स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए पांच-सालाना योजनाएं बनाई जाने लगी हैं। तुम सोच रहे होगे, कैसी होगी पूरे देश के लिए बनी योजना। इसमें क्या-क्या होगा? कैसे बनेगी? कौन बनाएगा? हां, पूरे देश के लिए योजना बनाना काफी मुश्किल है। खासकर जब योजना बनाते समय देश के सभी लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। यह एक व्यक्ति के बस का काम नहीं- इसमें बहुत से व्यक्ति लगते हैं।

सबसे पहले देश की समस्याओं को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे कृषि, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, यातायात व संचार, सामाजिक सेवाएं आदि। इनका आकलन किया जाता है। इसके लिए पूरे देश भर से कई आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं- जैसे कृषि के क्षेत्र में -

1. कितनी भूमि कृषि करने लायक है।
2. कितने लोगों के पास कितनी ज़मीन है।
3. कितनी ज़मीन सिंचित है कितनी असिंचित। फसल का कुल उत्पादन कितना है। कितनी ज़मीन पर सिंचाई हो सकती है।
4. हर एकड़ पर कितना उत्पादन होता है।
5. कितने लोग कृषि में काम करते हैं- रोज़गार कितना मिलता है, इनकी क्या समस्याएं हैं।
6. किसानों को सरकारी बीज, खाद, ऋण कितना उपलब्ध हो रहा है।

ऐसे ही बहुत सारे आँकड़े हर क्षेत्र के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। तुम सोच सकते हो कि पूरे देश से ये आंकड़े इकट्ठे करने के लिए कितने सारे लोगों की ज़रूरत होगी। इसके लिए कई राष्ट्रीय संगठन हैं- नैशनल सैम्पल सर्वे, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान आदि।

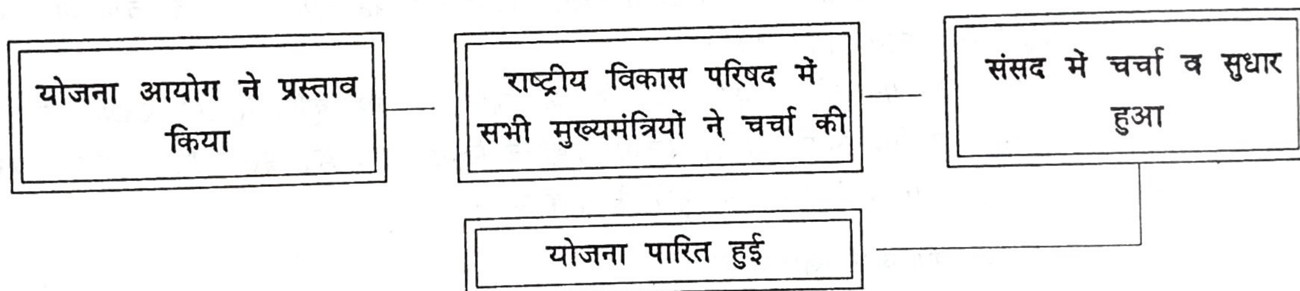
एक बार आंकड़े इकट्ठे हो जाएं तो समस्याएं ठोस रूप से सामने आती हैं- किन चीज़ों का उत्पादन कम है और उनकी कितनी कमी है? रोज़गार की कितनी कमी है? पीने का पानी कितनी जगहों पर नहीं है? बच्चे कितने हैं और स्कूलों की कितनी कमी है? ..... ऐसी बहुत सी समस्याएं स्पष्ट होती हैं। एक बार समस्याएं स्पष्ट हो जाएं तो पांच सालों के लिए योजना बनाने का काम शुरू होता है।

पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए एक आयोग है - योजना आयोग, जिसका गठन 1950 में हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री ही रहता है। योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता है जो योजना बनाने के पूरे काम को संचालित करता है। आयोग के कई सदस्य होते हैं- मंत्री, अर्थशास्त्री, इंजीनियर, दूसरे विशेषज्ञ, कुछ विभागों के सचिव आदि।

योजना बनाते समय योजना आयोग के सदस्यों में खूब बहस होती है। कृषि के विकास के लिए क्या उद्देश्य रखे जाएं- और उद्योग के विकास के लिए क्या उद्देश्य हों व इन्हें पूरा करने के तरीकों पर भी सब के अपने-अपने मत और विचार होते हैं।

इन सब बहसों के बाद योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव बनाती है। सभी प्रांतों के मुख्य मंत्रियों की एक समिति है - राष्ट्रीय विकास परिषद, जो पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर विचार और बहस करती है और संशोधन के सुझाव देती है।

इसके बाद संसद में योजना के प्रस्ताव पर विचार, चर्चा और संशोधन होते हैं। जब संसद योजना को पारित कर देती है तभी वह पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है।



स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक के लिए बनाई गई। उसके बाद 6 और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं और अब 8वी पंचवर्षीय योजना चल रही है।

ये योजनाएं इस प्रकार हैं-

1951-56	पहली पंचवर्षीय योजना	1956-61	दूसरी पंचवर्षीय योजना
1961-66	तीसरी पंचवर्षीय योजना	1966-69	तीन वार्षिक योजनाएं
1969-74	चौथी पंचवर्षीय योजना	1974-79	पांचवीं पंचवर्षीय योजना
1979-80	वार्षिक योजना	1980-85	छटवीं पंचवर्षीय योजना
1985-90	सातवीं पंचवर्षीय योजना	1990-92	वार्षिक योजनाएं
1992-97	आठवी पंचवर्षीय योजना		

इन योजनाओं में करोड़ों नहीं, हज़ारों करोड़ रुपए यानी अरबों रुपए खर्च होते हैं। पंचवर्षीय योजना पर खर्च करने के लिए सरकार को बहुत से पैसों की ज़रूरत होती है। ये पैसे सरकार टैक्स, उधार (देशी व विदेशी) आदि से पूरा करने की कोशिश करती है।

हर योजना के सभी उद्देश्य पूरे नहीं होते। कई कमियां रह जाती हैं। नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सरकार किस तरह हर क्षेत्र के लिए योजना बनाती है और उनमें क्या दिक्कतें आती हैं, ये हम अगले पाठों में कृषि, उद्योग व ग़रीबी दूर करने की विस्तृत योजनाओं के उदाहरणों से समझेंगे।

7

भारत सरकार की कृषि नीति

तुम्हारे क्षेत्र में-
फसलों के कौन-कौन से बीज बोए जाते हैं? उनमें से कौन से संकर और कौन से देशी बीज हैं ?
अपने क्षेत्र के संकर और देशी बीजों की इन बिन्दुओं पर तुलना करो—

- *फसल की अवधि*
- *कितनी बार सिंचाई*
- *उत्पादन*
- *खाद*
- *बीमारियां*
- *दवाएं*

भारत सरकार ने अपनी नई कृषि नीति में संकर बीजों से खेती पर बहुत ज़ोर दिया है। आओ इस पाठ में समझें कि नई कृषि नीति कब व कैसे बनाई गई।

स्वतंत्रता के बाद कृषि की समस्याएं

तुमने पढ़ा कि सरकार विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है। इन योजनाओं में सरकार कृषि नीति बनाती है। कृषि नीति बनाते समय सरकार को यह विचार करना पड़ता है कि खेती-किसानी व अनाज उत्पादन में क्या समस्याएं हैं? किसानों के क्या हालात हैं? इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए? जैसे-जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे सरकार को कृषि नीति भी बदलनी पड़ती है।

जब हमारा देश अंग्रेज़ शासन से आज़ाद हुआ तब हमारे अधिकांश किसानों के हालात बहुत बुरे थे। भारत के हर 100 लोगों में से लगभग 75 लोग कृषि पर निर्भर थे; पर इनमें आधे से अधिक लोगों के पास ज़मीन नही थी या दो एकड़ से कम ज़मीन थी। चंद बड़े ज़मींदारों के पास कुल खेतिहर भूमि का आधे से अधिक हिस्सा था। उत्पादन भी बहुत कम था। एक एकड़ में 2-3 बोरी अनाज से अधिक नही होता था। बहुत कम ज़मीन सिंचित थी। बहुत से ग़रीब किसान और मज़दूर भुखमरी और कुपोषण के शिकार थे। हर साल कही न कही सूखा पड़ता था या बाढ़ आती थी। ग़रीब किसानों के पास इतना अनाज नही रहता था कि वे ऐसे बुरे दिनों का सामना कर पाएं। अकाल में लाखों लोग भूख और बीमारी के शिकार हो जाते थे। राहत की व्यवस्था करने के लिए सरकार के पास अनाज का भंडार नही था। अनाज की कमी के कारण हमें विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ रहा था।

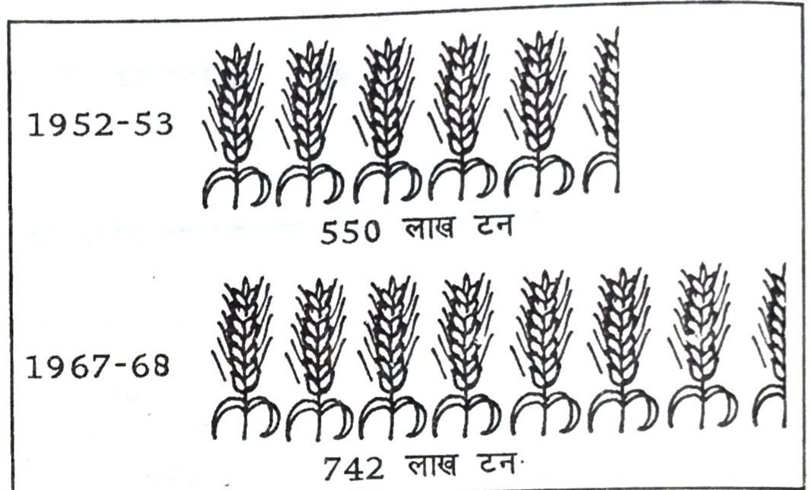
सरकार के सामने दो खास उद्देश्य थे। एक - अनाज उत्पादन बढ़ाना और बुरे समय के लिए भंडार भी बनाना। दूसरा - ग़रीब किसानों और मज़दूरों को जीवन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना ताकि वे भुखमरी का शिकार न बने।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1950-1965 के बीच सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे :

1. सिंचाई और बिजली के लिए बड़े-बड़े बांध बनाए, जैसे भाखड़ा नंगल (पंजाब), दामोदर घाटी (प. बंगाल), हीराकुड (उड़ीसा), नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश), गांधीसागर (मध्य प्रदेश)
2. रासायनिक खाद के कारखाने खोले। किसानों तक खाद पहुंचाने के लिए गांवों में सहकारी समितियां बनाईं।
3. कृषि अनुसंधान केन्द्र और विश्वविद्यालय खोले।

इन प्रयासों के कारण पहले से ज़्यादा ज़मीन की सिंचाई हो पाई एवं अधिक ज़मीन पर खेती होने लगी। नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में अनाज का उत्पादन बढ़ने लगा।

चित्र में अनाज की एक बाली से कितने लाख टन अनाज दिखाया गया है?



अनाज का उत्पादन बढ़ा

इतना सब होने पर भी कमी पड़ रही थी। दूसरे देशों से जो अनाज मंगाना पड़ता था, उसकी मात्रा बढ़ती गई। हमारे पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो हमने दूसरे देशों से खासकर, अमरीका से अनाज उधार लेना शुरू किया।

खेती	सिंचाई
1966 में 3405 लाख एकड़	1966 में 658 लाख एकड़
1951 में 2967 लाख एकड़	1951 में 523 लाख एकड़
कितना बढ़ा?	

नई कृषि नीति अपनाने का दबाव

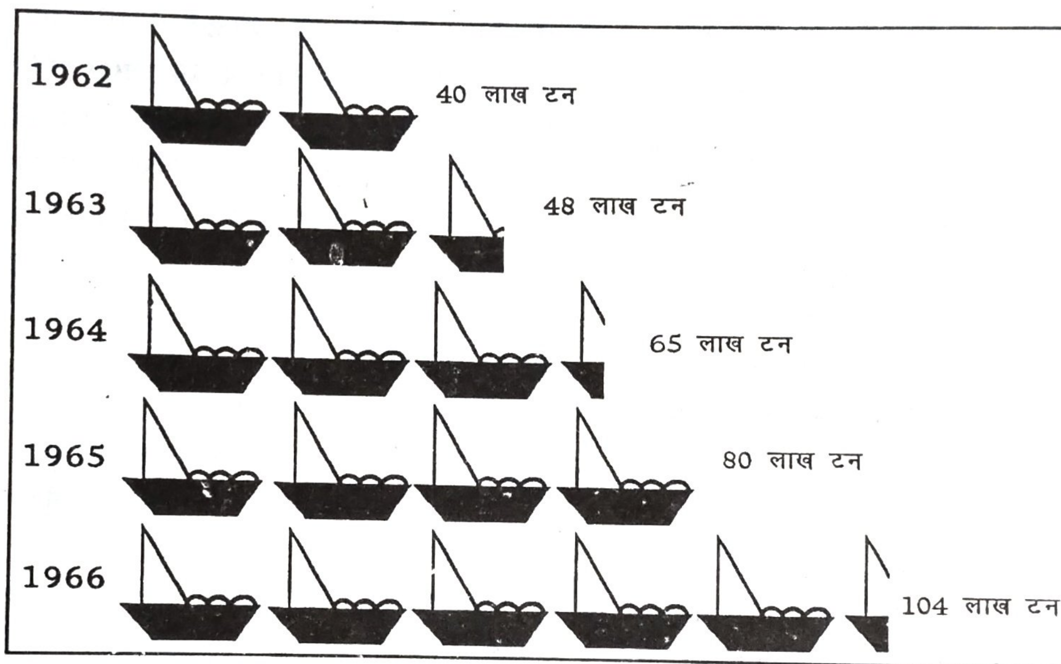
हमारे नेता और विशेषज्ञ चिन्तित थे कि हमें उधार पर बहुत सा अनाज आयात करना पड़ रहा था। हमारे देश की हालत साहूकार से उधार लेने वाले किसान जैसी होने लगी थी। जिन देशों से हम अनाज उधार लेते थे, वे हमारे ऊपर दबाव डालने लगे और अपनी बात हमसे मनवाने की कोशिश करने लगे।

अमीर देशों के नेता हम से पूछते कि आप उधार मांगने क्यों आते हैं? आप अपने देश में अनाज का उत्पादन और क्यों नहीं बढ़ाते? वे इस बात का दबाव डालने लगे कि हम उन्हीं तरीकों से खेती करने लगें जो उनके यहां अपनाए जा रहे थे। उनके विशेषज्ञों ने ऐसे बीज बनाए थे जो एक एकड़ सिंचित ज़मीन पर 15-20 बोरे अनाज तक पैदा कर सकते थे। वे यह मांग करने लगे कि हम भारत में भी इन्हीं बीजों से खेती करें। उनका कहना था कि भारत में पहले से सिंचाई वाली ज़मीन पर नए बीजों का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। फिर धीरे-धीरे सभी इलाकों में सिंचाई फैला कर सभी जगह नए बीजों का इस्तेमाल होना चाहिए।

पर समस्या यह थी कि नए बीजों के लिए काफी ज्यादा रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत थी जो भारत में तब बहुत कम बनती थी। दूसरी समस्या यह थी कि नए बीजों की फसलों में बीमारियां ज़्यादा आसानी से लगती थीं। उनके लिए कीटनाशक दवा का ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी था। ये दवाएं भी तब भारत में कम ही बनती थीं।

अमीर देश चाहते थे कि भारत रासायनिक खाद व दवाएं उनके यहां से खरीद ले और उनके उद्योगपतियों को इजाज़त दे तो वे भारत में ही खाद व दवा के कारखाने डाल लें।

भारतीय नेता बड़ी दुविधा में थे। अभी तक विदेशों



अनाज का बढ़ता आयात

से अनाज ही खरीद रहे थे। अब खाद-दवा भी खरीदनी पड़े तो पैसों की ज़रूरत होगी। पैसे नहीं हैं तो फिर वही उधार लेने का सिलसिला चलेगा। इस तरह भारत अमीर देशों पर निर्भर बना रहेगा और आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। जबकि, स्वतंत्रता के बाद भारत यह चाहता था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाए।

एक तरफ यह भी सच था कि नए बीजों से पैदावार बहुत बढ़ जाएगी और भारत जल्दी ही अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा। धीरे-धीरे दवा और खाद के कारखाने भारत में ही लगाए जा सकते थे। इन सब बातों पर बहुत चर्चा और बहस हुई। दूसरी तरफ, अमीर देशों की सरकारें अनाज उधार देने में आनाकानी करने लगीं थीं। ऐसे में देश में अनाज का उत्पादन जल्दी से बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया था।

सन् 1965-66 की बात है। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। उस साल वर्षा भी बहुत कम हुई थी, और देश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। अनाज की बहुत कमी थी और सब जगह अकाल मंडरा रहा था। ऐसी संकट की हालत में भी जिन देशों से हम उधार लेते थे वे आनाकानी करने लगे। उनकी सरकार ने भारत भेजे जा रहे अनाज के जहाजों को रोक लिया ताकि वे अपनी बात मनवा सकें।

चित्र में एक पूरे जहाज से कितने लाख टन अनाज दिखाया गया है ?
1966 में छठवें जहाज का जो थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है उससे कितने लाख टन अनाज दर्शाया गया है ?
भारतीय नेताओं के सामने क्या दुविधा थी ?

नई कृषि नीति (हरित क्रांति)

सन् 1966-67 में भारत सरकार ने नई कृषि नीति का ऐलान किया। यह नीति मुख्य रूप से नए किस्म के संकर बीजों के प्रसार से संबंधित थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मेक्सिको देश में शोध कार्य करके गेहूं के नए बीज विकसित किये थे। धान के नए बीज फिलिप्पाईंस देश में विकसित किए गए थे। इनकी क्या खासियत है? इनको उगाने के लिये क्या-क्या चाहिए होता है?

नए बीज कम समय में पकते हैं, अनाज की पैदावार बहुत अधिक और फसल छोटे कद की होती है। इन

बीजों के लिए पर्याप्त सिंचाई, रसायनिक खाद और दवा की ज़रूरत होती है।

मगर इन सबको किसान लायेगा कहां से? हर चीज़ बाज़ार से मोल लेना पड़ेगी। पहले तो बीज, खाद सब कुछ का प्रबंध किसान खुद कर लेता था।

अब तो खेती बाज़ार से खरीदे सामान पर निर्भर हो गई है। किसानों के पास इतना पैसा कहां रहता है कि किसानी की हर चीज़ बाज़ार से इतने ऊंचे दामों में खरीदें। इसलिये सरकार ने बैंकों से किसानों को कम ब्याज पर आसानी से लोन देने का प्रबंध किया।

सरकार किसानों को कम ब्याज पर ऋण देती है। फसल कटते ही किसान को ऋण लौटाना पड़ता है। ये बातें तुमने कक्षा 6 के पाठ 'किसान और मज़दूर' में समझी हैं। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार ने मोटर पंप के लिए कम ब्याज पर ऋण देने का प्रबंध भी किया। पर ये मोटर पंप चलें कैसे? इसके लिए बिजली या डीज़ल की ज़रूरत थी। इसकी व्यवस्था करना भी सरकार की ज़िम्मेदारी थी।

नई खेती का मतलब यह हुआ कि किसान को अपनी अधिकांश उपज बेचनी पड़ती है ताकि उस पैसे से खाद आदि खरीद सके व लोन लौटा सके।

इतनी कीमती लागत लगाकर किसान ने अनाज उगाया तो उसे उसका सही दाम तो मिलना चाहिए। मगर जब फसल कटने के बाद किसान अनाज बेचने जाये तो दाम बहुत कम होता है। इस कारण सरकार ने कहा वह उचित (ऊंचे) दामों पर किसानों से अनाज खरीदेगी। किसान बेफिकर होकर अनाज उगाएं। किसानों से उचित दाम पर अनाज खरीदने के लिए **भारतीय खाद्य निगम** बना।

समर्थन मूल्य : हर साल सरकार हर अनाज का न्यूनतम भाव (समर्थन मूल्य) घोषित करती है। समर्थन मूल्य का अर्थ है इस कीमत में किसान जितना अनाज बेचना चाहेगा उतना अनाज सरकार खरीदेगी। इस कारण से अब व्यापारी कम दाम पर अनाज बेचने के लिये किसानों को मजबूर नही कर सकते। भारतीय खाद्य निगम सरकार की तरफ से खरीदी करता है। हर साल यह निगम लाखों टन अनाज खरीदता है।

तो फिर संक्षेप में देखें सरकार को नई कृषि नीति में क्या-क्या करना पड़ा।

- बीज, खाद, दवा का प्रबंध।
- बैंक से लोन का प्रबंध।
- भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दामों पर खरीदी।
- सिंचाई के लिए मोटर पंप, बिजली, डीज़ल आदि का प्रबंध।

नई कृषि नीति कहां-कहां लागू की गई ?

शुरू में इस नीति को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तरप्रदेश और तमिलनाडु के कुछ ज़िलों में शुरू किया गया। इन्ही इलाकों में पहले से सिंचाई का प्रबंध था। नए बीज के लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी जो थी।



पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में गेहूं और तमिलनाडु में धान पर जोर रहा। बाद में पंजाब में भी धान उगाया जाने लगा। आजकल इस नीति को एक एक करके सारे सिंचित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। सिंचाई भी फैलाई जा रही है।

नई कृषि नीति में अपनाए गए संकर बीजों की क्या ज़रूरत थी?

नई कृषि नीति किन क्षेत्रों में अपनाई जा सकती थी?

किसान को नई कृषि नीति का तरीका अपनाने के लिये पैसों की जरूरत क्यों पड़ी?

सरकार ने नई कृषि नीति अपनाने के लिये क्या प्रबंध किए?

भारतीय खाद्य निगम का क्या कार्य है?

नई कृषि नीति से क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हुआ?

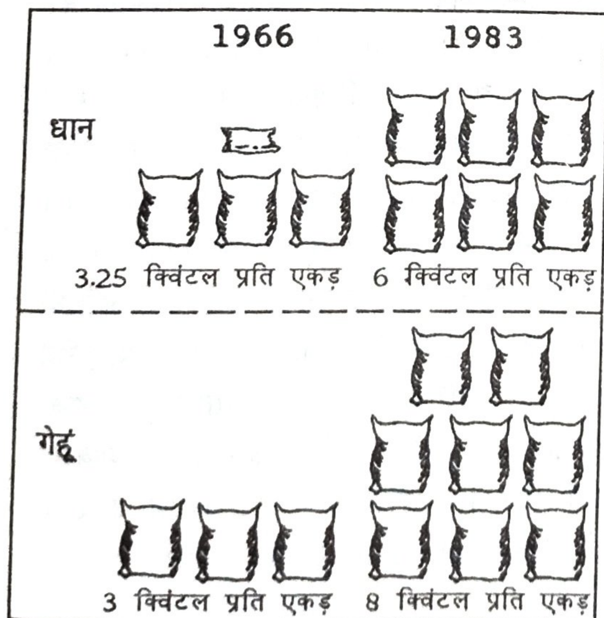
नए बीजों से अनाज का उत्पादन बढ़ा। गेहूं में यह उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा, परंतु दूसरी फसलों में उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। जैसे कि तुमने पढ़ा, नई कृषि नीति के लिए सभी प्रकार के प्रबंध ज़रूरी हैं। यदि इन प्रबंधों में कमी आती है या कई चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो उत्पादन पर बुरा असर होता है। इस कारण गेहूं का उत्पादन भी केवल उन इलाकों में अधिक बढ़ा जहां सभी प्रकार के प्रबंध हो पाए।

उत्पादन बढ़ने के कारण अब हमें विदेशों से अनाज आयात करने की ज़रूरत नही रही। जो अनाज हम विदेशों से खरीदते थे उसकी मात्रा बहुत घट गई। संकट की स्थितियों का सामना करने के लिये सरकार के पास अनाज का बड़ा भंडार बन गया। 1967 में सरकार के भंडार में केवल 19 लाख टन अनाज था, 1987 में बढ़कर 127 लाख टन हो गया। हम अनाज के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गये।

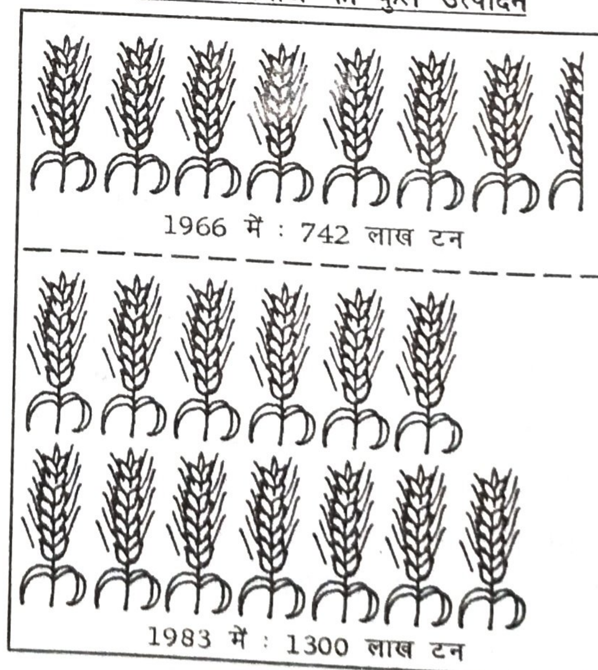
पर इस नीति से कई समस्याएं हल नही हुई।

नई कृषि नीति के तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई ज़रूरी है। जहां-जहां सिंचाई फैली है, नहर, पंप या कुंओं से, वही उत्पादन बढ़ पाया है।

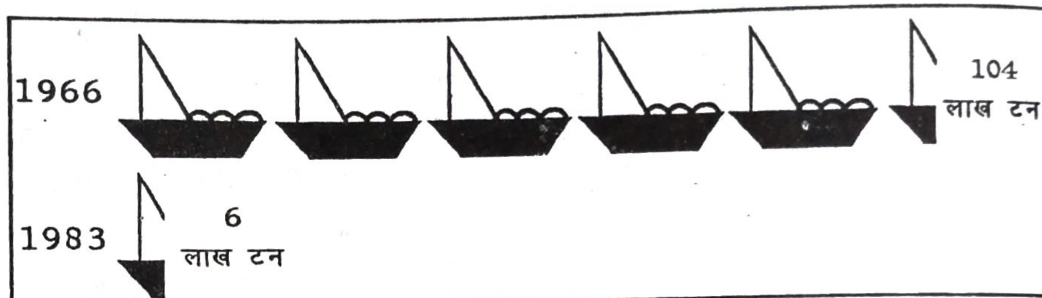
प्रति एकड़ उत्पादन : धान और गेहूं



देश में अनाज का कुल उत्पादन



सूखे क्षेत्रों में उत्पादन नही बढ़ा। 1965 में केवल 20% ज़मीन पर सिंचाई होती थी।



अनाज का आयात

1977-78 तक लगभग 24% यानी 1/4 हिस्से को सिंचित किया गया।

1984-85 तक 30% यानी लगभग एक तिहाई हिस्से को सिंचित किया गया। दो तिहाई हिस्सा अब भी सूखा है।

शायद कोई सोचे कि इसमें क्या दिक्कत है? सभी जगह सिंचाई बढ़ा दो तो सब की उन्नति हो जाएगी। एक समस्या यह है कि हमारे देश में जितनी खेती लायक भूमि है उस का 55% यानी आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा ही सिंचित किया जा सकता है। बाकी भूमि पर सिंचाई करना बहुत कठिन और बहुत ही ज़्यादा महंगा काम होगा। इसलिये सरकार को सूखी खेती बेहतर बनाने के तरीके भी सोचने होंगे। बंजर भूमि को खेती लायक बनाने के प्रयास करने होंगे। तभी पूरे देश में अनाज का उत्पादन बढ़ सकता है।

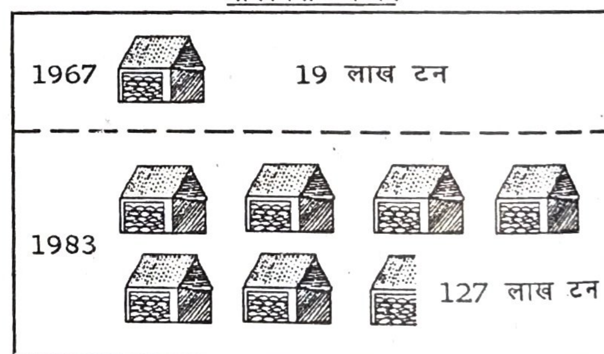
तुमने भूगोल के पाठों में सिंचाई के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है।

चर्चा करो कि भारत की बहुत सी ज़मीन पर सिंचाई किन-किन कारणों से नहीं हो सकती।

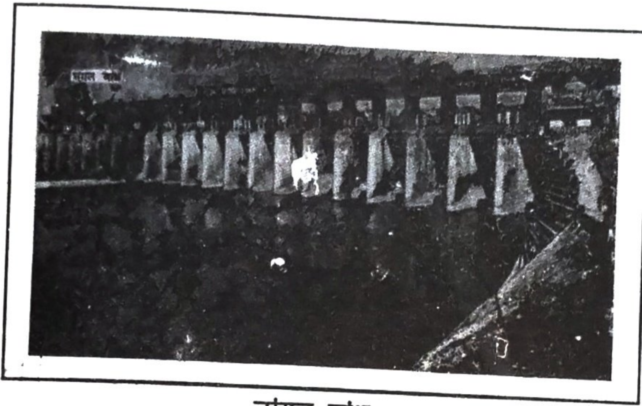
सूखे इलाकों में खेती के विकास के लिए सिंचाई को छोड़कर और क्या-क्या किया जाना चाहिए- इस पर भी चर्चा करो।

नई कृषि नीति के साथ और भी कई समस्यायें हैं। तुमने देखा कि नई कृषि नीति के लिए कई प्रकार के प्रबंध करना ज़रूरी हो गया। सिंचाई, बिजली, खाद व डीज़ल के लिए खनिज तेल, बैंक से ऋण आदि। यह सब सुचारु रूप से हो यह आसान नहीं था। कई नई समस्यायें सामने आईं, जैसे - खनिज तेल की कमी, बिजली उत्पादन की कमी, सिंचाई योजनाओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाना आदि।

सरकारी भंडार



नई कृषि नीति से छोटे और मध्यम किसानों को कम लाभ ही मिल पाया। यह महत्वपूर्ण कमी रही क्योंकि इस देश में ऐसे किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं। नए बीज, खाद का उपयोग कोई भी कर सकता है, फिर छोटे और मध्यम किसानों के साथ क्या दिक्कतें थीं? जैसे तुमने पहले पढ़ा था इस नई खेती का उपयोग करने के लिए बाज़ार से कई चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। इन किसानों के पास खरीदी के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी ऋण भी इन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाया। सिंचाई के लिए मोटर पंप की व्यवस्था करना इनके लिए कठिन था। इन कारणों से इनके खेतों में उत्पादन बहुत नहीं बढ़ पाया।



नांगल बांध



रसायनिक खाद का एक कारखाना

अभ्यास के प्रश्न

1. स्वतंत्रता के बाद भारत की खेती में क्या-क्या समस्याएं थीं तीन चार वाक्यों में लिखो।
2. 1968 तक अनाज के उत्पादन की समस्या कितनी हल हो गई और कितनी बनी हुई थी ?
3. नए बीजों की खेती से कौन सी समस्याएं हल हुईं और कौन सी बनी हुई हैं?
4. सोच कर बताओ कि नई कृषि नीति को हरित क्रांति क्यों कहा गया है?
5. खेती के लिए सरकार कई चीज़ों का प्रबंध करती है। तुम अपने आसपास ये प्रबंध देखते हो। इनकी एक सूची बनाओ। इससे किसानों को क्या फायदा हुआ?
6. सरकार तो कोई व्यापारी नहीं है। फिर वह किसानों से लाखों टन अनाज क्यों खरीदती है?
7. यदि बैंक से लोन का प्रबंध नहीं हो पाए तो इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

8

बुनियादी उद्योग की नीति



औद्योगीकरण की ज़रूरत

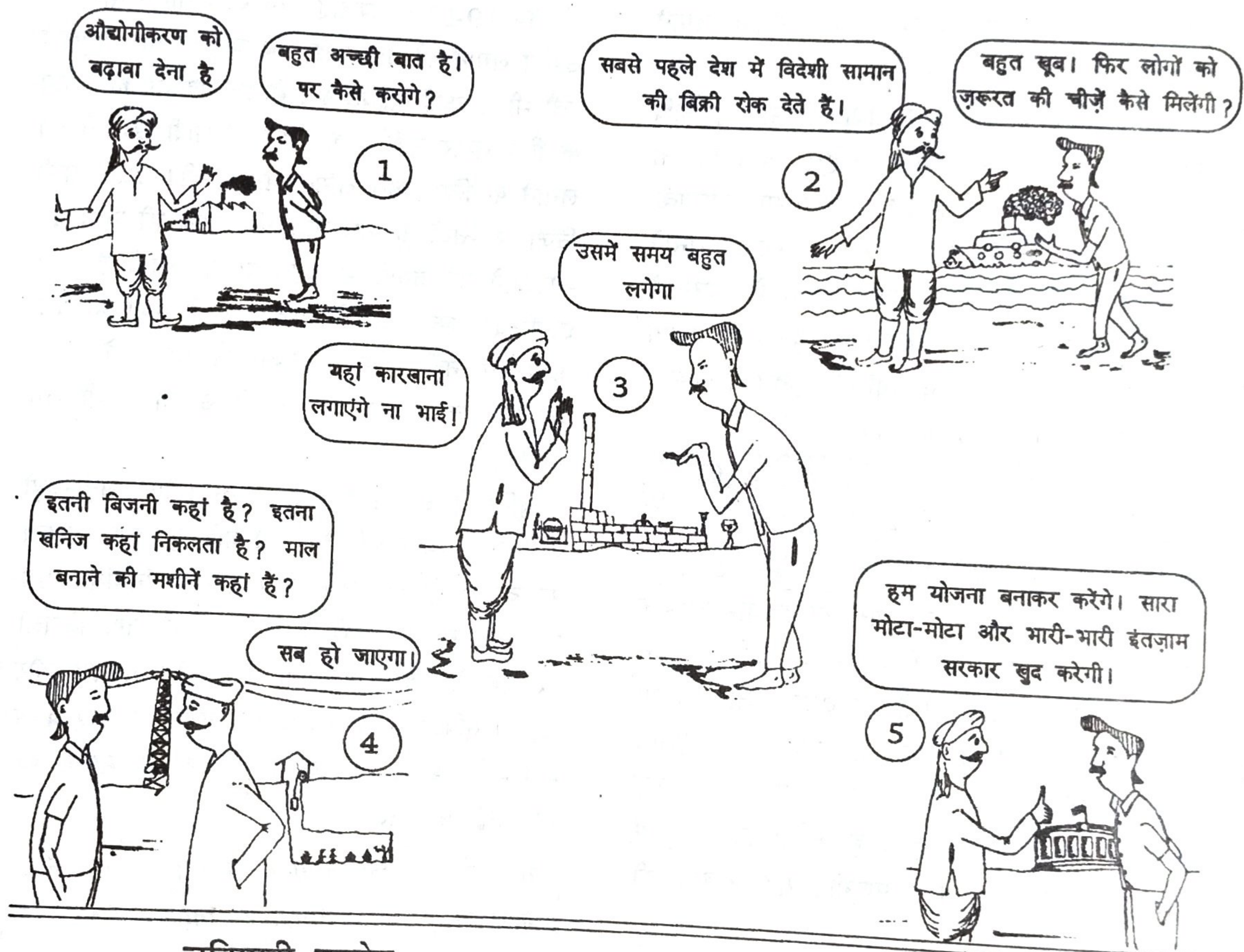
जैसा कि तुम ने इतिहास के पाठ में पढ़ा, अंग्रेज़ सरकार ने भारतीय उद्योगों को विशेष बढ़ावा नही दिया था। फिर भी स्वतंत्रता के समय तक कई उद्योग लग चुके थे। कपड़ा मिलों के लगने की कहानी तुमने पढ़ी। परंतु देश के लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इतने कारखाने पर्याप्त नही थे। आज़ादी के समय बहुत सारा सामान बाहर से आयात होता था—बड़ी-बड़ी मशीनों से लेकर आलपिन तक।

स्वतंत्रता के बाद देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमे औद्योगीकरण पर ज़ोर दिया गया। औद्योगीकरण का मतलब है बहुत सारी अलग-अलग तरह की चीज़ें बनाने के कारखानों का लगाया जाना।

इस औद्योगीकरण का एक लक्ष्य यह भी था कि उद्योगों से प्राप्त सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में ही होना चाहिए और बाहर के देशों से इतना सारा सामान आयात करने की आवश्यकता नही होनी चाहिए। देश के उद्योगपति भी चाहते थे कि उनके कारखानों में बना माल देश के बाज़ारों मे बिके। बाहर से आने वाले सामान पर रोक लगाई जाए ताकि यहां के कारखाने पनप सकें। इसी बात पर वे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे।

स्वतंत्रता के बाद भारत के नेताओं को लग रहा था कि ग़रीबी की समस्या दूर करने के लिए ज़रूरी है कि सभी लोगों को कोई न कोई जीविका का साधन उपलब्ध हो पाए। उनके पास अधिक अनाज, कपड़ा और अन्य सुविधाएं खरीदने के लिए पैसे हों।

मुख्य जीविका का साधन कृषि था, परंतु कृषि के क्षेत्र में बहुत लोग थे और ज़मीन कम थी। दूसरी तरफ ज़मीन का बंटवारा बहुत ही असमान था। यानी बहुत से लोगों के पास कम और कुछ लोगों के पास बहुत ही अधिक ज़मीन थी। उस समय लोगो ने सोचा कि उद्योग लग जाने पर बहुत से लोगों को जीविका का साधन मिल पाएगा। उन्हें कारखानों मे नौकरियां मिल जाने पर कृषि पर निर्भर नही होना पड़ेगा। इस प्रकार औद्योगीकरण की ज़रूरत कई कारणों से महसूस हो रही थी।



बुनियादी उद्योग

जब सरकार ने विकास के लिए योजना बनाना शुरू किया तो यह निश्चय किया गया कि देश में उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। पर यह कैसे हो? यदि देश में कारखाने लगाने हैं तो उसके लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं?

कोई भी कारखाना लगाने के लिए मशीनों या यंत्रों की ज़रूरत है। कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा मशीनों की ज़रूरत है, सीमेंट बनाने के लिए अलग मशीनें चाहिए, तेल निकालने के लिए अलग यंत्र चाहिए। मशीन या यंत्र चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी।

कारखानों के लिए कच्चा माल भी चाहिए जिससे चीज़ों का निर्माण हो सके। अधिकतर, यह कच्चा माल खनिज के रूप में प्राप्त होता है। जैसे साइकिल बनाने के लिए इस्पात चाहिए जो कि लौह अयस्क और कोयले से बनता है। इसी तरह कई प्रकार के खनिज कारखानों में काम आते हैं।

कारखानो मे बने सामान और कारखानो के लिए कच्चा माल लाने ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए यातायात के साधन (परिवहन) की आवश्यकता होती है। ट्रक, रेल और समुद्री जहाज़ यातायात के साधन हैं। यानी औद्योगीकरण के लिए कुछ बुनियादी ज़रूरतें है, जैसे मशीन, बिजली, खनिज

और यातायात के साधन। ये चीज़ें कारखाने लगाने की नीव हैं।

मशीन, बिजली, खनिज, यातायात के साधन, आदि को बनाने के लिए भी उद्योग चाहिए। जैसे बिजली बनाने के अलग कारखाने होते हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए खदानें होती हैं, रेल का सामान बनाने के कारखाने होते हैं, और मशीन बनाने के कारखाने होते हैं। इस तरह के कारखानों को बुनियादी उद्योग कहा जाता है क्योंकि ये उद्योगों की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें बनाने के उद्योग हैं।

बुनियादी शब्द का क्या अर्थ होता है? गुरुजी के साथ चर्चा करो।

उद्योग के लिए बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं?

इन बुनियादी चीज़ों के उद्योग का इंतज़ाम सरकार ने किया। सरकार ने तय किया कि वह ऐसे कारखाने खोलेगी जहां इन सब चीज़ों को बनाया जा सके या उनकी व्यवस्था की जा सके। इन चीज़ों का इंतजाम करने पर लोग दूसरे कारखाने डाल पाएंगे। इस तरह बुनियादी उद्योग का इंतज़ाम करके सरकार देश में औद्योगीकरण को बढ़ावा दे पाएगी। यह सरकार की नीति थी।

रेल के डिब्बे बनाना और मोटर गाड़ी बनाना- इन में से बुनियादी उद्योग कौन सा है और क्यों?

बुनियादी उद्योग कौन लगाए - सरकार या निजी व्यक्ति (प्राइवेट)

अभी तक हमने पढ़ा कि सरकार ने आज़ादी के बाद बुनियादी उद्योग लगाना तय किया ताकि आगे चल कर देश में बहुत से कारखाने लग पाएं। बुनियादी उद्योग लगाना ज़रूरी था। परन्तु यह काम सरकार को क्यों करना पड़ा था - वह क्यों करना चाहती थी ?

जब 1947 के पश्चात् सरकार के सामने बुनियादी उद्योग लगाने की बात आई, तब यदि सरकार अनुमति देती भी तो कोई प्राइवेट रूप से इन उद्योगों को लगाने के लिए तैयार नहीं होता। इन बुनियादी उद्योगों को लगाने के लिए बहुत लागत चाहिए थी। इतनी पूंजी निजी व्यक्तियों के पास नहीं थी। साथ ही साथ इन कारखानों को बनाने में बहुत समय लगता है और इतनी देर तक कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी या पैसा फंसा कर नहीं रखेगा। सरकार ने सोचा कि अगर वह स्वयं लगाए तो ये बुनियादी उद्योग जल्दी लग सकते हैं।

बुनियादी उद्योगों के लिए भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें एक साथ ज़रूरी हैं। जैसे यदि एक ताप बिजली घर बनाना है तो उसके लिए कोयला नियमित रूप से मिलते रहना ज़रूरी है। कोयले को ताप बिजली घर तक रेल द्वारा पहुंचाना पड़ता है। कोयले और रेल की सुविधा के अलावा बिजली बनाने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है- ये मशीनें बड़े कारखानों में बनती हैं।

यदि बिजली का उत्पादन बढ़ाना हो तो और किन चीज़ों का उत्पादन बढ़ाना होगा?

यदि रेल प्राइवेट कंपनी चला रही हो और वह बिजली घर को कोयला भेजने के लिए रेलगाड़ी न दे तो बिजली कारखाने पर क्या असर पड़ेगा?

इस तरह हमने देखा कि सभी बुनियादी उद्योग एक दूसरे से जुड़े हैं- एक के चलने में कुछ कमी हुई तो दूसरे सभी बुनियादी उद्योगों में दिक्कतें आने लगती हैं। सभी बुनियादी उद्योग सुचारु रूप से चलते रहें, इसलिए सरकार ने खदान, भारी मशीन, इस्पात, बिजली, रेल, जैसे सभी बुनियादी उद्योगों का संचालन अपने हाथ में लेना ज़रूरी समझा।



हमने देखा कि बुनियादी उद्योग किस तरह एक दूसरे से संबंधित हैं और बाकी सभी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए इन उद्योगों में बनी वस्तुओं के दाम और उनके उत्पादन से बाकी सभी चीज़ों के दाम और उत्पादन पर असर पड़ता है। तुमने टैक्स के पाठ में देखा था कि कैसे खनिज तेल के भाव बढ़ने से कई वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। यदि खनिज तेल, बिजली, इस्पात, जैसी बुनियादी चीज़ें प्राइवेट कारखानों में तैयार हों तो उद्योगपति अधिक मुनाफा कमाने के लिए ये चीज़ें मनचाहे दामों पर बेच सकते हैं। सरकार कानून बना कर निजी कारखानों पर नियंत्रण तो कर सकती है, परन्तु यदि वह खुद इन चीज़ों का उत्पादन करे तो वह ज़्यादा आसानी से इन वस्तुओं के दाम नियंत्रण में रख सकती है। इन सभी बातों के कारण उस समय की सरकार ने सभी बुनियादी उद्योग अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया था।

सरकार ने स्वयं बुनियादी उद्योग चलाने का निर्णय क्यों लिया? चार कारण बताओ।

सरकार ने बुनियादी उद्योग स्थापित किए

सरकार ने योजनाएं बनाना तय किया। इन योजनाओं में कौन-कौन से कारखाने लगाए जाएंगे - उसके लिए विस्तार से सोच कर कदम उठाए।

मशीन व यंत्र

मशीन बनाने के लिए कारखाने चाहिए थे। सरकार ने मशीनें बनाने के कई कारखाने स्थापित किए। जैसे भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) का कारखाना बनाया गया। इस कारखाने में कई तरह की बिजली की भारी मशीनें बनाई जाती हैं। कुछ मशीनें बिजली उत्पादन के काम में आती हैं और कुछ बिजली वितरण के काम में आती हैं। इसी प्रकार मशीनें बनाने के लिए कई दूसरे कारखाने भी लगाए गए।

क्या मशीन बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत होती है? चर्चा करो।

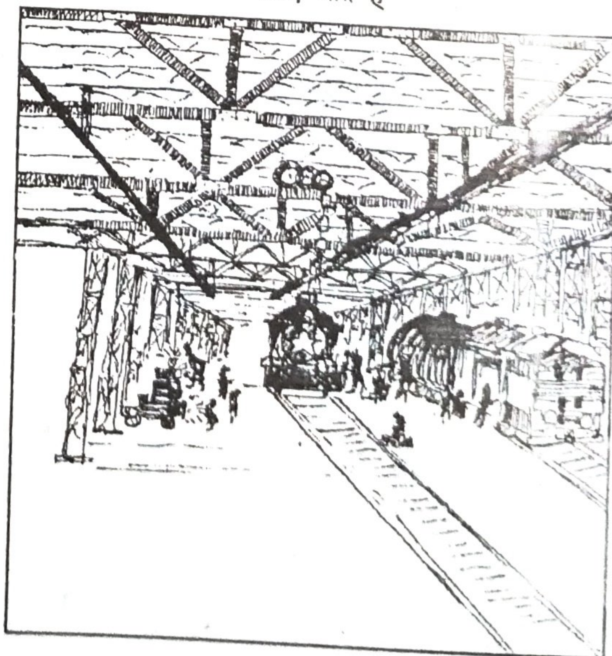
बिजली

बिजली बनाने के कई तरीके हैं जिसमें से दो मुख्य प्रकार के बिजली घर हैं- ताप बिजली और पन बिजली घर। हमारे देश में दोनों तरीकों के बिजली घर लगाए गए। इसके लिए सरकार को कई इंतज़ाम करने पड़े। जैसे कि ताप बिजली घर तक कोयला पहुंचाना। खदान से कोयला निकालकर उसे मालगाड़ी में लादकर ताप बिजली घर तक भेजना होता है। यह पूरी प्रक्रिया सरकार कर रही है।

देश में बिजली का उत्पादन 1950 की तुलना में तीस गुना बढ़ा है। बिजली के उत्पादन के लिए सरकार ने कई कारखाने लगाए जिसका एक उदाहरण तुम यहां दिए गए चित्रों में देख सकते हो।

कारखानों के लिए बिजली की ज़रूरत बुनियादी कैसे है, समझाओ।

यह चित्तरंजन लोकोमोटिव्स कारखाना है। यहां रेल के इंजन बनाए जाते हैं



खनिज

सरकार ने खनिज को उपयोगी बनाने के लिए दो तरह के काम किए। एक तो खनिज निकालने की व्यवस्था करना और दूसरा उसको साफ करना यानी उसे उपयोगी बनाना।

सरकार ने अलग-अलग खनिजों के उत्खनन के लिए कई खदानें खोली और पुरानी खदानों की व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। सरकार ही अब खनिज निकालकर बेचती है।

बिजली उत्पादन का उपयोग

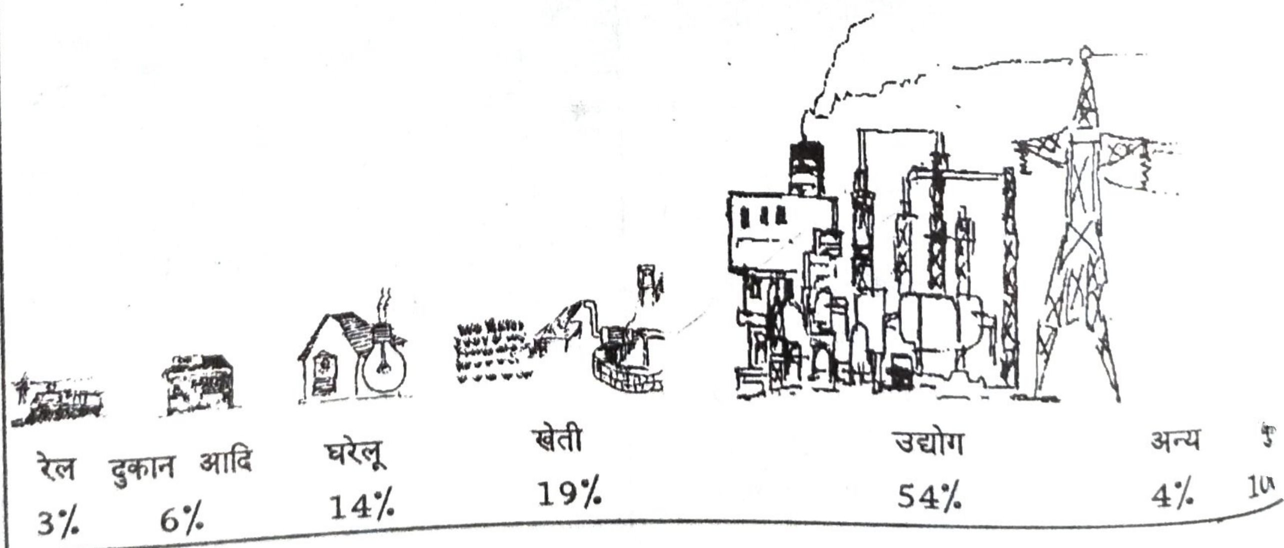
नीचे दी गई तालिका में यह बताया गया है कि 1985-86 में देश में जितनी बिजली बनी, उसका कितना प्रतिशत घरों में जलाया गया, कितना प्रतिशत दुकानों या दफ्तरों में जलाया गया और कितना प्रतिशत खेती व कितना उद्योगों में उपयोग हुआ।

किन दो क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बिजली का उपयोग होता है? इन क्षेत्रों में बिजली से क्या-क्या किया जाता है?

तुमने भूगोल के पाठ में पढ़ा था कि भारत में खनिज कहां-कहां उपलब्ध हैं। इन खनिजों को निकालने के लिए सरकार खदानें चला रही है। खनिजों को निकालने के बाद साफ करना ज़रूरी होता है ताकि कारखानों में इनका इस्तेमाल आसानी से हो सके। सरकार खनिज साफ करने के कारखाने भी चलाती है। टैक्स के पाठ में देखो कि खनिज तेल साफ करके उसका कहां-कहां उपयोग किया जाता है।

एक महत्वपूर्ण खनिज है लौह अयस्क। इसे साफ कर के बनाया गया लोहा स्टील कारखानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल है। लोहा निकालने और स्टील बनाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। भारत के जिन इलाकों में कच्चा लोहा मिलता है वहां सरकार ने इस्पात बनाने के कई कारखाने लगाए हैं, जैसे भिलाई, बोकारो व राउरकेला के स्टील कारखाने। इन कारखानों में बनने वाले इस्पात का उपयोग दूसरे बहुत सारे कारखानों में होता है जहां इस्पात की हज़ारों चीज़ें तैयार की जाती हैं।

अपनी जानकारी के आधार पर बताओ लोहे का उपयोग कहां-कहां किया जाता है?



यातायात (परिवहन)

मशीन, बिजली, खनिज के साथ-साथ यातायात के साधन भी बुनियादी ज़रूरत है। यातायात के साधन बढ़ाने के लिए तीन प्रकार के काम किए गए। पहला तो, सड़क मार्ग बनाए गए। दूसरा सरकार ने रेल मार्ग भी बढ़ाए। रेल द्वारा ले जाया गया सामान बहुत बढ़ा है जैसे तुम ऊपर दिए गए चित्र में देख सकते हो। तीसरा, सरकार ने कई बंदरगाहों का विकास किया। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता तो मुख्य बंदरगाह थे। इनके अलावा सरकार ने समुद्र तट पर कई जगहों पर बंदरगाह बनाए, जैसे कांडला, पराद्वीप व हलदिया।

ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार रेल द्वारा ले जाया गया सामान कितने गुना बढ़ा है? समुद्री जहाज़ों पर चढ़ाया गया माल कितने गुना बढ़ा है?

पता करो कि ट्रक से सामान ले जाना या रेल से - इन दोनों में से कौन-सा सस्ता है?

यातायात के साधन कारखानों के लिए क्यों ज़रूरी हैं?

यातायात के साधन बढ़े

सड़क मार्ग बढ़ाड गए



1950 - 1,34,000 कि.मी. सड़क मार्ग बन चुके थे



1982 - 2,61,000 कि.मी. सड़क मार्ग थे

प्रमुख बंदरगाहों पर जहाज़ों पर चढ़ाया गया माल

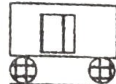


1950 200 लाख टन माल लदता था

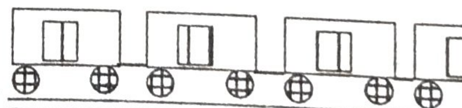


1985 1000 लाख टल माल लदता था

रेल द्वारा ले जाया गया माल



1950 30 लाख लादे गए रेल के डिब्बे



1985 100 लाख लादे गए रेल के डिब्बे

बुनियादी उद्योगों की समस्याएं

बुनियादी उद्योग लग जाने के कारण अन्य कारखाने लगाने में सुविधा हुई। बहुत से कारखाने लगे। परंतु बुनियादी उद्योगों के साथ कई समस्याएं बनी रहीं। जब ये बुनियादी उद्योग के कारखाने लगे थे तब इनसे बहुत उम्मीदें की गई थी। यह कल्पना थी कि इन बुनियादी कारखानों से होने वाली कमाई से और अधिक बुनियादी उद्योग लग पाएंगे। इस प्रकार मुनाफे का लाभदायक उपयोग हो पाएगा।

अधिक कारखाने लगाने की बात तो दूर रही इन बुनियादी उद्योगों में अपने सुधार के लिए भी पैसे नही है। सभी कारखानों को अपनी मशीनें सुधारने और बदलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बुनियादी उद्योगों के पास इस काम के लिए भी पैसे नही बच पाए। जैसे कि रेलवे की कई लाइनों की पटरियां बहुत

पुरानी हो गई हैं परंतु उन्हें बदलने के लिए पैसे नही हैं। आज भी 10,000 कि.मी. की ऐसी पुरानी पटरियां और रेलें हैं, जिन्हें बदलना बाकी है।

बुनियादी उद्योग की एक और कमी है, लागत के हिसाब से उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाना। मानो किसी मशीन बनाने के कारखाने में हर महीने 50 मशीनें बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। परंतु वह कारखाना हर महीने केवल 25 मशीनें बना रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उस कारखाने में 25 मशीनों के उत्पादन के लिए लगी लागत बेकार हो रही है। यह बेकार हो रही लागत ठीक उसी तरह है जैसे किसी ने आटे की चक्की लगाई हो पर महीने में पंद्रह दिन उसे बंद रखता हो।

बुनियादी उद्योग में पैसे नहीं बच पाने से क्या कोई नुकसान हो रहा है ?

इस उद्योग नीति के कुछ परिणाम

आज की स्थिति की तुलना जब हम आज़ादी के समय के साथ करते हैं, तो यह नज़र आता है कि हमारे देश में औद्योगिक सामान का उत्पादन बढ़ा है। इस के कुछ उदाहरण तुम नीचे दी हुई तालिका में देख सकते हो।

साइकिल का उत्पादन और सिलाई मशीनों का उत्पादन कितने गुना बढ़ा है?
बिजली से चलने वाले पंप और इस्पात का उत्पादन बढ़ने से क्या फायदा हुआ, समझाओ।

बुनियादी उद्योग की नीव बनने के कारण बहुत सारे कारखाने खोले गए हैं। बहुत तरह की वस्तुएं बनने लगी हैं। जैसे, बिजली उद्योग में बिजली की हज़ारों किस्म की चीज़ें, तार से लेकर सभी प्रकार की छोटी-बड़ी मोटर बनाई जाने लगी हैं।

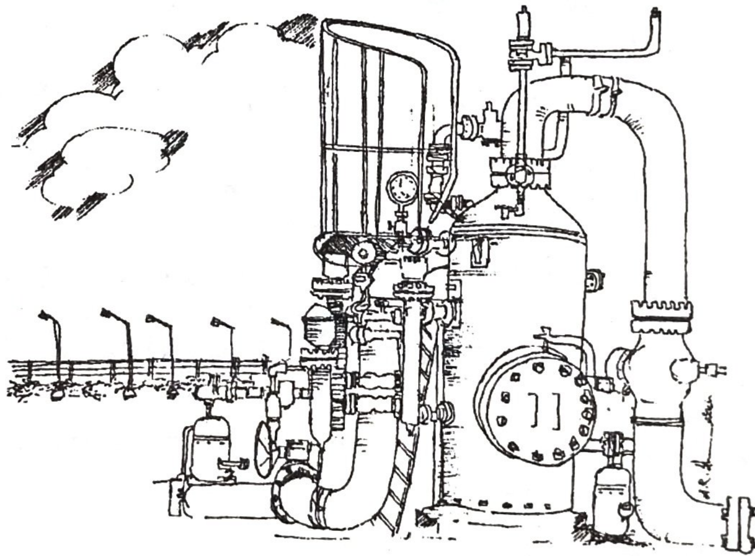
तुम जानते हो कि किसी एक कारखाने में सामान बनाने के लिए अन्य कई कारखानों से कुछ न कुछ खरीदना पड़ता है। जब सभी प्रकार के कारखाने हमारे देश में लगने लगे तब किसी भी तरह का औद्योगिक सामान बनाने की क्षमता हमने हासिल कर ली।

औद्योगीकरण के कारण बाहर से मशीन व ज़रूरी सामान का आयात कम हुआ है। जैसे साइकिल उद्योग के लिए फ्रेम, सीट, चेन, ब्रेक आदि सभी सामान भारत में ही अलग-अलग कारखानों में बनते हैं। साइकिल बनाने के लिए बाहर के देशों से कुछ भी आयात नही करना पड़ता है। 1950 में हर 100 में से 60 साइकिलें बाहर से मंगवाई जाती थी। अब आयात की आवश्यकता नही है।

औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी

	1950	1986
इस्पात का उत्पादन	10 लाख टन	80 लाख टन
बिजली से चलने वाले पंप	35 हज़ार	4 लाख 59 हज़ार
साइकिल	1 लाख	61 लाख
माचिस का उत्पादन	40 लाख डिब्बियां	580 लाख डिब्बियां
चमड़े के जूतों का उत्पादन	51 लाख जोड़े	1900 लाख जोड़े
सिलाई मशीनों का उत्पादन	33 हज़ार	3 लाख 77 हज़ार

इतना सारा औद्योगिक सामान तो बन पाया पर बेरोज़गारी की समस्या कम नहीं हुई। यह सोचा था कि बहुत से लोगों को कृषि पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उन्हें कारखानों में नौकरियां मिल जाएंगी। ऐसा नहीं हो पाया। सभी जगह आज बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। बंबई शहर का उदाहरण तुम चित्र में देख सकते हो। कृषि के क्षेत्र में बहुत से खेतीहर मज़दूर व छोटे किसानों को पर्याप्त काम नहीं मिल पाता है। ऐसे कई लोग मजबूरी के कारण खेती कर रहें हैं क्योंकि उनके पास कोई और बेहतर काम-धंधा नहीं है। शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या भी बढ़ी है। 1961 में रोज़गार कार्यालय में 26 लाख लोगों के नाम दर्ज़ थे। 1988 में 3 करोड़ लोगों के नाम दर्ज़ हो गए थे।



खनिज तेल को साफ करने का एक संयंत्र

अभ्यास के प्रश्न

1. क्या बुनियादी उद्योगों में लगाई गई लागत का पूरा उपयोग हो पा रहा है? समझाओ।
2. बुनियादी उद्योग लगाने से क्या फ़ायदे हुए?
3. औद्योगीकरण से किस प्रकार के परिणाम सामने आए हैं?
4. अंग्रेज़ों के समय की उद्योग नीति और स्वतंत्र भारत की उद्योग नीति में क्या-क्या अंतर हैं?

९ ग़रीबी और उसे दूर करने की योजनाएं



दक्षिण राजस्थान के डुंगरपुर ज़िले का एक गांव है तम्बूलिया। इस गांव में लगभग 300 परिवार हैं, जिनमें से अधिकांश परिवार भीलों और हरिजनों के हैं। वे अपने एक या दो एकड़ के छोटे-छोटे सूखे खेतों पर स्वयं खेती करते हैं। इन परिवारों के कुछ सदस्य मजदूरी की तलाश में गुजरात चले जाते हैं।

कई परिवारों के घरों पर दो-तीन दिन तक खाना नही पक पाता है। जिन के घर दिन में एक बार भी भोजन बन जाता है, वे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। बच्चे जंगली आम की गुठली चूसकर या जंगली फल खाकर भूख प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं। पिछले दो तीन महीनो की भुखमरी ने इन्हें बहुत ही कमज़ोर कर दिया है - कमज़ोरी के कारण कुछ बुज़ुर्गों की मृत्यु हो गई।

1986 के मई माह की बात है। तम्बूलिया के पास कटरपारा गांव की एक दर्दनाक घटना में एक विधवा और उसके दो बच्चे कुछ ही दिनो पहले भूख से मर गए थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के यहां भोजन तलाशने की कोशिश की थी पर कुछ नही मिल पाया था।

सुशीला बड़ीहा (उड़ीसा) के एक गांव में रहती है। इस इलाके में सूखी खेती होती है और यहां एक ही फसल हो पाती है। सुशीला के परिवार के पास कोई ज़मीन नही है। वे दोनों पति-पत्नी मज़दूरी कर के ही किसी प्रकार गुज़ारा करते थे। 1977 में उसके पति का देहांत हो गया। अब उसकी हालत और बुरी हो गई है।

वह कहती है, "मेरे पति का पेट दस साल से खराब था। पर मुझे लगता है कि वे अंत में भूख से ही मरे। मेरी बेटी भूख के मारे बेहोश हो जाती है। दो-तीन दिनों से न मैंने चूल्हा जलाया न ही कुछ खाया। हमारे पास न गाय है, न बकरी है, न ज़मीन।

जहां भी काम मिल जाए मैं कर लेती हूं। पर काम ही कहां मिलता है? कभी-कभी सरकारी गेहूं मिल जाता है तो कुछ काम चल जाता है।"

तुम्हारे आसपास ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति कौन है - उनका गुज़ारा कैसे हो पाता है चर्चा करो।

करोड़ों खेतीहर मज़दूर और छोटे किसानों की इतनी बुरी हालत है कि अक्सर वे उधारी के चंगुल में फंस जाते हैं। उधारी में फंसे कई ऐसे लोग बन्धुआ मज़दूर बन जाते हैं। बहुत से ऐसे मज़दूर और किसान काम की तलाश में गांव छोड़कर शहरों में चले जाते हैं। शहरों में भी उन्हें अच्छी ज़िंदगी नसीब नहीं होती।

झुग्गी, झोपड़ी-बस्ती, फुटपाथ पर रह रहे इन करोड़ों लोगों को रोज़ काम नहीं मिलता। कभी हम्माली, तो कभी घर बनाने का काम। बस्ती में न साफ पानी न ठीक से रहने की जगह। फिर जिन ठेकेदारों के ज़रिए उन्हें काम मिलता है वे भी उनको बुरे हालातों में रखते हैं।

एक उदाहरण : तमिलनाडु के मदुरई, सेलम, तिरुची, चेंगलपट आदि ज़िलों के गांवों से आए 84 आदमी, 59 औरतें, 109 बच्चे भोपाल के पास रायसेन की गिट्टी खदानों में बंधुआ मज़दूर थे। उन्हें इन गिट्टी खदानों में काम करने के लिए उनके गांवों से 60 रुपए प्रति दिन और 2,000 रुपए नगद के आश्वासन पर लाया गया था। पर यहां आने पर उन्हें केवल 100 या 120 रुपए महीना दिया गया, वह भी टूटे चावल और सीढ़े आटे के रूप में।

यदि वे ठेकेदार के चंगुल से निकलने की कोशिश करते या आवाज़ उठाते तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता और गरम लोहे से दाग़ा जाता। कुछ मज़दूर किसी तरह भाग निकले और तमिलनाडु में उन्होंने अपने साथियों की दशा के बारे में कई शिकायतें की। बड़ी मुश्किल से इन्हें छुटकारा मिल पाया।

तमिलनाडु से लोग रायसेन क्यों आए? रायसेन में उनके जीवन के बारे में दो वाक्य लिखो।

तुम कहोगे, ये तो कुछ ही इने-गिने परिवार होंगे जिनके हालात इतने बुरे हैं। ये बहुत पहले की बात होगी कि लोग भूखे मरते थे। अब तो देश ने इतनी तरक्की कर ली है - अब इतनी ग़रीबी कहां? आजकल ऐसी ग़रीबी है भी तो हमारे प्रांत में नहीं। सूखे इलाकों में ही ऐसी होगी।

ये बहुत पुरानी नहीं, छः-आठ साल पहले की ही बातें हैं। और न ही ये केवल कुछ प्रांतों की बातें हैं। आज भी लाखों, करोड़ों लोग ऐसे ही हालातों में जी रहे हैं। केवल सूखे क्षेत्रों में नहीं, सिंचित खेती वाले इलाकों और शहरों में भी लाखों लोगों की ऐसी ही हालत हैं।

ग़रीब कौन?

एक साधारण व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए रोज़ के भोजन की ज़रूरतें इस प्रकार हैं -

अनाज	लगभग 500 ग्राम
दाल	लगभग 50 ग्राम
सब्ज़ी	लगभग 200 ग्राम
दूध	लगभग 150-200 ग्राम
तेल/घी	30-50 ग्राम
शक्कर/गुड़	20-35 ग्राम

यदि इन सभी चीज़ों को खरीदा जाए तो मोटे हिसाब से एक व्यक्ति के एक महीने का खर्चा लगभग 150 रु. और 200 रु. के बीच पड़ता है (1984-85 की कीमतों पर)। यदि एक परिवार में 5 सदस्य माने जाएं तो एक परिवार के एक महीने का खर्चा लगभग 750-1000 रु. होगा - यानी एक परिवार के साल भर का खर्चा लगभग 9000 रु. से 12,000 रु. पड़ेगा। सरकार ने 1985 में हिसाब लगाकर यह तय किया कि जिन परिवारों की आमदनी साल में 6,400 रु. से कम है, वही परिवार ग़रीब है। सरकारी हिसाब से 1985 में 100 में से लगभग 40 लोग ऐसे थे जिन के पास भरपेट खाने को नहीं था।

सरकार ने ग़रीबी दूर करने के लिए क्या किया

करोड़ों लोग इतने ज़्यादा ग़रीब हैं तो क्या सरकार ने ग़रीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया? ग़रीबों की सहायता के लिए कुछ नहीं कर रही है? आओ देखें, स्वतंत्रता के बाद ग़रीबी दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? ये प्रयास कितने सफल रहे?

भूमि सीमा कानून और भूमि वितरण

भूमिहीनों को भूमि बांटने की मांग को देखते हुए सरकार ने सीलिंग कानून बनाया और भूमिहीनों को ज़मीन बांटने का तय किया। सीलिंग कानून में नियम बना कि किसी भी व्यक्ति के पास एक निश्चित सीमा से अधिक ज़मीन नहीं रहेगी। अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग सीमा रखी गई। किसी प्रांत में 30 एकड़ थी तो कहीं 60 एकड़। सूखी और सिंचित ज़मीन की भी भूमि सीमा अलग थी। सीलिंग में मिली ज़मीन सरकार भूमिहीनों को बांटेगी। सीलिंग कानून से बड़े किसान खुश नहीं थे और उन्होंने इससे बचने के तरीके निकाल लिए और सीलिंग से अपनी बहुत सी ज़मीन बचा ली।

इस तरह सरकार बांटने के लिए बहुत कम ज़मीन ज़मींदारों व बड़े किसानों से ले पाई। पर जितनी ज़मीन सरकार के पास थी और जितनी सरकार को मिली, उस में से भी बहुत कम ज़मीन भूमिहीनों को बांटी गई। उदाहरण के लिए पंजाब में वितरण के लिए 4 लाख एकड़ ज़मीन उपलब्ध थी पर भूमिहीनों को केवल एक लाख एकड़ बांटी गई।

जहां अच्छी ज़मीन हरिजन, आदिवासी व भूमिहीन मज़दूरों को बांटी भी गई, वहां ज़मींदारों और बड़े किसानों ने उसका कड़ा विरोध किया और कुछ जगहों पर लठ्ठ और बंदूकों के ज़ोर पर हरिजनों को ज़मीन लेने से रोका। ऐसी घटनाओं के कुछ उदाहरण हैं-

कुछ साल पहले बिहार सरकार ने बण्टा रामपुर गांव के कुछ बड़े किसानों को पूरा मुआवज़ा देकर, उन से लगभग साढ़े तीन एकड़ ज़मीन ली और कुछ हरिजनों को खेती करने के लिए बांट दी। तब से वे बड़े किसान इन हरिजनों को तरह-तरह से परेशान कर रहे थे। पर जब हरिजनों ने ज़मीन नहीं छोड़ी तो 1981 में बड़े किसानों ने 122 हरिजनों की झोपड़ियां जला डाली।

1970 में दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के पास खन्जावाला गांव में 120 हरिजनों को पांच साल के लिए एक-एक एकड़ ज़मीन दी थी। बड़े किसानों ने कोर्ट में इसके खिलाफ अर्ज़ी डाली। कोर्ट ने हरिजनों को दिया गया ज़मीन का पट्टा 5 और सालों के लिए बढ़ा दिया। बड़े किसानों ने इन हरिजनों को इतना डराया धमकाया और पीटा कि कई हरिजन डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए।

ज़मीन का वितरण आज भी बहुत असमान है। किसान 12 % भूमिहीन हैं। किसानों में से आधे से आधिक के पास 2.5 एकड़ से भी कम ज़मीन है। इन किसानों के पास कुल खेतिहर भूमि का केवल 12% हिस्सा है।

भूमि वितरण से ग़रीबी की समस्या पर क्या प्रभाव हो सकता है, समझाओ।
भूमिहीनों को भूमि बांटने में क्या दिक्कतें सामने आईं?

ग़रीबी दूर करने के कार्यक्रम

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

ग़रीबों को जीविका के साधन देने के लिए बना सब से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम ग्रामीण ग़रीब मज़दूर, किसान, कारीगर परिवारों के लिए 1978-79 में शुरू किया गया था। इससे पहले भी ग़रीब किसानों के लिए कई



पंजाब में रस्सी बनाने वाले कारीगर को इस कार्यक्रम में मिली मशीन

कार्यक्रम चल रहे थे - ख़ासकर सूखे इलाकों में। इन सभी कार्यक्रमों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है - जिन परिवारों की आमदनी लगभग 6,400 रुपए प्रति वर्ष से कम हैं, उन्हें जीविका का साधन उपलब्ध कराना। आशा यह है कि इन साधनों से परिवार को इतनी आय हो पाएगी कि वे अपनी कुल आमदनी से कम से कम अपने भोजन की ज़रूरत पूरी कर सकें।

ग़रीब परिवारों को जीविका का साधन - जैसे भैंस, बकरी, मुर्गी, मिट्टी या चमड़े जैसे धंधे का सामान, आटा चक्की, रिक्शा आदि देना इस कार्यक्रम का मुख्य पहलू है। ये साधन ऋण के रूप में दिए जाते हैं - यानी इस के लिए शुरू में कोई पैसे नही भरने पड़ते। जैसे-जैसे साधन से आमदनी होती है, ऋण लौटाना पड़ता है। ऋण पर कम ब्याज लगता है। छोटे किसानों का एक-चौथाई और मज़दूरों और कारीगरों का एक-तिहाई ऋण माफ हो जाता है। यदि इस योजना में 6,000 रुपए की भैंस किसी परिवार को दी गई और यदि वह छोटा किसान है तो उसे 4500 रुपए लौटाना पड़ेगा, यदि वह मज़दूर या कारीगर है तो उसे 4,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे। इस कार्यक्रम में छोटे किसान को बारह हज़ार रुपए और मज़दूर या कारीगर को नौ हज़ार रुपए तक का साधन दिया जा सकता है।

हरिजन या आदिवासी को 10,000 रुपए तक का साधन मिल सकता है और उसका आधा ऋण माफ हो जाता है। ये ऋण बैंकों के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके बारे में तुमने बैंक के अध्याय में पढ़ा था। ऋण के रूप में दिए गए साधन बैंक के नाम रहन रखवाए जाते हैं।

विकास खंड (ब्लॉक) और पंचायत के माध्यम से ये ऋण दिलवाए जाते हैं। इनकी पूरी जानकारी ग्राम सेवक, पंचायत या ब्लॉक आफिस से मिल सकती है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कितना सफल?

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में सरकार का लक्ष्य था कि डेढ़ करोड़ (150 लाख) ग़रीब परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत साधन उपलब्ध कराए जाएं। एक करोड़ पैंसठ लाख परिवारों को ये साधन दिलवाए गए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत अक्सर भैंस या गाय दी जाती है। बहुत से ग़रीब परिवार ऐसे हैं जिन के पास ज़मीन नही है। उन्हें चारा खरीदना पड़ता है। कई गांवों में दूध बेचने के लिए ठीक से कोई प्रबंध नही किया गया। दूध बहुत दूर बिकता है या सस्ता बिकता है। फिर बीच में भैंस दूध देना बंद कर देती है। इस समय ग़रीबों के पास चारा खरीदने के पैसे नही होते। उन्हें साहूकार से उधार लेना पड़ता है। कई लोग ये उधार चुका नही पाते तो उन्हें भैंस बेचनी पड़ जाती है। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जिनमें कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए साधनों के उपयोग के लिए इन ग़रीब परिवारों को पर्याप्त सहयोग नही मिल पाता है। इसीलिए उन्हें कुछ ही समय तक इन साधनों का लाभ मिलता है।

ऐसे अनुभवों से पता चला है कि ग़रीबों को जीविका का साधन देना ही पर्याप्त नहीं, इन साधनों के लिए सहयोग देना ज़रूरी है। यदि भैंस दी जा रही है तो उसके साल भर के चारे का प्रबंध होना ज़रूरी है। दूध बेचने का प्रबंध होना चाहिए। कम से कम दो भैंसें दी जानी चाहिए - ताकि कम से कम एक भैंस का दूध हमेशा मिलता रहे। तभी इनकी ग़रीबी स्थाई रूप से दूर की जा सकेगी।

1985 में योजना आयोग ने इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया। इस रपट में उन्होंने इस प्रकार की कई कमियों के बारे में लिखा है।

कुछ जगह यह पाया गया है कि वास्तव में जो ग़रीब परिवार थे, उन्हें मिले साधनों का उपयोग कोई और कर रहे हैं। कहीं-कहीं यह देखने में आया है कि हरिजन/आदिवासी परिवार को दी गई गाय या भैंस गांव के अन्य बड़े परिवारों ने अपने घर बंधवा ली हैं और वे ही उनका उपयोग कर रहे हैं।

योजना आयोग की रपट में यह भी कहा गया है कि कई जगहों पर लोगों को ऋण लेने के लिए पैसे यानी रिश्वत देनी पड़ी है। दूसरी तरफ जिन लोगों को यह ऋण मिला है उनमें से कई लोग बैंक को पैसे नही लौटा पाए हैं। यदि बैंक के पास ऋण के पैसे वापिस नही आते तो वह दूसरो को ऋण कैसे देगा? रपट में कहा गया है कि यदि ये समस्याएं बनी रहेंगी तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य पूरे नही होंगे।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संक्षिप्त वर्णन करो।
तुम्हारे गांव से कुछ ऐसे परिवारो के उदाहरण दो जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण लिया है। इससे उन्हें क्या फायदा हुआ, चर्चा करो।
क्या तुम्हारे गांव में ऐसे परिवार हैं जिन्हें ऋण मिलना चाहिए था पर मिला नहीं? इसका क्या कारण है, चर्चा करो।
अमीर लोग इस कार्यक्रम का फायदा कैसे उठाते हैं?

रोज़गार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य थे।

1. ग़रीब ग्रामीण परिवारों, (ख़ासकर भूमिहीन मज़दूरों, हरिजन और आदिवासियों) को रोज़गार उपलब्ध कराना ताकि वे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए और आमदनी कमा पाएं।

2. इस रोज़गार द्वारा ऐसे साधन बनाना जो कि गांव के लोगों, ख़ासकर ग़रीबों के काम आएं। हरिजन व आदिवासियों के लिए मकान, उनके लिए कुआं व हैंडपंप, छोटी सिंचाई परियोजनाएं, भूमि संरक्षण (जैसे मेड़ बनाना, पेड़ लगाना, नाली बनाना, खेत से पानी निकास की व्यवस्था), सड़क बनाना आदि। इस कार्यक्रम में ऐसे कामो पर ज़ोर है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके।

ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गांरटी कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का ख़ास उद्देश्य है : हर भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में कम से कम सौ दिन काम उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम द्वारा भी कुएं व मकान बनाए गए, जंगल लगाए गए। यह कार्यक्रम 1983 मे शुरू किया गया था।

हमने देखा था कि सरकारी अनाज भंडार काफी बढ़ गए थे, परंतु फिर भी लाखो ग़रीबो के पास खाने को काफी अनाज नही था। इसलिए सरकार ने तय किया कि इन कार्यक्रमो में मज़दूरी के भुगतान में हर व्यक्ति को एक या दो किलो अनाज और बाकी मज़दूरी नगद में दी जाएगी।



रोज़गार कार्यक्रम में सड़क के लिए मिट्टी की खुदाई

1989 में इन दोनों रोज़गार कार्यक्रमों को जोड़कर एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया - जवाहर रोज़गार योजना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है कि गांव के ग़रीब लोगों को अधिक रोज़गार मिले। इस कार्यक्रम में नई बात यह है कि इसे चलाने के लिए पैसा सीधे पंचायत को दिया जाता है। पंचायत को तय करना है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या काम किया जाना चाहिए। गांव के लोग अपने हिसाब से योजना बनवाते हैं और काम करवाते हैं।

यह काम पहले ब्लाक आफिस के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता था। पंचायत को सीधे पैसे देने का उद्देश्य है कि गांव के लोगों की भागीदारी और जवाबदारी अधिक हो पाए।

रोज़गार कार्यक्रमों का मूल्यांकन

इन रोज़गार कार्यक्रमों में लाखों लोगों को रोज़गार मिला है। उनकी आमदनी भी बढ़ी है। ख़ासकर सूखे इलाकों में और सूखे के संकट के समय जब खेती का काम ठप्प हो जाता है, तब इन रोज़गार कार्यक्रमों द्वारा ही लोग अपना गुज़ारा कर पाते हैं।

इन कार्यक्रमों की कई कमियां हैं। मज़दूरी का भुगतान एक या दो हफ्तों में एक बार होता है। अक्सर बहुत ग़रीब लोग हफ्ते भर तक मज़दूरी के भुगतान के लिए नहीं रुक पाते।

इन रोज़गार कार्यक्रमों में अनाज के रूप में आम तौर पर गेहूं दिया जाता है चूंकि गेहूं का ही अधिक भंडार है। पर बहुत से लोग चावल या कोई दूसरा अनाज खाते हैं, इसलिए वे गेहूं लेना पसंद नहीं करते। जो गेहूं मिलता भी हैं, वह कई बार घटिया, सीढ़ा, या घुन लगा हुआ होता है, इसलिए भी लोग इन कार्यक्रमों में मिल रहे अनाज को लेने से मना कर देते हैं। पंचायत को पैसों में मज़दूरी देनी पड़ती है। अतः अनाज के भंडार का उचित उपयोग भी नहीं हो पाया है।

रोज़गार कार्यक्रमों में जो लोग काम करते हैं, उनके नामों की सूची का एक हाज़री रजिस्टर रखा जाता है जिसे "मस्टर" कहते हैं। कहीं-कहीं पर "मस्टर" में अधिक मज़दूरी पर मज़दूरों से अंगूठा लगवाते हैं और कम मज़दूरी देते हैं।

कई बार फर्ज़ी मस्टर रखे जाते हैं। यानी जिन लोगों ने कभी काम नहीं किया, उनके नाम मस्टर में दर्ज़ रहते हैं और इन नामों के आगे किसी के भी अंगूठों के निशान होते हैं। इस तरह के फर्ज़ी मस्टर कई जगह पकड़े गए हैं। इन कमियों को दूर करना ज़रूरी है।

जवाहर रोज़गार योजना से किस बात में परिवर्तन आया है?

अपने शब्दों में समझाओ कि इन कार्यक्रमों में क्या कमियां है।

क्या तुम्हारे गांव में इस कार्यक्रम के अंतर्गत काम हुआ है? सूची बनाओ। इससे क्या फायदा हुआ, चर्चा करो।

क्या तुम्हारे गांव में इस कार्यक्रम से उन लोगों को रोज़गार मिला है जिनके पास सबसे कम ज़मीन या धंधा या रोज़गार के मौके हैं?

ग़रीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर बहुत कम पैसे खर्च किए जाते हैं। यदि सभी ग़रीबों को ऐसे जीविका के साधन या रोज़गार दिलाना है, जिससे ग़रीब परिवारों की कुल आमदनी 6,400 रुपए साल से ऊपर हो जाए तो सरकार को एक साल में लगभग 8250 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। परंतु सरकार ने इन कार्यक्रमों पर 1985 से 1990 तक केवल 1500 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए।

जवाहर रोज़गार योजना का एक मूल्यांकन उत्तर प्रदेश की 39 ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण करके किया गया था। इस अध्ययन में कहा गया है कि पैसों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस अध्ययन में सुझाव है कि जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत जो पैसे पंचायत को दिए जाएं, गांव में डोंड़ी पिटवाकर सभी को ख़बर करना चाहिए। उन्होंने जिन गांवों का सर्वेक्षण किया वहां लोगों को जानकारी तक नहीं थी कि कितने पैसे पंचायत को इस काम के लिए मिले हैं। उनका दूसरा सुझाव था कि जवाहर रोज़गार योजना के पैसे निकालने का अधिकार सरपंच एवं एक अन्य पंच को दिया जाए। पंचायत सचिव को यह अधिकार नही होना चाहिए। उनके सर्वेक्षण में पाया गया था कि जहां सरपंच को हिसाब-किताब की जानकारी नही थी वहां सचिव ने इस कमी का फायदा उठाते हुए पैसों का दुरुपयोग किया था।

इस अध्ययन का तीसरा सुझाव था कि सरपंच एवं पंचों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अधिकांश गांवों में केवल फर्शी डालने का काम इस योजना के द्वारा किया गया है। अन्य उपयोगी काम किए जा सकते हैं यदि लोगो को ट्रेनिंग दी जाए। कई गांवों में पाया गया कि सड़क बनी और बारिश में धुल गई। उस पर खर्च किए गए पैसों का कोई लाभ नहीं मिला। इस प्रकार के कई उदाहरण पाए गए। जब गांव के लोग अपने पंच और सरपंच पर दबाव डाले और काम पर नज़र रखें तभी बेहतर काम हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के अध्ययन में बताई गई कमियां क्या तुम्हारे गांव में भी देखने को मिलती हैं?

ग़रीबी दूर करने के इतने प्रयासों के बावजूद हमारे देश में ग़रीबी और भुखमरी बनी हुई है। ग़रीबी कैसे दूर की जाए यह एक मुश्किल समस्या है। हम सब को मिलकर इसे हल करने की कोशिश करना ज़रूरी है।

अभ्यास के प्रश्न

1. पृष्ठ 189 पर दी गई भोजन की तालिका के आधार पर पांच सदस्य वाले एक परिवार के महीने भर के भोजन के खर्चे का हिसाब लगाओ (आज की कीमतों पर)। इसके लिए तुम्हें अनाज, दाल, सब्ज़ी, दूध, तेल, शक्कर आदि के भाव पता करने होंगे।
2. ग़रीब भूमिहीनों को ज़मीन बांटने में क्या क्या बाधाएं आईं?
3. पता करो कि तुम्हारे क्षेत्र में भूमि सीमा कितनी है - सिंचित और असिंचित। क्या तुम्हारे यहां गरीबों को ज़मीन दी गई? इस के बारे में पता करके लिखो।
4. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ऋण किस प्रकार दिया जाता है?
5. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की दो कमज़ोरियां लिखो।
6. रोज़गार कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
7. अपनी पंचायत से पता करो कि पिछले साल में ग्रामीण विकास और रोज़गार कार्यक्रमों के लिए उसे कितना पैसा मिला था। इन पैसों से तुम्हारे गांव में क्या-क्या काम करवाए गए हैं?

भूगोल

1 कितनी गर्मी - कितनी सर्दी

पृथ्वी को गर्मी और रोशनी सूरज से मिलती है। तुम पृथ्वी पर जितना भी जीवन देखते हो वह सब सूर्य से मिली गर्मी के कारण ही है। पेड़, पौधे, फसलें, जंगल, पशु, पक्षी और मनुष्य, सभी का जीवन चक्र इसी गर्मी से चलता है। पृथ्वी पर हवाओं का चलना, बादलों का बनना, वर्षा होना - सभी सूर्य की गर्मी के कारण होने वाली घटनाएं हैं।

पृथ्वी पर सभी जगहों पर समान रूप से गर्मी नहीं पड़ती है। कुछ जगहें बहुत गर्म रहती हैं और कुछ कम गर्म और कुछ जगहें तो बहुत ही ठंडी रहती हैं। गर्मी की इस भिन्नता से उन जगहों के जीवन में बहुत अंतर आ जाता है।

किसी जगह पर कितनी गर्मी है, यह कैसे नापा जाता है? चलो, इन बातों के बारे में आगे पढ़ें।

गर्मी का नापना

हमारे शरीर का तापमान

हम अक्सर बीमार पड़ते हैं और हमें बुखार हो जाता है। तब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बुखार कितना तेज़ है यह देखने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। कांच की नली जैसे दिखने वाले इस थर्मामीटर के अन्दर पारा रहता है। नली पर बाहर पैमाना बना रहता है। जब हम थर्मामीटर के पारे वाले सिरे को मुंह के अंदर रखते हैं तो शरीर की गर्मी से गर्म होकर पारा फैलने लगता है। वह कांच की नली में बने एक महीन छेद से आगे तक चला जाता है। शरीर के तापमान के अनुसार पारा फैलकर रुक जाता है। पारा जहां रुकता है उस जगह नली पर बने निशान की सहायता से हम शरीर का तापमान पता कर सकते हैं।

जिस प्रकार हम दूरी को किलोमीटर या मील की इकाइयों में नापते हैं, उसी प्रकार **तापमान को डिग्री सेल्सियस (से.) या डिग्री फेरनहाईट (फे.) की इकाइयों में नापते हैं।** मनुष्य के शरीर का तापमान बताने वाले थर्मामीटर आमतौर पर फेरनहाईट इकाई के होते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फे. होता है। सेल्सियस इकाई में नापने पर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री से. होता है।

हवा का तापमान

जिस प्रकार हमारे शरीर की तापमान नापा जाता है उसी प्रकार हवा का तापमान भी नापा जा सकता है। मगर इसके लिए अलग तरह का थर्मामीटर उपयोग किया जाता है, और उसका पैमाना आमतौर पर सेल्सियस इकाई में होता है।

तुम्हारी शाला में विज्ञान किट का जो थर्मामीटर है उसे कक्षा में ले आओ। उसमे देखो पारा कितने डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शा रहा है?

यह इस वक्त हवा का तापमान है। तुम रोज़ एक सप्ताह तक अपनी सामाजिक अध्ययन कक्षा की शुरुआत में थर्मामीटर लाकर उस दिन का

तापमान नोट करो और एक अलग कापी में लिखकर रखो। अगर तुम साल के हर महीने में ऐसा करोगे तो देख सकोगे कि गर्मी और सर्दी में तापमान में कितना फर्क हो जाता है।

साथ ही बाल्टी में भरे पानी का तापमान भी देख कर नोट करते जाओ।

स्थान : ऊंडा		*समय : 1 बजे*	
महीना	*तारीख*	*कमरे का तापमान*	*पानी का तापमान*
अगस्त	*1*	*26.0 से.*	
	2	*26.4 से.*	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7	इतवार	

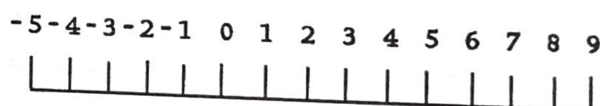
तुम्हें कमरे के तापमान और पानी के तापमान में क्या फर्क दिखाई देता है?
इन चीजों का तापमान नाप कर लिखो -
गरम चाय -
बर्फ -
उबलता हुआ पानी -

मौसम विभाग : सरकार का एक विभाग होता है, मौसम विभाग। जगह-जगह मौसम विभाग के दफ़्तर होते हैं जहां रोज़ उस जगह का तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। दुनिया के हर देश के मौसम विभाग जगह-जगह के तापमान रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह हमें दुनिया भर में अनेकों जगहों के हर दिन, हर महीने और हर साल के तापमान की जानकारी मिल सकती है।

विश्व में सबसे अधिक और सबसे कम तापमान

तुम जानते होगे कि 100 डिग्री से. तापमान हो तो पानी उबलने लगता है और 0 डिग्री से. तापमान पर पानी जम के बर्फ बन जाता है। इसीलिए 0 डिग्री से. तापमान को हिमांक भी कहते हैं।

पृथ्वी पर कही भी तापमान 100 डिग्री से. तक नही पहुंचा है। लेकिन कई जगहो पर तापमान 0 डिग्री से. और उससे भी कम हो जाता है। क्या तुम जानते हो जब तापमान 0 डिग्री से. से भी कम हो जाता है तब उसे कैसे लिखा जाता है? तापमान के पहले ऋण का चिन्ह (-) लगा कर। मानलो एक जगह का तापमान 0 डिग्री से. से भी 5 डिग्री से. कम हो गया, उसे इस प्रकार लिखेंगे -5 डिग्री से.।



5 डिग्री से. और -5 डिग्री से. इन दोनों में से कौन-सा तापमान ज़्यादा है?
किस तापमान पर अधिक ठंड लगेगी?
दोनों के बीच कितने डिग्री से. का अंतर है?

अंटार्कटिका महाद्वीप में एक जगह पर 24 अगस्त 1960 को तापमान कम होते-होते इतना कम हो गया कि हिमांक यानी 0 डिग्री से 88.3 डिग्री से. नीचे गिर गया। तुम अन्दाज़ भी नही लगा सकते हो कि उस दिन कितनी ठंड रही होगी। वह दुनिया का सबसे कम रिकॉर्ड किया गया तापमान है।

इसे तुम किस प्रकार लिखोगे?

ये तो रही सबसे कम तापमान की बात। सबसे अधिक तापमान कहां और कब हुआ? अफ्रीका



दक्षिणी ध्रुव में

आज तापमान इतने डिग्री था?

इसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है। मौसम केंद्रों में विशेष थर्मामीटर होते हैं, जिनसे पता लगता है कि हर दिन का सबसे कम (न्यूनतम) और सबसे अधिक (अधिकतम) तापमान क्या है। अगले दिन इस न्यूनतम और अधिकतम तापमान का औसत निकाला जाता है। मानलो कि आज सुबह तीन बजे तापमान सबसे कम रहा 18 डिग्री से. और आज दोपहर 2 बजे सबसे अधिक रहा, 30 डिग्री से.। तो आज का न्यूनतम तापमान हुआ, 18 डिग्री से.। अधिकतम तापमान हुआ, 30 डिग्री से.। इन दोनो अंकों को जोड़ो - इनमें दो का भाग दो। जो उत्तर आयेगा वही आज के दिन का औसत तापमान माना जायेगा।

इस तरह महीने के तीसों दिन के औसत तापमान निकाले जाते हैं। तीसों दिन के औसत दैनिक तापमान को जोड़कर उसे तीस से भाग दिया जाता है। इस प्रकार औसत मासिक तापमान का पता चलता है।

अगले पृष्ठ पर जो तालिका दी गई है उसे पढ़ो। इस तालिका में भोपाल के हर महीने का औसत तापमान दिया गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इन प्रश्नों के उत्तर लिखो।

भोपाल में सबसे अधिक औसत मासिक तापमान कितना है और कौन-से महीने में है?

भोपाल में सबसे गर्म तीन महीने कौन-से हैं?

भोपाल में सबसे ठंडे तीन महीने कौन-से हैं?

सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के औसत मासिक तापमान में कितना अंतर है?

किसी जगह के तापमान के उतार चढ़ाव ग्राफ पर भी दर्शाए जा सकते हैं।

महाद्वीप के देश लिबिया के रेगिस्तानी इलाके में एक जगह है अज़ीज़िया। यहां पर 13 सितंबर 1922 के दिन तापमान बढ़ते-बढ़ते 58 डिग्री से. तक पहुंचा गया। यही आज तक रिकॉर्ड किया गया सबसे अधिक तापमान है।

मनुष्य के शरीर का तापमान आमतौर पर 37 डिग्री से. रहता है। सोचो, अज़ीज़िया का तापमान इससे कितना अधिक था।

क्या तुम इन तापमानों को सबसे अधिक से सबसे कम के क्रम में जमा सकते हो?
12 डिग्री से., -16 डिग्री से., 29 डिग्री से., 0 डिग्री से., -4 डिग्री से., 40 डिग्री से.
सबसे अधिक गर्मी किस तापमान पर लगेगी?
सबसे अधिक ठंड किस तापमान पर लगेगी?

प्रतिदिन का और प्रति महीने का औसत तापमान

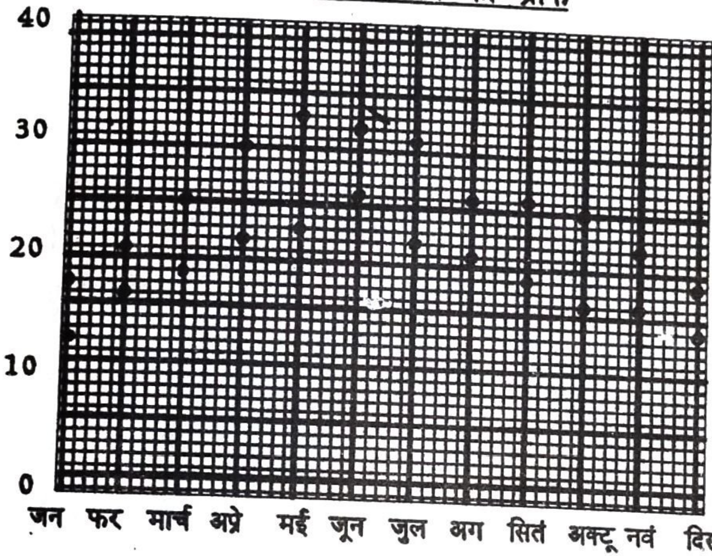
दिन भर तापमान घटता-बढ़ता रहता है। सुबह से शाम और रात तक तापमान में कितना परिवर्तन होता रहता है। तो फिर यह कैसे कह सकते हैं कि

भोपाल का औसत मासिक तापमान (डिग्री. से. में)

जन	फर	मार्च	अप्रे	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं	दिसं
17	21	25	30	33	32	31	26	26	25	22	19

ग्राफ के खानो में दो जगहों के तापमान के बिंदु बने हैं। पहचानो कि इनमें से भोपाल के तापमान के बिंदु कौन-से हैं? उन्हें रेखा से जोड़कर ग्राफ पूरा करो।

भोपाल के तापमान का ग्राफ



अलग-अलग जगहों के तापमान में अंतर

सब जगहो मे तापमान एक-सा तो नही रहता है। समुद्र के पास और समुद्र से दूर की जगहो के तापमान मे फर्क रहता है। पहाड़ के ऊपर और पहाड़ के नीचे तापमान फर्क रहता है। तुम तो जानते ही होगे कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान बदलता है।

समुद्र के किनारे और समुद्र से दूर की जगहों के तापमान

ऊपर हमने भोपाल के औसत मासिक तापमान के बारे मे पढ़ा। भोपाल समुद्र से दूर है। अब हम समुद्र के किनारे बसे बंबई शहर के औसत मासिक तापमान को देखें (अगले पृष्ठ पर)।

बंबई में सबसे कम तापमान कितने डिग्री से. है? वहां सबसे अधिक तापमान कितना है?
भोपाल और बंबई के तापमानो की तुलना करके बताओ -
जनवरी के महीने में कहां पर ठंड अधिक पड़ती है?
जून में कहां पर गर्मी अधिक पड़ती है?
कहां पर साल भर लगभग एक-सा तापमान रहता है?
कहां पर जून (गर्मी) और जनवरी (ठंड) के तापमान में अंतर अधिक है?
भोपाल और बंबई के ग्राफो की तुलना करके बताओ किस ग्राफ में तेज़ उतार-चढ़ाव है और किसमें नहीं है?

सम और विषम जलवायु

बंबई के तापमान का ग्राफ देखो। बंबई मे सालभर एक-सा तापमान क्यो रहता है? क्योंकि बंबई समुद्र के किनारे है। समुद्र के जल का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि यहा तापमान न बहुत बढ़ पाता है न बहुत गिर पाता है। समुद्र के किनारे आमतौर पर तापमान साल भर एक सा रहता है। इसे सम जलवायु कहते हैं।

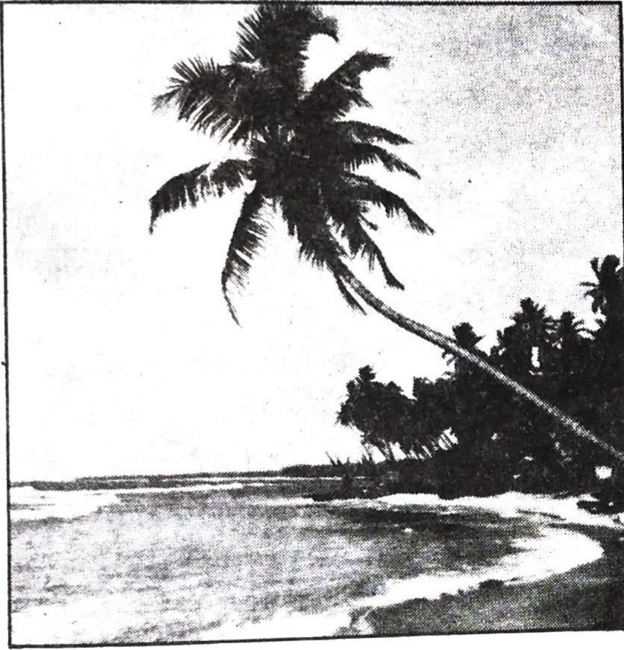
इसके विपरीत भोपाल समुद्र से दूर है। यहा समुद्र का सम प्रभाव नही पड़ता - इस कारण यहा गर्मी मे तापमान बहुत बढ़ जाता है और बहुत गर्मी पड़ती

बंबई का औसत मासिक तापमान (डिग्री से.)

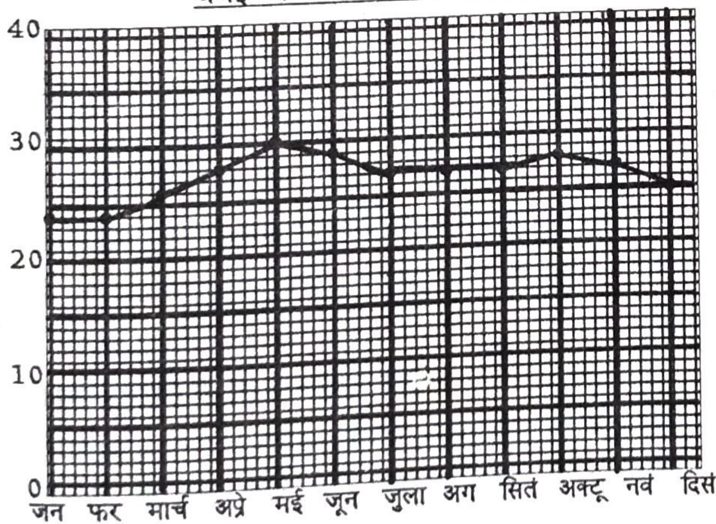
जन	फर	मार्च	अप्रे	मई	जून	जुल	अग	सित	अक्टू	नवं	दिसं
24	24	26	28	30	29	27	27	27	28	27	25

है। सर्दी में तापमान गिर जाता है और ठंड पड़ती है। इसे विषम जलवायु कहते हैं। (विषम = अधिक अंतर)

यहां पर सम जलवायु होगी कि विषम जलवायु ?



बंबई के तापमान का ग्राफ

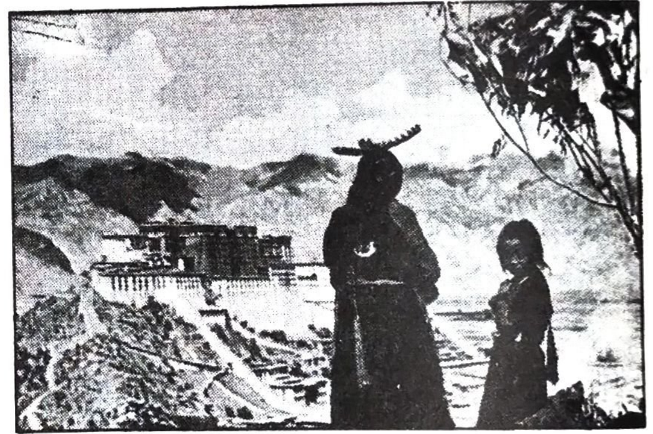


ऊंचाई और तापमान

तेज गर्मी के मौसम में कई लोग पचमढ़ी या शिमला जैसी पहाड़ी जगहों में जाना पसंद करते हैं। गर्मी के मौसम में भी पहाड़ों पर तापमान कम रहता है। जैसे-जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे तापमान कम होता जाता है व ठंड लगने लगती है।

अगले पृष्ठ पर दिल्ली और शिमला के औसत मासिक

देखो, पहाड़ों पर लोगों को कैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं



तापमान दिये गये हैं। दिल्ली की ऊंचाई-समुद्र की सतह से 216 मीटर है और शिमला की ऊंचाई समुद्र की सतह से 2205 मीटर है।

तुम तालिका में साफ देख सकते हो कि साल के हर महीने में शिमला का तापमान दिल्ली से काफी कम रहता है।

आमतौर पर हर 1000 मीटर ऊपर चढ़ने पर लगभग 6 डिग्री से. तापमान कम हो जाता है। दिल्ली 216 मीटर की ऊंचाई पर है और शिमला 2205 मीटर की ऊंचाई पर।

औसत मासिक तापमान (डिग्री से. में)

जगह	जन	फर	मार्च	अप्रे	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं	दिसं
दिल्ली	14	17	23	29	34	34	31	30	29	26	20	16
शिमला	5	5	10	15	18	20	18	18	16	10	10	11

यानी शिमला दिल्ली से .... मीटर अधिक ऊंचाई पर है। तुम हिसाब लगाओ कि दोनों जगहों के तापमान के बीच कितने डिग्री का अंतर रहेगा? दिल्ली में सबसे अधिक मासिक तापमान .... डिग्री से. रहता है जबकि शिमला में सबसे अधिक मासिक तापमान .... डिग्री से. रहता है।

जनवरी के महीने में शिमला का तापमान .... डिग्री हो जाता है जबकि दिल्ली में तापमान .... डिग्री रहता है।

ऊंचाई के साथ तापमान घटता है - इस कारण ऊंचाई पर उगने वाले पेड़ पौधों और फसलों में भी अंतर आ जाता है। इसके बारे में और विस्तार से आगे के पाठ में पढ़ेंगे।

भूमध्यरेखा के पास और दूर की जगहों पर तापमान

भूमध्य रेखा पर स्थित इंडोनेशिया, उससे और उत्तर में ईरान और जापान और इनसे भी उत्तर में टुंड्रा प्रदेश - इन इलाकों के बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। हमने यह जाना था कि भूमध्यरेखीय प्रदेशों में साल भर काफी गर्मी पड़ती है, और वहां ठंड का मौसम ही नहीं होता। भूमध्यरेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर ठंड बढ़ती जाती है और गर्मी व सर्दी की अलग-अलग ऋतुएं होती हैं।

भूमध्यरेखा के पास और दूर की जगहों के तापमान देखने पर ये बातें अच्छी तरह समझ में आती हैं।



भमध्यरेखीय वन

नीचे तीन जगहों के औसत मासिक तापमान दिए गए हैं। आखिरी कॉलम में इन जगहों के औसत वार्षिक तापमान लिखे हैं। किसी भी जगह के बारह महीनों के औसत तापमानों को जोड़ कर 12 से भाग देने पर उस जगह का औसत वार्षिक तापमान पता चलता है। यानी, यह पता चलता है कि उस जगह को साल भर औसत रूप से कितना ताप मिला या गर्मी मिली।

औसत मासिक तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

जगह	जन	फर	मार्च	अप्रै	मई	जून	जुल	अग	सितं	अक्टू	नवं	दिसं	वार्षिक औसत
सिंगापूर	26	28	27	26	28	28	28	27	27	27	27	26	27
दिल्ली	14	17	23	29	34	34	31	30	29	26	20	16	25
बैरो	-27	-28	-26	-19	-9	0	4	2	0	-10	-19	-26	-12

जो जगह भूमध्य रेखा के पास है उसे साल भर औसत रूप से सबसे अधिक ताप मिलता है। भूमध्यरेखा से दूर की जगहो का साल का औसत तापमान कम होता जाता है।

> इन तीन जगहों में से भूमध्यरेखा के पास कौन सी जगह हो सकती है?
> वहां का औसत वार्षिक तापमान कितना है?
> क्या वहां गर्मी और सर्दी के मौसम में कोई फर्क दिखता है?
> तीनों जगहों के नाम भूमध्यरेखा के पास, उससे दूर और सबसे दूर के क्रम में लिखो।
> इनमें से कौन-सी जगह टुंड्रा प्रदेश में हो सकती है?
> उस जगह का औसत वार्षिक तापमान कितना है?
> वहां पर सबसे कम तापमान कितने डिग्री से. है?
> वहां कौन-कौन से महीनों में बर्फ पिघलेगी?
> क्या वहां गर्मी और सर्दी के तापमानों में बहुत फर्क है?

तापमान का नक्शा

भारत एक विशाल, लंबा चौड़ा देश है। यहां के अलग-अलग प्रदेशो में तापमान भिन्न रहता है। अगर हम यह पता करना चाहें कि कहां पर गर्मी अधिक होती है और कहां पर कम - इसके लिए हम तापमान का मानचित्र उपयोग कर सकते हैं।

`अगले पृष्ठ पर दिए भारत के मानचित्र को ध्यान से देखो। मानचित्र में अलग-अलग चिन्हों की पेटियां हैं। कौन सा चिन्ह कितने तापमान को दर्शाता है यह संकेत सूची में से जानो।

भारत में जाड़े का तापमान

> नक्शा देखकर बताओ कि निम्न स्थानों पर तापमान कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच रहता है :
> हैदराबाद -
> शिलांग -
> दिल्ली -

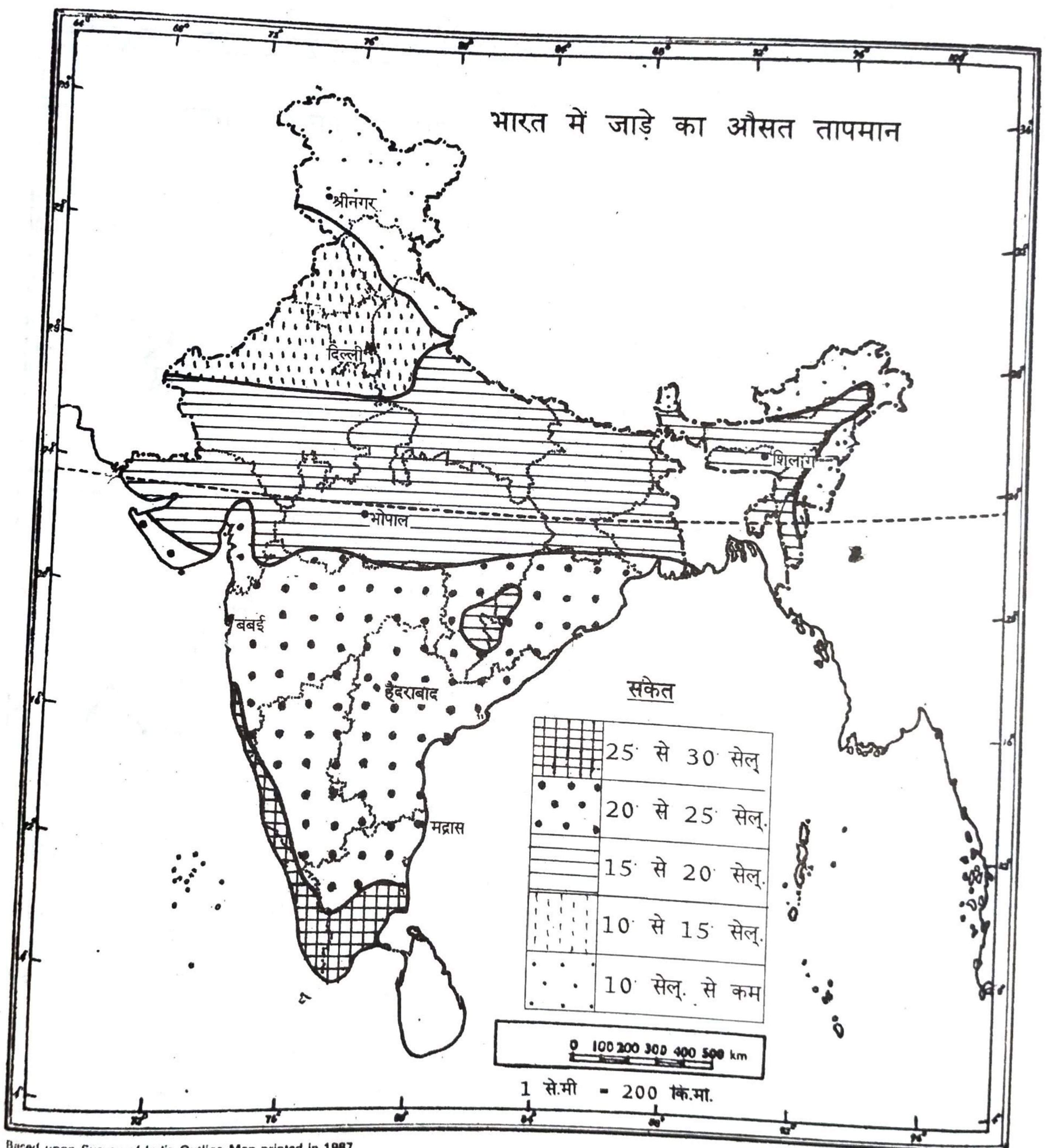
भारत में ठंड के मौसम में सबसे अधिक तापमान 25 डिग्री से. से 30 डिग्री से. तक रहता है।

> नक्शा देखकर बताओ यह भारत के कौन से भाग में है - उत्तर में या दक्षिण में?
> अगर वहां से उत्तर की ओर चलें तो तापमान घटता है कि बढ़ता है?
> दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत के ठंडे रहने का तुम क्या कारण सोच सकते हो?

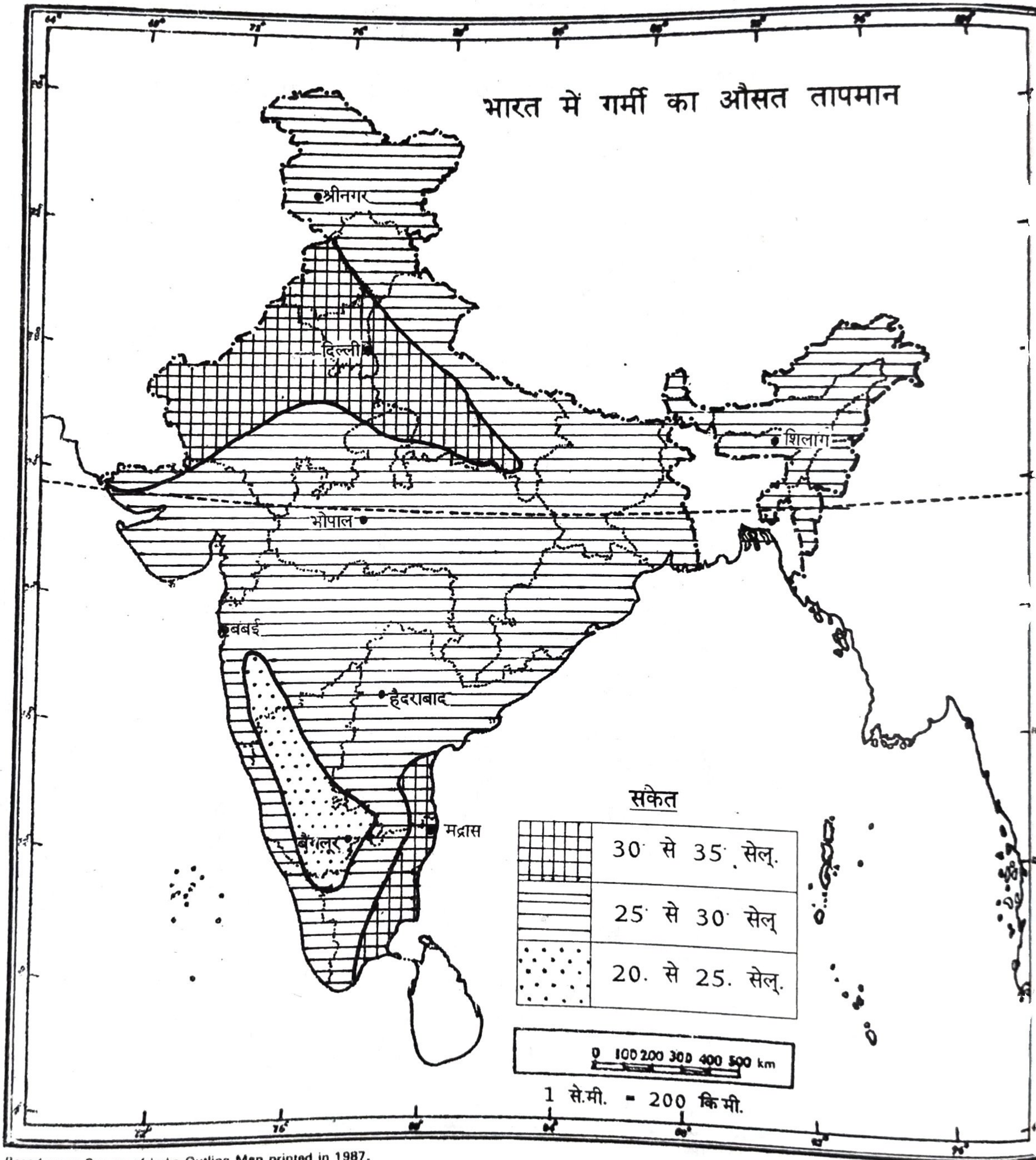
भारत में गर्मी का तापमान

> इस नक्शे को देखकर बताओ कि गर्मी में निम्न जगहों में तापमान कितने डिग्री से. से कितने डिग्री से. के बीच रहता है।
> हैदराबाद -
> शिलांग -
> दिल्ली -

इस मानचित्र को ध्यान से देखो तो पाओगे कि भारत के अधिकतर भाग में गर्मी में तापमान 25 डिग्री से. के ऊपर ही रहता है। केवल हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाटी के ऊंचे इलाकों में तापमान 25 डिग्री से. से कम रहता है। यानी गर्मी के मौसम में पूरा भारत एक साथ तपता है। जबकि तुमने देखा कि ठंड के मौसम में उत्तर की ओर जाने पर ठंड बढ़ती है।



Based upon Survey of India Outline Map printed in 1987.
The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.
The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
Responsibility for correctness of internal details shown on the map rests with the publisher.



Based upon Survey of India Outline Map printed in 1987.
The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.
The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has yet to be verified.
Responsibility for correctness of internal details shown on the map rests with the publisher.

अभ्यास के प्रश्न

1. थर्मामीटर से तुम अपने शरीर का तापमान कैसे पता कर पाते हो?
2. क) डिग्री सेल्सियस क्या है?
   ख) अगर किसी जगह का तापमान आज -8 डिग्री से. है तो इसका क्या मतलब हुआ?
   ग) इस जगह का तापमान अगर 12 डिग्री से. बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा?
3. भोपाल में जनवरी में औसत मासिक तापमान 17 डिग्री से. रहता है। इसका मतलब है कि भोपाल के जनवरी माह में हर दिन तापमान 17 डिग्री से. रहा या भोपाल में जनवरी माह में अधिकांश दिन तापमान 17 डिग्री से. रहा या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है।
4. खाली स्थान भरो :-
   क. समुद्र के पास साल भर तापमान .... रहता है और समुद्र से दूर साल भर तापमान .... रहता है।
   ख. ऊंची जगहों का तापमान निचली जगहों की तुलना में .... रहता है।
   ग. भूमध्यरेखा .... जगहों पर साल भर तापमान अधिक रहता है। भूमध्यरेखा .... जगहों पर साल में कुछ महीने तापमान काफी कम हो जाता है।(के पास/से दूर)
5. यहां तीन जगहों के औसत मासिक तापमान दिए गए हैं। तापमान देख कर तुम हरेक जगह के बारे में क्या-क्या समझ सकते हो, लिखो।

	जन	फर	मा	अप्र	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं	दिसं
क)	10	11	13	15	18	22	24	25	23	19	15	12
ख)	-1	0	4	9	14	17	19	18	14	9	4	1
ग)	27	27	27	27	27	26	25	25	25	26	26	27

इस जगह की जलवायु कैसी होगी?



2

उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्राकृतिक बनावट एवं जलवायु

पिछले दो वर्षों मे हमने एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीपों के बारे में पढ़ा है। इस वर्ष एक नए महाद्वीप के बारे में जानो - उत्तरी अमेरिका महाद्वीप।

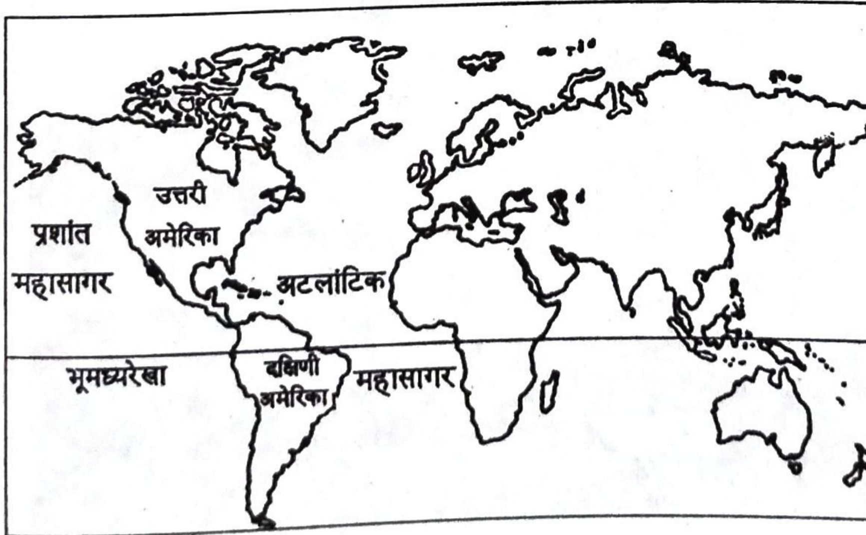
इस पाठ में इस महाद्वीप की प्राकृतिक बनावट (यानी मैदान, पहाड़ और पठार) और जलवायु (यानी गर्मी, सर्दी और वर्षा) के बारे में हम पढ़ेंगे।

अमेरिका महाद्वीपों की स्थिति

मानचित्र नं. 1 में अमेरिका नाम के दो महाद्वीप दिखाये गये हैं - उत्तर में पड़ने वाला उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में पड़ने वाला दक्षिणी अमेरिका।

इस मानचित्र में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अलग-अलग रंगों से रंगो।
अमेरिका महाद्वीपों के पूर्व में जाने पर कौन से महाद्वीप मिलेंगे?
पश्चिम में जाने पर कौन-से महाद्वीप मिलेंगे?
उत्तरी अमेरिका के उत्तर में जाने पर क्या मिलेगा?

मानचित्र नं.1 विश्व का मानचित्र



दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में जाने पर क्या मिलेगा?
भूमध्यरेखा कौन से महाद्वीप से होती हुई जाती है?
उत्तरी अमेरिका भूमध्यरेखा के कौन-सी दिशा में है?
क्या ये दोनों महाद्वीप जुड़े हुए हैं?
इनके पश्चिम में कौन-सा महासागर है?
इनके पूर्व में कौन-सा महासागर है?

उत्तरी अमेरिका के पूर्व से पश्चिम तक जाने के लिए जहाज़ों को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था।

क्या तुम मानचित्र पर उंगली फेरकर यह रास्ता दिखा सकते हो ?

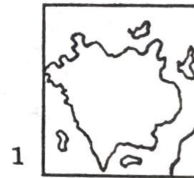
दोनो महाद्वीपो को जोड़ती हुई जो संकरी ज़मीन की पट्टी है, वहां पर सन 1914 मे एक चौड़ी नहर बनकर तैयार हुई। इसे पनामा नहर कहते हैं। यह लगभग 82 कि.मी. लंबी है।



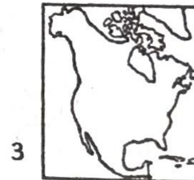
पनामा नहर

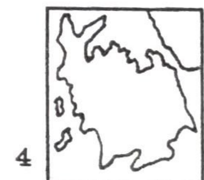
नक्शे में पनामा नहर देखो।
पनामा नहर से होते हुए जहाज़ .... सागर और ....सागर के बीच यात्रा कर सकते हैं

इनमे से उत्तरी अमेरिका कौनसा है ?

1 

2 

3 

4 

उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बनावट

मानचित्र नं. 2 को देखो : उसमे से अमेरिका के मैदानों, पहाड़ो, पठारों, नदियों, झीलों, व खाड़ियों के नाम जानो और लिखो।

पहाड़ अमेरिका की कौन-सी दिशाओं में है?

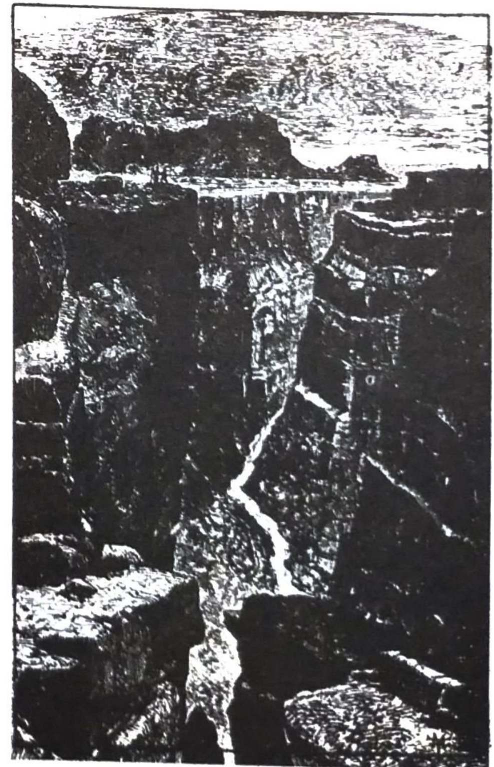
पठार कौन-सी दिशा में हैं?

मैदान कहां पर हैं?

अमेरिका की सबसे लंबी नदी - मिसिसिपी नदी को पहचानो।

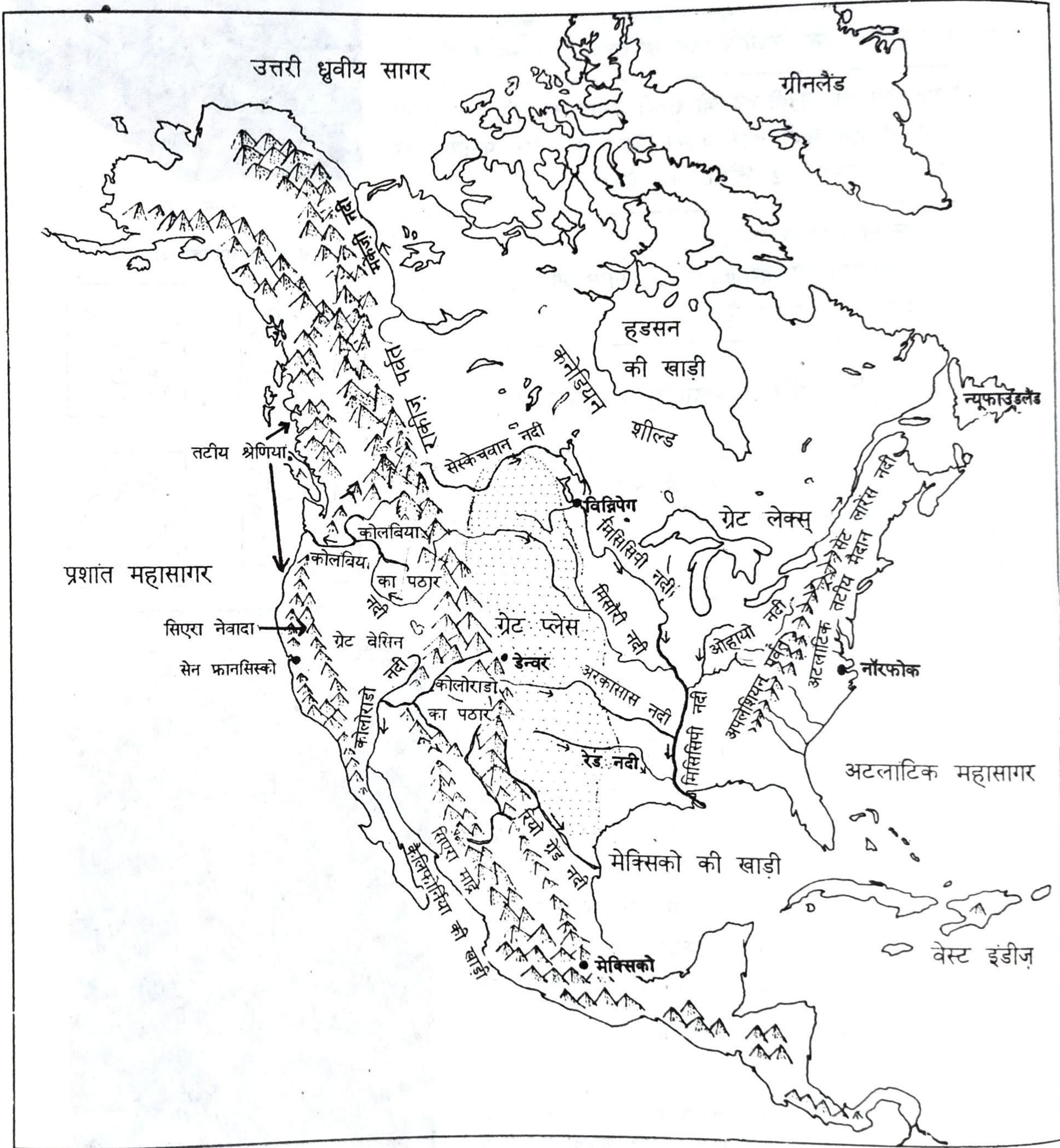
अगर तुम नारफोक से सेन फ्रांसिस्को तक जाओ तो रास्ते में कौन-कौन से पहाड़, पठार और नदी पड़ेंगे - क्रम से लिखो।

कनाडा का शील्ड : इस नाम के क्षेत्र को मानचित्र में पहचानो। यह बहुत पुरानी चट्टानो से बना कटा-फटा प्रदेश है। इस विशाल प्रदेश मे अनेक झीलें है और नदियां इन्हीं झीलो के बीच बहती रहती हैं या फिर दलदल मे खो जाती हैं।



कोलोरेडो नदी एक गहरी घाटी या कंदरा बनाती हुई बहती है। इस कंदरा का दृश्य विश्व के अति अद्‌भुत दृश्यों में से है

मानचित्र नं. 2 : उत्तरी अमेरिका की प्राकृतिक बनावट



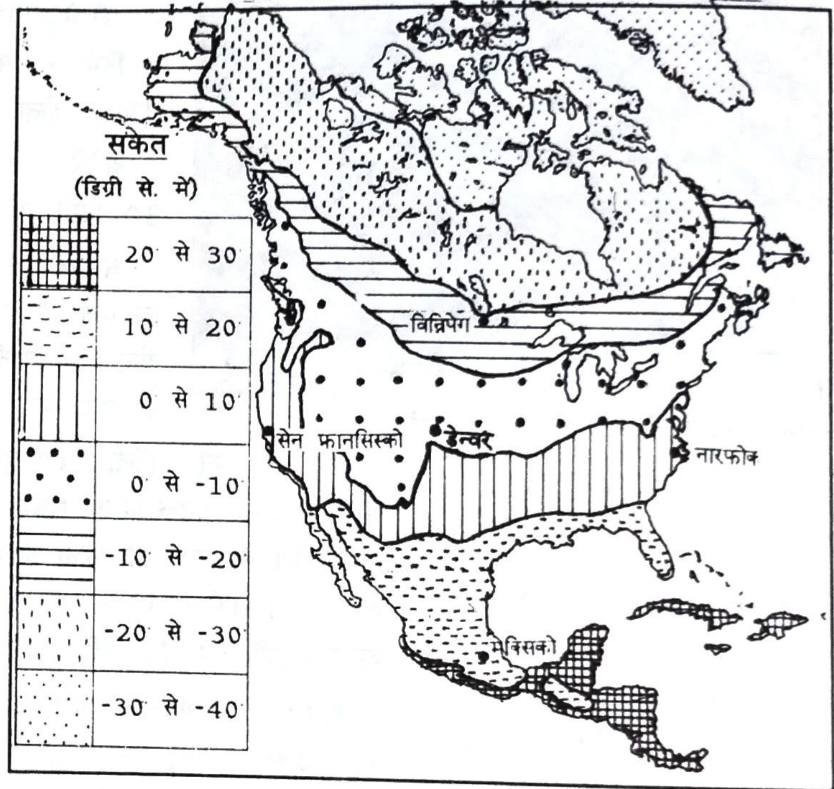
उत्तरी अमेरिका की जलवायु

उत्तरी अमेरिका कितना विशाल महाद्वीप है! इसमें अवश्य अलग-अलग तरह की जलवायु देखने को मिलेंगी।

तुम ग्लोब में देखो तो पाओगे कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से भूमध्यरेखा के पास हैं और इसके उत्तरी हिस्से उत्तरी ध्रुव के पास हैं।

> *तुमने कक्षा छः में इन दोनों प्रदेशों की जलवायु के बारे में पढ़ा है। उन्हें याद करो। अब बताओ : उत्तरी अमेरिका के किस भाग में अधिक गर्म जलवायु होगी - उत्तरी या दक्षिणी भाग में?*

मानचित्र नं. 3 : उत्तरी अमेरिका में जनवरी में तापमान

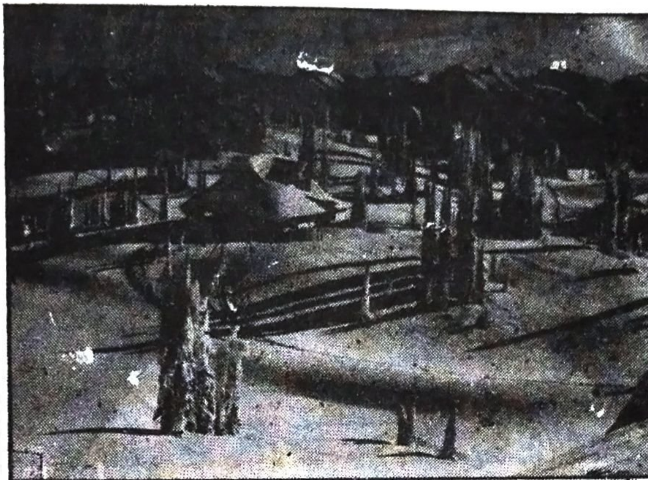


सर्दी और गर्मी के मौसम में तापमान

उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से दो ऋतुएं होती हैं, गर्मी और सर्दी। पहले हम वहां की सर्दी के बारे में जानें।

मानचित्र नं. 3 में बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका में जनवरी के महीने में (यानी सर्दी में) कहां-कहां कितना औसत तापमान रहता है।

> *मानचित्र नं. 3 देखकर बताओ :*
> *उत्तरी अमेरिका में जनवरी में सबसे अधिक तापमान कितने डिग्री से. से कितने डिग्री से. तक रहता है?*
> *उत्तरी अमेरिका में जनवरी में सबसे कम तापमान कितने डिग्री से. से कितने डिग्री से. के बीच रहता है?*
> *क्या भूमध्य-रेखा की ओर जाने पर तापमान घटता है?*
> *अपने मध्य प्रदेश में जनवरी में औसत तापमान 17 डिग्री से. से 20 डिग्री से. के बीच रहता है। क्या अमेरिका में कहीं पर भी जनवरी में इतना तापमान रहता है?*
> *सर्दी मे उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग तुम्हारे प्रदेश से ठंडा रहता है या गर्म?*


सर्दी के महीनों में चारों ओर बर्फ ही बर्फ

0 डिग्री से. तापमान में पानी बर्फ बन जाता है। जनवरी में अमेरिका के आधे से अधिक हिस्से में तापमान 0 डिग्री से. से भी कम रहता है। यानी यहां पर हिमपात होता है और पानी जम जाता है।

अमेरिका के काफी उत्तर में तो तापमान शून्य से 30 डिग्री से. से भी कम हो जाता है!

अमेरिका के बीच तक इतने कड़ाके की ठंड पड़ने का एक और मुख्य कारण है - उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली बर्फीली हवाएं। ये हवाएं पूरे महाद्वीप को ठंडा कर देती हैं।

इस तरह की बर्फीली हवाएं हमारे महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप में भी चलती हैं। इनके कारण भारत में भी खूब ठंड पड़ सकती थी। लेकिन हमारे देश के उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत जो है। ये पर्वत उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेते हैं। इस कारण हमारे देश में बहुत कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती।

मानचित्र नं. 4 : भारत और हिमालय



अमेरिका में भी एक ऊंची पर्वतमाला है - रॉकीज़ पर्वत। मगर ये पर्वत उत्तर से चलने वाली हवाओं को रोक नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? तुम यहां दिए गए नक्शों को देखकर समझो।

तापमान और खेती

फसलों को उगने और पकने के लिए कम से कम 3 या 4 डिग्री से. औसत तापमान आवश्यक है। अगर तापमान इससे भी कम हो जाए तो फसल पक नहीं पाएगी। इसी कारण अमेरिका के उत्तरी भागों में सर्दी की ऋतु में कोई फसल नहीं उगाई जाती है। केवल दक्षिणी भागों में सर्दी में फसल होती है।

मानचित्र नं. 5 : उत्तरी अमेरिका और रॉकीज़ पर्वत



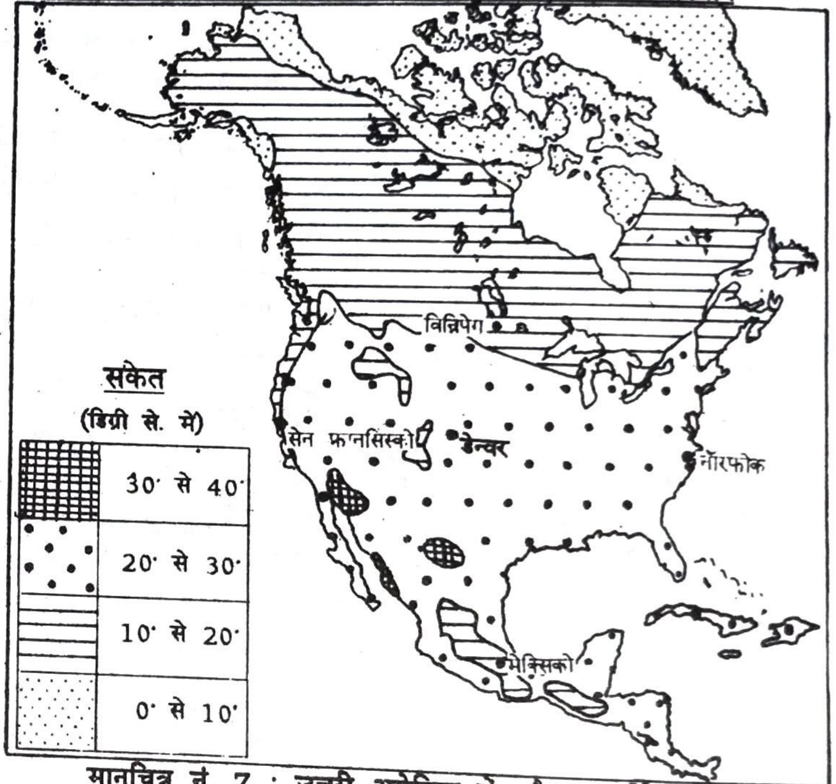
गर्मी में तापमान

अब चलो देखें वहां गर्मी के मौसम में तापमान कैसा रहता है। मानचित्र नं. 6 देखो।

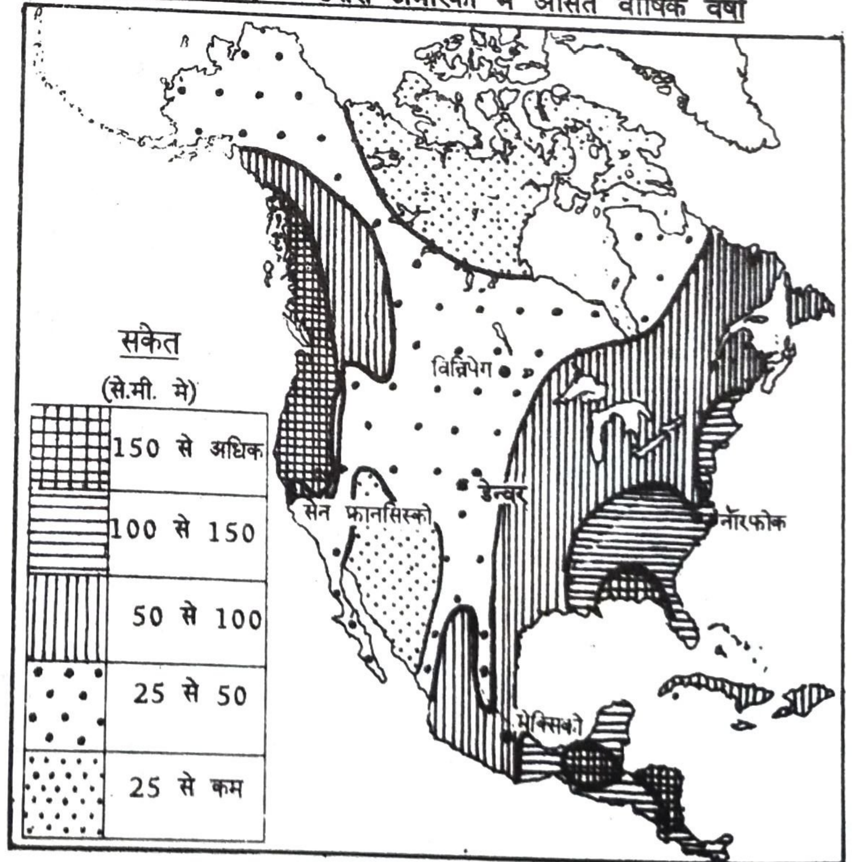
जुलाई के महीने में उत्तरी अमेरिका में सबसे कम तापमान कितने डिग्री से. से कितने डिग्री से. के बीच रहता है? यह तापमान अमेरिका के कौन से भाग में रहता है?

जुलाई में सबसे अधिक तापमान .... डिग्री से. से ..... डिग्री से. के बीच रहता है। यह अमेरिका के कौन-से भाग में रहता है? तुम्हारे प्रदेश में गर्मी के दिनों में तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री से. के बीच रहता है। अमेरिका के अधिकांश भागों में जुलाई में औसत तापमान 25 डिग्री से. से अधिक रहता है या कम?
गर्मी में अमेरिका के अधिकतर भाग तुम्हारे प्रदेश से अधिक गर्म हैं या कम?
तुम्हारे प्रदेश जितनी गर्मी अमेरिका के कौन से भाग में पड़ती होगी - पहचानो।
अमेरिका के अधिकांश भागों में खेती के लिए कौन सा मौसम ज़्यादा उपयुक्त होगा - गर्मी या ठंड?

मानचित्र नं. 6 : उत्तरी अमेरिका में जुलाई (गर्मी) में तापमान



मानचित्र नं. 7 : उत्तरी अमेरिका में औसत वार्षिक वर्षा



अमेरिका में वर्षा

किसी भी जगह की जलवायु में वहां के तापमान के अलावा वर्षा को भी देखना ज़रूरी है। अमेरिका में कहां-कहां कितनी बारिश होती है - चलो मानचित्र न. 7 में देखें।

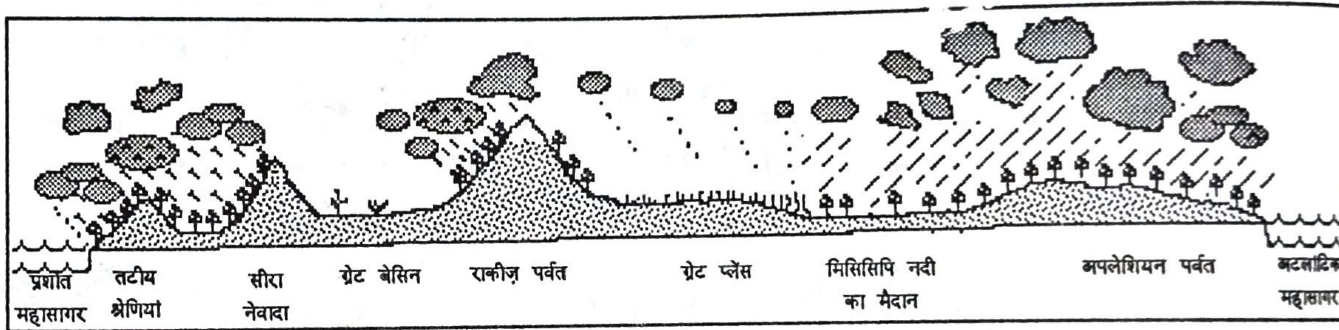
मानचित्र नं. 7 को ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों में आमतौर पर काफी अधिक वर्षा होती है। बीच के भागों में वर्षा कम होती जाती है। वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम क्यों होती है चलो समझें।

सागर से चलने वाली भाप भरी हवाएं

प्रशांत महासागर से चलने वाली भाप भरी हवायें पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर बहती हैं।

ये भाप भरी हवाएं अमेरिका के कौन से भाग में अधिक वर्षा करती हैं, मानचित्र में देखो। उन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंन्टी मीटर से कितने सेंन्टी मीटर होती है ?

उत्तरी अमेरिका की बनावट एवं वर्षा



प्रशांत महासागर से उठती भाप भरी ये हवाएं ग्रेट प्लेंस में बहुत कम वर्षा करती हैं। इसके कारण समझने के लिए अमेरिका की बनावट के इस चित्र को देखो।

इन हवाओं को कौन से पर्वत रोक लेते हैं?

पूर्व में अटलांटिक महासागर और मेक्सिको की खाड़ी से भी भाप भरी हवाएं अमेरिका की ओर चलती हैं। ये हवाएं मुख्यतः गर्मी के दिनो मे चलती हैं। ये भाप भरी हवाएं मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के तट में खूब वर्षा करती हैं। जैसे-जैसे ये हवाएं अमेरिका के भीतरी भागों में पहुंचती हैं, वैसे-वैसे वे सूखती जाती हैं। इस तरह पूर्वी तट से मध्य की ओर जाने पर क्रमशः वर्षा कम होती जाती है। तुम एक बार फिर मानचित्र न. 7 और ऊपर दिए गए चित्र को देखो तो यह बात साफ समझ में आएगी।

वर्षा का नापना

किसी भी जगह कितनी वर्षा होती है, यह कैसे नापा जाता है? एक गोलाकार बर्तन जिसका व्यास 12 से.मी. हो, उसे एक खुले मैदान में रखा जाता है। जब भी बारिश होती है तब इस बर्तन में पानी इकट्ठा होता है। उसमें इकट्ठे हुए पानी को हर रोज़ नपना घट से नापा जाता है। इसी को जोड़कर पता चलता है कि हर वर्ष उस जगह कितने से.मी. वर्षा हुई।

अमेरिका में रेगिस्तान

अमेरिका के दक्षिण-पश्चिम में जो पठार हैं, उनके नाम याद करो। ये पठार सिएरा नेवादा पर्वत और रॉकीज़ पर्वत के बीच में पड़ते हैं। यहां पर बहुत कम वर्षा होती है, 25 से.मी. से भी कम। यही पर अमेरिका के रेगिस्तान हैं।

उत्तरी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति

किसी भी जगह की वनस्पति वहां के तापमान और वर्षा पर निर्भर करती है। अमेरिका में तापमान और वर्षा में इतनी भिन्नता है, इसलिये वहां पाई जानेवाली वनस्पति भी बहुत अलग-अलग तरह की है। यहां अलग-अलग क्षेत्रों में घास, कंटीली झाड़ियां, कोणधारी पेड़, चौड़ी पत्ती के पेड़ आदि पाए जाते हैं।

अब चलो अमेरिका के वन और प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ें। पहले यह याद करो कि अमेरिका में दक्षिण में गर्मी पड़ती है और उत्तर में ठंड बढ़ती जाती है। साथ ही वहां की वर्षा के मानचित्र (न.7) को ध्यान से देखो।



अरिज़ोना रेगिस्तान की नागफनी। यह पौधा 15 मीटर ऊंचा उगता है। (यानी चार मंज़िला मकान जितना) ये पौधे 200-300 वर्ष तक जीवित रहते हैं।

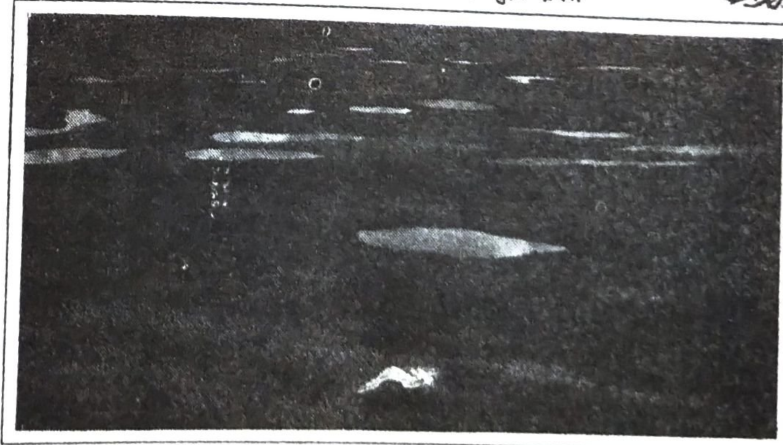
तुमने देखा कि अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में ऐसे प्रदेश हैं जहां 25 से.मी. से भी कम वर्षा होती है। इस प्रदेश में गर्मी में खूब गर्मी भी पड़ती है। इस कारण वहां पानी जल्दी सूख जाता है और नमी नही रहती है। ऐसी जलवायु में कंटीली झाड़ियां और नागफनी ही उगती हैं। इन पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं। केवल कांटे होते हैं। अगर पत्तियां होती तो उनमें से पानी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता। अमेरिका के अरिज़ोना रेगिस्तान के नागफनी का चित्र देखो।



मानचित्र नं. 7 में अगर अमेरिका के बिलकुल उत्तरी हिस्सों को देखोगे तो पाओगे कि वहां भी 25 से.मी. से कम वर्षा होती है। तो क्या वहां भी नागफनी उगेंगे? नहीं! यह तो अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश है। तुम्हें याद होगा टुंड्रा प्रदेश में साल में कुछ ही महीनों में धूप रहती है और वह भी हल्की-हल्की। बहुत अधिक ठंड के कारण यहां पानी सूखता नही है इसलिये यहां नमी की कमी नही रहती है। तो यहां नागफनी के उगने का सवाल ही नही उठता। पर यहां एक दूसरी दिक्कत है। यहां सालभर में सूर्य का प्रकाश इतना कम मिलता है कि पेड़ पौधे उग नही पाते। बस जब कुछ महीनों में धूप पड़ती है तब लाईकेन जैसी काईयां उग आती हैं।



गर्मी में टुंड्रा प्रदेश



अब उन प्रदेशों को देखते हैं जहां 25 से.मी. से अधिक, मगर 50 से.मी. से कम वर्षा होती है। मानचित्र में इस



प्रदेश को पहचानो। यहां जितनी वर्षा होती है उसमें इस प्रदेश के दक्षिणी व मध्य के भागों में केवल घास ही घास उग पाती है, पेड़ नहीं। यहां दूर-दूर तक पेड़ नही दिखाई पड़ते। अमेरिका के इस लंबे चौड़े घास के फैलाव को प्रेरीज़ कहते हैं।



लेकिन कम वर्षा के इसी प्रदेश के उत्तरी भाग में कोणधारी पेड़ों के वन हैं। भई यह कैसे? दोनों भागों में तो उतनी ही वर्षा होती है! इसके पीछे एक कारण है। दक्षिण में गर्मी अधिक पड़ती है, सो जो पानी बरसता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। इसलिए दक्षिण में पेड़ों के लायक नमी नहीं रहती है। इसके विपरीत उत्तर में ठंड अधिक और गर्मी कम पड़ती है। सो वहां पर मिट्टी में नमी बनी रहती है - पानी सूख नही जाता है। इस कारण वहां पेड़ होते हैं और वन हैं। ठंडे बर्फीले प्रदेश होने के कारण यहां कोणधारी पेड़ों के वन पाए जाते हैं।

अब हम अमेरिका के उन इलाकों को देखें जहां 50 से.मी. से अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले इन इलाकों में तरह-तरह के पेड़ों के घने जंगल मिलते हैं। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर और बहुत ठंडे इलाकों में कोणधारी पेड़ों के वन पाए जाते हैं। गर्म इलाकों में चौड़ी पत्ती वाले पेड़ उगते हैं।

कोणधारी वन



अभ्यास के प्रश्न

1. भारत से किस दिशा में जाने पर अमेरिका महाद्वीप मिलेगा?
2. पनामा नहर के बनने से अमेरिका के लोगों को क्या सुविधा हुई?
3. मिसिसिपी नदी की बहने की दिशा क्या है?
4. अमेरिका के कौन से भाग में विशाल मैदान हैं?
5. सर्दी के मौसम में विन्निपेग शहर में कितने डिग्री से. से कितने डिग्री से. तापमान रहता है? गर्मी की ऋतु में वहां तापमान कितना रहता है?
6. अमेरिका में उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाओं को रॉकीज़ पर्वत क्यों नही रोक पाते?
7. अमेरिका के उत्तरी भागों में सर्दी के महीनों मे खेती क्यों नही हो पाती है?
8. इन चार शहरों मे सबसे अधिक वर्षा कहां होगी - विन्निपेग, डेन्वर, नारफोक, सेन फ्रांसिस्को?
9. ग्रेट प्लेंस में कम वर्षा होने के क्या कारण है?
10. अमेरिका के उत्तरी भागों में कम वर्षा होने पर भी कोणधारी पेड़ क्यों पाए जाते है?